

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

जुलाई, 2015 सत्र

बुधवार, दिनांक 29 जुलाई, 2015

तारांकित प्रश्नोत्तर

बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित शराब दुकानें

1. (*क्र. 123) श्री सियाराम कौशिक : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बिल्हा में वर्ष 2015-16 में कुल कितनी देशी/विदेशी शराब दुकानें संचालित हैं ? (ख) अवैध शराब की बिक्री की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) विधान सभा क्षेत्र बिल्हा में वर्ष 2015-16 में 05 देशी एवं 04 विदेशी कुल 09 शराब दुकानें संचालित हैं। (ख) वर्ष 2015-16 में बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब की बिक्री की 11 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उक्त शिकायतों की जांच पर 06 प्रकरण कायम किए गए हैं एवं 05 शिकायत सही नहीं पाई गईं।

नगर पंचायत चारामा में गौरव पथ निर्माण की स्वीकृति

2. (*क्र. 685) श्री मनोज सिंह मंडावी : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पंचायत चारामा में गौरव पथ निर्माण कार्य कब तथा कितनी लागत का स्वीकृत किया गया है ? (ख) स्वीकृत कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है ? (ग) शर्तों के आधार पर उक्त मार्ग संधारण की अवधि कब तक की है तथा संधारण नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) नगर पंचायत चारामा में गौरव पथ निर्माण कार्य वर्ष 2006-07 में राशि रु. 69.97 लाख लागत की स्वीकृति दी गई है। (ख) गौरव पथ निर्माण कार्य दिनांक 31-12-10 को पूर्ण हो चुका है। (ग) शर्तों के आधार पर गौरव पथ योजना माह जून 2007 तक पूर्ण कराया जाना था। मार्ग संधारण की अवधि समाप्त हो चुकी है। संधारण हेतु निकाय से किसी प्रकार का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

बाल्को प्रबंधन द्वारा विस्तार परियोजना हेतु नगर पालिका निगम कोरबा में प्रस्तुत आवेदन

3. (*क्र. 1399) श्री जयसिंह अग्रवाल : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बाल्को प्रबंधन ने अपने विस्तार परियोजना के तहत 540 मेगावाट विद्युत संयंत्र, 1200 मेगावाट विद्युत संयंत्र व 3.5 लाख टन स्मेलटर निर्माण की अनुमति हेतु नगर पालिका निगम कोरबा में आवेदन प्रस्तुत किया था ? यदि हां तो, कब ? (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित कार्यों में से किन-किन निर्माण कार्यों को अनुमति प्रदान की गई है ? यदि नहीं तो, अवैध निर्माण पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित विस्तार परियोजना के तहत निर्माण कार्य के लिये कितने क्षेत्रफल की अनुमति दी गई है ? परियोजनावार विवरण दें ? क्या निर्माण अनुमति क्षेत्रफल से ज्यादा क्षेत्रफल में की गई है? यदि हां तो, क्या कार्यवाही की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) बाल्को प्रबंधन द्वारा अपने विस्तार परियोजना अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की अनुमति हेतु निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत किया गया :—

1. 540 मेगावाट विद्युत संयंत्र निर्माण अनुमति हेतु दिनांक 24-03-03 को आवेदन प्रस्तुत किया गया।
2. 1200 मेगावाट विद्युत संयंत्र विस्तार निर्माण अनुमति हेतु दिनांक 12-08-08 एवं पुनः दिनांक 12-12-14 को आवेदन प्रस्तुत किया गया।

3. 5.5 लाख टन स्मेल्टर निर्माण अनुमति हेतु बाल्को प्रबंधन द्वारा दिनांक 29-12-09 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

(ख) प्रश्नांश “क” में उल्लेखित कार्यों में से निम्नलिखित कार्यों हेतु नगरपालिक निगम कोरबा द्वारा अनुमति/नियमितीकरण की गई है :—

1. 1200 मेगावाट विद्युत विस्तार संयंत्र दिनांक 05-01-15
2. स्मेल्टर निर्माण दिनांक 26-03-10

540 मेगावाट विद्युत संयंत्र की अनुमति नहीं दी गई है। अवैध निर्माण कार्य के संबंध में दिनांक 18-06-04 को नोटिस जारी किया गया, जिसका उत्तर दिनांक 19-06-04 को प्राप्त हुआ। पुनः दिनांक 27-06-03, 31-08-04, 19-10-04, 10-11-04, 24-12-04, 27-05-05, 25-08-05, 03-10-11 एवं 19-10-11 को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं निर्माण कार्य बंद करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

- (ग) 1. 540 मेगावाट विद्युत संयंत्र निर्माण हेतु नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गई है।
2. 1200 मेगावाट विद्युत संयंत्र विस्तार हेतु 94321.33 वर्गमीटर में दिनांक 05-01-15 को (अर्थदण्ड सहित) नियमितीकरण किया गया है।
3. स्मेल्टर निर्माण हेतु कुल 16950.539 वर्गमीटर क्षेत्रफल में दिनांक 26-03-10 को शमन शुल्क (अर्थदण्ड) जमा कराकर निर्माण अनुमति दी गई है। बाल्को प्रबंधन द्वारा अनुमति से हटकर निर्माण कार्य करने पर दिनांक 27-08-10 को नोटिस जारी किया गया है। प्रत्युत्तर में उनके द्वारा दिनांक 10-09-10 को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण करने तथा जारी किये गये नोटिस को निरस्त करने हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया।

सेमरसोत अभ्यारण के विकास हेतु स्वीकृत राशि

4. (*क्र. 1570) **श्री बृहस्पत सिंह** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सेमरसोत अभ्यारण में कितने वन प्राणी हैं ? पृथक-पृथक बतावें। (ख) अभ्यारण क्षेत्र में वन्य प्राणियों के भोजन, पीने का पानी की क्या व्यवस्था है ? (ग) अभ्यारण क्षेत्र के वन्य प्राणियों एवं अभ्यारण विकास हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिये दी गई है ? 03 वर्षों का वर्षवार बतायेंगे। (घ) अभ्यारण क्षेत्र के कितने वन्य प्राणियों का शिकार (हत्या) जनवरी 2015 से जून 2015 तक हुआ है ? (ङ) अभ्यारण क्षेत्र में वन्य प्राणियों के द्वारा कितने जन-धन की हानि पहुंचाई गई ? (च) ग्रामवासियों को पहुंचाई गई क्षति की मुआवजा की राशि विगत 2 वर्षों में कितना-कितना भुगतान किया गया।

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) प्रदेश में अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान तथा उसके बाहरी वन क्षेत्रों में वन्यप्राणियों का आंकलन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा माह फरवरी 2014 में वन विभाग के माध्यम से करायी गयी है। उक्त आंकलन की वन्यप्राणीवार रिपोर्ट अप्राप्त। (ख) शाकाहारी वन्यजीवों के भोजन हेतु सेमरसोत अभ्यारण्य में प्राकृतिक रूप से विभिन्न प्रकार के घांस, पत्तियां, फल, वनस्पति एवं मांसाहारी वन्यजीवों के भोजन हेतु शाकाहारी वन्यजीवों जैसे कोटरी, चीतल, खरगोश, जंगली सुअर आदि उपलब्ध हैं। अभ्यारण्य क्षेत्र में अनेक जीवित नाला है, जिसमें वर्षभर पानी वन्यजीवों के लिए उपलब्ध रहता है। इसके अलावा विभाग द्वारा अभ्यारण्य के विभिन्न क्षेत्रों में जलस्रोतों का निर्माण/प्रबंधन किया जाकर वन्यजीवों के लिए पेयजल की व्यवस्था किया जाता है। (ग) अभ्यारण्य क्षेत्र के वन्यप्राणियों एवं अभ्यारण्य के विकास हेतु विगत तीन वर्षों में विभिन्न कार्य के लिए दी गयी राशि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (घ) प्रश्नांकित अवधि में सेमरसोत अभ्यारण्य क्षेत्र अंतर्गत शिकार (हत्या) की घटना प्रकाश में नहीं आई है। (ङ) सेमरसोत अभ्यारण्य क्षेत्र में वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि की घटना नहीं हुई है। वर्ष 2014-15 में कोदौरा परिक्षेत्र में हाथी द्वारा राशि रुपये 4812/- मूल्य की फसल हानि पहुंचाई गई है। (च) वर्ष 2013-14 में वन्यजीवों द्वारा ग्रामवासियों को कोई धन-जन की हानि नहीं पहुंचाई गयी, अतः कोई मुआवजा भुगतान नहीं किया गया एवं वर्ष 2014-15 में फसल हानि की क्षतिपूर्ति हेतु 4812/- रुपये मुआवजा भुगतान किया गया।

प्रदेश में नक्सलियों का आत्मसमर्पण

5. (*क्र. 1230) **श्री लखेश्वर बघेल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. प्रदेश में वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 30 जून, 2015 की स्थिति में कितने नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया ? आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास हेतु क्या कार्यवाही की गई ? जिलेवार ब्यौरा उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश “क” की अवधि में कितने ईनामी नक्सली पुलिस कार्यवाही में पकड़े गये, कितने ईनामी नक्सली मुठभेड़ में मारे गये ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2013-14 में 45, 2014-15 में 470 एवं 2015-16 में अप्रैल से 30 जून 2015 तक कुल 21 नक्सलियों द्वारा आत्म समर्पण किया गया है. आत्म समर्पित नक्सलियों को पुनर्वास कार्ययोजना के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी जिलेवार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ख) उक्त अवधि में कुल 289 ईनामी नक्सली गिरफ्तार किये गये तथा 12 ईनामी नक्सली मुठभेड़ में मारे गये.

गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र में संचालित स्थल नल-जल योजना

6. (*क्र. 15) **श्री राजेन्द्र कुमार राय** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र में कितने स्थानों पर स्थल नल-जल योजना संचालित हैं ? (ख) वित्तीय वर्ष 2015-16 में कितने स्थल नल-जल स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र में स्थल नल जल योजना के नाम से कोई योजना संचालित नहीं है. (ख) विभाग में स्थल नल जल योजना के नाम से कोई योजना स्वीकृत नहीं की जाती है. अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

कोटा एवं मरवाही वि. स. क्षेत्र में हैण्डपम्प खनन

7. (*क्र. 1562) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोटा तथा मरवाही विधान सभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों में कितने हैण्डपम्प का खनन हुआ ? विकासखंडवार जानकारी देवें ? (ख) उक्त हैण्डपम्पों में से कितने हैण्डपम्पों से पेयजल प्राप्त हो रहा है तथा कितने हैण्डपम्प सूखे हैं ? (ग) उक्त अवधि के दौरान विभाग द्वारा सूखे हैण्डपम्पों के सुधार हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) कोटा तथा मरवाही विधान सभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों में क्रमशः 105 तथा 310 नलकूपों का खनन कर क्रमशः 98 हैण्डपम्प तथा 288 हैण्डपम्प स्थापित किया गया है. विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित अनुसार. (ख) उक्त खनित नलकूपों में से 386 सफल नलकूपों में स्थापित सभी 386 हैण्डपम्पों से पेयजल प्राप्त हो रहा है तथा कोई भी हैण्डपम्प सूखा नहीं है. (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है.

आरंग नगर के पेयजल व्यवस्था हेतु स्वीकृत राशि

8. (*क्र. 704) **श्री नवीन मारकंडेय** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आरंग नगर के पेयजल संकट को देखते हुए इसके तत्काल समाधान के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2015 के बीच कितनी राशि नगर पालिका परिषद् आरंग को स्वीकृत की गयी है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : जी नहीं. आरंग नगर के पेयजल संकट को देखते हुए इसके तत्काल समाधान के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2015 से 30 जून 2015 के बीच नगरपालिका परिषद् आरंग को कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है.

राजनांदगांव जिले में पानी टंकी निर्माण एवं पाईप लाईन विस्तार के कार्यों का सत्यापन

9. (*क्र. 592) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2012-13 से 2014-15, जून, 2015 तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कितने पानी टंकी निर्माण, पाईप लाईन विस्तार के कार्य किये गये हैं तथा कितने निर्माणाधीन हैं ? (ख) कंडिका "क" के अनुसार कितने निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन पश्चात् अंतिम मूल्यांकन कर पूर्ण किया जा चुका है ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) राजनांदगांव जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा निर्माण किये गये पानी टंकी

एवं पाईप लाईन विस्तार कार्य का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	वर्ष	पूर्ण किये गये कार्य का विवरण	
		पानी टंकी निर्माण कार्य	पाईप लाईन विस्तार कार्य
1.	2012-13	17	86
2.	2013-14	18	80
3.	2014-15	22	82
4.	2015-16	11	65
(जून 2015 तक)			

राजनांदगांव जिले में जून, 2015 की स्थिति में 08 नग पानी टंकी निर्माण तथा 103 पाईप लाईन विस्तार के कार्य निर्माणाधीन है. (ख) कंडिका-“क” अनुसार निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन, अंतिम मूल्यांकन कर पूर्ण किये गये पानी टंकी निर्माण एवं पाईप लाईन विस्तार कार्य की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	वर्ष	भौतिक सत्यापन एवं अंतिम मूल्यांकन कर पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण	
		पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण	
		पानी टंकी निर्माण कार्य	पाईप लाईन विस्तार कार्य
1.	2012-13	17	86
2.	2013-14	15	76
3.	2014-15	07	65
4.	2015-16	03	34
(जून 2015 तक)			

जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित नलजल/समूह जल योजनाएं

10. (*क्र. 84) **श्री संतोष बाफना** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन गांवों में कब से नलजल/समूह जल योजना संचालित हैं ? (ख) वर्तमान में किन-किन ग्रामों में नलजल/समूह जल योजना का कार्य निर्माणाधीन हैं ? (ग) किन-किन ग्रामों में नई नलजल/समूह जल योजना प्रस्तावित है व कहां-कहां पर पुरानी नलजल योजना के सुधार एवं विस्तार का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित नलजल योजना की ग्रामवार नाम एवं संचालित वर्ष का विवरण † संलग्न प्रपत्र “अ” के कॉलम 3 एवं 4 में दर्शित है. जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत समूह जल प्रदाय योजना संचालित नहीं है. (ख) वर्तमान में निर्माणाधीन नलजल योजनाओं की ग्रामवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” के कॉलम 3 में दर्शित है. वर्तमान में निर्माणाधीन समूह जलप्रदाय योजना-निरंक है. (ग) ग्रामों में नई नलजल योजना का प्रस्ताव-निरंक है. एक समूह जल योजना (कुम्हारावण्ड समूह जलप्रदाय योजना) प्रस्तावित है. पुरानी नलजल योजना के सुधार एवं विस्तार का प्रस्ताव-निरंक है.

तेंदूपत्ता पारिश्रमिक एवं बोनस भुगतान संबंधी

11. (*क्र. 720) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वन विभाग में समस्त भुगतान धनादेश के माध्यम से सीधे खाते में किये जाने का निर्देश है ? (ख) क्या जिन वनमंडलों में नगद भुगतान किया जा रहा है वहां जिलाध्यक्ष से स्वीकृति प्राप्त की गई है ? (ग) क्या तेंदूपत्ता पारिश्रमिक एवं बोनस का भुगतान भी उन्हीं जगहों पर नगद किया जा रहा है ? यदि नहीं तो, क्यों ? (घ) जिलाध्यक्ष की बिना अनुमति से नगद भुगतान करने वाले दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) वन विभाग में विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2-7/2013/10-2 /बजट, दिनांक 03-07-2014 द्वारा बैंक खातों के जरिये मजदूरी भुगतान किये जाने के निर्देश है. उपरोक्त निर्देशों में निम्न अपवादों की स्थिति में श्रमिकों को नगद भुगतान की अनुमति प्रदान की गई है :-

- (1) 500 रुपये या उससे कम का भुगतान.
- (2) कैम्पिंग श्रमिकों का भुगतान.
- (3) जिन श्रमिकों का बैंक खाता संचालित न हो खाता खुलवाने तक नगद भुगतान.
- (4) ऐसे क्षेत्र जहां बैंकों की सेवाएं अपर्याप्त हैं, वहां जिले के कलेक्टर एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा नगद भुगतान के बारे में निर्णय लिया जाए. इस अनुक्रम में जहां बैंक, श्रमिकों के निवास ग्राम से 5 कि.मी. की सीमा के अंदर स्थित नहीं है, उन गांवों की एकजाई सूची संबंधित कलेक्टर/वनमंडलाधिकारी अनुमोदित करें.

श्रमिकों को नगद भुगतान समिति के सदस्यों के समक्ष किये जाने के निर्देश है. (ख) शासन के उपरोक्त निर्देशों के अनुसार वनमंडलों के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जहां बैंक श्रमिकों के निवास ग्राम से 5 कि.मी. की सीमा के अंदर स्थित नहीं है, ऐसे गांवों की सूची संबंधित कलेक्टर/वनमंडलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत नगद भुगतान समिति के समक्ष किया जा रहा है. (ग) प्रदेश के 04 वनमंडलों क्रमशः बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर एवं पश्चिम भानुप्रतापपुर में तेन्दूपत्ता पारिश्रमिक का रु. 500/- से अधिक का भुगतान नगद किया जा रहा है. अन्य वनमंडलों में तेन्दूपत्ता पारिश्रमिक एवं बोनस का भुगतान रु. 500/- से रु. 5000/- तक बीयरर चेक एवं रु. 5000/- से ऊपर की राशि का भुगतान एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से किया जा रहा है. क्योंकि तेन्दूपत्ता संग्राहकों को संग्राहक कार्ड दिया जाता है एवं बोनस वितरण के अतिरिक्त बीमा योजना एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ दिया जाता है, जिसके लिये इनके बैंक खाते पूर्व से ही खोले गये हैं. इस वजह से इन संग्राहकों को बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है. (घ) विभागीय निर्देशानुसार ही नगद भुगतान किया जा रहा है. अतः दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

नंदन वन में काले हिरणों की मृत्यु

12. (*क्र. 1123) **श्री अरूण वीरा :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि रायपुर स्थित नंदन वन में 19 मई से 23 जून, 2015 के मध्य नौ काले हिरणों की मृत्यु हुई ? (ख) यदि हां तो, इन काले हिरणों की मृत्यु का क्या कारण है ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) यह सही है कि, 19 मई से 23 जून, 2015 के मध्य कुल "8" काले हिरणों की मृत्यु हुई थी. (ख) इन हिरणों की मृत्यु का संभावित कारण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

सरायपाली विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वृक्षारोपण में व्यय राशि

13. (*क्र. 728) **श्री रामलाल चौहान :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2011-12 व 2012-13 तथा वर्ष 2013-14 में कौन-कौन सी प्रजाति के वृक्षों का रोपण कितनी-कितनी संख्या में किया गया तथा इन पर कितनी राशि व्यय की गई ? (ख) रोपित पौधे में से कितने प्रतिशत पौधे जीवित हैं ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2011-12 में 72000 सागौन, 76200 आंवला, 7200 नीलगिरी, 7300 शीशु, 41460 अन्य मिश्रित प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया, जिस पर 71 लाख 03 हजार 894 रुपये की राशि व्यय की गई. वर्ष 2012-13 में 113350 सागौन, 21000 बांस, 52125 आंवला, 495 महुआ, 2000 अर्जुन, 145430 अन्य मिश्रित प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया जिस पर 218 लाख 06 हजार 720 रुपये की राशि व्यय की गई. वर्ष 2013-14 में 100000 सागौन, 34000 बांस, 7420 आंवला, 5000 महुआ, 9000 कुसुम, 130680 अन्य मिश्रित प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया जिस पर 113 लाख 22 हजार 594 रुपये की राशि व्यय की गई. (ख) रोपित पौधों में से औसतन 80.49 प्रतिशत पौधे जीवित हैं.

खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न मोबाईल कंपनियों के स्थापित टॉवर

14. (*क्र. 928) **श्री गिरवर जंघेल :** क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के खैरागढ़ नगर पालिका, नगर पंचायत छुईखदान एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में किस-किस मोबाईल कंपनियों द्वारा कितने टावर लगाये गये हैं ? (ख) कितनी कंपनियों द्वारा टावर लगाने के पूर्व अनुमति ली गई है ? कितने टावर बिना अनुमति के स्थापित हैं ? (ग) बिना अनुमति के स्थापित टावरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है.

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) से (ग) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट है.

तखतपुर विधान सभा क्षेत्र में परिक्षेत्रवार कैम्पा/मनरेगा मद से कराये गये वृक्षारोपण

15. (*क्र. 1493) **श्री राजूसिंह क्षत्री** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तखतपुर विधान सभा परिक्षेत्रवार कैम्पा/मनरेगा मद से वर्ष 2012-13 व 2013-14 में किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी राशि से वृक्षारोपण किया गया ? (ख) क्या यह सच है कि वर्ष 2012-13 में ग्राम वन वृक्षारोपण एवं शहरी वृक्षारोपण अंतर्गत ग्राम भरनी में 47.34 लाख रु. राशि का वृक्षारोपण किया गया है ? यदि हां तो, वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति क्या है ? कितने पौधे जीवित हैं ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) तखतपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कैम्पा/मनरेगा मद से वर्ष 2012-13 व 2013-14 में कराये गये वृक्षारोपण की परिक्षेत्रवार/स्थलवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) जी नहीं.

प्रदेश के अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों के मौत की जांच

16. (*क्र. 1555) **श्री भूपेश बघेल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014 एवं 2015 में 30 जून, 2015 तक प्रदेश के चिड़ियाघरों/वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में कितने वन्य प्राणियों की मौतें हुई हैं ? मृत्यु दिनांक तथा स्थान की जानकारी प्राणीवार बतावें. (ख) कितने मामलों की जांच किन-किन संस्थानों से कराई गई ? किन-किन मामलों की जांच रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हो गई है ? किन-किन मामलों की जांच रिपोर्ट अभी अप्राप्त है ? (ग) जांच रिपोर्ट में कौन-कौन दोषी पाये गये ? दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) वर्ष 2014 एवं 2015 में 30 जून 2015 तक प्रदेश के चिड़ियाघरों में 69 वन्यजीवों की मृत्यु हुई है तथा अभ्यारण्यों में 29 वन्यजीवों की मृत्यु की घटना प्रकाश में आई है. मृत्यु दिनांक तथा स्थान की जानकारी वन्य जीववार †† संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. (ग) जांच रिपोर्ट में किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया है. अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है.

प्रदेश के जेलों में प्राकृतिक एवं आत्महत्या से हुई मौत

17. (*क्र. 331) **श्री जनकराम वर्मा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जेलों में बंद कितने कैदियों की विगत एक वर्ष में प्राकृतिक एवं आत्महत्या से मौतें हुई हैं ? शासन स्तर पर इसकी रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? कृपया जेलवार पृथक-पृथक जानकारी दें.

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : प्रदेश की जेलों में बंद विगत एक वर्ष में (दिनांक 09-07-2014 से दिनांक 10-07-2015 तक) जेल में 04 दण्डित बंदियों की प्राकृतिक मृत्यु तथा 01 विचाराधीन बंदी की आत्महत्या से मृत्यु हुई है. जेलवार पृथक-पृथक जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. जेल में बंदियों के मृत्यु की रोकथाम के लिए की जा रही कार्यवाही की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में है.

दक्षिण वन मंडल कोण्डागांव में रपटा एवं पुल-पुलियों का निर्माण

18. (*क्र. 1203) **श्री मोहन मरकाम** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दक्षिण वन मंडल कोण्डागांव द्वारा वर्ष 2012-2013 एवं 2013-2014 में किन-किन वन मार्गों पर रपटा एवं पुलिया निर्माण किन-किन मदों में स्वीकृत किया गया ? जानकारी लागत सहित परिक्षेत्रवार दी जाये ? (ख) मदवार सामग्री तथा मजदूरी हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? परिक्षेत्रवार जानकारी दी जाये ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) एवं (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

सामरी विधान सभा क्षेत्र में नल जल योजना की स्वीकृति

19. (*क्र. 1475) **डॉ. प्रीतम राम** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सामरी विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत कुसमी एवं राजपुर में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में नल जल योजना हेतु कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है ? कितने कार्य पूर्ण हैं, कितने अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण किये जायेंगे ?

† परिशिष्ट “छह”

†† परिशिष्ट “सात”

†† परिशिष्ट “आठ”

††† परिशिष्ट “नौ”

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : सामरी विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत कुसमी एवं राजपुर में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में नलजल योजना हेतु कोई भी राशि की स्वीकृति नहीं दी गई है अपितु नगर पंचायत कुसमी की आवर्धन जल प्रदाय योजना हेतु वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कोई भी राशि प्रदाय नहीं की गई तथापि नगर पंचायत राजपुर की आवर्धन जल प्रदाय योजना हेतु वर्ष 2013-14 में रु. 300.00 लाख राशि एवं 2014-15 में रु. 50.00 लाख राशि प्रदाय की गई है. योजना अंतर्गत कार्य पूर्ण, अपूर्ण की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित अनुसार. अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति थानों में दर्ज प्रकरण

20. (*क्र. 1550) **श्री दीपक बैज :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्ष 2014-15 में जून 2015 तक अनुसूचित जाति, जनजाति थानों के अंतर्गत कुल कितने और प्रकरण दर्ज किये गये हैं ? जिलेवार जानकारी दें. (ख) प्रश्नांश “क” के दर्ज प्रकरणों में कितने प्रकरण लंबित हैं ? जिलेवार जानकारी दें.

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति थानों के अंतर्गत कुल 186 प्रकरण दर्ज किये गये हैं. जिलेवार जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है. (ख) प्रश्नांश “क” के दर्ज प्रकरणों में से 41 प्रकरण लंबित हैं. जिलेवार जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है.

खल्लारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आरक्षी केन्द्रों में दर्ज हत्या के प्रकरण

21. (*क्र. 957) **श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी) :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षी केन्द्रों में वर्ष 2013-14 व 2014-15 में हत्या के कितने प्रकरण दर्ज किए गए ? (ख) कितने प्रकरणों में आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा कितने प्रकरण नस्तीबद्ध किए गये ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) खल्लारी विधान सभा के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्र में वर्ष 2013-14 में हत्या के 06 प्रकरण तथा 2014-15 में 04 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. (ख) उपरोक्त 10 प्रकरणों में से 08 प्रकरणों में अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है. 01 प्रकरण विवेचना में है, तथा 01 प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है.

राष्ट्रीय राजमार्ग कोन्टा-सुकमा के किनारे पेड़ों की कटाई की अनुमति

22. (*क्र. 762) **श्री कवासी लखमा :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निर्माणाधीन सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे के पेड़ों को काटा गया है ? यदि हां तो, कितने पेड़ों को काटा गया है ? पेड़ कटाई किसके द्वारा कराया गया ? क्या पेड़ों को काटने की अनुमति ली गई है ? यदि हां तो, पेड़ काटने की अनुमति किसने दी तिथि सहित जानकारी दें.

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : जी हां. जगदलपुर वृत्त के सुकमा वन मंडल अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 30-सुकमा-कोन्टा के किनारे राजस्व भूमि में चिन्हित 895 वृक्षों को काटा गया है. वृक्षों की कटाई एवं लागिंग वन विभाग द्वारा कराया गया है. वृक्षों को काटने की अनुमति-जिला कलेक्टर, सुकमा द्वारा दी गई है. राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण के उपरांत वृक्षों को काटने की अनुमति कलेक्टर, जिला सुकमा के पत्र क्रमांक/776/स्टेनो/2015 दिनांक 28-02-2015 द्वारा दी गई है.

दन्तेवाड़ा में “लाल पानी” की शिकायतों का निराकरण

23. (*क्र. 650) **श्री अमित अजीत जोगी :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दन्तेवाड़ा क्षेत्र में “लाल पानी” की शिकायतें हैं ? यदि हां तो, इसके निराकरण के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : जी हां. जिला दन्तेवाड़ा के कुल 66 ग्राम में लाल पानी की शिकायतें हैं. विभागीय पेयजल स्रोतों में लाल पानी का प्रभाव परिलक्षित नहीं होता है. लाल पानी से प्रभावित 66 ग्रामों में विभाग द्वारा कुल 1475 हैण्डपम्प, 03 नलजल प्रदाय योजना, 06 स्थल जल प्रदाय योजना, 41 सोलर आधारित ड्यूल ऑपरेटेड पम्प तथा 43 लौह शुद्धिकरण संयंत्र के द्वारा पेयजल प्रदाय की व्यवस्था की गई है.

प्रदेश में संचालित देशी/विदेशी शराब दुकानें

24. (*क्र. 886) **श्री केशव चन्द्रा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. प्रदेश में कुल कितनी देशी/विदेशी शराब दुकानें हैं ? जिलेवार जानकारी देवें. (ख) सरकार को पिछले 05 वित्तीय वर्ष में उपरोक्त शराब दुकानों से कितने राजस्व की आमदनी हुई ? जिलेवार जानकारी देवें. (ग) वर्ष 2015-16 में जिला जांजगीर-चांपा में कितनी देशी/विदेशी दुकानें खोली गई हैं ? स्थानवार, ठेकेदारों के नाम सहित बतावें.

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) छ. ग. प्रदेश में संचालित देशी/विदेशी शराब दुकानों की जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) सरकार को पिछले 5 वित्तीय वर्ष में उपरोक्त शराब दुकानों से प्राप्त राजस्व की जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है. (ग) वर्ष 2015-16 में जिला जांजगीर-चांपा में कोई नवीन देशी/विदेशी मदिरा दुकानें नहीं खोली गई है.

सूरजपुर जिले अंतर्गत नल-जल योजना की स्थिति

25. (*क्र. 1145) **श्री पारसनाथ राजवाड़े** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सूरजपुर जिले में नल-जल योजना के तहत टंकी पाईप लाईन, ट्यूबवेल किन-किन ग्रामों में स्थापित है ? (ख) नल-जल योजना किन-किन ग्रामों में चालू है, किन ग्रामों में बंद है ? (ग) बंद नल-जल योजना कब तक प्रारंभ होगी एवं इस योजना में कितनी राशि व्यय की गई है ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) सूरजपुर जिले में नल-जल योजना के तहत टंकी, पाईप लाइन, नलकूप (ट्यूबवेल) की ग्रामवार जानकारी क्रमशः †† संलग्न परिशिष्ट के कॉलम-5, 6 एवं 7 में दर्शित अनुसार. (ख) नल-जल योजना के चालू एवं बंद की ग्रामवार जानकारी क्रमशः †† संलग्न परिशिष्ट के कॉलम-8 एवं 9 में दर्शित अनुसार. (ग) 01 ग्राम सोनपुर विकासखंड भैयाथान की बंद नल-जल योजना अगस्त 2015 तक चालू किया जाना लक्षित है एवं इस योजना में रु. 24.00 लाख की राशि व्यय की गई है.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही

1. (क्र. 90) **श्री संतोष बाफना** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चिटफंड एक्ट 1992 के अंतर्गत प्रदेश में कितनी कंपनियां पंजीकृत हैं ? (ख) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में दिनांक 31 मार्च, 2015 बस्तर संभाग में चिटफंड कंपनी, नॉन बैंकिंग फायनेंस कंपनी एवं माइक्रोफायनेंस कंपनी के रूप में कार्य करने वाली-किन-किन कंपनियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये एवं इन पर क्या कार्यवाही की गई ? जिलेवार बताएं ? (ग) चिटफंड कंपनियों की रोकथाम हेतु शासन एवं पुलिस विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) प्रदेश में चिटफंड एक्ट 1982 के अंतर्गत कोई कंपनी पंजीकृत नहीं है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में बस्तर संभाग में फर्जी चिटफंड कंपनी, फर्जी नॉन बैंकिंग फायनेंस कंपनी एवं माइक्रोफायनेंस कंपनी के रूप में कार्यवाही करने वाली 01 कंपनी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है. जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

केशकाल विधान सभा क्षेत्र में हेण्डपंप का खनन

2. (क्र. 299) **श्री संतराम नेताम** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र केशकाल अंतर्गत वर्ष 2013 से 20 जून, 2015 तक कितने ग्रामों में हेण्डपंप खनन किया गया है ? वर्तमान में कितने हेण्डपंप प्रारंभ एवं कितने अप्रारंभ है ? (ख) वर्ष 2015-16 में कितने हेण्डपंप खुदाई का लक्ष्य है, एवं कितने की खुदाई की गई ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) विधान सभा क्षेत्र केशकाल अंतर्गत वर्ष 2013 से 20 जून 2015 तक कुल 513 ग्रामों में नलकूप खनन कार्य किया गया है. खनित नलकूपों में से 446 नलकूप सफल एवं 67 नलकूप असफल रहे हैं. खनित सफल 446 नलकूपों में हेण्डपंप स्थापित कर प्रारंभ कर दिये गये हैं. अप्रारंभ हेण्डपंप की संख्या निरंक है. (ख) विधान सभावार नलकूप खनन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है अपितु वर्ष 2015-16 में जिला कोण्डागांव हेतु राज्य मद के अंतर्गत 135 हेण्डपंप खुदाई का अंतरिम लक्ष्य दिया गया है. जिसके विरुद्ध 97 नलकूपों की खुदाई की गई है.

विधान सभा क्षेत्र केशकाल के अंतर्गत नगर पंचायतों को प्राप्त आवंटन

3. (क्र. 230) **श्री संतराम नेताम** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र केशकाल को अंतर्गत विगत 3 वित्तीय वर्षों में नगर पंचायत केशकाल, विश्रामपुरी एवं फरसगांव को निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु कितना आवंटन प्राप्त हुआ है ? वर्षवार एवं नगर पंचायतवार जानकारी दें. (ख) क्या उक्त अवधि में आवंटन राशि का उपयोग मद परिवर्तन एवं अन्य प्रयोजन हेतु किया गया है ? यदि हां तो, क्या उसकी अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गई है ? यदि नहीं तो, संबंधित के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) विधान सभा क्षेत्र केशकाल के अंतर्गत विगत 3 वित्तीय वर्षों में नगर पंचायत केशकाल, विश्रामपुरी एवं फरसगांव को निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु आवंटन राशि का वर्षवार एवं नगर पंचायतवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) उक्त अवधि में आवंटन राशि का उपयोग मद परिवर्तन एवं अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया गया है, अतः जानकारी निरंक है.

जिला धमतरी में डेयरी गोकुलधाम योजना की स्वीकृति

4. (क्र. 485) **श्री गुरूमुख सिंह होरा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला धमतरी में डेयरी व्यवसाय हेतु शहर के बाहर गोकुलधाम योजना तैयार की गई है ? यदि हां तो, कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है तथा कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा ? (ख) यदि नहीं तो गोकुलधाम की स्वीकृति कब तक दी जावेगी ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जी हां. जिला धमतरी में ग्राम सोरम स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 1005 भाग रकबा 2.69 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 864 का भाग रकबा 2.13 हेक्टेयर इस प्रकार कुल रकबा 4.82 हेक्टेयर भूमि में गोकुल नगर निर्माण की कार्य योजना (राशि 264.40 लाख रुपये) तैयार किया गया है. प्रस्तावित भूमि का आवंटन/अग्रिम आधिपत्य प्राप्ति संबंधी कार्यवाही की जा रही है. (ख) भूमि प्राप्ति संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

कोरिया जिला में राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य

5. (क्र. 621) **श्री श्याम बिहारी जायसवाल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरिया जिले में कितने एवं कौन-कौन से राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : कोरिया जिले में गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बैकुण्ठपुर में स्थित है तथा उक्त जिले में कोई अभ्यारण्य नहीं है.

प्रदेश में जंगली हाथियों से हुई क्षति का मुआवजा

6. (क्र. 651) **श्री अमित अजीत जोगी** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में जनवरी 2015 से जून 2015 के दौरान जंगली हाथियों से कितने परिवारों को नुकसान हुआ है ? कितने लोगों की मौत हुई है ? (ख) उक्त अवधि के दौरान मरवाही क्षेत्र में कितने परिवारों को नुकसान हुआ तथा कितने लोगों की मौत हुई ? (ग) कितने परिवारों को कितनी राशि मुआवजे के रूप में भुगतान की गयी ? (घ) जंगली हाथियों से बचाव के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किये गये हैं ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) प्रदेश में प्रश्नाधीन अवधि के दौरान जंगली हाथियों से 4523 परिवारों को नुकसान हुआ है. जंगली हाथियों के हमले से 35 लोगों की मौत हुई है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि के दौरान मरवाही क्षेत्र में 90 परिवारों को नुकसान हुआ है तथा 4 लोगों की मौत हुई है. (ग) प्रश्नाधीन अवधि में प्रदेश में हाथियों से प्रभावित कुल 4523 परिवारों को राशि रु. 2,43,46,488/- का मुआवजे के रूप में भुगतान किया गया है. (घ) जंगली हाथियों से बचाव के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे उपाय की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

जिला कांकेर में व्यस्क तथा बच्चों के लापता होने के दर्ज प्रकरण

7. (क्र. 686) **श्री मनोज सिंह मण्डावी** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कांकेर में वर्ष 2012 से 30 जून, 2015 की अवधि में व्यस्क तथा बच्चों के लापता होने के कुल कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? महिला एवं पुरुष की पृथक-पृथक थानेवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश “क” के तहत दर्ज प्रकरणों में कितने लापतों को खोजा गया तथा कितने आज पर्यन्त तक लापता हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में जिला कांकेर में व्यस्क के 6 तथा बच्चों के 123 प्रकरण लापता होने के दर्ज किए गए हैं. महिला एवं पुरुष की पृथक-पृथक थानेवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” एवं बच्चों की जानकारी प्रपत्र “ब” पर †† संलग्न है. (ख) प्रश्नांश “क” के तहत दर्ज प्रकरणों में से 420 व्यस्क तथा 186 बच्चों को खोजा जा चुका है तथा 124 व्यस्क एवं 14 अवयस्क अभी तक लापता हैं. जानकारी प्रपत्र “स” पर †† संलग्न है.

जिला सुकमा, जगरगुण्डा राहत शिविर में खाद्य सामग्री की आपूर्ति

8. (क्र. 765) **श्री कवासी लखमा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जगरगुण्डा राहत शिविर में कौन-कौन से ग्रामों के कितने लोग निवासरत हैं ? ग्रामवार संख्या सहित जानकारी देवें ? (ख) उक्त राहत शिविर में कौन-कौन सी खाद्यान सामग्री दी जाती है ? इसकी वितरण एजेंसी किसे बनाया गया है ? वर्ष 2012 से मई 2015 से कब-कब खाद्यान सामग्रियां भेजी गयी ? वर्षवार जानकारी देवें ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

बस्तर संभाग में नल-जल योजना की स्वीकृति

9. (क्र. 767) **श्री कवासी लखमा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कौन-कौन से स्थलों पर नल-जल योजना स्वीकृत की गयी ? (ख) इनमें से कौन-कौन से स्थानों पर कार्य पूर्ण तथा अपूर्ण हैं ? (ग) इनमें से कौन-कौन से स्थानों से लोगों को जलापूर्ति हो रही है तथा कौन-कौन से स्थानों पर बंद है ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) बस्तर संभाग में वर्ष 2013-14 में स्वीकृत नलजल योजना की जानकारी निरंक है. बस्तर संभाग में वर्ष 2014-15 में स्वीकृत नलजल योजनाओं की स्थलवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 4 में दर्शित अनुसार. (ख) पूर्ण एवं अपूर्ण योजनाओं की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 6 एवं 7 में दर्शित अनुसार. (ग) नारायणपुर जिले के ओरछा की आवर्धन जलप्रदाय योजना से लोगों को जल आपूर्ति हो रही है. शेष योजनाओं का कार्य अपूर्ण है. अतः बंद का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता.

कबीरधाम जिले में महिलाओं के लापता होने की प्राप्त शिकायतें

10. (क्र. 849) **श्री अशोक साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कबीरधाम जिले में वर्ष 1 जनवरी, 2013 से 30 मई 2015 तक कितनी महिलाओं के लापता होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? इन महिलाओं में कितनी बालिग एवं कितनी नाबालिग हैं ? (ख) प्रश्नांश “क” में कितनी लापता महिलाओं की बरामदगी की गई है ? कृपया वर्षवार जानकारी दें ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

कबीरधाम जिले में स्वीकृत पुल पुलिया एवं सड़क निर्माण कार्यों की स्थिति

11. (क्र. 850) **श्री अशोक साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कबीरधाम जिला क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2012-13 से 31 मई, 2015 तक वन विभाग द्वारा कितने पुल पुलिया एवं सड़क कितनी-कितनी लागत व कितनी लंबाई के निर्माण कराये गये ? इनमें से कितने पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं ? जानकारी वर्षवार एवं विकासखंडवार देने का कष्ट करें ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : कबीरधाम जिला क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 तक 79 पुल-पुलिया 340.167 लाख रुपये की लागत से एवं 98.745 कि.मी. सड़क निर्माण 736.027 लाख रुपये की लागत से किया गया तथा वर्ष 2015-16 में 31 मई 2015 तक रपटा/पुलिया एवं सड़क निर्माण पर कोई राशि व्यय नहीं की गई है. सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं. वर्षवार एवं विकासखंडवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

राजिम विधान सभा क्षेत्र में वृक्षारोपण

12. (क्र. 974) **श्री संतोष उपाध्याय** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजिम विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में दिनांक 30 जून, 2015 तक विभिन्न योजनाओं के तहत कहां-कहां वृक्षारोपण किया गया ? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें. (ख) कंडिका “क” में उल्लेखित समयावधि में विभाग द्वारा वृक्षारोपण हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई ? प्राप्त राशि में से कितनी राशि किन-किन कार्यों में व्यय की गई ? वर्षवार योजनावार जानकारी उपलब्ध करावें. (ग) वृक्षारोपण में किस-किस प्रजाति के पौधे रोपित किए गए ? रोपित पौधों में से कितने प्रतिशत पौधे जीवित हैं ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) राजिम विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में की गई वृक्षारोपण जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. वर्ष 2015-16 में 30 जून 2015 तक कोई रोपण नहीं किया गया है. (ख) † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) वृक्षारोपण में शीशु, नीलगिरी, बांस, करंज, खम्हार, आंवला, सागौन, अर्जुन एवं अन्य मिश्रित प्रजाति के पौधे रोपित किए गए. रोपित पौधों में औसतन 90.12 प्रतिशत पौधे जीवित हैं.

जिला जांजगीर-चांपा में वृक्षारोपण

13. (क्र. 1001) **डॉ. खिलावन साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में वन विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में कौन-कौन सी प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण कितनी मात्रा में किस-किस जंगल में किया गया ? वर्षवार, विकासखंडवार विवरण देवें ? (ख) वन विद्यालय सक्ती में किस-किस मद से विगत 03 वर्षों में कितनी राशि प्राप्त हुई और किस-किस मद में खर्च हुई है ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है.

† परिशिष्ट “उन्नीस”

† परिशिष्ट “बीस”

‡ परिशिष्ट “इक्कीस”

‡ परिशिष्ट “बाईस”

‡ परिशिष्ट “तेईस”

मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र के नगरीय निकाय हेतु स्वीकृत राशि

14. (क्र. 1054) **श्री दिलीप लहरिया** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र के नगरीय निकाय हेतु वर्ष 2012-13 से 2013-14 तक शासन द्वारा कौन-कौन से मद में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है.

रायपुर जिले में गोबरा-नवापारा के तेलीन डबरी निस्तारी तालाब पर हुए अतिक्रमण पर कार्यवाही

15. (क्र. 1172) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले की गोबरा-नवापारा नगर पालिका के वार्ड क्र. 19 में स्थित तेलीन डबरी निस्तारी तालाब में कितने लोगों ने अतिक्रमण करके मकान का निर्माण किया गया है एवं ईटा भट्टा संचालित कर रहे हैं ? अतिक्रमणकारियों के नामों सहित काबिज भूमि के ख. नं. रकबा सहित जानकारी दें ? (ख) क्या यह सही है कि वार्ड के निवासियों एवं जन प्रतिनिधियों ने उक्त तालाब से अतिक्रमण हटाने हेतु नगर पालिका को आवेदन दिया है ? यदि हां तो कब-कब ? (ग) नगर पालिका द्वारा उक्त तालाब से अतिक्रमण हटाने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? उक्त तालाब को कब तक अतिक्रमण मुक्त किया जावेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) रायपुर जिले की गोबरा नवापारा नगरपालिका के वार्ड क्र. 19 में स्थित तेलीन डबरी निस्तारी तालाब में कुल 39 लोगों ने अतिक्रमण करके मकान, ईटा भट्टा, बाड़ी बना लिए हैं. अतिक्रमणकारियों के नाम, काबिज भूमि का ख.नं., रकबा एवं अतिक्रमण का प्रकार की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में है. (ख) जी हां. वार्ड के निवासियों एवं जनप्रतिनिधियों ने उक्त तालाब से अतिक्रमण हटाने हेतु नगर पालिका कार्यालय को दिनांक 10-06-07, 16-12-10, 15-02-11, 03-05-12, 03-05-12, 11-05-15, 15-05-15, 26-05-15 एवं 26-06-15 को आवेदन प्रस्तुत किया है. (ग) नगर पालिका द्वारा समय-समय पर उक्त तालाब से अतिक्रमण हटाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की गई है.

(1) दिनांक 01-12-2011 को नगर पालिका द्वारा 09 अतिक्रमणधारी को नोटिस दिया जाकर अस्थायी तौर पर लगाये गये ईट भट्टे को हटाया गया था.

(2) दिनांक 29-06-2015 को श्री रमेश पिता छोटेलाल चक्रधारी का ईट भट्टा (अतिक्रमण) नगरपालिका द्वारा हटाया गया.

वर्तमान में ईट भट्टों को हटाने हेतु छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 223 एवं 255 के तहत दि. 13-07-15 को सूचना जारी की गयी है एवं नये अतिक्रमणकर्ताओं को तत्काल हटाने का निर्णय लिया गया है. अतिक्रमणकर्ताओं के संबंध में परिषद् की आगामी बैठक में निर्णय लिया जाकर तालाब को अतिक्रमण से मुक्त किये जाने हेतु कार्यवाही की जावेगी.

रायगढ़ जिले के वन परिक्षेत्रों में स्टापडेम निर्माण की स्वीकृति

16. (क्र. 1192) **श्री उमेश पटेल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत अलग-अलग वन परिक्षेत्रों में वन्य प्राणियों के लिये कुल कितने-कितने स्टापडेम एवं तालाब निर्माण की स्वीकृति हुई ? अलग-अलग योजना से स्वीकृत स्टापडेम व तालाबों की जानकारी राशि सहित बतावें ? (ख) प्रश्नांश “क” की अवधि में स्वीकृत घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में स्टापडेम हेतु कुल कितनी-कितनी राशि जारी की गई ? क्या राशि जारी करने के पूर्व निर्माण स्थल का भौतिक सत्यापन किया गया ? (ग) यदि नहीं तो बिना सत्यापन के निर्माण कार्य हेतु राशि किस आधार पर जारी की गई ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) घरघोड़ा परिक्षेत्र में 03 स्टाप डेम निर्माण हेतु वर्ष 2013-14 में राशि रु. 29.18 लाख एवं वर्ष 2014-15 में रु. 2082 लाख की राशि जारी की गई थी. राशि जारी करने के पूर्व निर्माण स्थल का भौतिक सत्यापन उप वनमंडलाधिकारी, घरघोड़ा द्वारा किया गया था. (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

प्रदेश में पशु तस्करी के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

17. (क्र. 1277) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान पशु तस्करी के कितने प्रकरण दर्ज किये गये एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई ? जिलेवार बतायें.

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : प्रदेश में प्रश्नाधीन अवधि तक कुल 321 प्रकरण पशु तस्करी के दर्ज किये गये. दर्ज प्रकरणों में से 253 प्रकरणों में 822 आरोपियों को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. जिलेवार जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

राजनांदगांव जिले में नक्सली हमलों में शहीद जवान व ग्रामीणों की मृत्यु

18. (क्र. 1305) **श्री भोलाराम साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान नक्सली हमलों में कितने जवान शहीद हुए एवं कितने ग्रामीणों की मृत्यु हुई ? (ख) प्रश्नांक “क” के अनुसार शहीद जवान व मारे गये ग्रामीणों के आश्रित परिवारों को शासन द्वारा क्या-क्या सुविधा का लाभ दिया गया ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में राजनांदगांव जिले में नक्सली हमलों में कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ है. उक्त अवधि में 03 ग्रामीणों की मृत्यु हुई है. (ख) प्रश्नांक “क” के अनुसार मारे गये ग्रामीणों के आश्रित परिवारों को शासन द्वारा दी गई सुविधा की जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है.

बार नवापारा अभ्यारण्य में हरे पेड़ की कटाई

19. (क्र. 1340) **श्री केशव चन्द्रा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बार नवापारा अभ्यारण्य में हरे पेड़ों की कटाई की जा रही है ? यदि हां तो, क्यों एवं किस-किस प्रजाति के कितने पेड़ काटे गये हैं ? (ख) क्या पेड़ की कटाई वन विभाग द्वारा की जा रही है या कटाई हेतु निविदा आमंत्रित कर ठेका दिया गया है ? अगर विभाग द्वारा की जा रही है, तो मजदूरों की संख्या सहित कटाई में कुल लागत राशि बतायें. (ग) यदि सफाई के नाम पर कटाई की जा रही है, तब किस मद से की जा रही है ? जानकारी दें ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) बारनवापारा अभ्यारण्य में हरे पेड़ों की कोई कटाई नहीं की जा रही है. (ख) एवं (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

कोरबा नगर पालिका निगम में पेयजल योजना हेतु स्वीकृत राशि

20. (क्र. 1401) **श्री जयसिंह अग्रवाल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा नगर पालिका निगम क्षेत्र में पेयजल योजना हेतु केन्द्र सरकार से कितनी राशि कब प्राप्त हुई ? (ख) वर्तमान में पेयजल योजना के अंतर्गत क्या-क्या कार्य पूर्ण किया जा चुके हैं ? तथा क्या-क्या कार्य पूर्ण किया जाना शेष है ? शेष कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) कोरबा नगर पालिका निगम क्षेत्र में पेयजल योजना हेतु केन्द्र सरकार से जल आवर्धन योजना फेस-I की प्रथम किस्त की राशि रुपये 5333.65 लाख दिनांक 19-02-2014 को प्राप्त हुई. (ख) वर्तमान में पेयजल योजना के अंतर्गत कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है. योजना को दिसम्बर 2017 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है. किये जाने वाले कार्यों की जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट पर है.

कांकेर नगर/शहरी क्षेत्र में जल आपूर्ति हेतु पानी टंकी का निर्माण

21. (क्र. 1526) **श्री शंकर धुवा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांकेर नगर/शहरी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति हेतु कितनी-कितनी क्षमता की पानी टंकी के निर्माण हेतु वर्ष 2012-13 से मई, 2015 तक कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

(ख) प्रश्नांक “क” के तहत स्वीकृत पानी टंकी का निर्माण कहाँ-कहाँ किया जाना है ? क्या उक्त कार्य के निविदा आमंत्रित कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ? यदि हाँ तो कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ? (ग) स्वीकृत कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) कांकेर नगर/शहरी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति हेतु वर्ष 2012-13 से मई 2015 तक विभिन्न क्षमताओं की पानी टंकी निर्माण एवं स्वीकृत राशि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 2 एवं 3 में दर्शित अनुसार. (ख) प्रश्नांश “क” के तहत स्वीकृत पानी टंकी निर्माण की स्थलवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 4 में दर्शित अनुसार. पानी टंकी निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित कर कार्य प्रारंभ की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम -5 में दर्शित अनुसार. पानी टंकी निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 6 में दर्शित अनुसार. (ग) स्वीकृत निर्माणाधीन 2 टंकियों का कार्य वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूर्ण करने हेतु लक्षित है तथा शेष दो टंकियों के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रण, स्वीकृति एवं कार्यादेश के उपरांत ही समयावधि में पूर्ण किया जाना लक्षित है. निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

आवासीय अंकेक्षण कार्य की स्थिति

22. (क्र. 1541) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगरीय प्रशासन विभाग में आवासीय अंकेक्षण कराया जाता है ? यदि हाँ तो, कब तक का अंकेक्षण कार्य पूर्ण हो गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : जी नहीं. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रमांक/एफ-1-ए-1/2002/स्था/चार/655 रायपुर दिनांक 26 अप्रैल 2008 के द्वारा स्थानिक संपरीक्षा (resident audit) व्यवस्था को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है. उक्त आदेश के पूर्व राज्य के 36 नगरीय निकायों में आवासीय अंकेक्षण की व्यवस्था प्रचलित थी. उन निकायों का नाम एवं आवासीय अंकेक्षण की अवधि से संबंधित जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है.

भरतपुर-सोनहत विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न अपराध के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

23. (क्र. 1546) **श्रीमती चंपादेवी पावले** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1 जनवरी, 2014 से दिनांक 30-06-2015 तक भरतपुर-सोनहत विधान सभा क्षेत्र के थानों के अंतर्गत चोरी, हत्या, लूटपाट एवं महिला उत्पीड़न के कितने मामले दर्ज हुये हैं ? थानेवार जानकारी देवें. (ख) हत्या तथा लूट के कितने आरोपियों को पकड़ा जा चुका है ? (ग) हत्या के प्रकरणों में फरार आरोपियों को गिरफ्तार किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में भरतपुर-सोनहत विधान सभा क्षेत्र में चोरी के 57, हत्या के 22, लूटपाट के 10 एवं महिला उत्पीड़न के 129 मामले दर्ज हुए हैं. थानावार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) हत्या के 21 प्रकरण में 27 आरोपियों तथा लूट के 09 प्रकरण में 24 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है. जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है. (ग) हत्या के प्रकरणों में प्रश्नांश अवधि में कोई भी आरोपी फरार नहीं है.

बस्तर वन मण्डल में 1400 पी कंपार्टमेंट गांव टोमारू में वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत राशि

24. (क्र. 1556) **श्री भूपेश बघेल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2011-12 में बस्तर वन मण्डल के 1400 पी कंपार्टमेंट गांव टोमारू में प्रोजेक्ट के तहत मिश्रित पौधे लगाये गये थे ? यदि हाँ तो, इस प्रोजेक्ट के लिये कितनी राशि स्वीकृत व कितनी व्यय की गई थी ? यह प्रोजेक्ट कितने एकड़ भूमि में कब लागू किया गया था ? (ख) क्या यह सत्य है कि सामाजिक वानिकी द्वारा बस्तर वन मण्डल की उक्त भूमि पर अन्य प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है ? यदि हाँ तो प्रोजेक्ट के नाम तथा स्वीकृत दिनांक एवं राशि की जानकारी देवें. (ग) प्रश्नांश “क” में उल्लेखित स्थल पर लगाये गये पौधों की स्थिति वर्तमान में क्या है ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) वर्ष 2011-12 में बस्तर वनमंडल के 1400 पी कंपार्टमेंट गांव टोमारू में प्रोजेक्ट के तहत मिश्रित पौधे नहीं लगाए गए थे. (ख) यह सत्य है कि सामाजिक वानिकी वनमंडल बस्तर द्वारा उक्त भूमि पर मितव्ययी वृक्षारोपण कार्यक्रम स्वीकृत किया गया था परन्तु बाद में स्थल परिवर्तन की स्वीकृति हो जाने से अब मितव्ययी वृक्षारोपण कार्यक्रम 1400 पी कंपार्टमेंट गांव टोमारू में प्रभावशील नहीं है. (ग) उल्लेखित स्थल पर वर्ष 2011-12 में पौधे नहीं लगाए गए थे. अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

राज्य सरकार द्वारा हाथी अभ्यारण्य में सम्मिलित राजस्व एवं वन ग्राम

25. (क्र. 1559) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में हाथी अभ्यारण्य (एलीफेण्ट कारीडोर) का प्रस्ताव कब पारित किया गया ? उक्त अभ्यारण्य में किन-किन राजस्व एवं वन ग्रामों को शामिल किया गया है ? तहसील एवं जिले सहित बतावें ? (ख) प्रश्नांश “क” से संबंधित प्रस्ताव भारत सरकार को कब भेजा गया ? तथा वर्तमान में उक्त प्रस्ताव हाथी अभ्यारण्य की वर्तमान स्थिति क्या है ? (ग) उक्त प्रस्तावित हाथी अभ्यारण्य (एलीफेण्ट कारीडोर) क्षेत्र में वन विभाग द्वारा कुछ व्यावसायिक कंपनियों को कोयला उत्खनन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है ? यदि हां तो किन-किन कंपनियों को ? और कब ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में तमोर-पिंगला अभ्यारण्य, सेमरसोत अभ्यारण्य एवं बादलखोल अभ्यारण्य को छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना दिनांक 15-09-2011 से सरगुजा-जशपुर हाथी रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में हाथी कारीडोर का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। (ख) हाथी रिजर्व के गठन करने हेतु राज्य सरकार सक्षम होने के कारण भारत सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में हाथी कारीडोर का प्रस्ताव न तो पारित किया गया और न ही भारत सरकार को भेजा गया। वर्तमान में उक्त तीनों अभ्यारण्य सरगुजा-जशपुर हाथी रिजर्व के रूप में घोषित है। (ग) सरगुजा-जशपुर हाथी रिजर्व के क्षेत्र में वन विभाग द्वारा किन्हीं भी व्यावसायिक कंपनियों को कोयला उत्खनन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है।

कोरिया एवं सरगुजा जिले में भिन्न-भिन्न योजनाओं के तहत रोपित पौधों की जानकारी

26. (क्र. 1565) **श्री अमरजीत भगत** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरिया एवं सरगुजा जिले में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में वन विभाग द्वारा प्राकृतिक पुनस्तपादन योजना शहरी क्षेत्रों में आक्सीजन योजना, ग्राम वन योजना, पर्यावरण वृक्षारोपण योजना, औषधीय वृक्षारोपण योजना, प्राचीन देववन संरक्षण योजना तथा नदी तट वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत कितने-कितने पेड़ लगाये गये ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : कोरिया एवं सरगुजा जिले में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में वन विभाग द्वारा प्राकृतिक पुनरुत्पादन योजना शहरी क्षेत्रों में आक्सीजन योजना, ग्राम वन योजना, पर्यावरण वृक्षारोपण योजना, औषधीय वृक्षारोपण योजना, प्राचीन देववन संरक्षण योजना तथा नदी तट वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत लगाये गये पेड़ों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है।

जिला बलरामपुर के जोकापाट के बिरनीपाट में नक्सलियों की बैठक संबंधी

27. (क्र. 1574) **श्री बृहस्पत सिंह** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन की जानकारी में यह तथ्य है कि बलरामपुर जिले के जोकापाट के बिरनीपाट के जंगल में दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 की रात्रि में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के नक्सलियों की बैठक हुई थी ? (ख) क्या यह भी सही है कि उक्त दिनांक को हुई बैठक में नक्सलियों द्वारा एक वैज्ञानिक की हत्या कर दी गई थी जिसका पी.एम. कलेक्टर बलरामपुर द्वारा जिला अस्पताल अंबिकापुर में ले जाकर कराया गया था ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) यह जानकारी सत्य नहीं है। (ख) यह सही नहीं है कि दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 को ऐसी बैठक में एक वैज्ञानिक की हत्या कर दी गयी थी। दिनांक 19-10-2014 को सौर ऊर्जा से संचालित विद्युत उपकरण (सौर लालटेन एवं अन्य) का शिक्षा पर प्रभाव विषय पर शोधकर्ता डॉक्टर महेश जयचन्द्रा, सुश्री शिल्पा आनंद एवं डॉक्टर किरूबा शंकर विकासखंड शंकरगढ़ में शोध कार्य कर रहे थे। दिनांक 19-10-2014 को उनके साथ कलेक्टर जोकापाट में कार्य की समीक्षा हेतु गए हुए थे कि वहां पर रात्रि में दुर्घटनावश डॉक्टर किरूबा शंकर खाई में गिर जाने से गंभीर रूप से घायल हो गये। जिन्हें जीवन ज्योति चिकित्सालय, अंबिकापुर में भर्ती कराया गया जिनकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। जिनके शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल, अंबिकापुर में कराया गया था।

सड़क चौड़ीकरण में काटे गये वृक्षों की जानकारी

28. (क्र. 1575) **श्री अवधेश सिंह चंदेल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा जिला अंतर्गत वर्ष 2011-12 से 30 जून, 2015 तक किन-किन सड़कों के चौड़ीकरण में कितने-कितने पेड़ काटे जाने हेतु चिन्हांकित किये गये ? चिन्हांकित में से कितने को काटा गया ? सड़कवार संख्या बतावें। (ख) प्रश्नांश “क” के काटे गये पेड़ किस-किस प्रजाति के थे ? काटने में कितनी-कितनी राशि

की मजदूरी का भुगतान कितने मजदूरों को किया गया ? (ग) प्रश्नांश “क” के काटे गये पेड़ किस-किस काष्ठगार में रखे गये हैं ? पेड़ों का परिवहन किसके माध्यम से किया गया एवं परिवहन में कितनी राशि व्यय की गई ? वाहन क्रमांक एवं मालिक के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें.

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) बेमेतरा जिला अंतर्गत वर्ष 2011-12 से 30 जून, 2015 तक सड़कों के चौड़ीकरण में कुल 5,654 नग पेड़ चिन्हांकित किये गये. चिन्हांकित पेड़ों में से 3,737 नग पेड़ काटे गये. सड़कवार संख्या † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) प्रश्नांश “क” के काटे गये पेड़ मिश्रित प्रजाति के हैं. पेड़ काटने में कुल 113 मजदूरों को राशि 12,45,600 रुपये का मजदूरी भुगतान किया गया. सड़कवार विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. (ग) प्रश्नांश “क” के काटे गये पेड़ नांदघाट एवं बेमेतरा डिपो में परिवहन कर रखा गया है. काटे गये पेड़ों का परिवहन परिक्षेत्र सहायक नवागढ़, बेमेतरा, बेरला एवं साजा के माध्यम से किया गया है. परिवहन में कुल 1,87,436/- रुपये व्यय किया गया है. वाहन क्रमांक एवं मालिक के नाम की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” में दर्शित है.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला जांजगीर-चांपा में संचालित नल-जल योजनाओं की स्थिति

1. (क्र. 69) **श्री मोतीलाल देवांगन** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में कितने पूर्ण, निर्माणाधीन, अपूर्ण नल जल योजनाएं हैं ? (ख) जिला जांजगीर-चांपा में पूर्ण नल जल योजनाओं में से कौन-कौन योजनाएं चालू नहीं हैं और किनके-किनके बंद होने का कारण गुणवत्ता खराब होना है ? कितनी शिकायतें इस बाबत कब-कब, कहां-कहां की प्राप्त हुई थी, इन पर क्या कार्यवाही की गई. (ग) बंद पड़ी नल-जल योजनाओं के कारण कितनी राशि का व्यय निष्फल हुआ है ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में 198 नल जल योजनाएं पूर्ण, 28 नलजल योजनाएं निर्माणाधीन/अपूर्ण हैं. (ख) जिला जांजगीर-चांपा में पूर्ण नल जल योजनाओं में से चालू नहीं है, की योजनावार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 2 में दर्शित अनुसार. गुणवत्ता खराब होने के कारण बंद योजनाएं निरंक है. गुणवत्ता खराब होने संबंधी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है. अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता. (ग) बंद पड़ी नल जल योजनाएं विभिन्न कारणों से बंद है अतः राशि का व्यय निष्फल नहीं हुआ है.

अवैध शराब विक्रय की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

2. (क्र. 70) **श्री मोतीलाल देवांगन** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शराब के अवैध विक्रय की कितनी-कितनी शिकायत वर्ष 2015 में प्राप्त हुई ? जिलेवार बताएं. (ख) शराब के अवैध विक्रय की सूचना प्राप्त करने के लिए क्या विभाग द्वारा कोई व्यवस्था, यथा टोल फ्री नंबर, कंट्रोल रूम आदि की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो कहां-कहां और नंबर क्या-क्या है ? इनमें प्राप्त सूचनाओं की विगत एक वर्ष में संख्या क्या रही ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) शराब के अवैध विक्रय की वर्ष 2015 में प्राप्त शिकायतों की जिलेवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) शराब की अवैध विक्रय की सूचना प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है. सूचना प्राप्त करने के लिये कंट्रोल रूम और फोन नंबर एवं विगत एक वर्ष में प्राप्त सूचनाओं की संख्या की जिलेवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र में वन प्रबंधन समितियों द्वारा व्यय राशि

3. (क्र. 109) **श्री संतोष बाफना** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र जगदलपुर के अन्तर्गत वन प्रबंधन समितियों द्वारा वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं वर्तमान वर्ष के दिनांक 30 जून, 2015 तक कितनी राशि व्यय की गई है ? वर्षवार जानकारी देवें. (ख) 30 जून, 2015 की स्थिति में वन प्रबंधन समितियों के पास कितनी राशि शेष है ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) विधान सभा क्षेत्र जगदलपुर के अंतर्गत कुल 65 वन प्रबंधन समितियां हैं. उक्त समितियों द्वारा वर्ष 2012-13 से 30 जून, 2015 तक कुल रु. 796.55 लाख की राशि का व्यय किया गया है. वर्षवार किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	वर्ष	व्यय राशि (रु. लाख में)
1.	2012-13	210.22
2.	2013-14	361.56
3.	2014-15	184.91
4.	1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2015 तक	39.86
योग		796.55

(ख) 30 जून, 2015 की स्थिति में उक्त वन प्रबंधन समितियों के पास रु. 933.72 लाख की राशि शेष है.

बस्तर जिले में वन विभाग द्वारा कराये गये निर्माण कार्य

4. (क्र. 110) **श्री संतोष बाफना** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं वर्तमान वर्ष के दिनांक 30 जून, 2015 तक वन विभाग द्वारा कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये गये ? परिक्षेत्रवार कार्य का नाम सहित बताएं. (ख) उपरोक्त निर्माण कार्यों में कितनी-कितनी मात्रा में खनिज सामग्री का उपयोग किया गया तथा किन-किन प्रजाति की, कितनी-कितनी लकड़ी का उपयोग किया गया ? कार्यवार बताएं.

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है.

जिला कोण्डागांव में स्वीकृत व कार्यरत पुलिस बल

5. (क्र. 249) **श्री संतराम नेताम** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कोण्डागांव क्षेत्र के समस्त थाना व चौकियों में 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति में कितना-कितना पुलिस बल पदवार स्वीकृत है ? कितने कार्यरत हैं व कितने पद रिक्त हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

जिला कोण्डागांव में हुई आपराधिक घटनाओं की जानकारी

6. (क्र. 250) **श्री संतराम नेताम** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोण्डागांव जिले में माह जनवरी 2013 से 20 जून, 2015 तक कितनी हत्या, चोरी, डकैती, लूटपाट की घटनाएं हुई ? थानावार जानकारी दें ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : प्रश्नाधीन अवधि में कोण्डागांव जिले में हत्या के 68, चोरी के 133, डकैती के 09 एवं लूटपाट की 04 घटनाएं घटित हुई हैं. थानावार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है.

बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र में स्थापित उद्योगों द्वारा सीएसआर मद में व्यय राशि

7. (क्र. 332) **श्री जनकराम वर्मा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार के अंतर्गत स्थापित उद्योगों से वित्तीय वर्ष 2014-15 में सीएसआर मद में कुल कितनी राशि प्रावधानित की गयी ? संयंत्रवार बतावें. उक्त राशि में से कितनी राशि कलेक्टर (प्रशासन) एवं कितनी राशि संयंत्र द्वारा व्यय की गई है ? (ख) सीएसआर की राशि का कितने प्रतिशत व्यय स्थापित संयंत्र के प्रभावित ग्राम एवं जिला अंतर्गत किया गया है तथा कितने प्रतिशत राशि का व्यय जिले के बाहर किया गया है ? कृपया संयंत्रवार पृथक-पृथक जानकारी दें.

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है. कलेक्टर (प्रशासन) द्वारा कोई राशि व्यय नहीं की गई है.

बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र में स्थित सीमेंट उत्पादकों से वाणिज्यिककर जलकर एवं प्रवेशकर की वसूली

8. (क्र. 351) **श्री जनकराम वर्मा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित किन-किन सीमेंट उत्पादक इकाईयों से वाणिज्यिककर, जलकर एवं प्रवेशकर की कितनी राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 एवं चालू वित्तीय वर्ष में वसूल की जानी थी ? वर्षवार राशि बतावें ? (ख) जून 2015 तक कितनी-कितनी राशि वसूल की जा चुकी है ? यदि नहीं तो कारण बतावें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित सीमेंट उत्पादक इकाईयों से वाणिज्यिक कर एवं प्रवेश कर की वसूली की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में है। जल कर से संबंधित कोई भी राशि वसूल नहीं की जाती है। (ख) जून, 2015 तक वसूल किए जा चुके वाणिज्यिक कर एवं प्रवेश कर की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में है।

डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र में हरियाली प्रचार प्रसार योजना के तहत कृषकों को प्रदायित पौधे

9. (क्र. 600) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र में हरियाली प्रचार-प्रसार योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से 20 जुलाई, 2015 तक कितने किसानों को किस-किस प्रजाति का पौधा प्रदाय किया गया ? वितरित पौधों की जानकारी एवं प्रति पौधा दर बतावें ? (ख) विभाग द्वारा इस योजना के तहत कितने किसानों को कितना-कितना अनुदान पौधों के रोपण एवं देखभाल निंदाई गुड़ाई, खाद, कीटनाशक के लिये दिया गया ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है। (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है।

प्रदेश में आदिवासी बच्चों के तस्करी

10. (क्र. 654) **श्री अमित अजीत जोगी** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्ष 2014-15 से जून 2015 तक कितने आदिवासी बच्चे तस्करी का शिकार हुए हैं ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में कुल 73 आदिवासी बच्चे तस्करी का शिकार हुए। जिलेवार जानकारी प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है। (ख) जानकारी प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है।

प्रदेश में अनु.जाति/जनजाति अत्याचार निवारण हेतु प्राप्त शिकायतों का निराकरण

11. (क्र. 655) **श्री अमित अजीत जोगी** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा विगत वर्ष अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण के लिए हेल्प लाईन नं. 1036 शुरू की गई थी। उक्त हेल्पलाइन के शुरुआत के पश्चात् कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और इनमें से कितनी शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1036 पर प्रारंभ होने से दिनांक 30-06-2015 तक कुल 173 शिकायतें हुईं। इनमें से 158 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। प्राप्त शिकायतों एवं निराकरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर संलग्न है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा क्रय मशीनरी एवं अन्य सामग्री

12. (क्र. 719) **श्री भूपेश बघेल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में भारी मशीनरी यंत्र/लाईट मशीनरी यंत्र, विभिन्न माप के पाईप, मोटर पंप, सबमर्सिबल पंप केंद्रीय स्तर पर क्रय किये गये ? प्रदायकर्ता एजेन्सी का नाम, पता सहित वर्षवार क्रय की जानकारी पृथक-पृथक दें ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा भारी मशीनरी यंत्र एवं मोटर पंप केन्द्रीय स्तर पर क्रय नहीं किये गये हैं। वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा लाईट मशीनरी यंत्र, विभिन्न माप के पाइप एवं सबमर्सिबल पंप केन्द्रीय स्तर पर किये गये क्रय की जानकारी, प्रदायकर्ता एजेन्सी का नाम, पता सहित वर्षवार †† संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” में दर्शित अनुसार।

सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में संचालित नल जल योजना की स्थिति

13. (क्र. 729) **श्री रामलाल चौहान** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012-13 व वर्ष 2013-14 तथा 31-05-2015 की स्थिति में कितने ग्राम पंचायतों में नल जल योजना सुचारू रूप से संचालित हैं ? (ख) नल जल योजना अन्तर्गत कौन सी पंचायत में कार्य अपूर्ण हैं ? यदि अपूर्ण है, तो कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ? (ग) वर्ष 2015-16 में नल जल योजना अन्तर्गत कहां-कहां प्रस्तावित है ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012-13 में 23, वर्ष 2013-14 में 26 तथा 31-05-2015 की स्थिति में 26 ग्राम पंचायतों में नलजल योजना सुचारू रूप से संचालित हैं. (ख) नलजल योजना अंतर्गत कुटेला, मोहदा, तोरेसिंहा, बलौदा, पाटसेन्द्री, जोगनीपाली एवं बिरकोल ग्राम पंचायतों में कार्य अपूर्ण हैं. पूर्ण करने का निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है. (ग) वर्ष 2015-16 में विधान सभा क्षेत्र सरायपाली में नलजल योजना प्रस्तावित नहीं है.

बस्तर संभाग के वन मंडलों में तेन्दूपत्ता की खरीदी

14. (क्र. 768) **श्री कवासी लखमा** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग में कितने वन मंडल कहां-कहां पर संचालित हैं ? (ख) वर्ष 2014 एवं 2015 में उक्त वन मंडलों में कितने-कितने मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया था वन मंडलों अनुसार जानकारी देवें ? (ग) संग्रहण समितियों से कितना-कितना बोरा तेन्दूपत्ता क्रय किया गया ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) बस्तर संभाग के अंतर्गत 10 वनमंडल बीजापुर, सुकमा, दन्तेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर व पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर में संचालित है. (ख) एवं (ग) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

नगर पालिका परिषद् जामुल में आई.डी.बी.आई. के तहत आवास निर्माण

15. (क्र. 805) **राजमहंत सांवलाराम डाहरे** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में आई.डी.बी.आई. द्वारा कितने राशि का आवास निर्माण किये गये हैं ? क्या निर्माण किये गये आवास को हितग्राहियों को आवंटित किया गया है ? यदि हां तो, कितने को आवंटित किया गया है ? कितना आवंटित करना शेष है ? (ख) क्या आवंटित किये गये हितग्राहियों को रसीदमय पट्टा वितरण किया गया है ? यदि हां तो कितने हितग्राहियों को कितनी राशि की रसीद दी गई है ? रसीद नहीं दी गई है तो क्यों ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) एवं (ख) आईडीबीआई नाम की कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है. अतः चाही गई समस्त जानकारियां निरंक है.

दुर्ग जिला में अवैध शराब बिक्री पर कार्यवाही

16. (क्र. 810) **राजमहंत सांवलाराम डाहरे** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में वर्ष 2015-16 में कितनी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें संचालित हैं ? ठेकेदार का नाम एवं पता सहित जानकारी देवें. (ख) वर्ष 2014-15, 2015-16 में अवैध शराब बिक्री करने वालों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) अवैध शराब बिक्री करते हुए कितनी मात्रा में कहां-कहां शराब जब्त की गई है ? कितने प्रकरण बनाये गये एवं कितनी राजस्व की राशि वसूल की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) दुर्ग जिले में वर्ष 2015-16 में 38 देशी एवं 23 विदेशी मदिरा दुकानें संचालित है. ठेकेदार का नाम एवं पता की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" में है. (ख) वर्ष 2014-15, 2015-16 में अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम, 1915 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं. (ग) अवैध शराब बिक्री के वर्ष 2014-15 में 23 प्रकरण एवं 2015-16 में 06 प्रकरण दर्ज किये गये हैं. अवैध शराब बिक्री करने के जस शराब की मात्रा एवं स्थान की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" में है. अवैध शराब बिक्री करने के दर्ज प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं, न्यायालय द्वारा आरोपियों से दण्ड स्वरूप जुर्माना लिया जाता है, जो न्यायालयीन मद में जमा होता है. विभाग को उक्त मद से कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं होती है.

कबीरधाम जिले में चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, लूट एवं अपहरण के प्रकरणों पर कार्यवाही

17. (क्र. 863) **श्री अशोक साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कबीरधाम जिले में वर्ष 2012-13 से मई 2015 तक चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, लूट एवं अपहरण की कितनी-कितनी घटनायें हुई ? (ख) प्रश्नांश “क” में कितने प्रकरणों पर कार्यवाही लंबित है ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में कबीरधाम जिले में पंजीबद्ध मामले की वर्षवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) लंबित प्रकरणों की वर्षवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

रायपुर जिले की उरला स्थित नवभारत फ्यूज कंपनी में हुए विस्फोट की दंडाधिकारी जांच

18. (क्र. 1022) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रायपुर जिले के उरला अभनपुर में स्थित नवभारत फ्यूज कं. में दिनांक 01-08-2014 को हुई विस्फोट की घटना की जांच हेतु शासन द्वारा दंडाधिकारी जांच की घोषणा हुई थी ? (ख) यदि हां तो क्या जांच पूरी हो गई ? यदि हां तो जांच के निष्कर्ष क्या-क्या है ? नहीं, तो जांच कब तक पूर्ण होगी ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) जी हां. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर द्वारा दिनांक 01-08-2014 को घटना की दण्डाधिकारी जांच हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया. (ख) जी नहीं. समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्र में चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या आदि के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

19. (क्र. 1083) **श्री भैयाराम सिन्हा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्र में जनवरी 2014 से 03 जुलाई, 2015 तक किन-किन थाना एवं चौकियों में चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, अपहरण तथा गुमशुदगी के कितने-कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं ? (ख) कंडिका “क” के दर्ज प्रकरणों में से कितने-कितने प्रकरणों में कितने-कितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है एवं कितने प्रकरणों में गिरफ्तारी शेष है ? कितने में चालान पेश नहीं किया गया है ? कितने प्रकरण में खात्मा भेजा गया है ? थाना/चौकीवार संख्या बतावें. (ग) उक्तावधि में बालोद एवं गुरूर थाना में चोरी तथा डकैती के कितने प्रकरणों में 08 माह बाद भी चालान पेश नहीं किया गया है. अपराध क्रमांक एवं अभियुक्तों के नाम, पता सहित जानकारी दें ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत 02 थाने 01 चौकी आते हैं. थाना एवं चौकियों में दर्ज चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, अपहरण एवं गुमशुदगी की जानकारी प्रपत्र “अ” पर †† संलग्न है. (ख) कण्डिका (क) के दर्ज प्रकरणों में से गिरफ्तारी, चालान एवं खात्मा भेजा गया है कि जानकारी प्रपत्र “ब” पर †† संलग्न है. (ग) जानकारी निरंक है.

नगर निगम क्षेत्र दुर्ग में एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास योजना अंतर्गत आवास आवंटन

20. (क्र. 1137) **श्री अरूण वोरा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगर निगम दुर्ग क्षेत्र के उरला में एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास योजना के तहत मकानों का निर्माण किया गया है ? यदि हां तो, कितने एवं कब कितने परिवारों को आवास आवंटित किया गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : जी हां. कुल 1638 आवास का निर्माण किया गया है. दिनांक 28-07-2012 को 831 परिवार, दिनांक 25-06-2013 को 198 परिवार एवं दिनांक 16-10-2014 को 459 परिवारों को इस प्रकार कुल 1488 परिवारों को आवास आवंटित किया गया है.

सूरजपुर जिले अंतर्गत वन परिक्षेत्र में निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत राशि

21. (क्र. 1154) **श्री पारसनाथ राजवाड़े** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सूरजपुर जिला अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कुदरगढ़ परिक्षेत्र एवं ओड़गी परिक्षेत्र के किन-किन सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि, शासन द्वारा दी गई ? (ख) क्या सड़क और पुल पुलिया का निर्माण पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं तो कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) सूरजपुर जिले में ओड़गी परिक्षेत्र नहीं है. सूरजपुर जिला अन्तर्गत कुदरगढ़ परिक्षेत्र में टमकी से करवा, बांक से छतरंग मार्ग पर सड़क निर्माण पर वर्ष 2013-14 में 64.91 लाख रुपये, असुरा से थरगी पर पुलिया निर्माण में 8.50 लाख रुपये एवं वर्ष 2014-15 में चुटकीडांड से खैरियामोड, बिलासपुर से ओड़गी मार्ग पर चुटकीडांड से बेदमी मार्ग पर सड़क निर्माण पर 72.17 लाख रुपये एवं पुल-पुलिया निर्माण हेतु 5 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई. (ख) हां. सड़क और पुल-पुलिया का निर्माण पूर्ण हो गया है.

सीतानदी उदन्ती अभ्यारण्य क्षेत्र में वन अपराध के तहत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के द्वारा किये गये कार्यों

22. (क्र. 1169) **श्री श्रवण मरकाम** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहावा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वन विभाग के द्वारा सीतानदी उदन्ती अभ्यारण्य क्षेत्र में वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक वन अपराध के तहत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के द्वारा कितने कार्य किये गये हैं ? (ख) कंडिका "क" के अनुसार क्या-क्या कार्य किये गये एवं प्रशासकीय स्वीकृति की राशि कितनी है ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि में सिहावा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सीतानदी उदन्ती अभ्यारण्य क्षेत्र में 2013-14 में अभ्यारण्य के अंतर्गत नियमों के उल्लंघन के कारण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा कराये जा रहे 07 नग पुलिया निर्माण कार्य के विरुद्ध 03 वन अपराध दर्ज किये गये हैं. (ख) कंडिका "क" के अनुसार किये गये कार्य तथा प्रशासकीय स्वीकृति की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

नया रायपुर में निर्माणाधीन जंगल सफारी के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत राशि

23. (क्र. 1182) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नया रायपुर में निर्माणाधीन जंगल सफारी के निर्माण में 1-7-2015 तक कितनी-कितनी राशि के कौन से निर्माण कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है ? कार्यों के निष्पादन हेतु दिए गए ठेकों का विवरण एवं विभागीय कार्य के रूप में कौन-कौन से कार्यों को कराया गया, लागत सहित पूरे कार्यों की प्रगति सहित अलग-अलग जानकारी देवें ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : नया रायपुर में निर्माणाधीन जंगल सफारी के निर्माण के लिए दिनांक 01-07-2015 तक विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जारी की गई स्वीकृति पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-एक" में दर्शित है. कार्यों के निष्पादन हेतु दिए गए ठेकों का विवरण एवं विभागीय रूप से किए जा रहे कार्यों का विवरण, लागत तथा कार्यों की प्रगति की जानकारी पुस्तकालय में रखे "परिशिष्ट-दो एवं तीन" में दर्शित है.

रायगढ़ जिला में तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका वितरण

24. (क्र. 1198) **श्री उमेश पटेल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2015 से मई, 2015 तक रायगढ़ जिला के तेंदुपत्ता संग्राहकों को कुल कितनी मात्रा में चरण पादुका वितरण किया गया है ? महिला एवं पुरुष संग्राहकों को वितरित चरण पादुका की जानकारी समितिवार देवें ? (ख) जिले में तेंदुपत्ता संग्राहकों को तेंदुपत्ता तोड़ाई के अवसर पर चरण पादुका आपूर्ति की जिम्मेदारी किसकी है ? समय पर चरण पादुका वितरण नहीं होने पर दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) माह जनवरी 2015 से मई, 2015 तक रायगढ़ जिला अंतर्गत तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका वितरण नहीं किया गया. महिला एवं पुरुष संग्राहकों को वितरित समितिवार चरणपादुका की जानकारी निरंक है. (ख) तेन्दूपत्ता संग्राहकों को तेन्दूपत्ता तोड़ाई के अवसर पर चरणपादुका की आपूर्ति का कोई निर्देश नहीं है, अपितु वर्ष में प्रत्येक संग्राहक परिवार को एक जोड़ी/चरणपादुका/चप्पल प्रदाय की जाती है. गतवर्ष अक्टूबर-नवम्बर में महिला संग्राहकों को चप्पल वितरण की गयी थी. वर्ष 2015 में तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक पुरुष सदस्य को एक जोड़ी चरणपादुका वितरण की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है, इसलिये दोषी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

रायगढ़ जिले में हाथियों से धन-जन की क्षति

25. (क्र. 1199) **श्री उमेश पटेल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनवरी 2015 से 01-07-2015 अवधि तक रायगढ़ जिले में हाथियों के हमले से कुल कितने लोगों की मौतें हुई हैं ? कितने घायल हुए हैं ? घटना की तिथिवार जानकारी मृतकों के नाम पता सहित दें ? (ख) हाथियों के हमलों से हुई मौत पर शासन द्वारा मृतकों के परिजनों व घायलों को कितनी-कितनी मुआवजा राशि दी गई है ? कितने को मुआवजा नहीं दिया गया है ? (ग) हाथियों के हमलों से बचाव हेतु विभाग द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में रायगढ़ जिले में हाथियों के हमले से 9 लोगों की मौतें हुई हैं. कोई घायल नहीं हुआ है. घटना की तिथिवार जानकारी, मृतकों के नाम पता सहित † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में रायगढ़ जिले में हाथियों के हमले से हुई मौत पर शासन द्वारा मृतकों के परिजनों व घायल को प्रदान की गई मुआवजा राशि की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जिसमें मुआवजा राशि नहीं दी गई है. (ग) हाथियों के हमले से बचाव हेतु विभाग द्वारा किए गए प्रयास की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” में दर्शित है.

कोण्डागांव विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपंप से आयरन/फ्लोराईड युक्त पानी की प्राप्त शिकायतें

26. (क्र. 1212) **श्री मोहन मरकाम** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोण्डागांव विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कितने हैण्ड पंपों से आयरन/फ्लोराईड युक्त पानी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? कितने निराकृत की गई ? पंचायतवार जानकारी दी जाये ? (ख) कंडिका “क” के अनुसार कोण्डागांव विधान सभा क्षेत्र के कितने हैण्ड पंपों में रिमुवल प्लांट लगाया गया है ? कितने में शेष है ? पंचायतवार जानकारी दी जाये ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) कोण्डागांव विधान सभा क्षेत्र के 115 हैण्डपंपों में आयरन एवं 69 हैण्डपंपों में फ्लोराईड की मात्रा मानक स्तर से अधिक प्राप्त हुई है. 35 हैण्डपंपों में आयरन रिमुवल प्लांट एवं 35 हैण्डपंपों में फ्लोराईड रिमुवल प्लांट स्थापित किया गया है. पंचायतवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं “ब” के कॉलम 7 में दर्शित अनुसार. (ख) कंडिका “क” के अनुसार कोण्डागांव क्षेत्र के 70 हैण्डपंपों में रिमुवल प्लांट लगाया गया है. कंडिका “क” के अनुसार 114 हैण्डपंपों में रिमुवल प्लांट लगाया जाना शेष है. पंचायतवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं “ब” के कॉलम 8 में दर्शित अनुसार.

भारत सरकार द्वारा घोषित नक्सल प्रभावित जिलों की जानकारी

27. (क्र. 1283) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया गया है ? (ख) नक्सल प्रभावित घोषित जिलों में क्या पुलिस कर्मचारियों को नक्सल जिले की सुविधाएं दी जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के 16 जिले बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुन्द, गरियाबंद एवं बालोद को एस. आर. ई. स्कीम के तहत सम्मिलित किया गया है. (ख) नक्सल प्रभावित क्षेत्र के कुछ जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को सुरक्षा की दृष्टि से थानों का वर्गीकरण करके, क्रमशः 15% तथा 20% नक्सल ड्यूटी भत्ता एवं राशि रुपये 650/- राशन भत्ता प्रतिमाह की दर से प्रदाय किया जा रहा है. वर्तमान में मंत्रि-परिषद् द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के कुछ जिलों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सुरक्षा की दृष्टि से थानों का वर्गीकरण करके मूल वेतन का 50%, 35% एवं 15% नक्सल ड्यूटी भत्ता तथा रुपये 2000/- राशन भत्ता प्रतिमाह दिये जाने का निर्णय लिया गया है.

सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में तेंदूपत्ता नीति के तहत किये गये समूह बीमा

28. (क्र. 1292) **श्री रामलाल चौहान** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में तेंदूपत्ता नीति के अनुसार वर्ष 2012-13 एवं 2013-2014 तथा 2014-2015 में 31-05-2015 तक कितने समूह बीमा कराये गये हैं ? (ख) कितने समूह बीमा लंबित हैं ? कब तक पूरे कर लिये जायेंगे ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	बीमित
2012-13	34281
2013-14	47402
2014-15	47402
(31-05-2015 तक)	

(ख) बीमा कराने हेतु किसी भी पात्र तेन्दूपत्ता संग्राहक का प्रकरण लंबित नहीं है, अतः अवधि का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

जिला महासमुंद में वृक्षारोपण हेतु आवंटित राशि

29. (क्र. 1297) **श्री रामलाल चौहान :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में मई 2015 की स्थिति में वृक्षारोपण के लिये कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में उपलब्ध कराई गई ? (ख) कितनी-कितनी राशि किन-किन वन परिक्षेत्रों में कहाँ-कहाँ वृक्षारोपण के लिए उपयोग की गई ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है.

राजनांदगांव जिले में पशु तस्करी के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

30. (क्र. 1314) **श्री भोलाराम साहू :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिला अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में दिनांक 30-06-2015 तक पशु तस्करी के कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं ? तिथिवार, स्थानवार एवं जब्त किये गये पशुओं की संख्या सहित जानकारी देवें. (ख) उक्त प्रकरणों में किन-किन लोगों के खिलाफ किस-किस धारा के तहत, किस-किस थाना अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि तक राजनांदगांव जिले में कुल-159 प्रकरण पशु तस्करी के दर्ज हुए हैं. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ख) कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर दी गई है.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में हैण्डपंप खनन की स्वीकृति

31. (क्र. 1315) **श्री भोलाराम साहू :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में 2014-15 में दिनांक 30-06-2015 की स्थिति में कौन-कौन सी योजनाओं से कितने हैण्डपंप खनन की स्वीकृति प्रदान की गई ? कृपया पंचायतवार जानकारी देवें. (ख) उक्त अवधि में स्वीकृत में से कितने हैण्डपंपों का खनन किया गया है ? शेष खनन कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? कृपया पंचायतवार बतायें.

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) हैण्डपंप खनन की स्वीकृति नहीं दी जाती है, अपितु नलकूप खनन कर हैण्डपंप स्थापना कार्य के साथ स्वीकृति दी जाती है. खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में दिनांक 30-06-2015 की स्थिति में एन. आर. डी. डब्ल्यू. पी. बी. आर. जी. एफ., आई. ए. पी., राज्य मद एवं अन्य मदों/योजनाओं में कुल 156 नलकूप खनन/हैण्डपंप की स्वीकृति प्रदान की गई. पंचायतवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित अनुसार. (ख) उक्त अवधि में स्वीकृत 156 नलकूप खनन कार्य में से 128 नलकूपों का खनन किया गया है. शेष नलकूपों का खनन पूर्ण करने की निश्चित समयावधि बताया जाना सम्भव नहीं है. पंचायतवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित अनुसार.

जिला जांजगीर-चांपा में स्थापित उद्योगों द्वारा सी. एस. आर. मद में व्यय राशि

32. (क्र. 1344) **श्री केशव चन्द्रा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में कुल कितने उद्योग स्थापित हैं ? उक्त उद्योगों द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में 30-06-2015 तक सी. एस. आर. मद से कितनी राशि खर्च की गयी ? उद्योगवार, वर्षवार बतायें. (ख) जिले में स्थापित उद्योगों द्वारा कितने स्कूल, हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है ? (ग) उक्त सभी उद्योगों से सी. एस. आर. मद से किन-किन ग्रामों को लाभ मिला है ? ग्राम के नाम सहित लागत राशि एवं कार्य बतायें.

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जिला-जांजगीर-चांपा में दिनांक 30-06-2015 की स्थिति में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के कुल 952 उद्योग पंजीकृत हैं. इसके अतिरिक्त वृहद श्रेणी की 13 इकाईयां स्थापित हैं. शेष जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) जिले में स्थापित उद्योगों द्वारा कोई स्कूल, हॉस्पिटल का संचालन नहीं किया जा रहा है. (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” एवं प्रपत्र “स” पर है.

विकासखंड भानुप्रतापपुर में भानबेड़ा से मुंगवाला नाला में चेक डेम निर्माण संबंधी

33. (क्र. 1435) **श्री मनोज सिंह मंडावी** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखंड भानुप्रतापपुर के भानबेड़ा से मुंगवाल स्थित नाला में चेक डेम का निर्माण कब तथा कितनी लागत से किया गया ? (ख) क्या उक्त कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी ? यदि नहीं तो कार्य किस आधार पर स्वीकृत किया गया है ? तथा वर्तमान में उक्त कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है ? (ग) क्या चेक डेम पहली बरसात में ही बह गया है ? यदि हां तो गुणवत्ताविहीन निर्माण हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) विकासखंड भानुप्रतापपुर के भानबेड़ा से मुंगवाल स्थित नाला में चेक डेम का निर्माण दिनांक 20-04-2014 में पूर्ण किया गया है, जिसकी लागत रु. 14.123 लाख है. (ख) जी हां. प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता. निविदा की स्वीकृति प्राप्त न्यूनतम दर के आधार पर की गई. वर्तमान में उक्त कार्य पूर्ण है. (ग) जी नहीं. प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता. चेक डेम के साईड बण्ड के बाहरी छोर के मिट्टी को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा काट दिये जाने के कारण बण्ड की साईड से नाला का मार्ग परिवर्तित हो गया. प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता.

भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में तोड़े गये तेन्दूपत्ता का हितग्राहियों को भुगतान

34. (क्र. 1436) **श्री मनोज सिंह मंडावी** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015 में तोड़े गये तेन्दूपत्ता का भुगतान हितग्राहियों को पूर्ण रूप से कर दिया गया है ? यदि नहीं तो, कितना शेष है ? तथा कितनों को किया गया है ? किये गये भुगतान तथा लंबित भुगतान की जानकारी विकासखण्डवार दें. (ख) लंबित राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) जी नहीं, जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	विकासखंड का नाम	किये गये भुगतान का विवरण		भुगतान हेतु शेष राशि का विवरण	
		संग्राहक संख्या	भुगतान राशि (रुपयें में)	संग्राहक संख्या	शेष राशि (रुपयें में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भानुप्रतापपुर	10,838	1,81,56,894	3,701	85,70,838
2.	चारामा	5,757	60,63,762	417	3,45,444
3.	दुर्गकोंदल	8,928	2,81,09,330	4,122	1,51,87,456
योग		25,523	5,23,29,986	8,240	2,41,03,738

(ख) लंबित भुगतान दिनांक 31-07-2015 तक कर दिया जावेगा.

सामरी विधान सभा क्षेत्र में नल जल योजना स्वीकृति

35. (क्र. 1483) **डॉ. प्रीतम राम** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सामरी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितने नल जल योजना की स्वीकृति दी गई ? नल जल योजना हेतु कितनी राशि प्रदाय की गई है ? कितनी नल जल योजना संचालित हैं एवं कितनी बंद हैं ? नगर पंचायतवार जानकारी प्रदाय करें ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : सामरी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में नल जल प्रदाय योजना की दी गई स्वीकृति-निरंक है। विधान सभावार नल जल योजना हेतु राशि प्रदाय नहीं की जाती अपितु जिला बलरापुर को नल जल योजना हेतु वर्ष 2013-14 में रु. 238.54 लाख एवं वर्ष 2014-15 में रु. 255.00 लाख की राशि प्रदाय की गई है। 17 नल जल योजना संचालित है एवं बंद नल जल योजना निरंक है। नल जल योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होती है अतः नगर पंचायतवार जानकारी निरंक है।

तखतपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रदूषित जल से प्रभावित ग्राम

36. (क्र. 1507) **श्री राजूसिंह क्षत्री** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तखतपुर विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 में दिनांक 01-06-2015 तक की स्थिति में किन-किन ग्रामों को प्रदूषित जल से प्रभावित ग्राम चिन्हांकित किया गया है ? (ख) उक्त ग्रामों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) तखतपुर विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में दिनांक 01-06-2015 तक की स्थिति में प्रदूषित जल से प्रभावित चिन्हांकित ग्रामों की सूची † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित अनुसार है। (ख) उक्त ग्रामों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित अनुसार।

तखतपुर विधान सभा में हेण्डपंप खनन

37. (क्र. 1508) **श्री राजूसिंह क्षत्री** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तखतपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14, 2014-15 में दिनांक 1-6-2015 तक की स्थिति में कितने ग्रामों में हेण्डपंप खनन किया गया है ? वर्तमान में कितने बंद है व कितने चालू है ? विकासखंडवार, ग्रामवार जानकारी देवें ? (ख) उक्त अवधि में कितने पुराने हेण्डपंपों के रखरखाव हेतु कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ? विकासखंडवार, ग्रामवार जानकारी देवें ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) तखतपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में दिनांक 01-06-2015 तक की स्थिति में 140 ग्रामों में 211 नलकूपों का खनन किया जाकर 205 सफल नलकूपों में हेण्डपंप स्थापित किया गया है। वर्तमान में 05 हेण्डपंप बंद है व 200 हेण्डपंप चालू है। विकासखंडवार, ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” में दर्शित अनुसार। (ख) उक्त अवधि में 3028 पुराने हेण्डपंपों के रख-रखाव हेतु रु. 15,14,000/- राशि खर्च की गई है। विकासखंडवार, ग्रामवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” में दर्शित अनुसार।

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में लाफार्ज सीमेंट संयंत्र द्वारा सी. एस. आर. मद से विकास कार्यों में व्यय राशि

38. (क्र. 1520) **श्री चुन्नीलाल साहू** (अकलतरा) : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आरसमेटा में स्थापित लाफार्ज सीमेंट संयंत्र द्वारा सी. एस. आर. मद में वर्ष 2011 से 2015 तक प्रभावित क्षेत्र में किस कार्य के लिये कहां-कहां कितनी राशि खर्च की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है।

नगर पंचायत बलौदा में स्वीकृत विकास कार्य

39. (क्र. 1521) **श्री चुन्नीलाल साहू** (अकलतरा) : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत बलौदा में दिनांक 17-10-2014 से जून 2015 तक कौन-कौन से विकास कार्य स्वीकृत या प्रारंभ हुए हैं ? कार्य की जानकारी दें।

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : † संलग्न परिशिष्ट पर है।

जिला राजनांदगांव में उद्योगों को दी गई ब्याज अनुदान राशि

40. (क्र. 1532) **श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजनांदगांव में वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में 20 जून, 2015 तक किस-किस फर्म अथवा कंपनी को कितनी-कितनी राशि ब्याज अनुदान प्रदान की गई है ? वर्षवार एवं फर्मवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश “क” में ब्याज अनुदान प्राप्त फर्म कब-कब प्रारंभ हुए हैं तथा कितने फर्म को बंद होने के बाद भी ब्याज अनुदान का लाभ दिया गया है ? (ग) क्या शासन द्वारा बंद फर्मों को अनुदान का लाभ देने का प्रावधान है ? यदि नहीं तो, बंद फर्मों को किस-किस आधार पर अनुदान का लाभ दिया गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) जिला राजनांदगांव में वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 में औद्योगिक इकाईयों को वर्षवार, इकाईवार दिये गये ब्याज अनुदान की जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है। (ख) प्रश्नांश “क” में ब्याज अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाईयों के उद्योग में उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि †† संलग्न परिशिष्ट के कालम 3 अनुसार है। किसी भी फर्म को बंद होने के बाद ब्याज अनुदान का लाभ नहीं दिया गया है। (ग) जी नहीं, बंद फर्मों को अनुदान का लाभ देने का प्रावधान नहीं है। उपरोक्त-“ख” के संदर्भ में बंद फर्मों को अनुदान का लाभ नहीं दिया गया है।

वैशालीनगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित थानों की संख्या एवं उनमें तैनात बल

41. (क्र. 1536) **श्री विद्यारतन भसीन** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वैशालीनगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित कितने थाने हैं ? उनमें स्वीकृत तैनात बल कितना है ? (ख) स्वीकृत बल के विरुद्ध कितने पद भरे गये हैं कितने रिक्त हैं ? रिक्त पदों की नियुक्ति कब तक होगी ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) एवं (ख) वैशालीनगर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 03 पुलिस थाने स्थापित हैं। उनमें स्वीकृत, तैनात एवं रिक्त बलों की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है। थाना जामुल में 01 उप निरीक्षक, थाना सुपेला में 06 उप निरीक्षक, 03 सहायक उप निरीक्षक, 13 प्रधान आरक्षक व 36 आरक्षक संख्याधिक बल पदस्थ हैं। रिक्त पदों पर पदस्थापना/नियुक्ति हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिला रायपुर में अवैध शराब की बिक्री/परिवहन के दर्ज प्रकरण

42. (क्र. 1539) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिला क्षेत्रांतर्गत 1 जनवरी, 2014 से 30 जून, 2015 की अवधि में कितने-कितने प्रकरण अवैध शराब बिक्री, परिवहन के दर्ज किये गये ? थाना क्षेत्रवार ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के प्रकरणों में कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? कितनी मात्रा में अवैध शराब की जप्ती/परिवहन की जप्ती बनाई गई ? (ग) कंडिका “क” के प्रकरणों में अवैध रूप से सलिस कारोबारियों को शराब उपलब्ध कराने वालों की पतासाजी की गई ? यदि हां तो किन-किन फर्म/ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में अवैध शराब बिक्री के 687 प्रकरण तथा अवैध शराब परिवहन के 117 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। थानावार जानकारी प्रपत्र “अ” †† संलग्न है। (ख) कंडिका “क” के प्रकरणों में कुल अवैध शराब बिक्री के 687 प्रकरणों में 712 व्यक्तियों एवं अवैध शराब परिवहन के 117 प्रकरणों में 153 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। अवैध शराब बिक्री के प्रकरणों में 8658.3 लीटर तथा अवैध शराब परिवहन के प्रकरणों में 7979.261 लीटर शराब जप्ती बनाई गई है। प्रपत्र “ब” पर †† संलग्न है। (ग) जानकारी निरंक है।

मोबाईल टावरों के रेडियेशन के नियंत्रण संबंधी

43. (क्र. 1540) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 30 जून, 2015 की स्थिति में रायपुर राजधानी सीमा क्षेत्र में कितने वैध/अवैध मोबाईल टावर संचालित है ? टावर संचालन के लिये शासन के क्या दिशा निर्देश है ? (ख) कंडिका क के टावरों से निकलने वाले रेडियेशन के नियंत्रण के लिये क्या-क्या उपाय किये गये ? क्या रेडियेशन के नियंत्रण की जांच की गई है ? यदि हां तो कब-कब किनके द्वारा ? (ग) कंडिका क के टावरों में रेडियेशन नियंत्रण के उपाय नहीं करने वाले किन-किन कंपनियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) 30 जून 2015 की स्थिति में रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत 290 वैध एवं 120 अवैध मोबाईल टॉवर संचालित हैं. टॉवर संचालन के लिये विभाग की अधिसूचना दिनांक 24-09-10 द्वारा सेल्यूलर मोबाइल फोन के लिए अस्थायी टॉवर या संरचना का निर्माण नियम 2010 बनाए गए हैं, जो † संलग्न प्रपत्र “अ” में है. (ख) निगम स्तर पर रेडियेशन के नियंत्रण की जांच नहीं की गई है. रेडियेशन जांच करने हेतु DOT द्वारा राज्यों में TERM-CELL का गठन किया गया है. भारत संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दूरसंचार विभाग नई दिल्ली के सचिव द्वारा जारी पत्र दिनांक 08-08-13 की प्रति † संलग्न प्रपत्र “ब” में है. (ग) टॉवरों में रेडियेशन नियंत्रण के उपाय नहीं करने वाले कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु TERM-CELL को अधिकार दिए गए हैं. अधिसूचना दिनांक 24-09-10 के नियम (8) के अनुसार किसी भी प्रकार की टॉवर स्थापना संबंधी शिकायत प्राप्त होने की दशा में जांच पड़ताल हेतु महानिदेशक सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और महासचिव एसोसिएशन ऑफ बेसिक टेलीकॉम सर्विसेस को निराकरण हेतु पत्र लिखे जाने का प्रावधान है.

नगर पंचायत घरघोड़ा, जिला रायगढ़ में नगर सुराज व अधोसंरचना मद में स्वीकृत राशि

44. (क्र. 1544) **श्री सत्यानारायण शर्मा** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत घरघोड़ा, जिला रायगढ़ में राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013-2014 एवं 2014-15 में नगर सुराज व अधोसंरचना मद के अंतर्गत किन-किन कार्यों के लिये कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है.

बस्तर जिले के अंतर्गत बालिग एवं नाबालिगों के लापता होने के दर्ज प्रकरण

45. (क्र. 1552) **श्री दीपक बैज** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले के अंतर्गत वर्ष 2013-14 व 2014-15 में लापता बालिग एवं नाबालिगों के कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं ? (ख) प्रश्नांश “क” में दर्ज प्रकरणों में कितने प्रकरणों में 120 दिन से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? (ग) क्या बस्तर जिले के अंतर्गत गुम/लापता हुये बालिग एवं नाबालिगों को तलाशने हेतु स्पेशल सेल का गठन किया गया है ? यदि हां तो उक्त सेल द्वारा अभी तक कुल कितने और कौन-कौन से प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में बस्तर जिले के अन्तर्गत लापता बालिगों के 01 प्रकरण एवं नाबालिगों के 74 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. (ख) 120 दिन गुजर जाने के बाद 02 प्रकरणों की अग्रिम विवेचना हेतु एन्टी ह्यूमन सेल को सौंपा गया था. अतः ऐसा कोई भी गुम इंसान प्रकरण नहीं है, जिसमें 120 दिन से ज्यादा गुजर जाने के बाद कार्यवाही नहीं की गई है. (ग) हाँ. नवम्बर-2000 से वर्ष 2014-15 तक विवेचनाधीन गुम बच्चों के 17 प्रकरण एन्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग सेल को प्रभावी कार्यवाही हेतु सौंपा गया है. जिसमें कार्यवाही कर 10 बच्चों को दस्तयाब कर लिया गया है शेष 07 अदमदस्तयाब गुम बच्चों के दर्ज प्रकरण विवेचनाधीन है. जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

प्रदेश में संचालित सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति

46. (क्र. 1557) **श्री भूपेश बघेल** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कंपनी अधिनियम 1956 एवं 2013 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में कितने निगम, मण्डल, बोर्ड संचालित हैं ? इनमें से कितने वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में लाभ अथवा हानि में रहे ? वर्षवार जानकारी देवें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : कंपनी अधिनियम 1956 एवं 2013 के तहत छत्तीसगढ़ में 15 निगम संचालित हैं। वर्षवार लाभ एवं हानि की जानकारी निम्नानुसार है।

वर्ष	लाभ स्थिति में निगमों की संख्या	हानि स्थिति में निगमों की संख्या	अन्य स्थिति में निगमों की संख्या
2012-13	09	05	01 में व्यवसाय प्रारंभ नहीं।
2013-14	09	06	-
2014-15	07	01	07 निगमों के अंकेक्षण का कार्य प्रक्रियाधीन

राजधानी रायपुर में नन दुष्कर्म मामले में की गई कार्यवाही

47. (क्र. 1558) **श्री भूपेश बघेल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजधानी रायपुर में दिनांक 19 और 20 जून की दरम्यानी रात को घटित नन दुष्कर्म मामले में पुलिस द्वारा कितने आरोपियों की गिरफ्तारी की गई ? यदि नहीं तो, क्यों ? (ख) आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) राजधानी रायपुर में दिनांक 19 और 20 जून की दरम्यानी रात को घटित नन दुष्कर्म मामले में दिनांक 20-06-2015 को प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना पंडरी रायपुर में अपराध क्रमांक 150/2015 धारा 450, 376 भारतीय दण्ड विधान का प्रकरण अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, आरोपी अज्ञात है। जिनकी पतासाजी के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। (ख) आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए की गई कार्यवाही की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है।

अवैध शराब की बिक्री तथा माफियाओं द्वारा जन प्रतिनिधियों पर हमला के दर्ज प्रकरण

48. (क्र. 1560) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 एवं 2015 (30-06-2015) में अवैध शराब बिक्री के कुल कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? जिलेवार बताएं। (ख) कितने प्रकरणों में शराब माफिया एवं उनके आदमियों द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, स्थानीय नागरिकों एवं सरकारी कर्मचारियों पर हमले किये गये ? प्रकरणवार जनप्रतिनिधियों के नाम सहित जानकारी देवें ? (ग) दोषी के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (श्री अमर अग्रवाल) : (क) वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015 (30-06-2015) में अवैध शराब बिक्री के दर्ज प्रकरणों की जिलेवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर है। (ख) शराब माफिया एवं उनके आदमियों द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं सरकारी कर्मचारियों पर हमले की जानकारी निरंक है। स्थानीय नागरिकों पर हमले के 02 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। प्रकरणवार स्थानीय नागरिकों के नाम सहित जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर है। (ग) दोषी के खिलाफ की गई कार्यवाही की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर है।

सरगुजा संभाग में राज्य मद एवं केन्द्रीय मद से स्थापित हैण्डपंप

49. (क्र. 1567) **श्री अमरजीत भगत** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा संभाग में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में राज्य मद और केन्द्रीय मद आदिवासी परियोजना, आईएपी, बीआरजीएफ, एमडब्ल्यूई आदि से कितने हैण्डपंप लगाये गये ? (ख) कितने बोरिंग में बोरिंग सेट नहीं लगाये गये हैं तथा उसके प्लेटफार्म नहीं बनाए गये हैं ? उसकी संख्या बतावें।

गृह मंत्री (श्री रामसेवक पैकरा) : (क) सरगुजा संभाग में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में 30 जून 2015 की स्थिति में राज्य मद और केन्द्रीय मद, आदिवासी परियोजना, आईएपी, बीआरजीएफ, एमडब्ल्यूई आदि से 4259 हैण्डपंप लगाये गये हैं. (ख) खनित सभी 4341 सफल नलकूपों में से 4259 में हैण्डपंप सेट एवं 82 में पावर पंप स्थापित कर दिये गये हैं. अतः प्लेटफार्म नहीं बनाए गए - निरंक है. प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता.

हरियाली प्रसार योजना के तहत वितरित पौधे

50. (क्र. 1576) **श्री अवधेश सिंह चंदेल** : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में हरियाली प्रसार योजना कब से प्रारंभ की गई है ? (ख) उक्त योजना में वर्ष 2013 से जून, 2015 तक बेमेतरा जिले में कितने-कितने लोगों को कितने-कितने पौधे, किस-किस प्रजाति के रोपण हेतु प्रदाय किये गये ? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें. (ग) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में 03-07-15 की स्थिति में प्रदायित पौधों के रोपण/संरक्षण हेतु कितनी-कितनी राशि, किस-किस प्रयोजन हेतु कितने किसानों को दी गयी ? रोपित पौधों में से कितने जीवित हैं ? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें.

वन मंत्री (श्री महेश गागड़ा) : (क) प्रदेश में हरियाली प्रसार योजना वर्ष 2005-06 से प्रारंभ की गयी है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है.

तारकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 1575) के भाग (ग) को जानकारी]

क्र.सं.	योजना का नाम	कार्य विवरण	(राशि लाखों में)		
			वर्ष 2012-13 में आवंटित राशि	वर्ष 2013-14 में आवंटित राशि	वर्ष 2014-15 में आवंटित राशि
1	11-2403 (6836) रपटो पुलिस निगम	राष्ट्र पुलिस निर्माण	5.00	26.50	10.00
		पुलिस निगम	0.00	1.75	0.00
		योग :-	5.00	28.25	10.00
2	10-2405 (2559) राष्ट्रीय जलपान/अव्ययार्थी का विकास	स्टॉप डेम निर्माण	8.00	8.00	0.00
		मुनारा निर्माण	2.60	1.30	0.00
		हैण्डपंप खनन	1.00	0.00	0.00
		बोर खनन	1.50	0.00	0.00
		यतमार्ग मरम्मत	7.25	1.17	0.00
		लेण्डरना उन्मूलन	1.50	1.50	0.00
		साल्ट लेक	0.50	0.00	0.00
		फायर चौक	3.00	0.00	0.00
		पॉटरीहोल सफाई	0.50	0.25	0.00
		बसगाह विकास	1.24	5.60	0.00
		गन्नाभायी मण्डल	1.25	0.00	0.00
		नालाब महसुसकरण एवं अन्य कार्य	6.10	8.00	0.00
		नालाब निर्माण	0.00	0.00	20.00
	योग :-	34.44	25.82	20.00	
3	41-2402 (7418) तैराया शक्ति आयोग	एनीकट निर्माण	35.00	0.00	0.00
		डक्यू गंग निर्माण	80.47	0.00	0.00
		मिट्टी बांध निर्माण	0.00	20.00	0.00
		गेम रैजर नियामक	0.00	15.00	0.00
		शीलर लाईट	0.00	0.00	5.00
		पेट्रोलिंग कैप मकान	0.00	0.00	8.00
	योग :-	115.47	35.00	13.00	
4	10-2606 (3843) अन्य जीवी को संरक्षण एवं विकास	मिट्टी बांध निर्माण	15.00	0.00	0.00
		एण्टी फोडिंग	1.65	1.50	0.00
		नालाब निर्माण	0.00	15.50	0.00
		स्टॉप डेम निर्माण	0.00	0.00	20.00
	योग :-	16.65	17.00	20.00	

क्र.सं.	योजना का नाम	कार्य विवरण	वर्ष 2012-13 में आवंटित राशि	वर्ष 2013-14 में आवंटित राशि	वर्ष 2014-15 में आवंटित राशि
5	41-2408 (6091) हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास	तालाब निर्माण	8.00	0.00	0.00
		भौस रोपण	2.12	0.00	0.00
		घासगाह विकास	0.00	0.00	5.72
		सैण्टाना सन्तुलन एवं घासगाह	0.00	0.00	8.56
		कनमार्ग परम्पत	0.00	0.00	5.72
		योग :-	10.12	0.00	20.00
6	41 2408 (7459) रन्ध्रप्राणी संरक्षित क्षेत्रों में प्राकृतिक विकास का समन्वित विकास	घासगाह विकास	0.00	1.75	15.00
		योग :-	0.00	1.75	15.00
7	10-2408 (6880) नन विकास उपकर निधि से ध्य	मिट्टी बांध निर्माण	0.00	15.00	0.00
		भूजल संरक्षण	0.00	11.40	0.00
		योग :-	0.00	26.40	0.00
		महायोग :-	181.68	134.22	98.00

परिशिष्ट "बो"

[तारकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 1562) के भाग (क) की जानकारी]

कोटा एवं मरवाही विधान सभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों (2013-14 एवं 2014-15) में नलकूप रखन की विकासखंडवार जानकारी

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटा :-

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	खनित नलकूप की जानकारी				
			कुल	सफल	असफल	स्थापित हैण्डपंप	चालू हैण्डपंप
1	2013-14	कोटा	20	20	0	20	20
		गौरिला	19	16	03	16	16
		योग :-	39	36	03	36	36
2	2014-15	कोटा	61	57	04	57	57
		गौरिला	05	05	0	05	05
		योग :-	66	62	04	62	62
महायोग :-			105	98	07	98	98

(2) विधान सभा क्षेत्र मरवाही :-

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	खनित नलकूप की जानकारी				
			कुल	सफल	असफल	स्थापित हैण्डपंप	चालू हैण्डपंप
1	2013-14	गौरिला	46	40	06	40	40
		पेण्ड्रा	64	62	02	62	62
		मरवाही	73	72	01	72	72
		योग :-	183	174	9	174	174
2	2014-15	पेण्ड्रा	51	48	03	48	48
		गौरिला	44	42	02	42	42
		मरवाही	32	24	08	24	24
		योग :-	127	114	13	114	114
महायोग :-			310	288	22	288	288

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 84) के भाग (क) एब (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

विधान सभा जगदलपुर के अंतर्गत संचालित नलजल योजना के विवरण

क्र०	विकासखण्ड का नाम	ग्राम/योजना का नाम	योजना संचालित होने का वर्ष
1	जगदलपुर	आराना	1968
2	जगदलपुर	आड़ियाल	2004
3	जगदलपुर	नगरनार	2006
4	जगदलपुर	सिंतिरगाँव	2008
5	जगदलपुर	धानपूजी	2009
6	जगदलपुर	घाटपदमूर	2008
7	जगदलपुर	हाम्बा कचौरा	2008
8	जगदलपुर	नानगाँव	2007
9	जगदलपुर	आमगुडा/संगनपुर	2008
10	जगदलपुर	खमरगाँव	2008
11	जगदलपुर	नारकेल/जडीगुडा	2011
12	जगदलपुर	कालीपुर	2013
13	जगदलपुर	रुम्डी	2015
14	जगदलपुर	गारसूरी (आवर्धन)	2013
15	जगदलपुर	पुसपाल	2015
16	जगदलपुर	जामागाँवा	2016
17	जगदलपुर	बिलोरी	2015
18	जगदलपुर	मिशानार	2015
19	जगदलपुर	साङ्गल साङ्गल (विदेमार)	2015
20	दरमा	दरमा	2003
21	दरमा	नेगलार	2008
22	दरमा	मिथर	2010
23	दरमा	रुंगाल/गादमभुडा	2011
24	दरमा	कामानार	2011
25	दरमा	नामलीपदर	2011
26	दरमा	छिंदवदार	2011

प्रपत्र "ब"

विधान सभा जगदलपुर के अंतर्गत निर्वाणायीय नलजल योजना का नाम

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम/ योजना का नाम
1	2	3
1	जगदलपुर	दुर्दी ग्रामीण नलजल प्रदाय योजना
2	जगदलपुर	माडमाल (बडेभार) ग्रामीण नलजल प्रदाय योजना
3	जगदलपुर	माडमाल (गालरपार) ग्रामीण नलजल प्रदाय योजना (एन एम.डी.सी. प्रिफिजिट)
4	जगदलपुर	उपनपाल ग्रामीण नलजल प्रदाय योजना
5	जगदलपुर	धनिसादूर ग्रामीण नलजल प्रदाय योजना
6	जगदलपुर	पण्डरीपानी ग्रामीण नलजल प्रदाय योजना
7.	जगदलपुर	धुरगुडा
8	जगदलपुर	पल्ली

29 जुलाई, 2015]

36

परिशिष्ट "बार"

[चारुकिया प्रश्न संख्या 12 (क्र. 1123) के भाग (ख) की जानकारी]

क्रमांक	मूल वन्य प्राणी	लिंग	संख्या	उम्र	दिनांक	मृत्यु का संभावित कारण
1	काला हिरण	नर	01	5 वर्ष	20/5/2015	Renal Failure
2	काला हिरण	नर	01	1 वर्ष	22/5/2015	Acute encephalitis
3	काला हिरण	नादा	01	8 वर्ष	01/6/2015	Cervical Fracture
4	गंगला हिरण	मादा	01	7 वर्ष	5/6/2015	Pregnancy Toxemia
5	गंगला हिरण	मादा	01	6 वर्ष	8/6/2015	Pregnancy Toxemia
6	काला हिरण	नर	01	7 वर्ष	15/6/2015	Asphyxia
7	काला हिरण	नादा	01	7 वर्ष	20/6/2015	Pregnancy Toxemia
8	काला हिरण	मादा	01	8 वर्ष	22/6/2015	Metabolic disorder
कुल :-			08			

परिशिष्ट 'पांच'

[तारुंकित प्रश्न संख्या 14 (अ. 92E) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जलकारी]

निकाय का नाम	कंपनी का नाम	संख्या	अनुमति	बिना अनुमति	की गई कार्यवाही
नगर धातुका खैरगढ	बी.एस.एन.एल	03	अनुमति	-	-
	पिलायस	02	अनुमति	-	-
	आइडिया	01	अनुमति	-	-
	सेकाफोन	01	अनुमति	-	-
	टाटा इन्डिकॉम	04	अनुमति	-	-
	डोकॉमो	01	अनुमति	-	-
नगर पंचायत मुईखदान	एयरटेल	01	अनुमति	-	-
	बी.एस.एन.एल.	01	-	बिना अनुमति	बी.एस.एन.एल. द्वारा अब तक स्वीकृती प्राप्त न करने के कारण जहाँ न करने के कारण प्रकरण में जागगी कार्यवाही किए जाने हेतु विद्यार्थी परिषद की अध्यक्षी बैठक में रखा गया है।
नगर पंचायत गणदई	बी.टी.ए.	01	अनुमति	-	-
	बी.टी.एल	01	अनुमति	-	-
	रिलयंस	01	अनुमति	-	-
	एस्सार	01	अनुमति	-	-
	बी.एस.एन.एल.	01	-	बिना अनुमति	एन.पी.एल. के पट्टे के अनुमति संख्या 18.02.11, अ. 208 दिनांक 10.03.11, अ. 207 दिनांक 02.03.11, अ. 338 दिनांक 08.03.11, अ. 954 दिनांक 12.10.11, अ. 1150 दिनांक 10.11.11, अ. 1794 दिनांक 08.02.12, अ. 2004 दिनांक 30.03.12, अ. 3468 दिनांक 02.11.12 एवं अ. 4124 दिनांक 08.03.13 सेवा पत्र अ. 1598 दिनांक 27.01.15 द्वारा संशोधित रस्तावेज प्रस्तुत करने व अनुमति/जमीनीकरण शुल्क जमा करने की सूचना बी.एस.एन.एल. को दी गई है।

परिशिष्ट "क":

[दायित्व प्रप्त संख्या 15 (क्र. 1493) के भाग (क) की जानकारी]

बलपुर विधान सभा में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में किये गये नुसरोपण की जानकारी

विधान सभा क्षेत्र का नाम	वर्ष	राजट शीर्ष (कैम्पा/मनरेगा)	रोपण विवरण	समाजिक दानिकी इकाई का नाम	स्थल का नाम	एकका (दिव्य. में)	रोपित पीछों की संख्या	प्रत्य राशि (लाख रु. में)	
	2	3	4	5	6	7	8	10	
बलपुर	2012-13	कैम्पा						0	
		मनरेगा						0	
	2013-14	कैम्पा	ग्राम टन रोपण	बिल्हा	खजुरी नवगांव (अ)	20,000	22000	20.78	
		कैम्पा	ग्राम वन रोपण	बिल्हा	खजुरी नवगांव (क)	30,000	33000	30.98	
		कैम्पा	ग्राम वन रोपण	बिल्हा	सफरीमांदा (अ)	15,000	16500	15.70	
		कैम्पा	ग्राम वन रोपण	बिल्हा	बेलपान (अ)	20,000	22000	20.58	
		कैम्पा	ग्राम वन रोपण	बिल्हा	बेलपान (ब)	15,000	16500	15.59	
		कैम्पा	ग्राम वन रोपण	बिल्हा	देवतरा	10,000	11000	10.52	
		कैम्पा	ग्राम वन रोपण	अकलतरा	देवा	20,000	22000	17.97	
		कैम्पा	सहरी (मनरेगा) वन	अकलतरा	सादरेतापा	24,000	22400	34.38	
		मनरेगा	निरंक	निरंक	निरंक	0,000	0	0.00	
		योग वर्ष 2013-14					153,000	165400	166.54
		योग वर्ष 2012-13					0	0	0
		योग वर्ष 2012-14					153,000	165400	166.54

परिशिष्ट "सरात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क, 1555) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्र.	विश्वविद्यालय/अभ्यासस्थल का नाम	वर्ष	पूरा व्यवस्थापिकाओं की संख्या	मुख्य दिनांक	स्थान	व्यवस्थापिकाओं की प्रजाति
1	मानव संपदा विधिशास्त्र, बिलासपुर	2014	21	15-1-2014	मानव संपदा विधिशास्त्र	बीकानेर
		2014	1	27-1-2014		रायपुर
		2014	1	29-1-2014		रायपुर
		2014	1	6/5/2014		रायपुर
		2014	1	3/5/2014		रायपुर
		2014	1	16-4-2014		विश्वेश्वर
		2014	1	19-6-2014		जंगली खरगौर
		2014	3	15-6-2014		रिज. जंगल पंचायत
		2014	1	12/7/2014		दु. रीज
		2014	1	27-9-2014		रायपुर और रायपुर
		2014	1	16-8-2014		फर्रुखी
		2014	1	15-9-2014		नीलगुड
		2014	1	27-8-2014		रायपुर
		2014	3	15-10-2014		रायपुर
		2014	1	17-10-2014		रायपुर
योग 2014			30			
2	मानव संपदा विधिशास्त्र, बिलासपुर	2015	2	6/2/2015	मानव संपदा विधिशास्त्र	रायपुर
		2015	1	23/2/2015		रायपुर
		योग 2015				3
3	नंदनवन विधिशास्त्र रायपुर	2014	1	08/01/2014	नंदनवन विधिशास्त्र रायपुर	नीलगुड (नर)
		2014	1	10/01/2014		कान्हा हिरण (नर)
		2014	1	06/08/2014		कान्हा हिरण (नर)
		2014	1	25/08/2014		नीलगुड (नर)
		2014	1	28/10/2014		कान्हा हिरण (नर)
		2014	1	12/11/2014		कान्हा हिरण (नर)
		2014	1	28/12/2014		नीलगुड (नर)
योग 2014			7			
4	नंदनवन विधिशास्त्र रायपुर	2015	1	14/01/2015	नंदनवन विधिशास्त्र रायपुर	नीलगुड (नर)
		2015	1	21/03/2015		कान्हा हिरण (नर)
		2015	1	22/08/2015		कान्हा हिरण (नर)
		2015	1	27/08/2015		कान्हा हिरण (नर)
		2015	1	30/08/2015		कान्हा हिरण (नर)
		2015	1	23/09/2015		कान्हा हिरण (नर)
		2015	1	01/08/2015		कान्हा हिरण (नर)
		2015	1	08/08/2015		कान्हा हिरण (नर)
		2015	1	08/08/2015		कान्हा हिरण (नर)
		2015	1	08/08/2015		कान्हा हिरण (नर)
		2015	1	19/08/2015		कान्हा हिरण (नर)

क्र.	विद्विधाघर/अभ्यारण्य का नाम	वर्ष	मृत वन्द्यप्राणियों की संख्या	मृत्यु दिनांक	स्थान	वन्द्यप्राणियों की प्रजाति
4	नंदनवन विद्विधाघर रायपुर	2015	1	23/06/2015	नंदनवन विद्विधाघर रायपुर	काला तिरण (मादा)
		2015	1	22/06/2015		काला तिरण (मादा)
		2015	1	23/06/2015		काला तिरण (नर)
		2015	1	24/06/2015		काला तिरण (मादा)
		2015	1	24/06/2015		काला तिरण (मादा)
		2015	1	24/06/2015		काला तिरण (मादा)
		2015	1	24/06/2015		काला तिरण (मादा)
		2015	1	24/06/2015		काला तिरण (मादा)
		2015	1	24/06/2015		काला तिरण (नर)
		2015	1	24/06/2015		काला तिरण (नर)
योग 2015		10				
कुल योग विद्विधाघर		69				
5	गोमती अभ्यारण्य, सारंगपुर	2014	1	30/05/2014	चंदीमाछी	सांभर
		2014	1	14/11/2014	लंदटिपहा	सांभर
	योग 2014		2			
6	अधानकमार टाईगर रिजर्व, सोरनी	2014	1	20-2-2014	हाण्डीकुण्डी (सुरही परिवेष्ट)	पीतल
		2014	1	16-3-2014	राजक (सुरही परिवेष्ट)	सुअर
		2014	1	15-4-2014	महामाई (सुरही परिवेष्ट)	पीतल
		2014	1	28/2/2014	जाकड़बांधा (सुरही परिवेष्ट)	पीतल
		2014	1	12/6/2014	कटानी (सुरही परिवेष्ट)	पीतल
		2014	1	4/7/2014	तिलईठबांधा (सुरही परिवेष्ट)	पीतल
		2014	1	16-3-2014	समनी परिवेष्ट	पीतल
		2014	1	20-6-2014	समनी परिवेष्ट	पीतल
		2014	1	28/2/2014	सोडकीनखान नाता	पीतल
		योग 2014		8		
अधानकमार टाईगर रिजर्व सोरनी		2015	1	30-3-2015	धिमटापानी (सुरही परिवेष्ट)	पीतल
योग 2015		1				
7	भैरमगढ़ अभ्यारण्य, बीरवापुर	2016	1	22/04/2015	ग्राम घुसाबठ एन.एच. 83 नैन रोड	मादा पीतल
योग 2016		1				
8	भैरमगढ़ अभ्यारण्य, काला	2014	1	5/2/2014	बांधा परिवेष्ट बीट जल क्र 104 ग्राम केन्द्राकास	सांभर
9		2014	1	20/11/2014	परिवेष्ट धिलकी, बीट मधियालीहा	चौनुआ
योग 2014		2				
10	रुदोली-अभ्यारण्य, गरियाबंद	2014	1	04/02/2014	कला क्र. 89 पी.बकलू, बी. राक	लकड़बांधा
		2014	1	12/05/2014	जुगाड	पीतल
		2014	1	10/09/2014	जुगाड	पीतल
योग 2014		3				

क्र.	विदिवाहर/अन्वयण्य का नाम	वर्ष	मृत व्यक्ति/प्राणियों की संख्या	मृत्यु दिनांक	स्थान	पन्नाप्रान्तियों की प्रजाति
11	चिरंजी अन्वयण्य, गरिशाबंद	2015	1	06/01/2015	निसारी तलाब गुगाड	शतल
		2015	1	04/08/2015	पुलिस चौक गुगाड के क्षेत्र में में फस कर	भाल
योग 2015			2			
12	सीतामती अन्वयण्य, शक्तरी	2014	1	06/03/2014	ग्राम असीकन्दा के घटपड़े कुनील के पास	शतल
		2014	1	01/04/2014	कस क्र. 156 रुपड़	भाल शतल
		2014	1	11/06/2014	ग्राम असीकन्दा के नहरनाली के पास	शतल
		2014	1	17/10/2014	ग्राम असीकन्दा के जंगल में	भाल
		2014	1	15/12/2014	कस क्र. 349 में नूनापानी नामक सील के पास	जंगली सूअर
योग 2014			5			
13	नरनावापारा अन्वयण्य बलौवावापारा	2014	1	17/08/2014	कस क्र.1 की 188 जमाई तालाब	भावा पौर
			1	11/07/2014	कस क्र. 106 नवापारा तालाब	नर शतल
			1	21/09/2014	कस क्र. 172	शतल
			1	28/11/2014	ग्राम पकरीद	जंगल सूअर
योग 2014			4			
कुल योग अन्वयण्य			29			
महायोग (विदिवाहर + अन्वयण्य)			98			

प्रपत्र "ब"
 वर्ष 2014-15 एवं 2015 (30 जून 2015 तक) की अवधि में हुई वन्यप्रणियों की मौत के कारणों की जांच संबंधी जानकारी

क्र.	विशेषाचार/अध्यक्ष की सेवा	कितने मामलों की जांच किन-किन संस्थानों से कराई गई	किन-किन मामलों की जांच रिपोर्ट विभाग से प्राप्त हो गई है।	किन-किन मामलों की जांच रिपोर्ट अभी अपाप्त है।
1	कानन-पेठडार, विडियाघर, जिलासुर	कानन-पेठडारी, विडियाघर, जिलासुर के अंतर्गत दिनांक 15/01/2014 को 21 नमूने चोटलों की आकस्मिक मौत होने पर इनकी जांच अन्वेषण पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इरवेली से कराई गई। साथ ही मौत की जांच हेतु मुख्य वन संरक्षक (व्यप्राणी) विनासपुर गठित समिति द्वारा की गयी।	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इरवेली एवं मुख्य वन संरक्षक (व्यप्राणी) विनासपुर द्वारा गठित समिति से जांच प्रतिवेदन प्राप्त।	-
2	कानन-पेठडार, विडियाघर, जिलासुर	विडियाघर में वर्ष 2015 में घटित 09 प्रकरणों की मृत्यु के कारणों की जांच पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के पशु चिकित्सक से कराई गई।	09 प्रकरणों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।	-
3	अध्यापकवार, राजागर, सिजव, लोरो के अंतर्गत 09 चोटलों की मृत्यु के कारणों की जांच कानन-पेठडारी, विडियाघर, जिलासुर से कराई गयी। जे. जे. जे. वन से कराई गयी है एवं 01 जंगली सुअर का संपल जांच हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून भेजा गया है।		09 चोटलों की जांच रिपोर्ट कानन-पेठडारी, विडियाघर, जिलासुर से प्राप्त है।	01 जंगली सुअर की जांच रिपोर्ट देहरादून से अपाप्त है।
4	गोमर्डी, जलदरघ	गोमर्डी अभयारण्य सारथक, जिला रायचूर के अंतर्गत दिनांक 30.5.2014 को सांभर की मौत होने के कारण इसकी जांच की जा रही है एवं दिनांक 14.11.2014 को सांभर की भीत स्वाभाविक रूप से होने के कारण इसकी जांच पूर्ण हो चुकी है।	-	जांच प्रगति पर है।
5	गोमर्डी, जलदरघ	अज्ञात वारन के द्वारा टक्कर मारने के कारण मृत्यु हुई। प्रकरण में इन विभाग द्वारा जांच जारी है।	-	रिपोर्ट अपाप्त
6	गोमर्डी, जलदरघ	गोमर्डी अभयारण्य में मृत्यु के कारण जानने हेतु सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ फॉरेसिक एण्ड जंगली वन्यजीव वैटनरी साइंस कॉलेज, साख्य सिविल लाईन, जलदरघ (रा.प्र.) को विश्व के नमूने जांच हेतु भेजा गया है।	-	तेरहवा वन्यप्रणियों के मामले में जांच रिपोर्ट विभाग को अभी अपाप्त है।

क्र.	विद्येय स्त्र/अ भाष्य का नाम	किसी नामों को जांच किन-किन संस्थाओं से कराई गई	किन-किन नामों की जांच रिपोर्ट विभाग से प्राप्त की गई है।
7	गै-12- चिकित्सक राजपुर	दिनांक 29.10.2014 को टूल काले हिरण का विचार नोंक्षण हेतु राष्ट्रीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान इण्डिया नगर बरेली (उ.प्र.) को निवेदन बाहक हलवा भेजा गया।	दिनांक 29.10.2014 को टूल काले हिरण का विचार नोंक्षण हेतु राष्ट्रीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान इण्डिया नगर बरेली (उ.प्र.) को निवेदन बाहक हलवा भेजा गया।
8		दिनांक 25.10.2014 को भूरा काला हिरण एवं एक बीमार काले हिरण का एक नमूना परीक्षण हेतु नारदीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान इण्डिया नगर बरेली (उ.प्र.) को वेगैड वहाक हलवा भेजा गया।	दिनांक 25.10.2014 को भूरा काला हिरण एवं एक बीमार काले हिरण का एक नमूना परीक्षण हेतु नारदीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान इण्डिया नगर बरेली (उ.प्र.) को वेगैड वहाक हलवा भेजा गया।
9		21.03.2015 व 22.03.2015 को टूल काले हिरणों का एक नमूना कोडे-1 प्रयोग के परीक्षण हेतु बेटनरी कालेज राजपुर तथा विद्यापीठ कालेज सिद्धपुरी बरेली को नमूना उपलब्ध कराया गया।	दिनांक 21.03.2015 व 22.03.2015 को टूल काले हिरणों का एक नमूना कोडे-1 प्रयोग के परीक्षण हेतु बेटनरी कालेज राजपुर तथा विद्यापीठ कालेज सिद्धपुरी बरेली को नमूना उपलब्ध कराया गया।
10		दिनांक 20.06.2015 को टूल काले हिरण का निसरा नमूना परीक्षण हेतु नारदीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान इण्डिया नगर बरेली (उ.प्र.) को भेजा गया।	दिनांक 20.06.2015 को टूल काले हिरण का निसरा नमूना परीक्षण हेतु नारदीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान इण्डिया नगर बरेली (उ.प्र.) को भेजा गया।
11		दिनांक 22.06.2015 को भूरा एक काले हिरण का वि.न्य. एवं नमूना उपलब्ध कराया गया।	दिनांक 22.06.2015 को भूरा एक काले हिरण का वि.न्य. एवं नमूना उपलब्ध कराया गया।
12		दिनांक 25.06.2015 को भूरा एक काले हिरण का पोस्ट मॉर्टम भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान इण्डिया नगर बरेली (उ.प्र.) को निवेदन किया गया।	दिनांक 25.06.2015 को भूरा एक काले हिरण का पोस्ट मॉर्टम भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान इण्डिया नगर बरेली (उ.प्र.) को निवेदन किया गया।
13		दिनांक 27.06.2015 को काले हिरण को डि.डी. की रिपोर्ट पर, Soil Salinity, Nutrients, फ्लोरिडा हेतु इंडिया एन.ए.ए. के पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान इण्डिया नगर बरेली (उ.प्र.) को भेजा गया।	दिनांक 27.06.2015 को काले हिरण को डि.डी. की रिपोर्ट पर, Soil Salinity, Nutrients, फ्लोरिडा हेतु इंडिया एन.ए.ए. के पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान इण्डिया नगर बरेली (उ.प्र.) को भेजा गया।
14		दिनांक 28.06.2015 को काले हिरण का डि.डी. की रिपोर्ट पर, Soil Salinity, Nutrients, फ्लोरिडा हेतु इंडिया एन.ए.ए. के पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान इण्डिया नगर बरेली (उ.प्र.) को भेजा गया।	दिनांक 28.06.2015 को काले हिरण का डि.डी. की रिपोर्ट पर, Soil Salinity, Nutrients, फ्लोरिडा हेतु इंडिया एन.ए.ए. के पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान इण्डिया नगर बरेली (उ.प्र.) को भेजा गया।
15		दिनांक 28.06.2015 को काले हिरण का डि.डी. की रिपोर्ट पर, Soil Salinity, Nutrients, फ्लोरिडा हेतु इंडिया एन.ए.ए. के पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान इण्डिया नगर बरेली (उ.प्र.) को भेजा गया।	दिनांक 28.06.2015 को काले हिरण का डि.डी. की रिपोर्ट पर, Soil Salinity, Nutrients, फ्लोरिडा हेतु इंडिया एन.ए.ए. के पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान इण्डिया नगर बरेली (उ.प्र.) को भेजा गया।

क्र. सं.	विशेषाज्ञ/अभ्यास का नाम	किसी भागों की जांच किन-किन संस्थाओं से कराई गई	किन-किन मामलों की जांच रिपोर्ट विभाग से प्राप्त हो गई है।	किन-किन भागों की जांच रिपोर्ट अभी अप्राप्त है।
16		दिनांक 28.06.2015 को मुं. 2 नया काले हिरणों का बिसरा डिस्पोजींग की परीक्षा हेतु मेजर के लिये अज्ञात दुग्ध भेजा गया।		रिपोर्ट अप्राप्त।
17		दिनांक 30.06.2015 को मुं. 2 नया काले हिरणों का बिसरा डिस्पोजींग की परीक्षा हेतु वेटरनरी कालेज अजोरा दुर्ग भेजा गया।		रिपोर्ट अप्राप्त।
18		चन्द्रवन में व्यापारिकों के मृत्यु होने के समस्त प्रकरणों का पोस्ट मॉर्टम पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त।		-
19	दरभंगा जिला प्रशासन	दरभंगा जिला प्रशासन की प्रेरित प्रकरणों का पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त।		रिपोर्ट अप्राप्त।
20	दरभंगा जिला प्रशासन	दरभंगा जिला प्रशासन की प्रेरित प्रकरणों का पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त।		रिपोर्ट अप्राप्त।
21	दरभंगा जिला प्रशासन	दरभंगा जिला प्रशासन की प्रेरित प्रकरणों का पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त।	एक मादा गौर के मृत्यु के कारणों की जांच रासनीय पशु चिकित्सक गौर एवं बीताल की प्रेरित प्रकरणों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें मादा गौर की मृत्यु का कारण (जलवायु) से अप्राप्त है।	रिपोर्ट अप्राप्त।

(23)

परिशिष्ट "आठ"

[चारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 331) को जानकारी]

प्रपत्र "अ"

प्रवेश की जेलों में बंद विगत एक वर्ष में (दिनांक 09.07.2014 से दिनांक 10.07.2015 तक) जेल में प्राकृतिक मृत्यु तथा आत्महत्या से मृत्यु की जेलवार पृथक-पृथक जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	जेल का नाम	प्राकृतिक मौत		आत्महत्या से मौत	
		दण्डित	विचारधीन	दण्डित	विचारधीन
1.	केन्द्रीय जेल रायपुर	02	-	-	01
2.	केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर	01	-	-	-
3.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	01	-	-	-
	योग	04	-	-	01

1. समस्त जेल अधीक्षकों को बंदियों का चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं।
2. जेल प्रवेश के बाद नियमानुसार प्रत्येक बंदी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है एवं निर्देशानुसार त्रैमासिक जानकारी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) को भेजी जाती है।
3. सभी केन्द्रीय जेलों में जेल अस्पताल संचालित है। जिला एवं उप जेलों में ओ.पी.डी. की व्यवस्था है। जहाँ बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार किया जाता है।
4. जेल में बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सा हेतु चिकित्सा अधिकारी व पैरामेडिकल स्टाफ पदस्थ किये गये हैं जिनके द्वारा बीमार बंदियों का नियमित उपचार किया जाता है।
5. जेल चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा स्वास्थ्य दशा को देखते हुए रिफर किये जाने पर बंदी का उपचार जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं एस्काट हार्ट सेन्टर रायपुर, एम.एम.आई. रायपुर, रामकृष्ण कैंसर अस्पताल, अगोलों अस्पताल बिलासपुर, सेक्टर 9 भिलाई में भेजकर भी किया जाता है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर राज्य के बाहर उच्चतर चिकित्सकीय संस्थान अखिल आर्युनिज्ञान संस्थान नई दिल्ली एवं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लोर, तमिलानाडू में बंदी उपचार हेतु भेजे जाते हैं।
6. जेलों में बंदियों के स्वास्थ्य रक्षा हेतु समय-समय पर पृथक से विभिन्न रोगों से संबंधित स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा बंदियों का उपचार किया जाता है।
7. सभी जेलों में एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है।
8. जेलों में बंदियों के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाईयां उपलब्ध है।
9. जेल में परिरुद्ध बंदियों को आत्महत्या करने से रोकने के लिए बंदी के जेल प्रवेश के समय ही उनके मन:स्थिति का परीक्षण कर मानसिक तनाव को दूर करने एवं उनकी काउंसिलिंग करने के निर्देश समस्त जेल अधीक्षकों को दिए गए हैं।
10. ऐसे बंदी जो अवसाद (डिप्रेशन) में रहते हैं उन्हें नियमित योग, ध्यान तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से तनाव मुक्त करने का प्रयास किया जाता है।

11. मानसिक रूप से बीमार, गुमसुम, उदास एवं एकाकीपन से ग्रस्त बंदियों पर विशेष निगरानी रखी जाती है। जेल कर्मियों को प्रशिक्षण के दौरान बंदियों को आत्महत्या की घटना कारित करने से रोकने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के संबंध में प्रमुख रूप से प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे बंदियों को आत्मघाती कदम नहीं उठाने के लिए जागरूक कर सकें।
12. बंदियों पर निगरानी हेतु जेल में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये गये हैं जिसकी सहायता से सभी बंदियों के गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है।
13. जेल में बंदी की मृत्यु होने पर निर्देशानुसार इसकी जानकारी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) को भेजी जाती है। प्रत्येक मृत्यु प्रकरण की नियमानुसार दंडाधिकारी जांच करायी जाती है एवं दंडाधिकारी के अनुशंसा अनुरूप कार्यवाही की जाती है।

क्र.सं.	परिशिष्ट का नाम	सम्भार्य कर नाम	निर्मित सपटा/पुस्तिका की संख्या	मद का नाम विद्यार्थी राशि स्वीकृत हुई	शुन व्यय राशि	व्यय राशि की जानकारी	
						साप्ताहिक पर व्यय	मासिक पर व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
2013-14 सहयोग		बोग कलीगती के क्लेन्डिंग	1	41-2405-(6886) वसुधार्थी पर सपटा पुस्तिका निर्माण	11.00	3.30	4.20
		वसुधार्थी के क्लेन्डिंग	1		4.40	2.64	1.84
राजी		योग :-	2		12.40	6.44	6.04
		कपड़ों का	1	41-2405-(6886) वसुधार्थी पर सपटा पुस्तिका निर्माण	6.00	3.2	2.69
		हैल्थ	1		4.43	1.64	2.54
		योग :-	2		10.40	4.26	5.52
मालदी		योग :-	1		4.48	2.07	3.11
		अरेण्डा के परीषाण	1	41-2405-(6886) वसुधार्थी पर सपटा पुस्तिका निर्माण	6.00	2.48	3.62
		मुट्टे मार्ग से फ्लैट चोली, तकरी	1		10.48	4.45	6.03
		योग :-	2		14.48	3.36	1.12
मुलमुल		पुस्तकनिर्माण से साफ़	1	41-2405-(6886) वसुधार्थी पर सपटा पुस्तिका निर्माण	6.00	4.17	1.83
		परीषाण से क्लेन्डिंग मार्ग	1		10.48	7.53	2.95
		योग :-	2		14.9.83	79.19	20.53
		योग (2013-14)	27		210.19	113.70	96.41
		कुल	60				

परिशिष्ट "दूसरा"

[तत्संकेत प्रश्न संख्या 19 (इ. 1475) के आन्तरी]

दुधनी एवं राजपुर आवर्धन अवसंधाय योजना के अंतर्गत पूर्ण एवं अर्धपूर्ण कार्यों की जानकारी :-

क्र	योजना का नाम	श्रीलक्ष्मण काजी झा नाम	योजना की शीर्षक अवस्था प्रकृति	योजना की शीर्षक शीर्षक प्रतिशत में	टिप्पणियाँ
1	दुधनी आवर्धन अवसंधाय योजना	योजना नाम में 800 मी. व्यास के व्यवस्थित कुदरेक क्षेत्र कायम एवं कुदरेक, 250 मि.मी. व्यास के 02 नम. जोक कुदरेक एवं कुदरेक कुदरेक क्षेत्र 0.55 १-4.50 के समान 80 मी. डैम अर्धवृत्त जहाँ अधिक जल 60 अर्धवृत्त जल के 22 नम. व्यास का कार्य, 13) एवं एकरेती बनाया का जलसंधाय संयंत्र	अपूर्ण	70%	1. कुदरेक क्षेत्र कायम एवं कुदरेक के 40 प्रतिशत। प्रकृति 2. जल कुदरेक संयंत्र 90 प्रतिशत। 3. जलसंधाय संयंत्र कायम एवं जल संधाय का कार्य प्रकृति
		कुदरेक एवं अर्धवृत्त कुदरेक क्षेत्र 180 मि.मी. व्यास के 4000 मी. क्षेत्र एवं जल संधाय संयंत्र	अपूर्ण	90%	कुदरेक कुदरेक कुदरेक क्षेत्र के कार्य पूर्ण प्रतिशत करवाई गया।
		320 मि.मी. 6 मी. स्टेडिंग क्षेत्र 1000 मी. व्यास के 1000 मी. क्षेत्र का स्टेडिंग क्षेत्र	अपूर्ण	90%	कुदरेक का कार्य पूर्ण प्रतिशत करवाई गया।
		विभिन्न व्यास के कुदरेक क्षेत्र 8 मि.मी. / 70 मि. व्यास के 100 मि.मी. क्षेत्र एवं कुदरेक क्षेत्र 100 मि.मी. क्षेत्र का कार्य	अपूर्ण	90%	कुदरेक का कार्य पूर्ण प्रतिशत करवाई गया।
		200 मि.मी. क्षेत्र का कार्य 100 मि.मी. क्षेत्र का कार्य	अपूर्ण	90%	कुदरेक का कार्य पूर्ण प्रतिशत करवाई गया।
		63 की.सी.ए. का सिस्टम पावर स्टेशन 15 नम. का स्टेडिंग क्षेत्र	पूर्ण	100%	पूर्ण
		1 नम. 4000 मी. व्यास, आई.एस. 200 मी. क्षेत्र का कार्य	पूर्ण	100%	पूर्ण
		विभिन्न व्यास के कुदरेक क्षेत्र 8 मि.मी. क्षेत्र का कार्य 4,000 मी. क्षेत्र का कार्य	अपूर्ण	-	कुदरेक क्षेत्र का कार्य पूर्ण प्रतिशत करवाई गया।
		विभिन्न व्यास के कुदरेक क्षेत्र 8 मि.मी. क्षेत्र का कार्य 4,000 मी. क्षेत्र का कार्य	अपूर्ण	30%	प्रकृति
		विभिन्न व्यास के कुदरेक क्षेत्र 8 मि.मी. क्षेत्र का कार्य 4,000 मी. क्षेत्र का कार्य	अपूर्ण	20%	प्रकृति
		विभिन्न व्यास के कुदरेक क्षेत्र 8 मि.मी. क्षेत्र का कार्य 4,000 मी. क्षेत्र का कार्य	अपूर्ण	40%	प्रकृति

परिशिष्ट "धारा 6"

[तालिका क्रम संख्या 20 (अ, 1550) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति धारियों के दर्ज प्रकरणों की जानकारी

जिला	अवधि	आजाक धारियों के प्रकरण	
		दर्ज प्रकरण	निराकृत
रायपुर	01.04.14-31.03.15	10	08
	01.04.15-30.06.15	02	01
	01.04.14-31.03.15	07	07
दुर्ग	01.04.15-30.06.15	00	00
	01.04.14-31.03.15	05	05
राजनादगाव	01.04.15-30.06.15	02	01
	01.04.14-31.03.15	00	00
कबीरधाम	01.04.15-30.06.15	00	00
	01.04.14-31.03.15	00	00
धमतरी	01.04.15-30.06.15	00	00
	01.04.14-31.03.15	00	00
महासमुद्र	01.04.15-30.06.15	00	00
	01.04.14-31.03.15	00	00
गरियाबंद	01.04.15-30.06.15	00	00
	01.04.14-31.03.15	00	00
बालोदि	01.04.15-30.06.15	00	00
	01.04.14-31.03.15	00	00
बलौदबाजार	01.04.15-30.06.15	00	00
	01.04.14-31.03.15	00	00
बेनेतर	01.04.15-30.06.15	00	00
	01.04.14-31.03.15	00	00
बिलासपुर	01.04.15-30.06.15	05	05
	01.04.14-31.03.15	01	01

जिला	अवधि	अज्ञात शान्ति के प्रकरण		
		दर्ज प्रकरण	निराकृत	लक्षित
रायगढ़	01.04.14-31.03.15	48	42	06
	01.04.15-30.06.15	11	07	04
जौजगीर-चांपा	01.04.14-31.03.15	38	28	10
	01.04.15-30.06.15	07	02	05
कोरवा	01.04.14-31.03.15	17	17	00
	01.04.15-30.06.15	05	02	04
मुंगेली	01.04.14-31.03.15	00	00	00
	01.04.15-30.06.15	00	00	00
सरकुजा	01.04.14-31.03.15	01	01	00
	01.04.15-30.06.15	01	00	01
जशपुर	01.04.14-31.03.15	00	00	00
	01.04.15-30.06.15	00	00	00
सूरजपुर	01.04.14-31.03.15	16	11	05
	01.04.15-30.06.15	02	01	01
कोरिया	01.04.14-31.03.15	00	00	00
	01.04.15-30.06.15	00	00	00
बलरामपुर	01.04.14-31.03.15	00	00	00
	01.04.15-30.06.15	00	00	00
जगदलपुर	01.04.14-31.03.15	06	05	00
	01.04.15-30.06.15	01	00	01
कंकिर	01.04.14-31.03.15	00	00	00
	01.04.15-30.06.15	00	00	00
दत्तवाड़ा	01.04.14-31.03.15	00	00	00
	01.04.15-30.06.15	00	00	00

जिला	अवधि	अजाक धानों के प्रकारण		
		दल प्रकारण	निराकृत	लंबित
नारायणपुर	01.04.14-31.03.15	00	00	00
	01.04.15-30.06.15	00	00	00
	01.04.14-31.03.15	00	00	00
	01.04.15-30.06.15	00	00	00
कोण्डागांव	01.04.14-31.03.15	00	00	00
	01.04.15-30.06.15	00	00	00
	01.04.14-31.03.15	00	00	00
सुकमा	01.04.15-30.06.15	00	00	00
	01.04.14-31.03.15	00	00	00
	01.04.15-30.06.15	00	00	00
रेल रायपुर	01.04.14-31.03.15	00	00	00
	01.04.15-30.06.15	00	00	00
	01.04.14-31.03.15	153	130	23
योग	01.04.15-30.06.15	33	15	38
	महायोग	196	145	41

परिशिष्ट "चारह"

[तारकित प्रश्न संख्या 24 (क. 886) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

छत्तीसगढ़ प्रदेश में संचालित देशी तथा विदेशी मदिरा दुकानों की जिलेवार सूची

क्र.	जिला	देशी मदिरा दुकान	विदेशी मदिरा दुकान	कुल
1	रायपुर	26	39	65
2	दुर्ग	38	23	61
3	राजनांदगांव	16	11	27
4	कबीरघाट	17	11	28
5	महासमुंद	28	19	47
6	धमतरी	19	9	28
7	विलासपुर	44	27	71
8	रायगढ़	42	17	59
9	जांजगीर चांपा	59	18	77
10	कोरबा	22	16	38
11	कोरिया	15	14	29
12	जशपुर	4	8	12
13	सरगुजा	1	6	7
14	कांकेर	5	8	13
15	बस्तर	2	3	5
16	नारायणपुर	1	1	2
17	दन्तोवाड़ा	1	4	5
18	बीजापुर	2	3	5
19	बलौदाबाजार	22	15	37
20	गरियाबंद	9	7	16
21	बालोद	13	7	20
22	बैगतरा	11	7	18
23	मुंगेली	11	6	17
24	सूरजपुर	3	8	11
25	बलरामपुर	0	5	5
26	सुकमा	2	2	4
27	कोण्डागांव	2	3	5
	कुल	415	297	712

प्रश्न "ब"

भविष्य दुकानों से बिगत 05 वित्तीय वर्षों में प्राप्त राजस्व की जानकारी

क्र.	जिला	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15
1	2	3	4	5	6	7
01	रायपुर			3429597520	4439692119	5462475274
02	नजीबाबाजार	2891285010	3225513364	747753972	1025728769	1416895649
03	गरियाबंद			209258577	300022512	350752943
04	दुर्ग			2008620648	2864461524	3266423871
05	बालोद	2459299351	2707133960	515249629	750939378	955576917
06	बैतेश			519634368	654045190	762986564
07	महासमुंद	482084871	485755602	644204910	867201879	1014581728
08	धमतरी	257832931	379639735	501181537	682913440	942577767
09	कवीरधाम	173661727	186758351	263677967	384421743	479867896
10	राजनादगांव	578393636	626360270	750267302	1017404259	1264810278
11	बिलासपुर			1588124155	1999822235	2256631183
12	मुंगेली	1301644738	1417334264	319274843	429435179	535292181
13	रायगढ़	492504835	475821025	666785738	895846367	1178695611
14	जांजीर भावा	625470501	658683361	888388809	1248833264	1616515992
15	कोरबा	373929946	380692172	498804313	662123077	825080209
16	भरगुजा			103874842	136251289	189929918
17	बलरामपुर	137815975	157666058	10292106	14050618	38983470
18	सूरजपुर			75323172	95511643	135920112
19	कोरिया	156963642	162510166	190846642	207178799	254679764
20	खरपुर	99078859	103406006	39690339	43223558	113700448
21	स.ब.कांकेर	150648655	155732725	195752814	269874294	368032354
22	बरतार	238285365	393945957	160644811	224058190	298929107
23	नारायणपुर			17408130	21216941	28787113
24	फोण्डागांव	11581075	14342207	46313014	58579975	91956701
25	द.ब.दन्तोयाड़ा	59279928	68428176	87663083	111493594	96530276
26	बीजापुर	36628179	37538361	49788036	65617143	86466888
27	सुकगा	26415566	29845566	35189159	48145053	67033161

गरिबिह "तेरह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क) 3145 के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

सुरजपुर जिले में नलजल योजना के तहत टंकी पाईप लाईन एवं ट्यूबवेल की जानकारी

क्र.सं.	विभाग	समा	विद्यमान कवच	योजना का नाम	स्थापित नलजल पंप/टंकी योजना			योजना की अद्यतन स्थिति		बंद का कारण	संख्या
					टंकी	पाईप लाईन	नलकूप (ट्यूबवेल)	घात	रफ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	प्रेमनगर	सुरजपुर	बसवेद	1	ह	2	घात	-	-	-	
2	भदगाव	सुरजपुर	रिजलनपुर	1	ह	4	घात	-	-	-	
3	प्रेमनगर	सुरजपुर	पेठका	1	ह	2	घात	-	-	-	
4	प्रेमनगर	सुरजपुर	रत्नका (डकरी)	1	ह	1	घात	-	-	-	
5	प्रेमनगर	सुरजपुर	रामनगर	1	ह	1	घात	-	-	-	
6	प्रेमनगर	सुरजपुर	दहिभा	1	ह	2	घात	-	-	-	
7	प्रेमनगर	सुरजपुर	बेदीपुर	1	ह	1	घात	-	-	-	
8	प्रेमनगर	सुरजपुर	नयीसा	1	ह	2	घात	-	-	-	
9	भदगाव	सुरजपुर	ताप	-	ह	1	घात	-	-	-	
10	भदगाव	सुरजपुर	कलका	1	ह	1	घात	-	-	-	
11	भदगाव	सुरजपुर	करगपुर	1	ह	1	घात	-	-	-	
12	भदगाव	सुरजपुर	तटोरी	1	ह	2	घात	-	-	-	
13	भदगाव	सुरजपुर	सिराफिली	1	ह	2	घात	-	-	-	
14	भदगाव	सुरजपुर	सापला	1	ह	3	घात	-	-	-	
15	प्रेमनगर	सुरजपुर	बेलादेकरी	-	ह	1	घात	-	-	-	
16	प्रेमनगर	सुरजपुर	तापी	-	ह	1	घात	-	-	-	
17	प्रेमनगर	सुरजपुर	जमदको	1	ह	1	घात	-	-	-	
18	प्रेमनगर	रामानुजनगर	रुदनेशपुर	1	ह	2	घात	-	-	-	
19	प्रेमनगर	रामानुजनगर	रामानुजनगर	1	ह	2	घात	-	-	-	
20	प्रेमनगर	रामानुजनगर	आनगावि	1	ह	1	घात	-	-	-	
21	प्रेमनगर	रामानुजनगर	पटना	1	ह	2	घात	-	-	-	
22	प्रेमनगर	रामानुजनगर	रानिपुर	1	ह	2	घात	-	-	-	
23	प्रेमनगर	रामानुजनगर	डोमिया	1	ह	2	घात	-	-	-	
24	प्रेमनगर	रामानुजनगर	नारायणपुर	1	ह	1	घात	-	-	-	
25	प्रेमनगर	रामानुजनगर	कलसापुर	1	ह	1	घात	-	-	-	
26	प्रेमनगर	रामानुजनगर	ताली	1	ह	2	घात	-	-	-	
27	प्रेमनगर	रामानुजनगर	परसुरापुर	1	ह	1	घात	-	-	-	
28	प्रेमनगर	रामानुजनगर	पस्वानुर	1	ह	2	घात	-	-	-	
29	प्रेमनगर	रामानुजनगर	परसुरापुर	-	ह	2	घात	-	-	-	
30	प्रेमनगर	रामानुजनगर	पेठवटी	-	ह	2	घात	-	-	-	
31	प्रेमनगर	रामानुजनगर	शफरीरुध	-	ह	1	घात	-	-	-	
32	भदगाव	ओडगी	ओडगी	1	ह	2	घात	-	-	-	
33	भदगाव	ओडगी	इबना	1	ह	2	घात	-	-	-	
34	भदगाव	ओडगी	पल्ली	1	ह	2	घात	-	-	-	
35	भदगाव	ओडगी	छरी	1	ह	1	घात	-	-	-	
36	भदगाव	ओडगी	कुदरगाव	-	ह	2	घात	-	-	-	
37	भदगाव	ओडगी	करींटी व	1	ह	2	घात	-	-	-	
38	भदगाव	ओडगी	लापित	1	ह	2	घात	-	-	-	
39	प्रतापपुर	प्रतापपुर	केशरा	1	ह	1	घात	-	-	-	
40	प्रतापपुर	प्रतापपुर	पिंगा	1	ह	2	घात	-	-	-	
41	प्रतापपुर	प्रतापपुर	मोनगारा	1	ह	2	घात	-	-	-	
42	प्रतापपुर	प्रतापपुर	दुरली	1	ह	2	घात	-	-	-	

क्र.सं.	विधान सभा	विकास खण्ड	योजना का नाम	स्थापित नलजत प्रथम योजना			योजना की अद्यतन स्थिति		बंद का कारण	टिप्पणी
				टकी	वाइप जाड़ेज	नलजत (स्वीत)	घातु	बंद		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	प्रतापपुर	प्रतापपुर	खट्टगवांकली	1	1	2	घातु	-		
44	प्रतापपुर	प्रतापपुर	डीया	-	1	1	घातु	-		
45	प्रतापपुर	प्रतापपुर	शिलानुर	-	1	1	घातु	-		
46	प्रतापपुर	प्रतापपुर	जगन्नाथपुर	1	1	2	घातु	-		
47	भटगाँव	भैयाधान	कल्याण (पश्चिम)	1	1	2	घातु	-		
48	भटगाँव	भैयाधान	भैयाधान	1	1	2	घातु	-		
49	भटगाँव	भैयाधान	शिवापसाहानगर	1	1	1	घातु	-		
50	भटगाँव	भैयाधान	सोनापुर	1	1	2	-	बंद	स्वीत सुक जाने के कारण	स्वीत विकसित कर लिया गया है। अक्टूबर 2018 तक भूजलक योजना लागू करना संभव है।
51	भटगाँव	भैयाधान	बौरा	1	1	2	घातु	-		
52	भटगाँव	भैयाधान	राई	1	1	1	घातु	-		
53	भटगाँव	भैयाधान	नरुसरी	1	1	2	घातु	-		
54	भटगाँव	भैयाधान	धरमपुर	-	1	1	घातु	-		
55	भटगाँव	भैयाधान	अधिनपुर	1	1	1	घातु	-		
56	भिमनगर	भिमनगर	रावका	1	1	2	घातु	-		
57	भिमनगर	भिमनगर	तारा	-	1	2	घातु	-		
58	भिमनगर	भिमनगर	निर्वाणकला	-	1	2	घातु	-		
59	भिमनगर	भिमनगर	उभैरपुर	-	1	2	घातु	-		
60	भिमनगर	भिमनगर	भा.भिमनगर	-	1	1	घातु	-		
योग				46	60	100	59	1		

नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "बी" के अन्तर्गत

[परिवर्तित अतारकित प्रश्न संख्या 31 (क. 90) के भाग (क) एवं (ख) और जानकारी]

प्रश्न "अ"

(वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 31 मार्च 2015 तक)

क्र.सं.	पिता	माता	पत्नी विद्वत्कृत कोषार्थी गौतम वैदिक प्रामाण्य कंपनी एवं प्राइवेट प्रामाण्य कंपनी का नाम विद्वत् कृत कोषार्थी की गई है	अपराध क्रमांक/ कायमी दिनांक	बाध	जाति/वर्ग का नाम	आरोपी का नाम	पिता का दिनांक	अज्ञान एवं क्लेश नंबर	प्रमाण की अवधि दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	जगतपुर	बोधाज	स्टारसेट इंडिया एड्स रिसर्च कंपनी प्रा रिजिड रिजिड	83/14 06-03-14	420,405,120बी मल्लिक 458 23(1), 30/8A 19/86	अज्ञान राज विना सब इतनी साज के साथ उस 70 साज 50 कैलाश उषा दीपाडा	राज देवान श्यामशंकर देवान गो मंगू देविग देवरी रिजिड आई. ए. सातवाग जगतपुर।			

फर्जी चिटफंड कंपनियों को रोकथाम हेतु शासन एवं पुलिस विभाग द्वारा सख्त-सख्त पर की गई कार्यवाही का विवरण :-

1. चिटफंड अधिनियम 1982 के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा रजिस्ट्रार/एडिशनल रजिस्ट्रार/ज्वाइंट रजिस्ट्रार/असिस्टेंट रजिस्ट्रार और चिट्स की नियुक्ति।
2. शासन द्वारा और बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, पाईको प्रवर्गस कंपनियों, चिटफण्ड कंपनियों, भारतीय पोस्टल पैकेटिंग कॉर्पोरेशन एवं सामूहिक निवेश कंपनियों के देखरेख प्राप्त शिवालय की जांच हेतु जिला स्तर पर समिति गठित करने का निर्देश दिया है ताकि इन प्रकार की कंपनियों के चिटफंड प्राप्त शिकायतों को जांच करित खा से अगई जा सके।
3. छद्म शासन, वित्त विभाग द्वारा ईनामी चिट एवं धन परिवहन योजना (पबंकी) अधि. 1978 के अंतर्गत नियम-2012 का निर्माण किया गया है। The Money Circulation Scheme (Banning) Rules 2012, Under The Price Chits & Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978 लागू किया गया है।
4. अटॉम शासन, गृह विभाग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 एवं 58 के अंतर्गत सख्त-सख्त शासनात्मक से गलतरी वारंट को अधिप्राप्त करने तथा किसी अपराध के संबंध में लिखित में उचित करने के प्रवर्गन के लिये राज्य के समस्त एन्फोर्समेंट-बुलिस अधीक्षक को उनके तत्संबंधी क्षेत्राधिकार के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया है।
5. छद्म शासन द्वारा राज्य के समस्त चिटफंडों को निर्देश दिया गया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, फर्जी चिटफण्ड कंपनियों, पाईको प्रवर्गस कंपनियों, म्यूचुअल पैकेटिंग कंपनियों आन जन्तक को रकम इतना करने एवं अधिक ब्याज देने का आलाच देकर रुपये रकम प्राप्त करने है। बाद में आए नागरिकों की तथा रकम लेकर ऐसी कंपनियों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को लूट हो जाती है। अतः इन कंपनियों द्वारा की जा रही है अतिव्ययता को रोकथाम हेतु अत्यधिक वैधानिक कार्यवाही करें एवं टेलीविजन एवं ध्वनिक समाचार पत्रों के माध्यम से जन-जागरण करें।

- 6- राज्य शासन द्वारा BCGAD योजनाओं वित्त संरक्षण बिल-2005 राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति हेतु भेजा गया है।
- 7- BCGAD शासन, गृह विभाग द्वारा BCGAD राज्य में राज्य सारिय समन्वय समिति को गठन किया गया है. तकि इन व्यक्तियों के तिरुल्ल समन्वय के साथ प्रभावी रूप से कार्यवाही की जा सके.
- 8- पुलिस विभाग द्वारा ऐसे गार्डर दिल्लीय प्रकारों की विवेकन हेतु रेट स्तर पर विशेष अट्टरसन इकई (SIU) का गठन किया गया है.
- 9- इन्सन/पुलिस विभाग द्वारा समन्-समय पर वित्तीय मंत्रालियों के अभिप्रेक्षा पर कड़ी कार्यवाही हेतु, आप जनता में जागरुकता उत्पन्न करने हेतु, इन कंपनियों के परिचालन के विषय में सूचना प्राप्त करने हेतु, जन् प्रतिनिधियों एवं चरर सुरक्षा समिति/ग्रन् सुरक्षा समिति क सहयोग लेने हेतु तथा प्राप्त शिक्कयनों की प्रति आवश्यक जंच हेतु भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, कार्जोसी को भेजने हेतु निर्देशित किया गया है।

परिशिष्ट "पंद्रह"

[परिचरित अगाररकित प्रकृ संख्या 09 (क्र. 230) के भाग (क) की जानकारी]

नगर पंचायत केशवगज

वर्ष 2012-13

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	कार्य विवरण	आबंटित राशि
1	कायालय भवन अंतिम किस्त	10.00
2	जनसमस्या निवारण	34.48
3	आवास भवन की 2	19.60
4	पार्षद निधि	17.00
5	अधोस्तरचना विकास कार्य की द्वितीय किस्त	25.00
6	योजना क्रमांक 7241 (अधोस्तरचना मद) अंतर्गत किस्त राशि	110.00
7	13 वीं वित्त	3.00
8	भागीरथी नल जल योजना	13.28
9	रेग पिकर्स	0.18
10	होट राजार योजना	20.00
11	सरोवर शरोहर योजना	11.01
12	पुष्प घाटिका उद्यान	9.24
13	सुवितायाम योजना	4.00
14	सांस्कृतिक भवन योजना	12.50
	योग	283.30

वर्ष 2013-14

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	कार्य विवरण	आबंटित राशि
1	पेयजल हेतु	5.98
2	पार्षद निधि	17.00
3	पेयजल परिवहन (आपदा मोचन)	3.00
4	विद्युत पोल विस्तार	10.00
5	नगर सुराज	20.00
6	13 वीं वित्त	21.00
7	भागीरथी नल जल योजना	4.50
	योग	81.46

वर्ष 2014-15

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	कार्य विवरण	आबंटित राशि
1	पार्षद निधि	17.00
2	पेयजल हेतु	3.33
3	13 वीं वित्त	3.00
	योग	23.33

नगर पंचायत विश्रामपुरी

वर्ष 2012-13

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	कार्य विवरण	आबंटित राशि
1	जनसंख्या निवारण	200.00
2	आवास भवन, जी 2	4.60
3	गार्ड निधि	17.00
4	योजना क्रमांक 7241 (अधोसंरचना मद) अंतिम किस्त राशि	110.00
5	13 वॉ वित्त	11.06
6	भागीरथी नल जल योजना	4.56
	योग	347.22

वर्ष 2013-14

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	कार्य विवरण	आबंटित राशि
1	पेयजल हेतु	5.35
2	गार्ड निधि	17.00
3	पेयजल परिवहन (आपदा भोचन)	3.00
4	पिछुत पोल विस्तार	10.00
5	अधोसंरचना जनसंख्या के आधार पर (अंतिम किस्त)	10.00
6	जनसंख्या निवारण	50.00
7	नगर सुराज	20.00
8	18 वॉ वित्त	20.00
	योग	135.35

वर्ष 2014-15

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	कार्य विवरण	आबंटित राशि
1	गार्ड निधि	17.00
2	अधि.कर्म. आवास भवन अंतिम किस्त	17.05
3	अधोसंरचना विकास हेतु स्वी. आदेश क्र. 1782 दि. 04.03.14	20.00
4	नगर सुराज की अंतिम किस्त	90.00
5	पेयजल हेतु	2.89
6	सैफ्टीक टैंक मशीन खय हेतु	6.30
7	संचा. का आदेश क्र. 8879/30.08.14 स्वी. 100.00 लाख का प्रथम किस्त	50.00
8	संचा. का आदेश क्र. 1106/8494 दि. 27.12.11 अधोसंरचना की अंतिम किस्त	22.00
9	13 वॉ वित्त	12.00
	योग	177.24

नगर पंचायत फरसगढ़

वर्ष 2012-13

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	कार्य विवरण	आवंटित राशि
1	अधोसंरचना 12/7818/4.3.11	8.38
2	जनसमस्या निवारण	50.00
3	आवास भवन जी 2	4.60
4	पार्षद निधि	17.00
5	गोजना कमाक 7241 (अधोसंरचना गद) अर्थात् किस्ता राशि	110.00
6	13 वीं वित्त	3.00
7	भागीरथी नल जल योजना	4.68
8	सरोवर धरोहर योजना	0.87
	योग	207.53

वर्ष 2013-14

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	कार्य विवरण	आवंटित राशि
1	पेयजल हेतु	3.42
2	पार्षद निधि	17.00
3	पेयजल परिवहन (आपदा मोक्षण)	3.00
4	विद्युत पोल विस्तार	10.00
5	नगर सुराज	20.00
6	13 वीं वित्त	10.00
	योग	63.42

वर्ष 2014-15

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	कार्य विवरण	आवंटित राशि
1	पार्षद निधि	17.00
2	अधोसंरचना विकास हेतु स्वी. आदेश क्र. 1762 दि. 04.03.14	20.00
3	जनसमस्या निवारण तृतीय किस्ता	50.00
4	पेयजल हेतु	1.89
5	सिटीक टैफ मशीन क्रय हेतु	6.30
	योग	95.19

परिशिष्ट "सोलह"

[परिवर्तित अन्तर्गत प्रश्न संख्या 56 (क्र. 651) के भाग (घ) की जायकारी]

प्रदेश में जंगली हाथियों से बचाव के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय

1. हाथियों से सुरक्षा के उपायों का गांव गांव में पाम्पलेट वितरित कर एच पॉस्टर लगा कर ग्रामीणों को सजग किया जा रहा है।
2. हाथी मित्र दल, वन प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं ग्रामीणों को जंगली हाथी से सुरक्षित रहने की सलाह दी जाती है एवं प्रशिक्षित किया जा रहा है।
3. गांव में घर के चारों ओर सुरक्षित एवं पर्याप्त ऊंचाई पर रेशमी व्यवस्था करने सलाह दी जाती है ताकि हाथी ग्राम सीमा में रोशनी देखकर गांव की ओर न आये। ग्रामीणों को घरों में अंदर के कमरों में सोने हेतु भी सलाह दी जा रही है।
4. आवागमन के आवाजाही के मुख्य मार्गों के किनारे जंगली हाथी से प्रभावित होने, सावधान रहने इस आशय के साईन बोर्ड लगाए जाते हैं ताकि बिना किसी जनहानि के ग्रामीण सजग रहकर आवागमन कर सकें।
5. जंगली हाथियों की कंसिग्नमेंट ज्ञात कर रात्रि गश्ती दल द्वारा प्रभावित ग्राम के आवागमन को सचेत किया जाता है।
6. प्रभावित ग्रामों में ग्रामीणों को बड़े टार्च का वितरण किया जाता है ताकि अंधेरे में आवाजाही के समय जंगली हाथियों से अचानक मुठभेड़ न होने पाये। प्रत्येक वनमंडल में लगभग 50 टार्च वितरित की गई है। आवागमन के समय ग्रामीणों द्वारा मशाल का भी उपयोग किया जाता है।
7. जंगली हाथियों के लिए पर्याप्त चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आसपास विकास कार्य किये जा रहे हैं।
8. जंगली हाथियों के पेयजल व्यवस्था हेतु स्टांपडेम/तालाब/एनीकट निर्माण/तालाबों की मरम्मत के कार्य वनासे जा रहे हैं ताकि हाथी पेय जल की खोज में ग्राम सीमा में प्रवेश न करे।
9. हाथियों से जानमाल की सुरक्षा, घरों एवं फसलों की सुरक्षा हेतु प्रभावित ग्राम के चारों ओर सोलर पॉवर फेंसिंग की गई है।
10. वर्ष 2014-15 से जंगली हाथियों के प्रबंधन, वनशोत्री में जल रत्रोतो का बिकारा, पर्याप्त चारे का विकास, क्षतिपूर्ति राशि वितरण, जन जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, हाथी हेल्प सेंटर, सोलर पावर फेंसिंग, सोलर टार्च का वितरण तथा प्रभावित गांवों में हाई मास्ट सोलर लाइट लगाने एवं पूर्व सूचना तंत्र विकसित करने हेतु कैम्पा भव से 5 वर्षीय (2014-15 से 2018-19) गजराज परियोजना लागू की गई है, जिसमें रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, कवर्धा एवं बिलासपुर जिले सम्मिलित किए गए हैं। 5 वर्षों में हाथी प्रबंधन हेतु उक्त योजना अंतर्गत 132.46 करोड़ रु. व्यय किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

परिशिष्ट "सत्र"

[परिष्कृत अनाधिकृत प्रश्न संख्या 07 (क्र. 686) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रश्न "अ"

क्रमिक	थाना	अपराधिक प्रकरण		योग
		पुरुष	महिला	
1.	धर्कर	2	2	4
2.	करामा	0	0	0
3.	कोर	0	0	0
4.	नरहरपुर	0	0	0
5.	भानुपतापपुर	1	1	2
6.	पञ्जाचूर	0	0	0
7.	अंतागड़	0	0	0
8.	दुगकोदरा	0	0	0
9.	सबधाट	0	0	0
10.	गोहचूर	0	0	0
11.	कोयलीवेड़ा	0	0	0
12.	आमावेड़ा	0	0	0
13.	बान्ने	0	0	0
14.	बहर्गोव	0	0	0
15.	ताडोकी	0	0	0
16.	लोहत्तर	0	0	0
17.	पड़गापुर	0	0	0
18.	भोरेचुले	0	0	0
19.	सिकसोड़	0	0	0
	योग:	3	3	6

प्रपत्र "ब"

क्रमांक	धाना	अपराधिक प्रकरण		योग
		बालक	बालिका	
1.	कांकेर	8	25	33
2.	चाराभा	4	12	16
3.	कोरर	0	10	10
4.	नरहरपुर	2	11	13
5.	भानुप्रातापपुर	4	12	16
6.	पंथाजूर	6	10	16
7.	अंतोगढ़	2	5	7
8.	दुयुकोवल	0	1	1
9.	रायवाट	0	0	0
10.	गौडाहूर	0	0	0
11.	कोवलीबेड़ा	1	1	2
12.	आभावेड़ा	6	0	6
13.	बान्दे	0	2	2
14.	कहगाँव	0	0	0
15.	ताड़ोकी	0	0	0
16.	लोहतर	0	0	0
17.	परतापुर	0	0	0
18.	कोदेकुरी	0	1	1
19.	सिकसोड़	0	0	0
योग:-		33	90	123

प्रश्न "रा"

क्र.	श्री नाम	दस्तायाव						अपन दस्तायाव					
		पुरुष	महिला	योग	बालक	मालिका	योग	पुरुष	महिला	योग	बालक	मालिका	योग
1	श्री श्री	40	76	125	19	36	55	10	22	32	1	6	7
2	श्री श्री	13	35	48	8	11	19	7	30	37	0	1	1
3	श्री श्री	12	32	44	0	12	12	3	8	11	0	0	0
4	श्री श्री	17	41	58	2	16	18	7	12	19	1	0	1
5	श्री श्री	20	42	62	13	19	32	7	11	18	0	0	0
6	श्री श्री	3	28	31	7	19	26	5	5	10	1	1	2
7	श्री श्री	2	12	14	2	5	7	2	5	7	0	0	0
8	श्री श्री	4	3	7	0	3	3	1	0	1	0	0	0
9	श्री श्री	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0
10	श्री श्री	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	श्री श्री	7	7	14	0	1	1	0	0	0	1	0	1
12	श्री श्री	2	1	3	5	0	5	2	0	2	1	0	1
13	श्री श्री	1	4	5	0	4	4	0	0	0	0	1	1
14	श्री श्री	1	4	5	1	0	1	0	1	1	0	0	0
15	श्री श्री	2	0	2	0	1	1	1	3	7	0	0	0
16	श्री श्री	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	श्री श्री	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	श्री श्री	1	4	5	0	1	1	1	0	1	0	0	0
19	श्री श्री	0	3	3	0	1	1	1	1	2	0	0	0
कुल योग -		171	289	420	57	129	186	47	77	124	5	9	14

परिशिष्ट "अट्टारह"

[परिवर्तित अतंशकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 765) के भाग (क) एवं (ख) को जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जगरगुंडा राहत शिपिर में सम्मिलित ग्राम तथा गाँवों की ग्रामवार संख्या की जानकारी

क्र	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम/मोहल्ला	संख्या
1.	जगरगुंडा	भेटागुंडापारा	54
		कामापाड़ा	101
		हरिजनपारा	251
		आश्रमपारा	116
		बस्तीपारा	336
		कोरतागुंडापारा	137
2.	मिलामपल्ली	मिलामपल्ली	440
		किस्टाराम	05
3.	तारलागुंडा	तारलागुंडा	178
		कोडगोर	58
		विक्रम पल्ली	04
4.	कुन्देड़	कुन्देड़	657
		तोलेवर्ती	05
5.	चिमलीपेटा	चिमलीपेटा	08
6.	जामाराम	अचकट	08
7.	मोरपल्ली	मोरपल्ली	09
8.	करोण्डासावली	पारलागट्टा	09
योग			2274

प्रपत्र "ब"

राहत शिविर में वितरण की जाने वाली खाद्यान्न सामग्री, वितरण एजेंसी तथा सामग्री भेजने के दिनांक की जानकारी

क्र.	वर्ष	खाद्यान्न सामग्री का नाम	वितरण एजेंसी	भेजने का दिनांक
1.	2012	चावल, दाल, चना, नमक, हल्दी, मिर्ची, तेल	जिला प्रशासन	09.02.2012
2.		भटर, आलू, प्याज, घड़ीसाबुन, पड़ी पावडर, सोयाबीन बड़ी		07.07.2012
3.	2013		जिला प्रशासन	23.01.2013
4.				19.06.2013
5.	2014		जिला प्रशासन	01.03.2014
6.				22.09.2014
7.	2015	चावल, दाल, चना, नमक, हल्दी, मिर्ची, भटर, लाईफबाय साबुन, घड़ी साबुन	जिला प्रशासन	14.06.2015

क्र.	ज़िला	वि.सं.संख्या	ग्राम का नाम	योजना का नाम	पूर्ण	अपूर्ण	जलापूर्ति उत्पन्न अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8
42	दुर्गा	शिव	पैकडा	मल्लिक योजना	-	अपूर्ण	नहीं
43	बुधभा	चिन्मय	गडवात	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
44	धुबनी	चिन्मय	नेदा	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
45	दुर्गा	चिन्मय	हाथरुत	मल्लिक योजना	-	अपूर्ण	नहीं
46	बुधभा	चिन्मय	अकिरवात	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
47	कोण्डागढ़	कोण्डागढ़	नलजल	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
48	कोण्डागढ़	कोण्डागढ़	पलासी	मल्लिक योजना	-	अपूर्ण	नहीं
49	कोण्डागढ़	कोण्डागढ़	नेमगाव	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
50	कोण्डागढ़	मावाडी	माहेनोख	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
51	कोण्डागढ़	नरसागढ़	गिरसीखडा	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
52	कोण्डागढ़	फरसागढ़	नौकरीखटागढ़	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
53	कोण्डागढ़	जोषडागढ़	दुलभडा	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
54	कोण्डागढ़	मावाडी	अटिगडा	मल्लिक योजना	-	अपूर्ण	नहीं
55	कोण्डागढ़	नेमगाव	बैरगाव	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
56	कोण्डागढ़	नेमगाव	सिमानपुर	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
57	बीजापुर	बीजापुर	धनीरा	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
58	बीजापुर	नैरागढ़	नैरागढ़	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
59	बीजापुर	नैरागढ़	जगता	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
60	बीजापुर	धोनालेपटम	मरुई	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
61	नारायणपुर	नारायणपुर	नारायण	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
62	नारायणपुर	नारायणपुर	केरतापार बुडीखडा	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
63	नारायणपुर	नारायणपुर	बकैखडी	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
64	नारायणपुर	नारायणपुर	बकगाव	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
65	नारायणपुर	नारायणपुर	बकडी	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
66	नारायणपुर	नारायणपुर	कुतुल	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
67	नारायणपुर	नारायणपुर	जगतागढ़	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
68	नारायणपुर	नारायणपुर	पुनवात	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
69	नारायणपुर	नारायणपुर	कनारगढ़	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
70	नारायणपुर	नारायणपुर	सुलेगा खीखडी	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
71	नारायणपुर	नारायणपुर	कडवाडी	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
72	नारायणपुर	नारायणपुर	शोरगाव	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
73	नारायणपुर	नारायणपुर	बैतुर	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
74	नारायणपुर	नारायणपुर	धनीरा	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
75	नारायणपुर	नारायणपुर	जलदापारी	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
76	नारायणपुर	नारायणपुर	तासभुडगढ़	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
77	नारायणपुर	अरुडा	अरुडा	आवधन योजना	पूर्ण	-	वात
78	दलीगावा	दलीगावा	नौखपाल	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
79	दलीगावा	दलीगावा	गवापत	नलजल योजना	-	अपूर्ण	नहीं
कुल :-					1	74	1

परिशिष्ट "बीस"

[परिवर्तित अद्यतनित प्रश्न संख्या 10 (अ. 819) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रश्न "अ"

क्रमांक	अवधि	कुल लापता महिला	कुल बालिंग महिला	कुल नाबालिंग बालिकाएँ
1.	1 जनवरी, 2013 से 30 मई, 2015 तक	313	221	92

प्रश्न "ब"

क्रमांक	लापता महिलाओं की बरागदगी की संख्या	वर्ष	कुल बरागद बालिंग महिलाएँ	कुल बरागद नाबालिंग बालिकाएँ
	277	2013	77	45
		2014	81	29
		30 मई, 2015 तक	32	13
योग:-			190	97

परिशिष्ट "इक्कीस"

[परिमलित अतदांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 850) की जानकारी]

बन्नीरधाम जिला के क्षेत्र में वर्ष 2012-13 से 31 मई 2015 तक बन् विभाग द्वारा पुल/पुलिया एवं सड़क निर्माण की लागत सहित वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी

(रुपय मात्र में)

विकासखण्ड का नाम	निर्मित पुल/पुलिया की संख्या	पुल/पुलिया निर्माण पर व्यय राशि	निर्मित सड़क (कि.मी.)	सड़क निर्माण पर व्यय राशि
वर्ष 2012-13				
पण्डरिया	2	10.000	9.000	72.104
सहसपुर लोहारा	4	29.000	6.500	43.724
बोडला	36	135.415	10.400	101.124
योग :-	42	174.415	25.900	216.452
वर्ष 2013-14				
पण्डरिया			18.000	90.582
सहसपुर लोहारा	6	19.994	3.500	19.167
बोडला	19	87.268	43.845	345.549
योग :-	25	107.262	65.345	456.248
वर्ष 2014-15				
बोडला	12	58.490	7.500	63.327
कुलयोग :-	79	340.167	98.745	736.027

परिशिष्ट "बार्डर्स"

[परिवर्तित जनसंख्या प्रश्न संख्या 12 (क्र. 974) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित जनसंख्या आँकड़ों के तहत विद्यमान वृद्धारोपण की विकासवाहक, स्थलाचार, तर्जवार, प्रान्त एवं व्यय राशि सहित जानकारी

क्र.सं.	विकासवाहक का नाम	श्रीवर्ग का नाम	वृद्धारोपण प्रकार	राज्य की कुल जनसंख्या	श्रीवर्ग की कुल जनसंख्या	श्रीवर्ग की कुल आय	श्रीवर्ग की कुल आय प्रति व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
20.13.14		श्रीवर्ग वृद्धारोपण प्रथम	वृद्धारोपण प्रथम	335000	335457		श्रीवर्ग की कुल आय प्रति व्यक्ति
20.13.14		श्रीवर्ग वृद्धारोपण द्वितीय	वृद्धारोपण द्वितीय	230774	230514		श्रीवर्ग की कुल आय प्रति व्यक्ति
20.13.14		श्रीवर्ग वृद्धारोपण तृतीय	वृद्धारोपण तृतीय	335000	333874		श्रीवर्ग की कुल आय प्रति व्यक्ति
20.13.14		श्रीवर्ग वृद्धारोपण चतुर्थ	वृद्धारोपण चतुर्थ	227400	2223547		श्रीवर्ग की कुल आय प्रति व्यक्ति
20.13.14		श्रीवर्ग वृद्धारोपण पंचम	वृद्धारोपण पंचम	80000	798985		श्रीवर्ग की कुल आय प्रति व्यक्ति
20.13.14		श्रीवर्ग वृद्धारोपण षष्ठ	वृद्धारोपण षष्ठ	75000	69922		श्रीवर्ग की कुल आय प्रति व्यक्ति
20.13.14		श्रीवर्ग वृद्धारोपण सप्तम	वृद्धारोपण सप्तम	71400	672209		श्रीवर्ग की कुल आय प्रति व्यक्ति
20.13.14		श्रीवर्ग वृद्धारोपण अष्टम	वृद्धारोपण अष्टम	75200	75000		श्रीवर्ग की कुल आय प्रति व्यक्ति
20.13.14		श्रीवर्ग वृद्धारोपण नवम	वृद्धारोपण नवम	108100	135400		श्रीवर्ग की कुल आय प्रति व्यक्ति
20.13.14		श्रीवर्ग वृद्धारोपण दशम	वृद्धारोपण दशम	338100	317300		श्रीवर्ग की कुल आय प्रति व्यक्ति
20.13.14		श्रीवर्ग वृद्धारोपण ग्यारहवां	वृद्धारोपण ग्यारहवां	37275	37390		श्रीवर्ग की कुल आय प्रति व्यक्ति
20.13.14		श्रीवर्ग वृद्धारोपण बारहवां	वृद्धारोपण बारहवां	265200	240711		श्रीवर्ग की कुल आय प्रति व्यक्ति
20.13.14		श्रीवर्ग वृद्धारोपण त्रयोदशवां	वृद्धारोपण त्रयोदशवां	25000	23000		श्रीवर्ग की कुल आय प्रति व्यक्ति
20.13.14		श्रीवर्ग वृद्धारोपण चतुर्दशवां	वृद्धारोपण चतुर्दशवां	103740	921134		श्रीवर्ग की कुल आय प्रति व्यक्ति
20.13.14		श्रीवर्ग वृद्धारोपण पंद्रहवां	वृद्धारोपण पंद्रहवां	143700	1352216		श्रीवर्ग की कुल आय प्रति व्यक्ति
20.13.14		श्रीवर्ग वृद्धारोपण सोलहवां	वृद्धारोपण सोलहवां	56190	974841		श्रीवर्ग की कुल आय प्रति व्यक्ति

वर्ष	मिकासंख्या	संस्था का नाम	संस्था का प्रकार	वीएन सी सुख समिति का नाम	वीएन सी सुख समिति का ठेका	वीएन सी सुख समिति का ठेका	वीएन सी सुख समिति का ठेका	वीएन सी सुख समिति का ठेका
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014-15			राष्ट्रीय सेवा योजना	राष्ट्रीय सेवा योजना	14637001	14722601		वीएन सी सुख समिति का ठेका
2014-15			राष्ट्रीय सेवा योजना	राष्ट्रीय सेवा योजना	1681500	1691520		वीएन सी सुख समिति का ठेका
2014-15	30	राष्ट्रीय सेवा योजना	RWVC CIVIL - काठार बस क. 16 काठार	राष्ट्रीय सेवा योजना	1498733.00	1598619.00		वीएन सी सुख समिति का ठेका
2014-15	31		RWVC CIVIL - कुलवा, काठार 16 काठार	राष्ट्रीय सेवा योजना	355481.00	4050254.00		वीएन सी सुख समिति का ठेका
2014-15			RWVC CIVIL - सिद्धा, काठार 16 काठार	राष्ट्रीय सेवा योजना	765156.00	764854.00		वीएन सी सुख समिति का ठेका
2014-15			RWVC CIVIL - बरवाडी, काठार 16 काठार	राष्ट्रीय सेवा योजना	1912135.00	1912135.00		वीएन सी सुख समिति का ठेका
2014-15			RWVC CIVIL - पाण्डुवा, काठार 16 काठार	राष्ट्रीय सेवा योजना	1431333.00	1431158.00		वीएन सी सुख समिति का ठेका
2014-15			RWVC CIVIL - सुवा, काठार 16 काठार	राष्ट्रीय सेवा योजना	1481711.00	1481422.00		वीएन सी सुख समिति का ठेका
2014-15			RWVC CIVIL - सोहरा, काठार 16 काठार	राष्ट्रीय सेवा योजना	1524073.00	1522815.00		वीएन सी सुख समिति का ठेका
2014-15	32		राष्ट्रीय सेवा योजना का ठेका	राष्ट्रीय सेवा योजना	1552315.00	932104.00		वीएन सी सुख समिति का ठेका
2014-15			राष्ट्रीय सेवा योजना का ठेका	राष्ट्रीय सेवा योजना	532236.00	1352829.00		वीएन सी सुख समिति का ठेका
2014-15			राष्ट्रीय सेवा योजना का ठेका	राष्ट्रीय सेवा योजना	630800.00	650773.00		वीएन सी सुख समिति का ठेका
2014-15			राष्ट्रीय सेवा योजना का ठेका	राष्ट्रीय सेवा योजना	2756575.00	2755825.00		वीएन सी सुख समिति का ठेका
2014-15			राष्ट्रीय सेवा योजना का ठेका	राष्ट्रीय सेवा योजना	3850925.00	3830705.00		वीएन सी सुख समिति का ठेका
2014-15			राष्ट्रीय सेवा योजना का ठेका	राष्ट्रीय सेवा योजना	3378205.00	3377301.00		वीएन सी सुख समिति का ठेका
2014-15			राष्ट्रीय सेवा योजना का ठेका	राष्ट्रीय सेवा योजना	2829500.00	1104473.00		वीएन सी सुख समिति का ठेका
2014-15			राष्ट्रीय सेवा योजना का ठेका	राष्ट्रीय सेवा योजना	721301.00	532756.00		वीएन सी सुख समिति का ठेका

वर्ष	विकासकृत का. सं.	संज्ञक का. का.	पुस्तक/पत्र स्थल	संस्था की मुख्य भ. सं. (विवरण)	संस्था के कु. धन राशि	संस्था पर पिछा का. सं. का. सं.	कार्य का नाम कि. सं. राशि का. सं. का. सं.
1	2	3	4	5	6	7	8
2014-15		अखिल भारतीय संघ	क. सं. 17, पुरा	आर. वि. अखिल भारतीय संघ	1493492.00	149948.00	संज्ञक सं. सं. सं.
2014-15		अखिल भारतीय संघ	क. सं. 199, पुरा	आर. वि. अखिल भारतीय संघ	2603200.00	2601767.50	संज्ञक सं. सं. सं.
2014-15	150	संस्था का.	राज. सं. भूमि भू. सं.	राज. सं. भूमि भू. सं.	1464000.00	1069223.00	संज्ञक सं. सं. सं.
2014-15		संस्था का. सं. (व. सं. सं. सं.) राज. सं. सं.	क. सं. 340, पुरा	राज. सं. सं. सं. सं.	732500.00	652305.00	संज्ञक सं. सं. सं.
2014-15		संस्था का. सं. (व. सं. सं. सं.) राज. सं. सं.	क. सं. 340, पुरा	राज. सं. सं. सं. सं.	800000.00	319182.00	संज्ञक सं. सं. सं.
2014-15		संस्था का. सं. (व. सं. सं. सं.) राज. सं. सं.	क. सं. 340, पुरा	राज. सं. सं. सं. सं.	721400	736200	संज्ञक सं. सं. सं.
2014-15		संस्था का. सं. (व. सं. सं. सं.) राज. सं. सं.	क. सं. 340, पुरा	राज. सं. सं. सं. सं.	721400	721400	संज्ञक सं. सं. सं.
2014-15		संस्था का. सं. (व. सं. सं. सं.) राज. सं. सं.	क. सं. 340, पुरा	राज. सं. सं. सं. सं.	1531000	1529800	संज्ञक सं. सं. सं.
2014-15		संस्था का. सं. (व. सं. सं. सं.) राज. सं. सं.	क. सं. 340, पुरा	राज. सं. सं. सं. सं.	1531000	1493000	संज्ञक सं. सं. सं.
2014-15		संस्था का. सं. (व. सं. सं. सं.) राज. सं. सं.	क. सं. 340, पुरा	राज. सं. सं. सं. सं.	702510.00	702510.00	संज्ञक सं. सं. सं.
2014-15		संस्था का. सं. (व. सं. सं. सं.) राज. सं. सं.	क. सं. 340, पुरा	राज. सं. सं. सं. सं.	723330.00	720330.00	संज्ञक सं. सं. सं.
					69359355	66256448	

वर्ष 2014 - 2015 गतिशील

पारदर्शिता सूचकांक

[परिवर्तित आर्थिक प्रमाण संख्या 3 (क्र. 1001) के भाग (क) एवं (ख) की जांच करें]

आवधिक-आधारित ले भूत नम विभाग द्वारा चिन्तित एवं चर्चा किए गए 1211 रे वग की प्रशासित, वेपनर, स्थलांतर, विकास एवं स्वयं-स्वयं नमानकरी

प्रश्न "क"

क्र.सं.	विवरण	सोपान			2 वि-सिंह वर पीपी की प्रजाधिकार संस्था											योग										
		संख्या (1)	राशि (2)	ब.सं.	अंतर (3)	खजाना (4)	नियंत्रित (5)	कर्मचारी (6)	रकम (7)	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
वर्ष 2012-13																										
1	1. (A) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	20,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	
2	2. (B) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	30,000	75,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000	
3	3. (C) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	10,000	9,200	-	2,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,200	
4	4. (D) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	10,000	24,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,000	
5	5. (E) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	4,000	3,10,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10,300	
6	6. (F) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	50,000	4,000	-	11,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	
7	7. (G) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	1,45,000	24,300	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,300	
8	8. (H) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	25,000	43,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,000	
9	9. (I) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	30,000	1,25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,25,000	
10	10. (J) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	30,000	25,000	-	3,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	
11	11. (K) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	12. (L) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	
13	13. (M) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	42,000	1,05,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05,000	
14	14. (N) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	25,000	62,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,500	
15	15. (O) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	30,000	37,500	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,500	
16	16. (P) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	30,000	37,500	-	8,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,500	
17	17. (Q) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	30,000	37,500	-	8,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,500	
18	18. (R) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	30,000	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	
19	19. (S) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	71,710	1,40,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40,000	
20	20. (T) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	60,000	6,500	-	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,500	
21	21. (U) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	22. (V) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	30,000	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	
23	23. (W) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	40,000	10,000	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	
24	24. (X) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	23,000	-	-	1,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650	
25	25. (Y) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	25,000	52,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,500	
26	26. (Z) वि-सिंह वर पीपी की संस्था	33,000	1,32,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,32,000	
योग		1,203,710	11,20,700	-	80,200	-	64,800	-	9,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,20,700	
योग																										

प्रपत्र "ब"

वन विद्यालय राकती में निम्न 05 वर्षों में विभिन्न श्रेणियों में प्र.प्र. कार्यक्रमों का व्यय राशि की जानकारी

वर्ष	क्र.सं.	विवरण	आवृत्ति	प्र.प्र. राशि (₹)	कुल राशि (₹)
2012-13	4462-02-004	अ.प्र.मजदूरी	2.00	2.00	2.00
	4462-02-005	दैनिक रतन	0.30	0.30	0.30
	4462-03-001	बाक तार पर व्यय	0.06	0.06	0.06
	4462-04-002	दूरभाष पर व्यय	0.34	0.34	0.34
	4462-04-003	फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	0.16	0.16	0.16
	4462-04-004	पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	0.27	0.27	0.27
	4462-04-005	विजली एवं जल प्रसार	1.61	1.61	1.61
	4462-04-006	वर्दीयां	0.30	0.30	0.30
	4462-04-007	लेखन सामग्री एवं फार्मों की खपत	0.77	0.77	0.77
	4462-04-008	अन्य आकस्मिक व्यय	1.32	1.32	0.91
	4462-04-011	पेट्रोल पर व्यय	0.76	0.76	0.43
	4462-05-001	अभिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण	1.50	1.50	1.50
	4462-24-001	मोटर गाड़ी	0.07	0.07	0.07
	4462-24-002	मोटर एवं केच्यु गाल	0.07	0.07	0.03
	4462-24-012	अन्य अनुसंधान कार्य	0.10	0.10	0.08
	4462-25-001	मोटर एवं केच्यु गाल	0.75	0.75	0.75
	3877-05-001	अभिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण	3.50	3.50	1.45
	50-792	कर्मचारी कल्याण पेयजल व्यवस्था	0.75	0.75	0.75
	61-2406-6/25	रा.व.प्र. समितियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	2.00	2.00	1.99
	138	वित्त आयोग का विद्यालय राकती में प्रशिक्षण कार्यक्रम	5.00	5.00	5.00
		योग:	20.93	19.57	
2013-14	4462-02-004	अ.प्र.मजदूरी	2.27	2.27	2.27
	4462-02-005	दैनिक रतन	0.60	0.60	0.59
	4462-04-001	बाक तार पर व्यय	0.08	0.08	0.07
	4462-04-002	दूरभाष पर व्यय	0.25	0.25	0.17
	4462-04-003	फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	0.36	0.36	0.08
	4462-04-004	पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	8.11	8.11	0.10
	4462-04-005	विजली एवं जल प्रसार	1.24	1.24	1.19
	4462-04-006	वर्दीयां	0.19	0.19	0.19
	4462-04-007	लेखन सामग्री एवं फार्मों की खपत	0.10	0.10	0.09
	4462-04-008	अन्य आकस्मिक व्यय	1.50	1.50	1.48
	4462-04-011	पेट्रोल पर व्यय	0.65	0.65	0.39
	4462-05-001	अभिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण	2.44	2.44	2.42
	4462-24-001	मोटर गाड़ी	0.09	0.09	0.00
	4462-24-002	मोटर एवं उपकरण	0.08	0.08	0.00
	4462-24-012	अन्य अनुसंधान कार्य	0.09	0.09	0.00
	4462-25-001	मोटर एवं केच्यु गाल	0.91	0.91	0.91
	61-2406-6/25	रा.व.प्र. समितियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	2.00	2.00	1.36
	138	वित्त आयोग से पुराने छात्रावास भवन का रिपेअरिंग कार्य	36.75	36.75	35.90
		वन विद्यालय में सौर संचयन निर्माण कार्य	21.74	21.74	21.74
		गन्धक निवास गृह निर्माण कार्य	13.00	13.00	12.85

क्र.	विवरण	अंश (₹)	अंश (₹)
	महिला कौशल विकास योजना	4.16	4.16
	रसोई घर में परम्परा कार्य	1.42	1.42
	वाकान्तर एवं वितरण हेतु सुरक्षा कार्य	1.01	1.01
	परम्परा एवं महिला सशक्तिकरण (कर्मचारी, बैंक, गद्दा, गरीब दुकान, कलकूट सामग्री, आयुर्विज्ञान केंद्र एवं चयन, डी.पी.आर. वी.आर. जलो की नजदगी जदि)	17.40	17.40
	बायोमैथेन निर्माण एवं सभतलीकरण	6.00	5.85
	सहकारिता अंतरासुरणक पाइपलाइन कार्य	4.92	4.92
	ओवरहेड टैंक निर्माण कार्य	3.37	3.37
	स्टीर कक्ष का मरम्मत कार्य	1.42	1.42
	ओवरहेड टैंक निर्माण कार्य	3.37	3.37
	एन विद्यालय सक्ती में प्रशिक्षण कार्यक्रम	3.55	3.55
	डी.पी.आर. कार्य	12.06	12.06
	डिजिटल कक्षा कार्य	1.18	1.18
	फोटोकॉपी मशीन	1.69	1.69
	रसोई टांग कम्प्यूटर सॉफ्ट	7.68	7.68
	एन सी.डी. प्रोजेक्टर	1.25	1.25
	डिजिटल प्रोजेक्टर सॉफ्ट	4.48	4.48
	पुरुष छात्रवास के लैट्रिन टैंक निर्माण	0.25	0.25
	पुरुष छात्रवास परिसर में नाली निर्माण कार्य	2.05	2.05
	दूध बाउंड्रीवाल की पुन. सुधार कार्य	0.35	0.35
	अन्न प्रसादन कक्ष निर्माण	2.55	2.55
	अन्न स्थानांतरण कक्ष निर्माण	2.20	2.20
	पुराने छात्रवास के रिमोडलिंग भवन में अन्न प्रसादन कक्ष (प्रतिबंधित हेतु)	0.75	0.75
	पुराने छात्रवास के रिमोडलिंग भवन में 1-2 नंगे प्रसादन कक्ष एवं 2-2 यूरिनल	1.20	1.20
	योग	169.07	166.42
2014-15	4462-02-004 अ.अ. नजदगी	3.16	3.16
	4462-02-005 दैनिक वेतन	0.80	0.80
	4462-04-001 डाक तार पर व्यय	0.08	0.05
	4462-04-002 दूरभाष पर व्यय	0.26	0.23
	4462-04-003 फनीघर एवं कार्यालय उपकरण	11.76	0.25
	4462-04-004 पुस्तक एवं नियतकालिक पत्रिकाएं	0.40	0.40
	4462-04-005 बिजली एवं जल प्रभार	2.53	2.40
	4462-04-006 तर्दीयां	0.19	0.19
	4462-04-007 लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	0.26	0.26
	4462-04-008 अन्य आकस्मिक व्यय	2.22	2.22
	4462-04-011 पेट्रोल पर व्यय	1.01	0.53
	4462-05-001 अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण	2.64	2.64
	4462-24-001 मोटर गाड़ी	0.40	0.09
	4462-24-002 मशीन एवं उपकरण	0.06	0.00
	4462-24-012 अन्य अगुस्ताण कार्य	0.10	0.05
	4462-25-001 भण्डार एवं कच्चा माल	0.84	0.83
	योग	15.21	14.08

परिशिष्ट "चौबीस"

[पारिवारिक अभावग्रस्त प्रश्न संख्या १४ (क्र. १०५५) की जानकारी]

मन्तूरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत मल्हार

वर्ष २०१२-१३

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	मद	कार्य विवरण	स्वीकृत राशि
१	अधोसंरचना	आवास भवन निर्माण	२१.६५
२	अधोसंरचना	पार्षद निधि	१७.००
३	अधोसंरचना	यो.क्र. ७२४१ ऋण अनुदान	२००.००
४	१३ वीं वित्त	१३ वीं वित्त	३.००
५	राज्य प्रवर्तित	सांस्कृतिक भवन निर्माण	७३.८६
		योग	३१५.५१

वर्ष २०१३-१४

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	मद	कार्य विवरण	स्वीकृत राशि
१	पेयजल	पेयजल हेतु	१.७२
२	अधोसंरचना	पार्षद निधि	१७.००
३	आपदा मोचन	पेयजल परितहन	३.००
४	अधोसंरचना	विद्युत पोल विस्तार	१०.००
५	अधोसंरचना	आपदा मोचन फायर टैंकर	४५.००
६	अधोसंरचना	अधोसंरचना विकास कार्य	९६.००
७	पेयजल	पेयजल हेतु	२.५५
८	अधोसंरचना	नगर सुराजि	५०.००
९	१३ वीं वित्त	१३ वीं वित्त	१५.००
१०	राज्य प्रवर्तित	भागीरथी नल जल योजना	०.४५
		योग	२४०.७२

परिशिष्ट "मज्जीस"

[परिबर्धित अंतरांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 1172) के भाग (क) की जाणकारी]

क्र.सं.	अतिक्रमणकर्ता का नाम पिता/ पति का नाम	खसरा नं.	लम्बाई x	रकबा चौड़ाई	वर्गफिट	आतिक्रमण का प्रकार
1	2	3	4	5	6	
1	छोटी बाई/ गनेश कुमार	710	11'	x 14'	154	भट्टा
2	रज्जित/ बशीराला	718	22'	x 24'	528	बाड़ी
3	मुकुंद मेभाम/ अशोक मेभाम	718	100'	x 12'	1200	मकान बाड़ी
4	खेदू राम/ मनीराम साहू	718	42'	x 12'	504	मकान
5	भीखम/ कोरू साहू	718	28'	x 12'	348	मकान
6	शंकर/ जेदू यादव	718	20'	x 12'	240	मकान
7	रोशन/ रामधार नगारकी	718	24'	x 12'	288	मकान
8	नरसिंह/ किरंता साहू	718	23'	x 12'	276	मकान
9	छत्तर/ छवि निवार	718	48'	x 12'	576	मकान
10	घनश्याम/ रामधार साहू	718	40'	x 12'	480	बाड़ी
11	गैद/ हीरू निवार	718	56'	x 10'	560	मकान घाटी
12	अनन्य/ मोहन साहू	718	40'	x 10'	400	बाड़ी
13	पद्मा/ साबू सोनी	718	20'	x 10'	400	मकान
14	बसंत/ भरोसा माल	718	32'	x 10'	320	मकान
15	शालिकराम/ नंदकुमार माल	718	28'	x 10'	280	बाड़ी
16	शिकंदर/ जुगन खान	718	45'	x 10'	450	मकान
17	श्रीगेश/ शिवायाम देवांगन	718	20'	x 10'	200	मकान
18	गैदलाल/ बहुरन देवांगन	718	29'	x 10'	290	मकान
19	मोहन/ शैबक साहू	718	43'	x 10'	430	मकान
20	रमेश/ मदन कुंहार	718	20'	x 50'	1000	मकान+ भट्टा
21	लालाराम/ कसी कुंहार	718	20'	x 30'	600	बाड़ी
22	राजू/ गणेश	719	26'	x 26'	676	बाड़ी
23	हेमन्त शोभरा/ रंजितचंद शोभरा	719	210'	x 14'	2940	मकान
24	रोशन/ छोटेलाल कुंहार	719	20'	x 24'	480	भट्टा
25	रामरतन/ जोखीलाल कुंहार	719	20'	x 40'	800	भट्टा
			20'	x 21'	420	भट्टा
26	रामरतन/ जोखीलाल कुंहार	719	27'	x 14'	378	मकान
27	घासीलाल/ छोदू कुंहार	719	18'	x 11'	198	मकान
28	घासीलाल/ छोदू कुंहार	719	14'	x 28'	406	भट्टा
29	राजेश/ घासी कुंहार	719	29'	x 30'	870	मकान
30	शोशर/ छोटेलाल कुंहार	719	71'	x 105'	7455	मकान बाड़ी
31	मरतण/ लालमन कुंहार	719	40'	x 30'	1200	मकान
32	मंती बाई/ लालमन कुंहार	719	63'	x 40'	3320	भट्टा+आवास
33	संतोष/ बोलू कुंहार	719	52'	x 75'	3900	मकान बाड़ी
34	कैशरण/ हिंसला देवांगन	719	30'	x 22'	660	मकान
35	रमेशवर/ छोटेलाल कुंहार	719	50'	x 75'	3750	भट्टा
36	समेशवर/ हींसला देवांगन	719	22'	x 20'	440	मकान
37	रमेशवर/ छोटेलाल कुंहार	719	110'	x 75'	8250	मकान+ भट्टा
38	पुष्पेश बाई/ छोटेलाल कुंहार	719	30'	x 50'	1500	भट्टा
39	बिरन/ छोटेलाल कुंहार	719	20'	x 30'	600	बाड़ी

परिशिष्ट "छम्बोस"

[परिवर्तित असायकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 1192) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	वित्तिय वर्ष	परिक्षेत्र	कोश/प्र. के. नाम	कार्य का नाम	संख्या	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2013-14	सुरंग	13वें वित्त आयोग	स्टॉप डेम	02	30.00
2		तमनार	13वें वित्त आयोग	निर्माण कार्य	01	10.00
3		धरघोड़ा	13वें वित्त आयोग		03	29.18
4		धरघोड़ा	5090 जैव विविधता संरक्षण		02	3.00
			योग :-		08	72.18
1	2013-14	गोमटो	5509 प्रोजेक्ट एलिफेंट	तालाम	01	6.00
2		गोमटो	13वें वित्त आयोग	निर्माण कार्य	03	15.00
3		सुरंग	13वें वित्त आयोग		04	24.00
4		तमनार	13वें वित्त आयोग		04	40.00
5		तमनार	5090 जैव विविधता संरक्षण		01	8.00
6		धरघोड़ा	13वें वित्त आयोग		05	46.00
7		धरघोड़ा	5090 जैव विविधता संरक्षण		01	8.00
8		धरघोड़ा	6991 हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास		01	9.00
9		धरघोड़ा	5090 जैव विविधता संरक्षण		01	8.00
			योग :-		21	158.00
			कुलयोग 2013-14		29	230.18
1	2014-15	धरघोड़ा	6991 हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास	स्टॉप डेम निर्माण कार्य	03	20.82
			योग :-		03	20.82
1	2014-15	गोमटो	6723 संयुक्त वन प्रबंधन सुदृष्टिकरण एवं विकास	तालाम निर्माण कार्य	01	10.00
2		गोमटो	6539 राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य का विकास		01	5.00
3		धरघोड़ा	5090 जैव विविधता संरक्षण		01	8.00
4		तमनार	5090 जैव विविधता संरक्षण		02	16.00
5		गोमटो	राज्य कैम्पा गड		01	12.00
6		धरघोड़ा	राज्य कैम्पा गड		02	30.00
			योग :-		08	81.00
			कुलयोग 2014-15		11	101.82

टीप:- धरघोड़ा परिक्षेत्र में 03 स्टॉप डेम के निर्माण हेतु वर्ष 2013-14 में रु. 29.18 लाख एवं वर्ष 2014-15 में रु. 20.82 लाख बजट आवंटन किया गया है।

4	2014-15	7	115	1	16	6	0	0	0	0
मन्त्री	2015-16	2	18	2	02 प्राधन सं. सं. सं.	0	0	0	0	0
	2014-15	2	170	0	0	0	0	0	0	0
परिपालक	2015-15	1	20	0	0	1	0	0	0	0
	2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सहायक	2015-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014-15	7	346	10	01 सं. सं. सं. सं. सं.	4	0	0	0	0
बिनामुद्र	2015-10	3	217	4	0	7	2	0	0	0

8	राजराज	2014-15	8	541	1	0	13	8	0	0	0
		2015-16	4	380	0	0	21	2	2	0	0
9	जोशी	2014-15	3	456	0	0	1	2	0	1	0
		2015-16	2	29	0	0	4	1	0	0	0
10	लोखे	2014-15	10	456	1	0	25	10	0	0	0
		2015-16	6	250	1	0	20	4	2	0	0
11	मुंगेले	2014-15	6	174	3	0	12	4	2	0	0
		2015-16	7	41	0	0	9	2	0	0	0

12	30	2014-15	5	130	6	0		7	2	1	0	0
		2015-16	4	46	4	0		0	0	4	0	0
13	राज्यसभा	2014-15	55	1484	55	24	राज्यों के एकमात्र निर्वाचक के रूप में चुना गया।	158	76	6	2	0
		2015-16	10	139	7	01	अन्य प्रत्येक के निर्वाचक के रूप में चुना गया।	23	4	6	0	0
14	संसदीय	2014-15	5	82	2	2	एन एमएल के निर्वाचक के रूप में चुना गया।	9	1	1	0	0
		2015-16	4	60	2	12	राज्य सरकार के निर्वाचक के रूप में चुना गया।	9	3	1	0	0
15	निम्न	2014-15	9	110	3	0		10	5	0	3	0
		2015-16	3	52	3	1		0	0	3	0	0

परिशिष्ट "अट्ठाईस"

[परिवर्तित अतारोक्त प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1305) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र.	मृत आम नागरिक का नाम	घटना दिनांक	उत्तराधिकारी का नाम	दी गई आर्थिक सहायता	केन्द्रीय सहायता
1.	रगवीर सिंह सलामे पिता दांजी राम सलामे जाति गोड़ उम्र 35 वर्ष ग्राम ऊँचापुर (शिशाकर्म वगं-03 प्राथमिक शाला ग्राम धोटिया)	दिनांक 22.04.2014 के शाम 18.00 से 18.30 बजे के ग्राम धाना तरेगांव मानपुर	01- उत्तराधिकारी पत्नी- श्रीमती रजमोतीन बाई सलामे उम्र 30 वर्ष निवासी मानपुर 02- श्रीमती सुबाय बाई सलामे पति स्व0 रणवीर सलामे उम्र 25 साल ग्राम ऊँचापुर धाना मानपुर	2,50,000/- 2,50,000/-	कार्यालय जिला दण्डाधिकारी राजनांदागांव छ0ग0 के ज्ञापन क्रमांक- 2386/सा0लि0/2015 राजनांदागांव दिनांक 27.04.2015 के माध्यम से पीडित परिवार के लाभार्थी को राहत एवं पुनर्वास योजना के तहत आर्थिक सहायता हेतु जिला स्तरीय समिति के अनुशंसा सहित सचिव भारत सरकार गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को ज्ञापन प्रेषित किया गया है।
2.	मनीष सिंह पिता नरेन्द्र सिंह उम्र 23 वर्ष ग्राम पीपरा धाना सिंहवाड़ा जिला दरभंगा (बिहार) हाल - खैरी बुटीबोरी धाना बुटीबोरी जिला नागपुर (मह0)	दिनांक 14.12.2014 के रात्रि	उत्तराधिकारी पत्नी श्रीमती सीपू देवी पति स्व0 श्री मनीष सिंह जाति राजपुत उम्र 21 वर्ष ग्राम पीपरा धाना सिंहवाड़ा जिला दरभंगा (बिहार)	5,00,000/-	कार्यालय जिला दण्डाधिकारी राजनांदागांव छ0ग0 के ज्ञापन क्रमांक- 2386/सा0लि0/2015 राजनांदागांव दिनांक 27.04.2015 के माध्यम से पीडित परिवार के लाभार्थी को राहत एवं पुनर्वास योजना के तहत आर्थिक सहायता हेतु जिला स्तरीय समिति के अनुशंसा सहित सचिव भारत सरकार गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को ज्ञापन प्रेषित किया गया है।
3.	कांशीराम उसेण्डी पिता अडवे उसेण्डी जाति गोड़ उम्र 28 वर्ष साकिन कोन्दावाही धाना धनोरा ओपी गोड़लवाही जिला गढ़चिरौली महाराष्ट्र	दिनांक 11.01.2015 रात्रि 02.00 बजे	उत्तराधिकारी पत्नी 01-कौशिल्या बाई पति कांशीराम उसेण्डी उम्र 25 वर्ष ग्राम कोंदावाही धाना धनोरा जिला गढ़चिरौली 02- कविता उसेण्डी पति कांशीराम उसेण्डी उम्र 20 वर्ष	5,00,000/-	कार्यालय जिला दण्डाधिकारी राजनांदागांव छ0ग0 के ज्ञापन क्रमांक- 2386/सा0लि0/2015 राजनांदागांव दिनांक 27.04.2015 के माध्यम से पीडित परिवार के लाभार्थी को राहत एवं पुनर्वास योजना के तहत आर्थिक सहायता हेतु जिला स्तरीय समिति के अनुशंसा सहित सचिव भारत सरकार गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को ज्ञापन प्रेषित किया गया है।

परिशिष्ट "उनतीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 1401) के भाग (ख) की जानकारी]

यूआईडीएसएसएमटी योजनान्तर्गत-कोरबा जल आवर्धन योजना के कार्यों की जानकारी

क्र.	कार्यों का विवरण	स्वीकृत लागत (राशि रु लाख में)
1	अ. रॉ वाटर पंपिंग मेन	35.81
	ब. जल उपचार संयंत्र	463.85
2	अ. आरसीसी एमबीआर एवं सम्प	202.14
	ब. उच्च जलागार (ओवर हेड टैंक)	563.31
3	अ. क्लियर वाटर पंपिंग मेन	1235.76
	ब. रेल्वे रोड एवं केनाल क्रॉसिंग हेतु पाईप लाईन	249.42
	स. वाटर ग्रेविटी मेन	832.99
	द. बल्क फ्लो मीटर	62.76
4	अ. रॉ वाटर पंप	60.53
	ब. क्लियर वाटर पंप	191.98
5	अ. डिस्ट्रीब्यूशन पाईप लाईन	6954.39
6	अ. स्टाफ क्वार्टर	145.82
	ब. अन्य सिविल कार्य	243.29
7	अ. कंज्यूमर मीटर	1624.12
	योग	12866.17

परिशिष्ट "तीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 1526) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

कांकेर नगर/शहरी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति हेतु स्वीकृत पानी टंकी, निर्माण स्थल, निविदा आमंत्रण एवं कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी

क्र.	स्वीकृत पानी की टंकी (क्षमता कि.ली. में)	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	निर्माण स्थल	निविदा आमंत्रण की स्थिति	कार्य की अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	1100 कि.ली.	97.90	नया बस स्टेण्ड के पीछे	निविदा आमंत्रित कर नियमानुसार कार्य प्रारंभ	35% पूर्ण
2	1050 कि.ली.	94.50	अन्नपूर्णापारा मुक्तिधाम	निविदा आमंत्रित कर नियमानुसार कार्य प्रारंभ	70% पूर्ण
3	880 कि.ली.	57.236	आर.ई.एस. कालोनी	निविदा आमंत्रित की गई थी परंतु दर अधिक होने के कारण निविदा निरस्त की गई। पुनः निविदा आमंत्रित की जा रही है। कार्य प्रारंभ नहीं।	अप्रारंभ
4	660 कि.ली.	44.97	अलबेला पारा	निविदा आमंत्रित की गई थी परंतु दर अधिक होने के कारण निविदा निरस्त की गई। पुनः निविदा आमंत्रित की जा रही है। कार्य प्रारंभ नहीं।	अप्रारंभ

परिशिष्ट "इकतीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1541) की जानकारी]

**नगरीय प्रशासन विभाग में आवासीय अंकेक्षण व्यवस्था
की जानकारी**

क्रं.	नगरीय निकाय का नाम जिनमें आवासीय अंकेक्षण व्यवस्था लागू थी	अंतिम संपादित आवासीय अंकेक्षण का वर्ष
1	नगर पालिक निगम रायपुर	2007-08
2	नगर पालिका परिषद बीरगांव (वर्तमान में नगर निगम)	2007-08
3	नगर पालिका परिषद महासमुन्द	2007-08
4	नगर पालिका परिषद धमतरी (वर्तमान में नगर निगम)	2007-08
5	नगर पालिक निगम बिलासपुर	2007-08
6	नगर पालिका परिषद चांपा	2007-08
7	नगर पालिका परिषद जांजगीर	2007-08
8	नगर पालिका परिषद सक्ती	2007-08
9	नगर पालिक निगम अंबिकापुर	2007-08
10	नगर पालिक निगम चिरमिरी	2007-08
11	नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़	2007-08
12	नगर पालिक निगम दुर्ग	2007-08
13	नगर पालिक निगम भिलाई	2007-08
14	नगर पालिक निगम राजनांदगांव	2007-08
15	नगर पालिका परिषद भिलाई-चरोदा (वर्तमान में नगर निगम)	2007-08
16	नगर पालिका परिषद कुम्हारी	2007-08
17	नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा	2007-08
18	नगर पालिका परिषद बालोद	2007-08
19	नगर पालिका परिषद बेमेतरा	2007-08
20	नगर पालिका परिषद कवर्धा	2007-08
21	नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़	2007-08
22	नगर पालिका परिषद जामुल	2007-08
23	नगर पालिका परिषद खैरागढ़	2007-08

कं.	नगरीय निकाय का नाम जिनमें आवासीय अंकेक्षण व्यवस्था लागू थी	अंतिम संपादित आवासीय अंकेक्षण का वर्ष
24	नगर पंचायत धमघा	2007-08
25	नगर पंचायत थानखम्हरिया	2007-08
26	नगर पंचायत पाटन	2007-08
27	नगर पंचायत अहिवारा	2007-08
28	नगर पालिक निगम जगदलपुर	2007-08
29	नगर पालिका परिषद कांकेर	2007-08
30	नगर पालिका परिषद किरन्दुल	2007-08
31	नगर पालिका परिषद बडे-बचेली	2007-08
32	नगर पंचायत दंतेवाड़ा	2007-08
33	नगर पालिक निगम कोरबा	2007-08
34	नगर पालिक निगम रायगढ़	2007-08
35	नगर पालिका परिषद खरसिया	2007-08
36	नगर पंचायत सारंगढ़	2007-08

परिशिष्ट "बत्तीस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 1546) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार

अवधि दिनांक 1 जनवरी 2014 से 30/06/2015 तक

क्र.	भारतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र के थाना	अपराध शीर्ष				
		चोरी	हत्या	लूटपाट	महिला उत्पीड़न	योग
1	मनेन्द्रगढ़	12	8	2	26	48
2	झगराखण्ड	2	0	0	8	10
3	केल्हारी	9	1	0	8	18
4	जनकपुर	7	3	1	21	32
5	कोटाडोल	0	0	1	5	6
6	सोनहत	16	8	1	29	54
7	चरचा	1	0	0	3	4
8	पोंड़ी	10	2	5	29	46
योग		57	22	10	129	218

नोट:- विधानसभा भरतपुर-सोनहत क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 8 थाना क्षेत्रों में पड़ने वाले गांव आते हैं। विधानसभावार जानकारी बनाने हेतु इन थाना क्षेत्रों में इस विधानसभा क्षेत्र में शामिल गांव के अपराधों की जानकारी तैयार की गई है। भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले थानों में पड़ने वाले गांव की सूची निम्नानुसार है:-

क्र.	थाना	गांव की संख्या	क्र.	थाना	गांव की संख्या
1	मनेन्द्रगढ़	24	5	कोटाडोल	72
2	झगराखण्ड	3	6	सोनहत	102
3	केल्हारी	54	7	चरचा	2
4	जनकपुर	116	8	पोंड़ी	22

प्रपत्र "ब"

दिनांक 01 जनवरी 2014 से 30/06/2015 तक

क्र.	शीर्ष	प्रकरण	खात्मा	खारजी	गिरफ्तारी		चलान		फरार		विवेचना में	
					प्र.	आ	प्र.	आ	प्र.	आ	प्र.	आ.
01	चोरी	57	27	01	25	60	22	54	0	0	7	6
02	हत्या	22	01	0	21	27	18	24	0	0	3	3
03	लूटपाट	10	0	0	9	24	4	14	0	1	6	10
04	महिला उत्पीड़न	129	01	08	113	173	96	147	0	3	24	26
	योग	218	29	09	168	284	140	239	0	4	40	45

परिशिष्ट "तैतीस"

[परिवर्तित अतारणित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 1565) की जानकारी]

कोरिया एवं सरगुजा जिले में वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक कराये गये वृक्षारोपण की जानकारी

जिले का नाम	रोपण विवरण	वर्षवार रोपित पौधों की संख्या				योग
		2012-13	2013-14	2014-15		
1	2	3	4	5	6	
कोरिया	प्राकृतिक पुनरुत्पादन	-	-	-	-	
	शहरी क्षेत्रों में आक्सीजन	23200	24000	-	47200	
	ग्राम वन योजना	-	-	-	0	
	पर्यावरण वृक्षारोपण	20000	-	-	20000	
	औषधीय वृक्षारोपण	-	-	20000	20000	
	प्राचीन देव वन संरक्षण	-	-	-	0	
	नदीतट वृक्षारोपण (विभागीय)	-	77000	-	77000	
			101000	20000	121000	
	प्राकृतिक पुनरुत्पादन	265000	245000	272500	782500	
	शहरी क्षेत्रों में आक्सीजन	6600	-	11000	17600	
सरगुजा	ग्राम वन योजना	-	-	-	0	
	पर्यावरण वृक्षारोपण	-	-	10000	10000	
	औषधीय वृक्षारोपण	-	-	-	0	
	प्राचीन देव वन संरक्षण	-	-	-	0	
	नदीतट वृक्षारोपण (विभागीय)	-	-	-	0	
		27600	245000	203500	517600	
		34800	326000	316500	974300	

परिशिष्ट "चौतीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 1575) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वर्ष	सड़क का नाम	चिन्हांकित पेड़ों की संख्या	काटे गये पेड़ों की संख्या
2011-12	निरंक	निरंक	निरंक
2012-13	नारायणपुर-संबलपुर- नवागढ़-उमरिया मार्ग	2354	2275
	सिंघौरी से बेमेतरा बस स्टैण्ड पियर्स चौक तक	93	93
2013-14	बेमेतरा-चंदनू-मेहना मार्ग	366	366
	कुसमी से सिलतरा रोड	267	91
2014-15	सिमगा से कवर्धा मार्ग नेशनल हाईवे (बेमेतरा परिक्षेत्र)	682	360
	पठारीडीह से कोदवा रोड	1304	552
	सिमगा से कवर्धा मार्ग नेशनल हाईवे (साजा परिक्षेत्र)	588	0
2015-16 (30.06.15 तक)	निरंक	निरंक	निरंक
कुल योग :-		5654	3737

प्रपत्र "ब"

सड़क का नाम	काटे गये पेड़ों की प्रजाति	मजदूरी की संख्या	भुगतान की गई राशि
नारायणपुर – संबलपुर – नवागढ़ – उमरिया मार्ग	बबूल, गुलमोहर, महुआ, कहुआ, करही, नीम, अकेशिरया, प्लास, बेल, पेट्टाफार्म, पीपल, रिया, शिशु, बरगद, शिरस	24	452076.00
सिंघौरी से बेमेतरा बस स्टैण्ड पियर्स चौक	करंज, मुनगा, गश्ती, नीम, कनेर, बबूल, पीपल, शिशु, गुलमोहर, पेट्टाफार्म, अशोक, बरगद, प्रोसोपिस, नीलगिरी, गंगाईमली	15	88097.00
बेमेतरा – चंदनू – मेहना मार्ग	बबूल, बरगद, गश्ती, रिया, पीपल, नीम, शीशम, नीलगिरी, शुबबूल, प्लास, जामुन, आम, बेर, बेल	10	217625.00
कुसमी से सिलतरा रोड	बबूल	8	62000.00
सिमगा से कवर्धा मार्ग नेशनल हाईवे (बेमेतरा परिक्षेत्र)	बबूल, शिशु, शिरस, नीलगिरी, नीम, गश्ती, करंज, बहेरा, कहुआ, मुन्डी	20	वृक्ष कटाई कार्य प्रगति पर है। भुगतान हेतु प्रमाणक अप्राप्त है।
पठारीडीह से कोदवा रोड	रिया, शिरस, बबूल	36	425802.00
सिमगा से कवर्धा मार्ग नेशनल हाईवे (साजा परिक्षेत्र)	कार्य प्रगति पर है।		
कुल योग :-		113	1245600.00

प्रपत्र "स"

संकेत	वर्ग	पैड़ों का परिवहन	परिवहन राशि	वाहन	वाहन मालिक का नाम
नाजयणपुर - सखनपुर - नवागढ़ -- उपरिया मार्ग	नादघाट डिपो काष्ठदागार	परिक्षेत्र सहायक नवागढ़ के माध्यम से	120062.00	सी.जी. 04/जे.बी. 8003 माजदा, सी.जी. 04/जे. 7304 माजदा, सी.जी. 04/बी. 2401 माजदा	श्री राजकुमार सोनी सिमगा
सिंघौरी से बेमेतरा बस स्टैण्ड पियर्स चौक	बेमेतरा डिपो	परिक्षेत्र सहायक बेमेतरा के माध्यम से	5325.00	सी.जी. 04/जे.बी. 4338	श्री डोंगरहाराम साहू, कुरुसबोर्ड
				शासकीय वाहन क. सी.जी. 02/5364	वन विभाग, बेमेतरा
बेमेतरा - चंदनू - मेहना मार्ग	बेमेतरा डिपो	परिक्षेत्र सहायक बेमेतरा के माध्यम से	37049.00	सी.जी. 04/जे.बी. 8003 माजदा, सी.जी. 04/जे. 8499 माजदा, सी.जी. 04/जे.बी. 7304 माजदा	श्री राजकुमार सोनी सिमगा
सिमगा से कवर्धा मार्ग नेशनल हाईवे (बेमेतरा परिक्षेत्र)	बेमेतरा डिपो	परिक्षेत्र सहायक बेमेतरा के माध्यम से	परिवहन कार्य प्रगति पर है।	सी.जी. 04/जे.बी. 8003 माजदा, सी.जी. 04/जे. 8499 माजदा, सी.जी. 04/जे.बी. 7304 माजदा	श्री राजकुमार सोनी सिमगा
कुसमी से सिलतरा रोड	बेरला डिपो	परिक्षेत्र सहायक बेरला एवं साजा के माध्यम से	25000.00	यू.पी. 54/ए/7729	श्री थानूराम, श्री खेलावन राम तारालीन
पठारीडीह से कोदवा रोड	बेरला डिपो	परिक्षेत्र सहायक बेरला एवं साजा के माध्यम से	परिवहन कार्य प्रगति पर है।	1. सी.जी. 04/जेड.बी./0704 2. सी.जी. 04/सी./1343 3. सी.जी. 04/जेड.बी./1809 4. सी.जी. 04/जे.डी./7292 5. सी.जी. 07/जेड.बी./0127	श्री थानूराम वर्मा तारालीन श्री दिलीप जैन धमधा श्री रामदेव ताम्रकार धमधा श्री नंदकिशोर ठाकुर राखी जोबा श्री महेश साहू देवरी
सिमगा से कवर्धा मार्ग नेशनल हाईवे (साजा परिक्षेत्र)	बेरला डिपो	परिक्षेत्र सहायक बेरला एवं साजा के माध्यम से	कटाई कार्य प्रगति पर है।		कार्य प्रगति पर है।
कुल योग :-			187436.00		

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "पैंतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 69) के भाग (ख) की जानकारी]

जांजगीर-चांपा जिले में पूर्ण नलजल योजनाओं में से बंद योजनाओं की जानकारी

क्र.	बंद नलजल योजना के ग्राम का नाम	विकास खण्ड	योजना बंद होने का कारण क्या गुणवत्ता खराब होना है	योजना के बंद होने का कारण	योजना ग्राम पंचायत को हस्तांतरित हां या नहीं
1	2	3	4	5	6
1	तालदेवरी	बम्हनीडीह	नहीं	03 नग विद्युत पोल गिर जाने के कारण थ्री-फेस लाईन बंद है।	हां
2	धाराशिव	नवागढ़	नहीं	योजना पुरानी एवं जीर्ण-शीर्ण हो गई है।	हां
3	कुटुरा	नवागढ़	नहीं	मोटर पंप खराब है।	हां
4	कुथुर	नवागढ़	नहीं	मोटर पंप खराब है।	हां
5	खोखसा	नवागढ़	नहीं	स्रोत असफल	हां
6	लोडसरा	नवागढ़	नहीं	मोटर पंप खराब है।	हां
7	बनारी	नवागढ़	नहीं	पंप खराब एवं थ्री-फेस विद्युत प्रवाह नहीं।	हां
8	मुनुंद	नवागढ़	नहीं	पंप चोरी हो गया है एवं थ्री-फेस विद्युत प्रवाह नहीं।	हां
9	भडेसर	नवागढ़	नहीं	मोटर पंप खराब तथा पंपिंगमेन एवं जल वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त है।	हां
10	अमोरा	नवागढ़	नहीं	पावर पंप जल जाने से।	हां
11	अतरीद	नवागढ़	नहीं	पावर पंप खराब तथा राईजिंगमेन का 70 मीटर पाईप चोरी हो गया है।	हां
12	महंत	नवागढ़	नहीं	स्रोत भरने-पटने से पंप फंस गया है।	हां
13	सिकुड़	नवागढ़	नहीं	जल वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गई है।	हां
14	रोगदा	नवागढ़	नहीं	मोटर पंप खराब एवं पाईप लाईन क्षतिग्रस्त	हां
15	पहिदा	नवागढ़	नहीं	स्रोत असफल	हां
16	हुटपुरा	नवागढ़	नहीं	स्रोत भर-पट कर पंप फंस गया है।	हां
17	पौना	अकलतरा	नहीं	योजना जीर्ण-शीर्ण हो गई है।	हां
18	झलमला	अकलतरा	नहीं	योजना जीर्ण-शीर्ण हो गई है।	हां
19	अजुनी	अकलतरा	नहीं	पावर पंप खराब एवं पैनल बोर्ड चोरी हो गया है।	हां
20	खटोला	अकलतरा	नहीं	स्रोत असफल	हां
21	पकरिया (झू)	अकलतरा	नहीं	पावर पंप खराब।	नहीं
22	लक्षनपुर	बलौदा	नहीं	थ्री-फेस लाईन की उपलब्धता नहीं एवं केबल वायर चोरी हो गया है।	नहीं
23	कुरदा	बलौदा	नहीं	ए.सी.पी. पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होकर कांकीट में दब गई है एवं पावर पंप खराब।	हां
24	खिसोरा	बलौदा	नहीं	योजना पुरानी एवं जीर्ण-शीर्ण हो गई है।	हां
25	औराईकला	बलौदा	नहीं	थ्री-फेस लाईन की उपलब्धता नहीं।	नहीं
26	डोंगाकोहरौद	पामगढ़	नहीं	पावर पंप खराब।	हां

क्र.	बंद नलजल योजना के ग्राम का नाम	विकास खण्ड	योजना बंद होने का कारण क्या गुणवत्ता खराब होना है	योजना के बंद होने का कारण	योजना ग्राम पंचायत को हस्तांतरित हां या नहीं
1	2	3	4	5	6
27	ससहा	पामगढ	नहीं	पावर पंप खराब एवं पाईप लाइन क्षतिग्रस्त।	हां
28	बरपालीकला	सक्ती	नहीं	योजना जीर्ण-शीर्ण हो गई है एवं ट्रांसफार्मर चोरी हो गया है।	हां
29	बाराद्वार (ब)	सक्ती	नहीं	पावर पंप खराब।	हां
30	ओडेकेरा	जैजैपुर	नहीं	राईजिंगमेन लिकेज होने के कारण।	हां
31	सेन्दुरस	जैजैपुर	नहीं	जल आवक क्षमता कम होने के कारण।	हां
32	चिखलरौदा	जैजैपुर	नहीं	जल आवक क्षमता कम होने के कारण।	हां
33	धिवरा	जैजैपुर	नहीं	पाईप लाइन बिछाये जाने के बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा नाली निर्माण के कारण पाईप लाइन पुनः क्षतिग्रस्त कर दी गई है।	हां
34	कैथा	जैजैपुर	नहीं	रोड चौड़ीकरण के कारण पाईप लाइन क्षतिग्रस्त एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी भी नाली निर्माण कराया जाना है।	हां
35	सुखदा	डभरा	नहीं	थ्री-फेस लाइन की उपलब्धता नहीं।	हां
36	फगुरम	मालखरौदा	नहीं	स्रोत असफल	हां
37	सकरा	मालखरौदा	नहीं	थ्री-फेस लाइन की उपलब्धता नहीं।	हां
38	बड़ेरबेली	मालखरौदा	नहीं	ट्रांसफार्मर खराब।	हां
39	पिहरीद	मालखरौदा	नहीं	स्रोत भरने-पटने से पंप फंस गया है।	हां

परिशिष्ट "छत्तीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 70) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

अवैध शराब विक्रय की शिकायत की जानकारी

क्र.	जिला	वर्ष 2015 में प्राप्त अवैध शराब विक्रय के शिकायतों की जानकारी
1	2	3
1	स.उ.द. रायपुर	7
2	स.उ.द. बिलासपुर	19
3	स.उ.द. बस्तर	7
04	रायपुर	85
08	बलौदाबाजार	63
06	गरियाबंद	19
07	दुर्ग	62
08	बालोद	11
09	बेमेतरा	28
10	महासमुंद	49
11	धमतरी	21
12	कबीरधाम	7
13	राजनांदगांव	57
14	बिलासपुर	34
15	मुंगेली	35
16	रायगढ़	21
17	जांजगीर चांपा	61
18	कोरबा	16
19	सरगुजा	21
20	बलरामपुर	4
21	सूरजपुर	11
22	कोरिया	8
23	जशपुर	9
24	उ.ब.कांकेर	17
25	बस्तर	4
26	नारायणपुर	0
27	कोण्डागांव	10
28	द.ब.दन्तेवाड़ा	0
29	बीजापुर	1
30	सुकमा	0

प्रपत्र "ब"

अवैध शराब विक्रय रोकथाम के लिए जगदलपुर

क्र.	जिला	कंट्रोल रूम का नाम	कंट्रोल रूम का नंबर	दिनांक प्रारंभ से प्राप्त सूचनाओं की संख्या
1	2	3	4	5
01	रा.उ.द. रायपुर	कार्यालय आबकारी आयुक्त छ.ग. रायपुर	0771-2970141	0
02	स.उ.द. रायपुर	संभागीय उड़नदस्ता रायपुर संभाग	0771-4263322	24
03	स.उ.द. बिलासपुर	संभागीय उड़नदस्ता बिलासपुर संभाग	07752-221411	19
04	स.उ.द. बस्तर	संभागीय उड़नदस्ता बस्तर संभाग	07782-231040	0
05	रायपुर	कंट्रोल रूम सिविल लाईन रायपुर	0771-2428201	55
06	बलौदाबाजार	कंट्रोल रूम बलौदाबाजार-भाटापारा	07727-223587	63
07	गरियाबंद	कंट्रोल रूम गरियाबंद	9179222791	88
08	दुर्ग	कंट्रोल रूम दुर्ग कंट्रोल रूम जिला कार्यालय कंट्रोल रूम भिलाई	0788-2325836 0788-2323769 0788-2278648	17
09	बालोद	कंट्रोल रूम बालोद	07749-223908	2
10	बेमेतरा	कंट्रोल रूम बेमेतरा	07824-222038 07824-206011	20
11	महासमुंद	कंट्रोल रूम बरोन्डा चौक महासमुंद	07723-223317	23
12	धमतरी	कंट्रोल रूम धमतरी	07722-232723	0
13	कबीरधाम	कंट्रोल रूम कबीरधाम	07741-233914	18
14	राजनांदगांव	कंट्रोल रूम राजनांदगांव	07744-224817	19
15	बिलासपुर	कंट्रोल रूम बिलासपुर	07752-235160	16
16	मुंगेली	कंट्रोल रूम मण्डी परिसर मुंगेली कंट्रोल रूम लोरमी कंट्रोल रूम मुंगेली	07755-264156 9425544480 07755-264118	47
17	रायगढ़	कंट्रोल रूम रायगढ़	07762-225204	65
18	जांजगीर चांपा	कंट्रोल रूम जांजगीर चांपा	07819-222985	5
19	कोरबा	कंट्रोल रूम कोरबा	07759-247015	65
20	सरगुजा	कंट्रोल रूम सरगुजा	07774-222013	62
21	बलरामपुर	कंट्रोल रूम बलरामपुर	07831-273110	4
22	सूरजपुर	कंट्रोल रूम सूरजपुर	07775-205213	11
23	कोरिया	कंट्रोल रूम बैकुण्ठपुर	07836-232199	2
24	जशपुर	कंट्रोल रूम जशपुर	7587227012	2
25	उ.ब.कांकेर	कंट्रोल रूम राजापारा कांकेर	07868-241393	2
26	बस्तर	कंट्रोल रूम जगदलपुर	07782-237799	0

27	नारायणपुर	कंट्रोल रूम नारायणपुर	9407630543	0
28	कोण्डागाव	कंट्रोल रूम कोण्डागाव	07786-242481 07786-242181	0
29	द ब दन्तेवाडा	कंट्रोल रूम दन्तेवाडा	7587213280	0
30	बीजापुर	कंट्रोल रूम बीजापुर	7587337173	0
31	सुकमा	कंट्रोल रूम सुकमा	9406207909	0

परिशिष्ट "सैंताम"

[अतारोक्त प्रश्न संख्या 05 (क्र. 249) को जानकारी]

जिला कोण्डागांव के थाना/चौकी में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पुलिस बल की जानकारी 01 अप्रैल 2015 की स्थिति में

क्र.	थाना/चौकी	स्वीकृत										कार्यरत										रिक्त								
		कुल	पुलिस	सहायक	प्रभार	कुल	पुलिस	सहायक	प्रभार	कुल	पुलिस	सहायक	प्रभार	कुल	पुलिस	सहायक	प्रभार	कुल	पुलिस	सहायक	प्रभार	कुल	पुलिस	सहायक	प्रभार					
1	कोण्डागांव	1	2	2	6	43	51	1	5	4	6	31	47	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	9	9			
2	मदापाल	1	2	7	8	50	65		1	2	2	34	36	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	6	26			
3	फरसगांव	1	2	4	8	50	65	1	2	4	7	30	44	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	1	20	21			
4	केशकाल	1	2	2	5	40	50		2	4	5	41	52	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	1			
5	धनोरा	1	2	2	5	40	50		2	2	2	21	27	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	3	19	23		
6	बड़ेडोंगर	1	4	4	16	65	90		2	2	3	20	27	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	2	13	45	63		
7	साकड़ी	1	2	2	6	40	51		2	2	5	26	35	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	1	14	16			
8	विश्रामपुरी	1	2	4	8	40	55	1	1	3	5	24	34	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	1	1	3	16	21	
9	बयानार	1	6	10	16	70	103		1	4	8	37	50	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	5	6	8	33	53	
10	ईरागांव	1	6	10	16	70	103		2	4	2	23	31	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	4	6	14	47	72	
11	चौकी बांसकोट	0	1	2	3	15	21		1	2	1	20	24	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	2		
12	कोनगुड	1	6	10	16	70	103							रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	1	6	10	16	70	103
13	कुदूर	1	2	4	8	50	65							रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	रिक्त नहीं	1	2	4	8	50	65
	योग	12	39	60	121	640	872	3	21	33	46	307	410	9	21	31	339	475												

नोट:- 1. थाना कोण्डागांव में 03-उ.नि., 02-स.उ.नि., थाना केशकाल में 02-स.उ.नि., 01 आरसक एवं पुलिस

चौकी बांसकोट में 05-आरसकों का संख्याधिक बल पदस्थ है।

2. कोनगुड (उरदाबेड़ा) एवं कुदूर (पुंगारपाल) पुलिस थाना/चौकी अप्रारंभ है।

परिशिष्ट "अड़तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 250) की जानकारी]

कोण्डागांव जिले के अंतर्गत आने वाले सभी घाने में हत्या, चोरी, डकैती, लुटपाट के दर्ज प्रकरणों की वर्षवार जानकारी

जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार-

क्रमांक	घाना	वर्ष	हत्या,	चोरी	डकैती,	लुटपाट
1	कोण्डागांव	01.01.2015 से 20.06.2015	0	15	0	0
		01.01.2014 से 31.12.2014	6	19	0	0
		01.01.2013 से 31.12.2013	5	14	0	1
2	मर्दापल	01.01.2015 से 20.06.2015	1	0	2	0
		01.01.2014 से 31.12.2014	6	4	1	0
		01.01.2013 से 31.12.2013	1	1	0	0
3	माकडी	01.01.2015 से 20.06.2015	0	1	0	0
		01.01.2014 से 31.12.2014	4	1	0	0
		01.01.2013 से 31.12.2013	4	3	0	0
4	बयानार	01.01.2015 से 20.06.2015	0	1	0	0
		01.01.2014 से 31.12.2014	0	0	0	0
		01.01.2013 से 31.12.2013	0	0	0	1
5	फरसगांव	01.01.2015 से 20.06.2015	4	6	0	0
		01.01.2014 से 31.12.2014	3	14	0	0
		01.01.2013 से 31.12.2013	3	3	1	0
6	धनोरा	01.01.2015 से 20.06.2015	0	1	2	0
		01.01.2014 से 31.12.2014	3	0	0	0
		01.01.2013 से 31.12.2013	3	0	0	0
7	ईरागांव	01.01.2015 से 20.06.2015	0	0	1	0
		01.01.2014 से 31.12.2014	0	0	0	0
		01.01.2013 से 31.12.2013	2	0	0	0
8	बडेडोंगर	01.01.2015 से 20.06.2015	1	0	0	0
		01.01.2014 से 31.12.2014	2	2	0	0
		01.01.2013 से 31.12.2013	1	0	0	0
9	केसकाल	01.01.2015 से 20.06.2015	0	8	0	0
		01.01.2014 से 31.12.2014	7	24	0	2
		01.01.2013 से 31.12.2013	4	4	1	0
10	विश्रामपुरी	01.01.2015 से 20.06.2015	2	3	0	0
		01.01.2014 से 31.12.2014	2	6	1	0
		01.01.2013 से 31.12.2013	4	3	0	0
योग		01.01.2015 से 20.06.2015	8	35	5	0
		01.01.2014 से 31.12.2014	33	70	2	2
		01.01.2013 से 31.12.2013	27	28	2	2
महायोग			68	133	9	4

परिशिष्ट "उनचालीस"

[अतिरिक्त प्रश्न संख्या 07 (क्र. 332) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

वित्तीय वर्ष 2014-15 में संयंत्रों द्वारा सीएसटीआर में प्रारंभिक एवं लघु शक्ति

क्र.	उद्योग का नाम	प्रारंभिक शक्ति	कवाइटर (प्रारंभिक) द्वारा उद्योग की गई शक्ति	उद्योग की गई शक्ति		शक्ति का प्रतिशत	शक्ति का प्रतिशत
				शक्ति का प्रतिशत	शक्ति का प्रतिशत		
1	मि. अलुवुजा सीमेंट लिमिटेड, रवाना	35,445,000.00	Nil	30,622,060.00	30,622,060.00	98.88	1.12
2	मि. लोपानाई सीमेंट लिमिटेड, सातवाडी	45,529,954.00	Nil	45,529,954.00	45,529,954.00	67	33
3	मि. अलुवुजा सीमेंट लिमिटेड, इरवली	15,353,000.00	Nil	15,240,000.00	15,240,000.00	100	0
4	मि. अलुवुजा (भारतीय) सीमेंट लिमिटेड, रवाना	24,600,000.00	Nil	25,320,000.00	25,320,000.00	100	0
5	मि. श्री सीमेंट लिमिटेड, सातवाडी	रूप 2014-15 में कार्यालय निर्माण/अवधि में होने से शक्ति का 9961788.00 प्रतिशत किया गया।	Nil	9,261,788.00	9,261,788.00	92.44	7.56
6	मि. रवाना सीमेंट लिमिटेड, इरवली	इकाई निर्माण में तथा शक्ति का 6297595.00 कार्य किया गया।	Nil	6,297,695.00	6,297,695.00	98.10	1.90

परिशिष्ट "चालीस"

[अतिरिक्त प्रश्न संख्या 08 (क्र. 351) के भाग (क) एवं (ख) को जानकारी]

प्रपत्र "अ"

(आंकड़े करोड़ों में)

क्र.	सीमेंट कंपनी का नाम	वाणिज्यिक कर एवं प्रवेश कर की राशि, जो बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित सीमेंट उत्पादक इकाइयों से वसूल की जानी थी।			योग
		वर्ष	वाणिज्यिक कर	प्रवेश कर	
1	लाफार्ज इण्डिया प्रा. लि. सोनडीह, टिन- 22652501303	2013-14	43.48	13.46	56.94
		2014-15	46.78	26.64	73.42
		2015-16 (माह जून तक)	10.19	6.42	16.61
2	अम्बुजा सीमेंट लि. खान, टिन- 22472501111	2013-14	42.52	12.07	54.59
		2014-15	51.27	27.81	79.08
		2015-16 (माह जून तक)	11.02	7.66	18.68
	योग		205.26	९4.06	299.32

क्र.	सीमेंट कंपनी का नाम	वाणिज्यिक कर एवं प्रवेश कर की राशि, जो बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित सीमेंट उत्पादक इकाइयों से वसूल की जा चुकी है।			योग
		वर्ष	वाणिज्यिक कर	प्रवेश कर	
1	लाफार्ज इण्डिया प्रा. लि. सोनडीह, टिन- 22652501303	2013-14	43.48	13.46	56.94
		2014-15	46.78	26.64	73.42
		2015-16 (माह जून तक)	10.19	6.42	16.61
2	अम्बुजा सीमेंट लि. रवान टिन- 22472501111	2013-14	42.52	12.07	54.59
		2014-15	51.27	27.81	79.08
		2015-16 (माह जून तक)	11.02	7.66	18.68
	योग		205.26	94.06	299.32

परिशिष्ट "इकचालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 600) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

अनु क्र.	अवधि	हितग्राही / कृषक संख्या	प्रजाति	रोपण हेतु प्रदायित पौधों की संख्या	दर प्रति पौधा (रूपये में)	रिमार्क
1	वर्ष 2013-14 से 20 जुलाई 2015	20	नीलगीरी	41965	4.93	वर्ष 2014-15 में रोपण किया गया है।

प्रपत्र "ब"

हितग्राही /कृषकों संख्या	हितग्राहियों को जीवित पौधों के रखरखाव हेतु अनुदान की वितरित राशि (रूपये में)	हितग्राहियों को रोपण से संबंधित अन्य कार्यों यथा, (स्टेकिंग ,रोपण,कीटनाशक / खाद , निंदाई एवं गुड़ाई आदि) के एवज में भुगतान की गई राशि(रूपये में)	रिमार्क
20	निरंक	1,88,843	रोपण के द्वितीय वर्ष में जीवित पौधों के आधार पर वर्ष 2015-16 में पौधों के रखरखाव हेतु प्रति जीवित पौधा 1/- के हिसाब से हितग्राही को अनुदान वितरित किया जायेगा ।

परिशिष्ट "बयालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 654) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

अवधि वर्ष 2014-15 से जून 2015 तक

क्र.	जिला	मानव तस्करी से पीड़ित बच्चों की संख्या		योग	मुक्त कराये गये बच्चों की संख्या		योग
		बालक	बालिका		बालक	बालिका	
1	रायपुर	0	1	1	0	1	1
2	धमतरी	0	0	0	0	0	0
3	महासमुंद	0	0	0	0	0	0
4	बलौदाबाजार	0	0	0	0	0	0
5	गरियाबंद	0	0	0	0	0	0
6	डुर्ग	0	0	0	0	0	0
7	राजनांदगाँव	0	0	0	0	0	0
8	कबीरघाम	0	0	0	0	0	0
9	बेमेतरा	0	0	0	0	0	0
10	बालोद	1	0	1	1	0	1
11	बिलासपुर	0	0	0	0	0	0
12	रायगढ़	0	3	3	0	2	2
13	कोरबा	0	5	5	0	5	5
14	जांजगीर-चांपा	0	0	0	0	0	0
15	मुंगेली	0	0	0	0	0	0
16	सरगुजा	3	0	3	3	0	3
17	जशपुर	8	5	13	7	2	9
18	कोरिया	0	0	0	0	0	0
19	बलरामपुर	1	5	6	1	5	6
20	सूरजपुर	0	0	0	0	0	0
21	जगदलपुर	1	5	6	1	5	6
22	दंतेवाड़ा	1	5	6	1	5	6
23	झंकेर	12	1	13	12	1	13
24	नारायणपुर	0	5	5	0	5	5
25	बीजापुर	0	1	1	0	1	1
26	सुकमा	0	0	0	0	0	0
27	कोण्डागाँव	6	2	8	5	2	7
28	रेल, रायपुर	2	0	2	2	0	2
	योग	35	38	73	33	34	67

प्रपत्र "ब"

बच्चों की तस्करी रोकने हेतु किये जा रहे प्रयासों की जानकारी

छत्तीसगढ़ प्रदेश में विशेषकर प्रदेश के उत्तरी अंचल के जिलों में नाबालिग बालिकाओं को गृहकार्य हेतु महानगरों में बहला-फुसलाकर एवं प्रलोभन देकर ले जाने की अनेक घटनायें प्रकाश में आयी हैं। जांच से यह पता चला है कि पीड़ित परिवार के परिचितों अथवा रिश्तेदारों के द्वारा नई दिल्ली स्थित प्लेसमेंट एजेंसियों के एजेंटों के माध्यम से अधिकांश बालिकायें दिल्ली एवं उसके आसपास के नगरों में भेजी जाती हैं। हाल के वर्षों में मानव तस्करी की घटनाएँ जिला जशपुर में अधिक परिलक्षित हुई हैं। पुलिस के द्वारा इन प्लेसमेंट एजेंसियों के मालिकों एवं एजेंटों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गयी है। राज्य में विगत तीन वर्षों में 23 प्रकरणों में 15 प्लेसमेंट एजेंसी के संचालकों एवं 25 प्रकरणों में 35 अन्य स्थानीय एजेंटों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ में मानव दुर्व्यापार के डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप की सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वर्ष 2008 से जून 2015 तक मानव तस्करी के कुल 280 प्रकरण पंजीबद्ध कर 926 पीड़ितों में से 895 पीड़ितों को बरामद किया गया है। कुल 496 आरोपियों की गिरफ्तारी सहित कुल 519 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार, केन्द्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा पर अंतर्राज्यीय सीमाओं से लगे जिले एवं जिन जिलों से अच्छे रोजगार की तलाश में बाहर जाने की सूचना मिली है उन जिलों में मानव तस्करी निरोधक इकाई (एन्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट) स्थापित की गई है। वर्ष 2010-11 में 04 जिला क्रमशः जशपुर, सरगुजा, कोरबा एवं रायगढ़ तथा वर्ष 2011-12 में पुनः 04 नवीन जिले क्रमशः बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, महासमुन्द एवं बलौदा बाजार को एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट के रूप में चयनित कर नामांकित किया गया। पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि वर्ष 2010-11 में 30 लाख 32 हजार रुपये एवं वर्ष 2011-12 में पुनः 30 लाख 32 हजार की राशि स्वीकृत होने पर उपरोक्त 08 एन्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट को बोलेरो वाहन, मोटर सायकिल एवं अन्य संसाधन, डिजिटल कैमरा, टेलीफोन, प्रोजेक्टर, वीडियो कैमरा, फर्नीचर आदि उपलब्ध कराया गया है।

पीड़ितों को छुड़ाने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग एवं गृहमंत्रालय, भारत शासन द्वारा इस हेतु बजट का प्रावधान किया गया है। राज्य के बजट वर्ष 2015-16 में मानव तस्करी के कार्य के लिए पृथक पद पुलिस रेंज सरगुजा एवं बस्तर हेतु क्रमशः 10-10 कुल 20 पद स्वीकृत किये गये हैं। इसी प्रकार राज्य के 06 जिलों क्रमशः रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ में महिला अपराध अन्वेषण इकाई की स्थापना करते हुए 90 पदों की स्वीकृति दी गई है। इन अन्वेषण इकाईयों द्वारा मानव तस्करी एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराध की प्रमुखता से विवेचना की जावेगी।

इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के शेष जिलों को एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग सेल के रूप में कार्य करने हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर से निर्देश प्रसारित किये गये हैं। समस्त पुलिस अधीक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार गुम बच्चों के ऐसे प्रकरण जो अपराध दर्ज करने के 120 दिन पश्चात भी बरामद नहीं हो सके हैं। ऐसे प्रकरणों में गुम बच्चों के मानव तस्करी से पीड़ित होने की उपधारणा पर गंभीर प्रकरण मानते हुए विवेचना करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी समस्त एडवाइजरी नोट, विवेचना के एस.ओ.पी., रेसक्यू (बचाव) ऑपरेशन के बाद की प्रक्रिया एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों को यथा समय प्रेषित कर आवश्यक मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

इस विषय में पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को अधिक संवेदनशील बनाने हेतु एवं अन्य स्टेक होल्डर यथा महिला बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, जिला अभियोजन अधिकारी, न्यायिक अधिकारियों एवं विभिन्न एनजीओ (गैर सरकारी संस्था) में सामंजस्य स्थापित कर प्रशिक्षण कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। संबंधित अन्य विभागों एवं गैर सरकारी संस्था के मध्य उचित सामंजस्य स्थापित करने हेतु पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2011 से अब तक 01 अंतर्राज्यीय कार्यशाला, 03 राज्य स्तरीय कार्यशाला एवं जिला स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जाकर अभी तक राज्य के करीब 6350 पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को इस विषय में प्रशिक्षित कराया जा चुका है। सभी जिला इकाईयों में 05 प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिये गये हैं। पुलिस अकादमी, चंदखुरी एवं विभिन्न पीटीएस में प्रशिक्षणार्थी, अधिकारी/कर्मचारियों को भी इस संवेदनशील विषय की जानकारी एवं विवेचना के तकनीकी का ज्ञान कराये जाने हेतु इस विषय को प्रशिक्षण में शामिल किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 06 अक्टूबर 2013 को ज्यूडिशियल अकादमी बिलासपुर के सहयोग से हाईकोर्ट, बिलासपुर में "ज्यूडिशियल कोलोक्यूम" का आयोजन किया गया है जिसमें माननीय न्यायाधिपति उच्च न्यायालय एवं जिला स्तरीय न्यायिक अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों, महिला बाल विकास विभाग, श्रम विभाग एवं विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं द्वारा भागीदारी निभाई गई।

दिनांक 09 जून 2015 को गुम बच्चों को खोजने हेतु चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन मुस्कान" के अंतर्गत पुलिस ट्रेजिडि मेस, रायपुर में एक दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें राज्य के 65 अति. पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर के नोडल अधिकारी, डाटा एन्ट्री ऑपरटर सम्मिलित हुए। इस सेमिनार में गुम बच्चों की बरामदगी के प्रयास, पोक्सो एक्ट एवं मानव तस्करी विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। मानव तस्करी के समस्या पर उच्च न्यायालय द्वारा इस विषय पर स्वयं संज्ञान लेते हुए दिनांक 13 एवं 14 जून 2015 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर, राज्य शासन एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में मानव तस्करी विषय पर दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें देश भर से ख्याति प्राप्त इस विषय के विशेषज्ञ उड़ीसा, झारखण्ड, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण, उच्च न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं राज्य के 25 पुलिस अधिकारी सहित कुल 160 अधिकारी सम्मिलित हुए।

नगर रक्षा समितियों एवं ग्राम रक्षा समितियों को भी सामुदायिक पुलिसिंग की दिशा में जागरूक किया जा रहा है। गुमशुदा की पता-तलाश एवं खोज-बीन हेतु ग्राम पंचायत, गैर शासकीय संस्था के साथ तालमेल कर उनका सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। मानव तस्करी एवं गुम इंसान के प्रकरणों के बरामदगी स्तर उच्चतर करने हेतु सामुदायिक पुलिस कैम्प, चलित थाने, ग्राम रक्षा समिति की बैठक एवं ग्राम सभा का आयोजन करने के निर्देश दिये गये हैं ताकि अच्छे रोजगार की तलाश के बहकावे में आकर युवा पीढ़ी बाहर न जावे।

इसके अलावा राज्य के 42 पुलिस अधिकारियों को इंदिरा गंधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित "एन्टी ह्यूमेन ट्रेफिकिंग सर्टिफिकेट कोर्स" हेतु नामांकित किया गया है।

छत्तीसगढ़, देश के उन अग्रणी राज्यों में जिसने प्लेसमेंट एजेंसी के कार्यों के प्रभावी रूप से नियमन एवं नियंत्रण के लिए कानून बनाने की दिशा में पहल की है। राज्य में "छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2013" कानून के रूप में लागू किया गया है। यह अधिनियम के छ.ग राज्य में प्रायवेट प्लेसमेंट एजेंसी के कार्यों के साथ-साथ कुछ हद तक स्वेच्छक पलायन को भी नियंत्रित करने में मददगार साबित होगा। "छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2013" शासन की इसी मंशा का मूर्तरूप है।

मानव तस्करी संबंधी शिकायत यहाँ तक अखबार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी तथ्य संज्ञान में आने पर पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये संबंधित आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है।

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2013-14 में क्रय की गई सामग्री का विवरण

स.क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा	प्रदायकर्ता एजेंसी के नाम, पता
01.	32 मि.मी.व्यास नामीनल बोर (एनबी) मिडियम क्लास जी.आई.राईजर पाईप	499 मेट्रिक टन	1. मेसर्स पी.एस.स्टील ट्यूब्स लिमिटेड 27, आकाशगंगा काम्प्लेक्स भिलाई 490023 2. मेसर्स चेतन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, प्लॉट नं-439/22 एवं 439/657 उरला सरोरा रोड, इण्डस्ट्रियल एरिया, रायपुर 493221 3. मेसर्स कृष्णा आयरन स्टील्स एण्ड ट्यूब्स प्राय.लिमि., 821-ए सरोरा, उरला इण्डस्ट्रियल एरिया, रायपुर (छ.ग.)
02.	50 मि.मी.व्यास नामीनल बोर (एनबी) मिडियम क्लास जी.आई.राईजर पाईप	14 मेट्रिक टन	1. मेसर्स कृष्णा आयरन स्टील्स एण्ड ट्यूब्स प्राय.लिमि., 821-ए सरोरा, उरला इण्डस्ट्रियल एरिया, रायपुर (छ.ग.) 2. मेसर्स चेतन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, प्लॉट नं-439/22 एवं 439/657 उरला सरोरा रोड, इण्डस्ट्रियल एरिया, रायपुर 493221
03.	100 मि.मी.व्यास नार्मल डाय मिडियम क्लास जी.आई.केसिंग पाईप	110 मेट्रिक टन	मेसर्स पी.एस.स्टील ट्यूब्स लिमिटेड 27, आकाशगंगा काम्प्लेक्स भिलाई 490023
04.	125 मि.मी.व्यास नार्मल डाय मिडियम क्लास जी.आई.केसिंग पाईप	1312 मेट्रिक टन	मेसर्स पी.एस.स्टील ट्यूब्स लिमिटेड 27, आकाशगंगा काम्प्लेक्स भिलाई 490023
05.	150 मि.मी.व्यास नार्मल डाय मिडियम क्लास जी.आई.केसिंग पाईप	1602 मेट्रिक टन	मेसर्स पी.एस.स्टील ट्यूब्स लिमिटेड 27, आकाशगंगा काम्प्लेक्स भिलाई 490023
06.	125 मि.मी.व्यास यू.पी.वी.सी.केसिंग पाइप सी.एम.टाईप	25876 मीटर 19135 मीटर 31229 मीटर 1188 मीटर	1. मेसर्स कालेश एप्रोटेक, 890 सेक्टर-डी, उरला इण्डस्ट्रियल एरिया सरोरा रायपुर 2. मेसर्स सरगुजा राईप प्राय.लिमि., पुराना सेल्स टैक्स ऑफिस के पास, अम्बिकापुर सरगुजा-497001 3. मेसर्स गौतम प्लास्टिक्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, 32बी/21बी 1, तिरफा इण्डस्ट्रियल इस्टेट, दिलासपुर मत्तीसागढ़ 4. मेसर्स महालक्ष्मी मोल्डस प्राय.लिमि., प्लॉट नं-13, इण्डस्ट्रियल एरिया, मनपुरी रायपुर छ.ग.

सं.क.	सामग्री का नाम	मात्रा	प्रदायकर्ता एजेंसी के नाम, पता
07.	150 मि.मी.व्यास यू.पी.वी.सी.केसिंग पाइप सी.एम.टाईप	23875 मीटर 23323 मीटर 16806 मीटर 792 मीटर	<ol style="list-style-type: none"> मेसर्स कमलेश एग्रोटैक, 890 सेक्टर-डी, उरला इण्डस्ट्रियल एरिया सरोरा रायपुर मेसर्स सरगुजा पाईप प्राय.लिमि., पुराना सेल्स टैक्स ऑफिस के पास, अंबिकापुर सरगुजा-497001 मेसर्स गौतम प्लास्टिक्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, 32बी/21बी 1, तिकरा इण्डस्ट्रियल इस्टेट, बिलासपुर छत्तीसगढ़ मेसर्स महालक्ष्मी मोल्डस प्राय.लिमि., प्लॉट नं-13, इण्डस्ट्रियल एरिया, भनपुरी रायपुर छ.ग.
08.	इगर्जी इफिसियेंट (श्री फेस) सबमर्सिबल पंप सेट्स	127 नग 122 नग 114 नग	<ol style="list-style-type: none"> मेसर्स श्रीवा पम्पस प्राय.लिमि. चन्द्रखुरी रोड मंदिर हसौद, रायपुर(छ.ग) मेसर्स गुप्ता एग्री इम्प्लीमेंट्स, शरण काम्लेक्स, देशबंधु इंग्लिस स्कूल के पीछे, नहरपारा, स्टेशन रोड रायपुर. मेसर्स चौधरी इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कं., शिव टाकीज चौक, टिकरा पारा रोड वार्ड नं. 33 बिलासपुर छत्तीसगढ़ 495001
09.	आई.एस.आई सबमर्सिबल पम्प सेट्स (सिंगल फेस)	160 नग 152 नग 50 नग	<ol style="list-style-type: none"> मेसर्स विकांत सबमर्सिबल पम्पस प्राय.लिमि., प्लॉट नं. 421 ई एण्ड एफ, सेक्टर-ए, उरला इण्डस्ट्रियल एरिया रायपुर (छ.ग.) पिनकोड 492003 मेसर्स गुप्ता एग्री इम्प्लीमेंट्स, शरण काम्लेक्स, देशबंधु इंग्लिस स्कूल के पीछे, नहरपारा, स्टेशन रोड रायपुर. मेसर्स श्रीवा पम्पस प्राय.लिमि. चन्द्रखुरी रोड मंदिर हसौद, रायपुर(छ.ग)

वर्ष 2014-15 में क्रय की गई सामग्री का विवरण

स.क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा	प्रदायकर्ता एजेंसी के नाम, पता
01.	टाटा सुमो गोल्ड	02 नग	मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड, पैसेन्जर कार बिजनेस यूनिट 8वें माला वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कुफे पेड मुंबई 400005
02.	टाटा इण्डिगो	02 नग	मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड, पैसेन्जर कार बिजनेस यूनिट 8वें माला वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर कुफे पेड मुंबई 400005
03.	32 मि.मी.व्यास नामीनल बोर (एनबी) मिडियम क्लास जी.आई.राईजर पाईप	393 मेट्रिक टन	1. मेसर्स पी.एस.स्टील ट्यूब्स लिमिटेड 27, आकाशगंगा काम्प्लेक्स भिलाई 490023 2. मेसर्स चेतन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, प्लॉट नं-439/22 एवं 439/657 उरला सरोरा रोड, इण्डस्ट्रियल एरिया, रायपुर 493221 3. मेसर्स कृष्णा आयरन स्टील्स एण्ड ट्यूब्स प्राय.लिमि., 821-ए सरोरा, उरला इण्डस्ट्रियल एरिया, रायपुर(छ.ग.)
04.	50 मि.मी.व्यास नामीनल बोर (एनबी) मिडियम क्लास जी.आई.राईजर पाईप	24 मेट्रिक टन	1. मेसर्स कृष्णा आयरन स्टील्स एण्ड ट्यूब्स प्राय.लिमि., 821-ए सरोरा, उरला इण्डस्ट्रियल एरिया, रायपुर(छ.ग.)
05.	100 मि.मी.व्यास नार्मल डाय मिडियम क्लास जी.आई.केसिंग पाईप	85 मेट्रिक टन	2. मेसर्स चेतन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, प्लॉट नं-439/22 एवं 439/657 उरला सरोरा रोड, इण्डस्ट्रियल एरिया, रायपुर 493221
06.	125 मि.मी.व्यास नार्मल डाय मिडियम क्लास जी.आई.केसिंग पाईप	118 मेट्रिक टन	मेसर्स पी.एस.स्टील ट्यूब्स लिमिटेड 27, आकाशगंगा काम्प्लेक्स भिलाई 490023
07.	150 मि.मी.व्यास नार्मल डाय मिडियम क्लास जी.आई.केसिंग पाईप	1211 मेट्रिक टन	मेसर्स पी.एस.स्टील ट्यूब्स लिमिटेड 27, आकाशगंगा काम्प्लेक्स भिलाई 490023
08.	125 मि.मी.व्यास यू.पी.वी.सी.केसिंग पाइप सी.एम.टाईप	798 मेट्रिक टन	मेसर्स पी.एस.स्टील ट्यूब्स लिमिटेड 27, आकाशगंगा काम्प्लेक्स भिलाई 490023
09.	26329 मीटर	26329 मीटर	1. मेसर्स कालेश एग्रीटेक, 890 सेक्टर-डी, उरला इण्डस्ट्रियल एरिया सरोरा रायपुर
10.	23696 मीटर	23696 मीटर	2. मेसर्स सरगुजा पाईप प्राय.लिमि., पुराना रोल्स रॉय ऑफिस के पास, अम्बिकापुर सरगुजा-497001
11.	26362 मीटर	26362 मीटर	3. मेसर्स गौतम प्लास्टिक्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, 32बी/21वी 1, तिकरा इण्डस्ट्रियल इस्टेट, बिलासपुर छत्तीसगढ़
12.	1655 मीटर	1655 मीटर	4. मेसर्स महालक्ष्मी मोल्डस प्राय.लिमि., प्लॉट नं-13, इण्डस्ट्रियल एरिया, भनपुरी रायपुर छ.ग.
13.	16509 मीटर	16509 मीटर	5. मेसर्स स्वेता इंटरप्राइजेस, रिंग रोड नं-2, भनपुरी इण्डस्ट्रियल एरिया बीरगॉंव, रायपुर (छ.ग.) 493221

स.क.	सामग्री का नाम	मात्रा	प्रदायकर्ता एजेंसी के नाम, पता
09.	150 मि.मी. व्यास यू पी वी.सी.केसिंग पाइप सी.एम.टाइप	4180 मीटर	1. मेसर्स कमलेश एप्राटिक, 890 सेक्टर-डी, उरला इण्डस्ट्रियल एरिया सरोरा रायपुर 2. मेसर्स सरगुजा पाईप प्राय.लिमि., पुराना सेल्स टेक्स ऑफिस के पास, अम्बिकापुर सरगुजा-497001 3. मेसर्स गौतम प्लास्टिक्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, 32बी/21बी 1, तिफरा इण्डस्ट्रियल इस्टेट, बिलासपुर छत्तीसगढ़ 4. मेसर्स महालक्ष्मी मोल्डस प्राय.लिमि., प्लॉट नं-13, इण्डस्ट्रियल एरिया, भनपुरी रायपुर छ.ग. 5. मेसर्स स्वेता इंटरप्राइजेस, सिंग रोड नं-2, भनपुरी इण्डस्ट्रियल एरिया बीरगोंव, रायपुर (छ.ग.)493221
10.	इनर्जी इन्विसिटेड (श्री फंस) सबमर्सिबल पंप सेट्स	181 नग	1. मेसर्स विकांत सबमर्सिबल पम्पस प्राय.लिमि., प्लॉट नं. 421 ई एण्ड एफ, सेक्टर-ए, उरला इण्डस्ट्रियल एरिया रायपुर (छ.ग.) पिनकोड 492003 2. मेसर्स गुप्ता एग्रो इम्प्लीमेंट्स, शरण काम्लेक्स, देशबंधु इंग्लिस स्कूल के पीछे, नहरपारा, स्टेशन रोड रायपुर. 3. मेसर्स श्रीवा पम्पस प्राय.लिमि. चन्द्रखुरी रोड मंदिर हसौद, रायपुर(छ.ग) 4. मेसर्स चौधरी इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कंपनी, शिव टाकीज चौक, टिकरा पारा रोड वार्ड नं.-33 बिलासपुर छत्तीसगढ़
11.	आई.एस.आई सबमर्सिबल पम्प सेट्स (सिंगल फेस)	664 नग	1. मेसर्स विकांत सबमर्सिबल पम्पस प्राय.लिमि., प्लॉट नं. 421 ई एण्ड एफ, सेक्टर-ए, उरला इण्डस्ट्रियल एरिया रायपुर (छ.ग.) पिनकोड 492003 2. मेसर्स गुप्ता एग्रो इम्प्लीमेंट्स, शरण काम्लेक्स, देशबंधु इंग्लिस स्कूल के पीछे, नहरपारा, स्टेशन रोड रायपुर. 3. मेसर्स श्रावा पम्पस प्राय.लिमि. चन्द्रखुरी रोड मंदिर हसौद, रायपुर(छ.ग) 4. मेसर्स चौधरी इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कंपनी, शिव टाकीज चौक, टिकरा पारा रोड वार्ड नं.-33 बिलासपुर छत्तीसगढ़

परिशिष्ट "चवालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 768) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

क्र	जिला यूनियन	संग्रहण लक्ष्य (मा.बो.)		संग्रहित मात्र (मा.बो.)	
		वर्ष 2014	वर्ष 2015	वर्ष 2014	वर्ष 2015
1	2	3	4	5	6
01	बीजापुर	47700	47700	73535.680	70060.983
02	सुकमा	79500	79500	4444.875	39203.592
03	दत्तेवाड़ा	23500	23500	12239.100	15393.460
04	जगदलपुर	25500	25500	20751.078	12997.582
05	कांकर	41100	41100	39456.000	32902.000
06	केशकाल	29400	29400	33106.000	20680.000
07	दक्षिण कोंडागांव	21600	21600	21746.000	16693.000
08	नारायणपुर	21400	21400	21677.000	19963.000
09	पूर्व भानुप्रतापपुर	99700	99700	101002.000	93049.000
10	प. भानुप्रतापपुर	84300	84300	70941.000	67738.000
	योग	473700	473700	398298.813	388680.617

परिशिष्ट "पैंतालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 810) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

दुर्ग जिले में संचालित मदिरा दुकानों के लायसेंसी का नाम एवं पता

समूह क्र.	देशी/विदेशी मदिरा दुकान का नाम	ठेकेदार का नाम एवं पता
1	2	3
1	धमधा समूह दे.म.दु. धमधा वि.म.दु. धमधा	नीतू सिंह पति सुरेन्द्र सिंह, पता- म.नं. सिविल लाईन, दुर्ग (छ.ग.)
2	ननकट्टी, समूह दे.म.दु. ननकट्टी दे.म.दु. नंदनी खुदनी	दीनबन्धू पलई आ. नारायण पलई, पता- पालसिंघा पाटामुंदई केन्द्रपाडा, जिला- केन्द्रपाडा (उडिसा)
3	जेवरासिरसा समूह दे.म.दु. जेवरासिरसा वि.म.दु. जेवरासिरसा	अजीत यादव आ. छोटेलाल यादव, पता- परगारा बडोपुर, कोतवाली आजमगढ़ (उ.प्र.)
4	अहिवारा समूह दे.म.दु. अहिवारा वि.म.दु. अहिवारा	हरिहर नायक आ. बबन नायक, पता- अमका कृष्णापुर शशन बलिचंद्रपुर, जयपुर (उडिसा)
5	कुम्हारी समूह दे.म.दु. कुम्हारी वि.म.दु. कुम्हारी	चंद्रहास चंद्राकर आ. खम्हनलाल चंद्राकर, पता- तेलीबांधा डूमरपाली, महासमुन्द, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)
6	चरौदा समूह दे.म.दु. चरौदा बस्ती वि.म.दु. चरौदा	करुणा पत्नि कलीपदा बरत, पता- म.नं. 215 बंगाली कॉलोनी, वार्ड 27 खुर्सीपार, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
7	जामगांव समूह दे.म.दु. देवबलोदा दे.म.दु. जामगांव	लक्ष्मीकांत द्विवेदी आ. अमृतलाल द्विवेदी पता- एम.आई.जी. 5 सेक्टर 3, शंकर नगर, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
8	भिलाई-3 समूह दे.म.दु. भिलाई-3 वि.म.दु. भिलाई-3	घासीराम धनकर आ. झोलाराम धनकर, पता- ग्राम उपरवाहा, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
9	ट्रांसपोर्ट नगर भिलाई समूह दे.म.दु. ट्रांसपोर्ट नगर भिलाई दे.म.दु. दादर (चरोदा)	शुहीना परवीन पत्नि साहब असमद, पता- म.नं. 170 बाई एफ. भिलाई नगर केम्प 1 भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
10	जोरतराई समूह दे.म.दु. जोरतराई दे.म.दु. पुरैना	अशोक सिंह आ. बांके बहादुर सिंह, पता- दीपक नगर दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
11	खुर्सीपार, भिलाई समूह दे.म.दु. खुर्सीपार भिलाई वि.म.दु. खुर्सीपार भिलाई	हरिसदन मोदक आ. भोलानाथ मोदक पता- 215, सुभाश नगर, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

12	जवाहर मार्केट भिलाई समूह दे.म.दु.केम्प -1 भिलाई वि.म.दु.जवाहर मार्केट भिलाई	कुबेर नारायण अग्रवाल आ. शिव कुमार अग्रवाल, पता- क-5 खुर्सीपार भिलाई दुर्ग (छ.ग.)
13	ए.सी.सी. चौक जामुल समूह दे.म.दु. ए.सी.सी. चौक जामुल वि.म.दु.ए.सी.सी. चौक जामुल	उदय नारायण शर्मा आ. जयराम शर्मा, पता- छोटा अशोक नगर, बर्फ फौवट्टी के पास, गुडयारी रायपुर (छ.ग.)
14	सुपेला,भिलाई समूह दे.म.दु. सुपेला भिलाई वि.म.दु. सुपेला भिलाई	राकेश जायसवाल आ. रामकृपाल जायसवाल, पता- म.नं. 157 बाई के भिलाई नगर केम्प 1, आदर्श नगर भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
15	कोहका,भिलाई समूह दे.म.दु. कोहका भिलाई दे.म.दु. 18 नं. रोड भिलाई	ओम प्रकाश मौर्या आ. जय प्रकाश मौर्या, पता- मुन्ना मौर्या इलेक्ट्रानिक्स रोड नं. 18 केम्प 1, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
16	जुनवानी भिलाई समूह दे.म.दु. जुनवानी वि.म.दु. जुनवानी	चंदेश भारती गोस्वामी आ. सुरेश भारती गोस्वामी, पता- गया नगर दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)
17	नेहरू नगर भिलाई समूह दे.म.दु.नेहरू नगर भिलाई वि.म.दु. नेहरू नगर भिलाई	श्री नीतेश कुमार वासनिक आ. राजेश वासनिक, उम्र 35 वर्ष, निवासी मोहल्ला तितुरडीह, रूबी टेलर तितुरडीह, दुर्ग (छ.ग.)
18	सिविक सेंटर भिलाई समूह वि.म.दु. सिविक सेंटर, भिलाई	श्री उत्तम रामटेके आ. हरिशचंद्र रामटेके पता- मकान नं. 218 क गिरधारी नगर, विवेकानंद वार्ड तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)
19	बांसपारा,दुर्ग समूह दे.म.दु.बांसपारा,दुर्ग वि.म.दु.राजेन्द्र पार्क, दुर्ग	श्री राजू शर्मा आ. रवि शर्मा पता- शांति नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
20	स्टेशन एरिया, दुर्ग समूह दे.म.दु. तितुरडीह, दुर्ग वि.म.दु. स्टेशन एरिया, दुर्ग	रीना सिंह पत्नि कुन्दन सिंह पता- दीपक नगर दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
21	धमधा रोड दुर्ग समूह दे.म.दु. धमधा रोड,दुर्ग दे.म.दु. उरला रोड दुर्ग	चरण सिंह यादव आ. रतन सिंह यादव, पता- मानपुर पोस्ट सोनपुर, तह. बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार
22	संतराबाड़ी,दुर्ग समूह दे.म.दु. संतराबाड़ी दुर्ग वि.म.दु. इन्द्रिरा मार्केट,दुर्ग	शिवराम विभार आ. शुराम विभार, पता- म.नं. 16 दल्लीराजहरा तह. डौण्डी जिला-बालोद(छ.ग.)
23	गंजपारा,दुर्ग समूह दे.म.दु. नयापारा, दुर्ग वि.म.दु. गंजपारा, दुर्ग	मोहम्मद शमीम आ. मोहम्मद मोइनुद्दीन, पता- म.नं. 309 गुरुघासीदास नगर, दुर्ग (छ.ग.)
24	पोटिया रोड, दुर्ग समूह दे.म.दु. पुलगांव दुर्ग दे.म.दु. पोटिया रोड दुर्ग	पतिराम फरकुण्डे आ. गोविन्द फरकुण्डे, पता- शांति नगर दुर्ग (छ.ग.)

25	अंजोरा समूह	सरिता देवी पत्नि धनंजय प्रसाद गुप्ता, पता- वार्ड नं. 14 जेल हाटा डाल्टनगंज पलामू झारखण्ड
	दे.म.दु. अंजोरा	
	दे.म.दु. चन्दखुरी	
26	अण्डा समूह	ललिता आर्या पत्नि सूर्य नारायण मालीरेडी पता- मं. नं. एम. 201 पदमनामपुर, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
	दे.म.दु. अण्डा	
	वि.म.दु. अण्डा	
27	पदमनामपुर दुर्ग समूह	विजय चौधरी आ. राम चौधरी, पता- एस.एन.आई.जी. 19 पारिजात एक्वेटेशन नेहरू नगर बिलासपुर, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
	दे.म.दु. रुआबांधा भिलाई	
	वि.म.दु. पदमनामपुर, दुर्ग	
28	रिसाली, भिलाई समूह	भैयाराम लहरे आ. बुधारूराम लहरे, पता- म.नं. 80 ग्राम-खम्हरिया, जिला- बेमेतरा (छ.ग.)
	दे.म.दु. रिसाली, भिलाई	
	वि.म.दु. रिसाली, भिलाई	
29	मडौदा समूह	रामेश्वर सिंह आ. तुलसी सिंह, पता- बालाजीपुरम आर.के. नगर जिला- बिलासपुर (छ.ग.)
	दे.म.दु. मडौदा	
	वि.म.दु. मडौदा	
30	उतई समूह	मोहम्मद गुलाम सरवर आ. मोहम्मद निजामुद्दीन, पता- क्वा. नं. - 71 गीतांजली विहार, नेहरू नगर, बिलासपुर (छ.ग.)
	दे.म.दु. उतई	
	वि.म.दु. उतई	
31	पाटन समूह	देवेन्द्र वर्मा आ. रामावतार वर्मा, पता- वार्ड नं. 23 दीपक नगर दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.)
	दे.म.दु. पाटन	
	वि.म.दु. पाटन	

प्रपत्र "ब"

दुर्ग जिले में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में अवैध शराब बिक्री के तहत दर्ज प्रकरणों में जप्त मात्रा एवं स्थान की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष 2014-15		क्र.	वर्ष 2015-16	
	स्थान	जप्त मात्रा		स्थान	जप्त मात्रा
1	2	3	4	5	6
1	सिकोला भाठा दुर्ग	900 मि.ली.	1	गंजपारा	540 मिली लीटर
2	गाड़ाडीह, थाना उत्तई	1.62 बल्क लीटर	2	मरौदा थाना नेवई	4 लीटर बीयर
3	कुम्हली, थाना रानीतराई	1.98 बल्क लीटर	3	लक्ष्मीनगर सुपेला भिलाई	3.420 बल्क लीटर
4	पाहन्दा, थाना अमलेश्वर	0.54 बल्क लीटर	4	बाजार चौक सिरसाकला भिलाई	1.620 बल्क लीटर
5	कृष्णा नगर सुपेला भिलाई	3.60 बल्क लीटर	5	बाजार चौक सिरसाकला भिलाई	0.360 बल्क लीटर
6	सतनामी धारा कोसानगर भिलाई	0.54 बल्क लीटर	6	रामपुर चोरहा थाना कुम्हारी	1.800 बल्क लीटर
7	शांतिपारा, 18 नं. रोड कैंम्प-1 भिलाई	0.720 बल्क लीटर			
8	जवाहर नगर भिलाई	0.720 बल्क लीटर			
9	कसाई मोहल्ला, इमामबाड़ा	0.900 बल्क लीटर			
10	इमामबाड़ा, गुरुद्वारे के पास, वार्ड 25 भिलाई	0.900 बल्क लीटर			
11	तेलगूपारा वार्ड 19 भिलाई	0.720 बल्क लीटर			
12	स्टील नगर, आन्धा स्कुल के पास भिलाई	0.720 बल्क लीटर			
13	मंगल बाजार, छावनी भिलाई	0.360 बल्क लीटर			
14	आजाद चौक, शिवपुरी जामुल	0.360 बल्क लीटर			
15	डमरू मुहल्ला, राधिका नगर सुपेला	0.720 बल्क लीटर			
16	लक्ष्मी मार्केट सुपेला	1.44 मिली.लीटर			
17	स्टोरपारा पुरैना	1.80 बल्क लीटर			
18	वार्ड 17 सुरडुंग थाना भिलाई 3	2.70 बल्क लीटर			
19	बजरंग चौक ढाबा	0.360 बल्क लीटर			
20	राननगर कुम्हारी	1.800 बल्क लीटर			
21	सतनाम चौक रिसाली थाना भिलाई	2.700 बल्क लीटर			
22	कुंदरापारा थाना कुम्हारी	1.800 बल्क लीटर			
23	मुरमुन्दा	2.160 बल्क लीटर			

परिशिष्ट "छियालीस"

[अतारकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 863) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

कबीरधाम जिले में पंजीबद्ध मामले की वर्षवार जानकारी

शीर्ष	01.04.2012 से 31.03.2013	01.04.2013 से 31.03.2014	01.04.2014 से 31.03.2015	01.04.2015 से 31.05.2015	योग
चोरी	123	147	155	18	443
डकैती	0	0	0	0	0
हत्या	20	24	25	01	70
बलात्कार	21	32	41	03	97
लूट	11	04	04	0	19
अपहरण	10	36	90	05	141
महायोग	185	243	315	27	770

प्रपत्र "ब"

लंबित प्रकरणों की वर्षवार जानकारी

शीर्ष	01.04.2012 से 31.03.2013	01.04.2013 से 31.03.2014	01.04.2014 से 31.03.2015	01.04.2015 से 31.05.2015	योग
चोरी	0	0	03	07	10
डकैती	0	0	0	0	0
हत्या	0	0	02	0	02
बलात्कार	0	0	0	01	01
लूट	0	0	03	0	03
अपहरण	0	02	13	03	18
सहायोग	0	2	21	11	34

परिशिष्ट "सैंतालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1083) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

विधान सभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 1083 द्वारा माननीय विधायक श्री भैयाराम सिन्हा के संबंध में जानकारी जिला-बालोद से								
वर्ष	क्रमांक	थाना/चौकी	अपराध शीर्ष					
			चोरी	डकैती	लूटपाट	हत्या	अपहरण	गुम ईसान
1 जनवरी 2014 से 3 जुलाई 2015	1	बालोद	55	0	0	5	12	82
	2	गुस्सर	34	0	1	1	1	39
	3	चौकी कंवर	8	0	0	0	2	10
योग			97	0	1	6	15	131

प्रपत्र "ब"

विधान सभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 1083 द्वारा माननीय विधायक श्री भैयाराम सिन्हा के संबंध में जानकारी जिला बालोद से															
वर्ष	थाना	अपराध शीर्ष	कुल प्रकरण	खात्मा	खारजी	गिरफ्तारी		चालान		299 जाफै0		पुलिस लखित		फरार	
						प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.	प्रक.	व्य.
01 जनवरी 2014 से 3 जुलाई 2015	बालोद	चोरी	55	27	0	26	42	17	32	0	0	2	1	0	0
		डकैती	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		लूटपाट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		हत्या	5	0	0	5	6	6	6	0	0	0	0	0	0
		अपहरण	12	0	5	2	2	2	2	0	0	5	0	0	0
	गुस्सर	चोरी	34	24	0	10	15	10	15	0	0	0	0	0	0
		डकैती	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		लूटपाट	1	0	0	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0
		हत्या	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
		अपहरण	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	चौकी कंवर	चोरी	8	2	2	4	10	4	10	0	0	0	0	0	0
		डकैती	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		लूटपाट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		हत्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अपहरण	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
योग			119	54	7	50	79	42	69	0	0	8	1	0	0

परिशिष्ट "अड़तालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1169) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र.	वन अपराध क. एवं दिनांक	अपराध जिसके विरुद्ध दर्ज किया गया	अपराध का विवरण	कार्य का नाम	कार्य स्थल	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (लाख में)	क्रियान्वयन एग्लेंसी का नाम
1	5517/01. 22.06.2013	अज्ञात	वन अधिनियम 1927 धारा 26 (1) 'क'	1 नग पुलिया निर्माण	गादुलवाहरा से रिसगांव मार्ग तालाब के पहले	4.73	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग
				1 नग पुलिया निर्माण	रिसगांव से गादुलवाहरा तालाब के पहले	4.98	
				1 नग पुलिया निर्माण	रिसगांव से गादुलवाहरा वनमार्ग रिसगांव के पहले	4.73	
				1 नग पुलिया निर्माण	रिसगांव से करहीमार्ग आमाझाड़ के पास	7.48	
2	060306 31.06.2013	अज्ञात	वन अधिनियम 1927 धारा 26 (1) 'क'	1 नग पुलिया निर्माण	डूमरझाड़ के पास बोरईगांव रोड	5.31	---
3	1658/11 21.06.2013	अज्ञात	वन अधिनियम 1927 धारा 26 (1) 'क'	1 नग पुलिया निर्माण	संदवाहरा बस्ती रोड इमली झाड़ के पास	4.93	---
				1 नग पुलिया निर्माण	जलकी नाला के पास संदवाहरा रोड	10.47	

परिशिष्ट "उनचास"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 1199) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

"क" रायगढ़ जिले में हाथियों के हमले से हुई हानि की जानकारी

वनमण्डल का नाम	दिनांक	जनहानि	जनघायल	मृतकों के नाम व पता
1	2	3	4	5
धरमजयगढ़	23/01/2015	01	—	अज्ञात व्यक्ति
रायगढ़	21/04/2015	01	—	श्री राम सिंह व. धनराम सारथी उम्र 48 वर्ष सा. बरती पाली तह. व थाना धरघोड़ा जिला रायगढ़।
रायगढ़	22/04/2015	01	—	श्रीमती दिलप्रेत बाई बेवा ललित राठिया उम्र 58 वर्ष सा. पण्डरीपानी तह. व थाना धरघोड़ा जिला रायगढ़।
धरमजयगढ़	27/04/2015	01	—	श्री जगन सिंह व. बोधराम चौहान उम्र 30 वर्ष सा. क्रोन्धा, धरमजयगढ़।
धरमजयगढ़	02/05/2015	01	—	श्री परसराम व. मोहना साण्डेल उम्र 61 वर्ष सा. सारस मार, छाल, धरमजयगढ़।
धरमजयगढ़	05/05/2015	01	—	श्री बुंदराम व. कार्तिक राम सारथी उम्र 60 वर्ष ग्राम बेहराचुआ जिला कोरवा
धरमजयगढ़	12/06/2015	01	—	श्रीमती समरिन बाई जीज आनंदराम उम्र 52 वर्ष सा. कीदा, छाल धरमजयगढ़।
धरमजयगढ़	29/06/2015	01	—	श्रीमती बुधवारो बाई देवा सुन्दर सिंधार उम्र 62 वर्ष सा. मुनुन्द, छाल धरमजयगढ़।
धरमजयगढ़	01/07/2015	01	—	श्री नल सिंह व. गेदाराम गंडावार उम्र 52 वर्ष सा. वेहरा मार्ग छाल, धरमजयगढ़।
योग		9	—	

प्रपत्र "ब"

रायगढ़ जिले में हाथियों के हमले से हुई हानि पर मुआवजा की जानकारी

वनमण्डल	जनहानि	मुआवजा राशि रु.में	जनघायल	मुआवजा राशि
धरमजयगढ़	01(अज्ञात)	निरंक	निरंक	निरंक
रायगढ़	01	10000 (तत्कालिक सहा. राशि)	निरंक	निरंक
रायगढ़	01	10000 (तत्कालिक सहा. राशि)	निरंक	निरंक
धरमजयगढ़	01	10000 (तत्कालिक सहा. राशि)	निरंक	निरंक
धरमजयगढ़	01	300000 (मुआवजा राशि)	निरंक	निरंक
धरमजयगढ़	01	300000 (मुआवजा राशि)	निरंक	निरंक
धरमजयगढ़	01	10000 (तत्कालिक सहा. राशि)	निरंक	निरंक
धरमजयगढ़	01	10000 (तत्कालिक सहा. राशि)	निरंक	निरंक
धरमजयगढ़	01	10000 (तत्कालिक सहा. राशि)	निरंक	निरंक
योग	9		निरंक	निरंक

प्रपत्र "स"

हाथियों के हमले से बचाव हेतु विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयास की जानकारी

1. जंगली हाथियों से सुरक्षा के उपायों का हाथी से प्रभावित संवेदनशील गांवों में पाम्पलेट वितरित कर पोस्टर चस्पा कर व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है।
2. वन प्रबंधन समिति/हाथी मित्र दल एवं ग्रामवासियों को जंगली हाथी से सुरक्षित रहने की समझाईस दी गई है।
3. जंगली हाथियों के खाद्य वस्तु (बांस की पत्तियां) हेतु बांस रोपण किया गया है ताकि हाथी हेतु वन क्षेत्र में ही पर्याप्त चारा उपलब्ध हो जाये और हाथी को भोजन की तलाश में ग्राम सीमा में आना न पड़े।
4. जंगली हाथी के लिए पेयजल व्यवस्था हेतु स्टाप डेम निर्माण, तालाब निर्माण, तालाब मरम्मत कार्य कराये गये हैं ताकि हाथी पेयजल की खोज में ग्राम सीमा की ओर प्रवेश न करें।
5. गांव-गांव में घर के चारों ओर सुरक्षित व पर्याप्त ऊंचाई पर रोशनी व्यवस्था करने ग्रामीणों को समझाईस दी गई है।
6. मुख्य मार्ग जिसमें ग्रामवासियों का आवागमन होता है उस मार्ग किनारे जंगली हाथी से प्रभावित क्षेत्र होने का एवं सावधान रहने बाबत साईन बोर्ड लगाये गये हैं ताकि ग्रामीण सजग रहकर आवाजाही करें। जनहानि न होने पाए।
7. जंगली हाथियों की कैम्पिंग की स्थिति ज्ञात कर रात्रि गश्ती दल द्वारा प्रभावित ग्राम के ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है।
8. हाथी प्रभावित ग्रामों में ग्रामीणों को बड़े टार्च वितरित किये गये हैं ताकि ग्रामीण अंधेरे में आवाजाही होने पर अपनी सुरक्षा कर सकें।

परिशिष्ट "पचास"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 1212) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

कोण्डागांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आयरन युक्त हैण्ड पम्पों के ग्राम बसाहटों की सूची

क्र०	विकासखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	बसाहट का नाम	आयरन प्रभावित हैण्डपंपों की जानकारी		
					कुल प्रभावित नलकूप	आई.आर. पी. स्थापित नलकूप	आई.आर. पी. लगाया जाना शेष है
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कोण्डागांव	बड़ेभिरावण्ड	बड़ेभिरावण्ड	नयापारा	1	---	1
2	कोण्डागांव	बड़ेकनेरा	बड़ेकनेरा	आवासपारा	1	---	1
3	कोण्डागांव	बड़ेकनेरा	बड़ेकनेरा	पवाडखड़ा	1	---	1
4	कोण्डागांव	बफना	बफना	पटेलपारा	1	---	1
5	कोण्डागांव	बफना	बफना	सरपंचपारा 1	1	1	---
6	कोण्डागांव	बम्हनी	बम्हनी	पटेलपारा 3	1	---	1
7	कोण्डागांव	बम्हनी	कारसिंग	स्कूलपारा	1	---	1
8	कोण्डागांव	बनियगांव	बनियगांव	सरकीपारा 1	1	---	1
9	कोण्डागांव	भगदेवा	भगदेवा	स्कूलपारा	1	---	1
10	कोण्डागांव	बोरगांव	करियाकाटा	सड़कपारा	1	1	---
11	कोण्डागांव	बुनागांव	बुनागांव	बुनागांव	1	---	1
12	कोण्डागांव	चिचडोंगरी	चिचडोंगरी	खासपारा	1	---	1
13	कोण्डागांव	चिखलपुटी	चिचपोलंग	पटेलपारा	1	1	---
14	कोण्डागांव	चिपावण्ड	चिपावण्ड	सड़कपारा	1	1	---
15	कोण्डागांव	चौड़ंग	चौड़ंग	चौड़ंग	1	---	1
16	कोण्डागांव	दहीकोंगा	दहीकोंगा	मांझीपारा	1	---	1
17	कोण्डागांव	गिरोला	गिरोला	प्लाटपारा	1	---	1
18	कोण्डागांव	जोबा	जोबा	डोंगरीपारा	1	---	1
19	कोण्डागांव	जोबा	जोबा	इंस्पेक्टरपारा	1	---	1
20	कोण्डागांव	कमेली	कमेली	सड़कपारा	1	---	1
21	कोण्डागांव	करंजी	करंजी	कुटूमपारा	1	1	---
22	कोण्डागांव	करनपुर	करनपुर	मातागुडी	1	---	1
23	कोण्डागांव	किबईबालेंगा	कांकोडी	आवासपारा	1	---	1
24	कोण्डागांव	कोकोडी	कोकोडी	आवासपारा 2	1	---	1
25	कोण्डागांव	कुकाड़गारकापाल	कुकाड़गारकापाल	पटेलपारा	1	---	1
26	कोण्डागांव	मारागांव	मारागांव	पटेलपारा	1	---	1
27	कोण्डागांव	मालाकोट	मालाकोट	कुमूरगांव	1	---	1
28	कोण्डागांव	मालगांव	मालगांव	शिवनापदर 1	1	---	1
29	कोण्डागांव	मसोरा	मसोरा	बेलोतिपारा	1	---	1
30	कोण्डागांव	मोहलई	मोहलई	नयापारा	1	---	1
31	कोण्डागांव	मूलमूला	मूलमूला	जामपारा	1	---	1
32	कोण्डागांव	मूलमूला	मूलमूला	खड़कापारा	1	---	1
33	कोण्डागांव	मूलमूला	मूलमूला	पिकड़भाटा	1	---	1

आयुक्त प्रभावित हेण्डपंपों की
जानकारी

क्र.0	विकासखण्ड का नाम	प्रदायक का नाम	ग्राम का नाम	बसाहट का नाम	कुल प्रभावित नलकूप	आई.आर. पी. स्थापित नलकूप	आई.आर. पी. लगाया जाना शेष है
1	2	3	4	5	6	7	8
34	कोण्डागांव	मुनगापदर	मुनगापदर	बाजारपारा	1	---	1
35	कोण्डागांव	मुनगापदर	मुनगापदर	मारीपारा 2	1	---	1
36	कोण्डागांव	पल्ली	पल्ली	भेलवापारा 1	1	---	1
37	कोण्डागांव	पल्ली	पल्ली	डोंगरीपारा	1	---	1
38	कोण्डागांव	पुसावण्ड	पुसावण्ड	बड़ेपारा	1	---	1
39	कोण्डागांव	राजागांव	राजागांव	जगपदर	1	---	1
40	कोण्डागांव	राजागांव	राजागांव	पनकापारा 2	1	---	1
41	कोण्डागांव	सम्बलपुर	सम्बलपुर	करंजीपदर	1	---	1
42	कोण्डागांव	सातगांव	सातगांव	इंस्पेक्टरपारा	1	---	1
43	कोण्डागांव	सातगांव	सातगांव	पटेलपारा 2	1	---	1
44	कोण्डागांव	सातगांव	सातगांव	धानागुडी 2	1	---	1
45	कोण्डागांव	सिगनपुर	सिगनपुर	मांझीपारा	1	---	1
46	कोण्डागांव	सितली	सितली	स्कूलपारा	1	1	---
47	कोण्डागांव	उमरगांव 'अ'	बनसिरसी	बनसिरसी	1	---	1
48	कोण्डागांव	उमरगांव अ	उमरगांव अ	उमरगांव खास	1	---	1
49	कोण्डागांव	उमरगांव ब	कुलझर	सरपंचपारा	1	---	1
50	माकड़ी	अमरावती	अमरावती	मंदिरपारा	1	---	1
51	माकड़ी	अमरावती	अमरावती	पदरपारा	1	---	1
52	माकड़ी	अमरावती	छोटेअमरावती	छोटेअमरावती	1	---	1
53	माकड़ी	अनतपुर	अनतपुर	नयापारा	1	---	1
54	माकड़ी	अनतपुर	अनतपुर	पनकटपारा	1	---	1
55	माकड़ी	बड़ेघोड़सोड़ा	बड़ेघोड़सोड़ा	आवासपारा	1	---	1
56	माकड़ी	बड़ेसोहंगा	बेड़ागांव	बेड़ागांव	1	---	1
57	माकड़ी	बाघबेड़ा	बाघबेड़ा	बाघबेड़ा	1	1	---
58	माकड़ी	बाघबेड़ा	खुड़ी	खुड़ी	1	---	1
59	माकड़ी	बालोण्ड	बालोण्ड	कलीपारा	1	---	1
60	माकड़ी	बालोण्ड	बालोण्ड	खासपारा	1	1	---
61	माकड़ी	बवई	बवई	पनकापारा	1	1	---
62	माकड़ी	बुडरा	बुडरा	भक्तुपारा	1	---	1
63	माकड़ी	बुडरा	बुडरा	डिहीपारा	1	1	---
64	माकड़ी	छिनारी	छिनारी	पटेलपारा	1	---	1
65	माकड़ी	धारली	धारली	बीचपारा	1	1	---
66	माकड़ी	ईगरा	ईगरा	स्कूलपारा	1	---	1
67	माकड़ी	एरला	गागड़ा	बीचपारा	1	1	---
68	माकड़ी	एरला	गुमड़ी	गुमड़ीपारा	1	---	1
69	माकड़ी	गारे	गारे	गारे	1	---	1

क्र.सं.	विकासखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	बसाहट का नाम	समायोजन प्रभावित है या नहीं जानकारी		
					कुल प्रभावित नलकूप	आई.आर.पी. स्थापित नलकूप	आई.आर.पी. लगाया जाना शेष है
1	2	3	4	5	6	7	8
70	माकड़ी	हाड़ीगांव	हाड़ीगांव	आवासपारा	1	1	---
71	माकड़ी	हिरापुर	हिरापुर	नयागुड़ापारा	1	1	---
72	माकड़ी	हिरावण्डी	हिरावण्डी	हिरावण्डी	1	1	---
73	माकड़ी	हुक्काबेड़ापाथरी	बिबला	खासपारा	1	---	1
74	माकड़ी	हुक्काबेड़ापाथरी	हुक्काबेड़ापाथरी	हुक्काबेड़ापाथरी	1	---	1
75	माकड़ी	जरण्डी	जरण्डी	खासपारा	1	1	---
76	माकड़ी	कांटागांव	कांटागांव	गुमड़ीपारा	1	1	---
77	माकड़ी	कांटागांव	कांटागांव	जुनापारा	1	1	---
78	माकड़ी	कांवरा	कांवरा	पखनाबेड़ा	1	---	1
79	माकड़ी	कांवरा	कांवरा	सरपंचपारा	1	---	1
80	माकड़ी	करमरी	करमरी	करमरी	1	---	1
81	माकड़ी	करमरी	करमरी	पखनाबेड़ा	1	---	1
82	माकड़ी	केरावाही	केरावाही	आवासपारा	1	1	---
83	माकड़ी	केरावाही	केरावाही	उसरीबेड़ा	1	1	---
84	माकड़ी	कोकोड़ी	कोकोड़ी	धानागुड़ीपारा	1	---	1
85	माकड़ी	कोसाहरदूली	कोसाहरदूली	आवासपारा	1	---	1
86	माकड़ी	कोसाहरदूली	कोसाहरदूली	पटेलपारा 1	1	---	1
87	माकड़ी	लुभा	दण्डवन	पटेलपारा	1	---	1
88	माकड़ी	लुभा	लुभा	लुभा	1	---	1
89	माकड़ी	लुभा	लुभा	नयापारा	1	---	1
90	माकड़ी	मगेदा	भतवा	आवासपारा	1	1	---
91	माकड़ी	मगेदा	मगेदा	आवासपारा	1	---	1
92	माकड़ी	मगेदा	मगेदा	गुडरीपारा	1	---	1
93	माकड़ी	माकड़ी	माकड़ी	बाजारपारा	1	1	---
94	माकड़ी	माकड़ी	माकड़ी	ब्लॉक कालोनी	1	1	---
95	माकड़ी	माकड़ी	माकड़ी	चौकपारा	1	1	---
96	माकड़ी	माकड़ी	माकड़ी	अस्पतालपारा	1	1	---
97	माकड़ी	माकड़ी	माकड़ी	माकड़ी	1	1	---
98	माकड़ी	मांझीवोरण्ड	मांझीवोरण्ड	डोंडापारा	1	1	---
99	माकड़ी	मारागांव	मारागांव	पटेलपारा	1	1	---
100	माकड़ी	ओण्डरी	ओण्डरी	आवासपारा	1	---	1
101	माकड़ी	ओटेण्डा	ओटेण्डा	स्कूलपारा	1	1	---
102	माकड़ी	पीढ़ापाल	अरुनगुला	खासपारा	1	---	1
103	माकड़ी	पीढ़ापाल	पिढ़ापाल	बुडरापारा	1	1	---
104	माकड़ी	शामपुर	शामपुर	देवकोटपारा	1	1	---
105	माकड़ी	शामपुर	शामपुर	डोंगरीपारा 1	1	1	---
106	माकड़ी	शामपुर	शामपुर	डोंगरीपारा 2	1	1	---

क्र०	विकासखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	बसाहट का नाम	आयरन प्रभावित हैंडपंपों की जानकारी		
					कुल प्रभावित नलकूप	आई.आर.पी. स्थापित नलकूप	आई.आर.पी. लगाया जाना शेष है
1	2	3	4	5	6	7	8
107	माकड़ी	शामपुर	शामपुर	लोहारपारा	1	1	---
108	माकड़ी	सोड़मा	सोड़मा	बालेंगापारा	1	1	---
109	माकड़ी	सोड़सिवनी	सोड़सिवनी	बोलभाटापारा	1	---	1
110	माकड़ी	सोड़सिवनी	सोड़सिवनी	स्कूलपारा	1	---	1
111	माकड़ी	सोड़सिवनी	तितना	स्कूलपारा	1	---	1
112	माकड़ी	तमरावण्ड	देवगांव	स्कूलपारा	1	---	1
113	माकड़ी	ठेमगांव	ठेमगांव	नयापारा	1	---	1
114	माकड़ी	उदेंगा	जरकोंगा	स्कूलपारा	1	---	1
115	माकड़ी	उमरगांव	उमरगांव	आंगनबाड़ीपारा	1	---	1
योग =					115	35	80

प्रपत्र "ब"

कोण्डागांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत फ्लोराईड युक्त हैण्ड पम्पों के ग्राम, बसाहटों की सूची

क्र०	विकासखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम की बसाहट	फ्लोराईड प्रभावित हैण्डपंपों की जानकारी		
					कुल प्रभावित नलकूप	एफ.आर.पी. स्थापित नलकूप	एफ.आर.पी. लगाया जाना शेष नलकूप
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कोण्डागांव	करंजी	करंजी	माता मंदिर	1	-	1
2	कोण्डागांव	बाखरा	बाखरा	भुल्ली डोंगरीपाट	1	1	-
3	कोण्डागांव	---	बाखरा	भुल्ली डोंगरीपाट	1	-	1
4	कोण्डागांव	कुकड़गारकापाल	कुकड़गारकापाल	नयापारा	1	1	-
5	कोण्डागांव	---	कुकड़गारकापाल	नयापारा	1	-	1
6	कोण्डागांव	---	कुकड़गारकापाल	गारकापाल पारा	1	-	1
7	कोण्डागांव	कोकोड़ी	कोकोड़ी	स्कूल पारा	1	1	-
8	कोण्डागांव	---	कोकोड़ी	स्कूल पारा	1	-	1
9	कोण्डागांव	---	कोकोड़ी	दरसुली पारा	1	1	-
10	कोण्डागांव	---	कोकोड़ी	दरसुली पारा	1	-	1
11	कोण्डागांव	भगदेवा	भगदेवा	सड़क पारा	1	1	-
12	कोण्डागांव	---	भगदेवा	सड़क पारा	1	-	1
13	कोण्डागांव	---	भगदेवा	सड़क पारा	1	-	1
14	कोण्डागांव	बड़े मिरावण्ड	बड़े मिरावण्ड	पटेल पारा / मांझीपारा	1	1	-
15	कोण्डागांव	---	बड़े मिरावण्ड	पटेल पारा / मांझीपारा	1	-	1
16	कोण्डागांव	कमला	कमला	कस्तूरीकोना	1	-	1
17	कोण्डागांव	पुसावण्ड	पुसावण्ड	डोढी पारा	1	-	1
18	कोण्डागांव	मालगांव	मालगांव	पोस्ट आफिस पारा	1	-	1
19	कोण्डागांव	घोड़ागांव	घोड़ागांव	स्कूलपारा 1	1	-	1
20	कोण्डागांव	---	घोड़ागांव	चिक बहार	1	-	1
21	कोण्डागांव	---	घोड़ागांव	लखड़ी बहार	1	-	1
22	कोण्डागांव	---	घोड़ागांव	लखड़ी बहार	1	-	1
23	कोण्डागांव	---	घोड़ागांव	मुण्डीपारा 2	1	-	1
24	कोण्डागांव	---	घोड़ागांव	सड़कपारा 2	1	1	-
25	कोण्डागांव	---	घोड़ागांव	नयापारा 2	1	1	-
26	कोण्डागांव	---	घोड़ागांव	नयापारा 2	1	-	1
27	कोण्डागांव	---	घोड़ागांव	आवासपारा 3	1	1	-
28	कोण्डागांव	---	घोड़ागांव	आवासपारा 3	1	-	1
29	कोण्डागांव	---	घोड़ागांव	प्रा.शाला	1	1	-
30	कोण्डागांव	---	घोड़ागांव	मा०शाला	1	1	-
31	कोण्डागांव	---	घोड़ागांव	ज्ञा.ज्यो.शाला	1	-	1
32	कोण्डागांव	---	घोड़ागांव	स्कूलपारा	1	-	1
33	कोण्डागांव	---	घोड़ागांव	बड़ेपारा 2	1	1	-
34	कोण्डागांव	---	घोड़ागांव	बड़ेपारा 2	1	1	-
35	कोण्डागांव	---	घोड़ागांव	बड़ेपारा 2	1	1	-
36	कोण्डागांव	---	घोड़ागांव	डेगपारा	1	1	-
37	कोण्डागांव	---	घोड़ागांव	टोन्डेपारा	1	1	-
38	कोण्डागांव	---	घोड़ागांव	स्कूलपारा पुराना	1	-	1
39	कोण्डागांव	---	घोड़ागांव	आवास पारा (प्रा.शा. मुण्डीपारा)	1	-	1
40	कोण्डागांव	---	घोड़ागांव	आवास पारा 2 / टांडडीह	1	1	-
41	कोण्डागांव	---	घोड़ागांव	आवास पारा 2 / टांडडीह	1	1	-
42	कोण्डागांव	---	घोड़ागांव	आवास पारा 2 / टांडडीह	1	-	1

0	विकासखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम की बसाहट	प्लोरार्ड प्रभावित हैण्डपंपों की जानकारी		
					कुल प्रभावित नलकूप	एफ.आर.पी. स्थापित नलकूप	एफ.आर.पी. लगाया जाना शेष नलकूप
1	2	3	4	5	6	7	8
43	कोण्डागांव	—	घोड़ागांव	डोंगरी पारा	1	—	1
44	कोण्डागांव	—	घोड़ागांव	छात्रावास	1	—	1
45	कोण्डागांव	—	घोड़ागांव	नयापारा	1	1	—
46	कोण्डागांव	माकड़ी	माकड़ी	पंचायत	1	—	—
47	कोण्डागांव	—	माकड़ी	शि.ग्रा.शाखा	1	1	—
48	कोण्डागांव	—	माकड़ी	पटेलपारा	1	1	—
49	कोण्डागांव	—	माकड़ी	छेपड़ा पारा	1	1	—
50	कोण्डागांव	—	माकड़ी	राउड़ पारा	1	1	—
51	कोण्डागांव	—	माकड़ी	मारीपारा	1	—	1
52	कोण्डागांव	—	माकड़ी	आवास प्लाट(फरसापदर)	1	1	—
53	कोण्डागांव	—	माकड़ी	आवास प्लाट(फरसापदर)	1	1	—
54	माकड़ी	—	माकड़ी	उपर पारा	1	1	—
55	माकड़ी	बिजोली	बिजोली	भुजियापदर	1	—	1
56	माकड़ी	—	बिजोली	मन्जीपारा	1	1	—
57	माकड़ी	छिनारी	छिनारी	वायनदी पारा	1	1	—
58	माकड़ी	अनंतपुर	अनंतपुर	खास पारा	1	—	1
59	माकड़ी	बड़े घोड़सोड़ा	बड़े घोड़सोड़ा	मंदिर पारा	1	1	—
60	माकड़ी	बवई	बवई	खालेपारा	1	1	—
61	माकड़ी	तमरावण्ड	तमरावण्ड	कोटवार पारा	1	—	1
62	माकड़ी	देउरवाल	देउरवाल	बेलगांव पारा 1	1	—	1
63	माकड़ी	ओडारगांव	ओडारगांव	स्कूलपारा	1	1	—
64	माकड़ी	—	ओडारगांव	स्कूलपारा	1	—	1
65	माकड़ी	ओण्डरी	ओण्डरी	डोंगरी पारा	1	1	—
66	माकड़ी	मगेदा	मगेदा	रावतपारा	1	—	1
67	माकड़ी	ओटेन्डा	ओटेन्डा	खासपारा	1	1	—
68	माकड़ी	हीरापुर	हीरापुर	मांझीपारा (खासपारा)	1	1	—
69	माकड़ी	बेलोन्डी	बेलोन्डी	किडीगिपारा	1	1	—
	योग	24 पंचायत	24 ग्राम	52 बसाहट	69	35	34

परिशिष्ट "इनक्यावन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 1297) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वर्ष	मद का नाम	उपलब्ध कराई गई राशि
1	2	4
2013-14	विभागीय	35694058
	वन विकास निगम (विभागीय)	4274500
	वन विकास उपकर (व.वि.नि.)	1155640
	मनरेगा	9781639
	कैम्पा	37883000
	एफ.डी.ए.	4079805
	योग :-	92868642
2014-15	विभागीय	27115692
	वन विकास उपकर (व.वि.नि.)	2876746
	मनरेगा	15914903
	कैम्पा	17230500
	एफ.डी.ए.	668850
	एन.एम.पी.बी.	11788000
	योग :-	75594691
2015-16	विभागीय	5034841
	कैम्पा	5390000
	योग :-	10424841
	महायोग :-	178888174

प्रपत्र "ब"

वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	रोपण स्थल का नाम	राशि
1	2	3	4
2013-14	सरायपाली	सुरवीपाली कक्ष क्र. 424, 516	4196325
2013-14	महासमुद	राजासेवेर्या कक्ष क्र. 247	1342715
2013-14	महासमुद	माटीदरहा कक्ष क्र. 254	1244846
2013-14	महासमुद	माटीदरहा कक्ष क्र. 254 मिश्रित	2383253
2013-14	महासमुद	राजासेवेर्या कक्ष क्र. 247 मिश्रित	6410074
2013-14	महासमुद	माटीदरहा कक्ष क्र. 254 सागौन	6415507
2013-14	महासमुद	माटीदरहा कक्ष क्र. 254 मिश्रित	4773966
2013-14	रायकेरा	वन विकास निगम, कक्ष क्र. 810 A	243725
2013-14	रायकेरा	वन विकास निगम, कक्ष क्र. 810 B	219352
2013-14	रायकेरा	वन विकास निगम, कक्ष क्र. 806	511823
2013-14	रायकेरा	वन विकास निगम, कक्ष क्र. 81	292470
2013-14	सिरपुर	वन विकास निगम, कक्ष क्र. 132	974900
2013-14	सिरपुर	वन विकास निगम, कक्ष क्र. 133	487450
2013-14	सिरपुर	वन विकास निगम, कक्ष क्र. 134	131175
2013-14	सिरपुर	वन विकास निगम, कक्ष क्र. 176	584940
2013-14	सिरपुर	वन विकास निगम, कक्ष क्र. 180	828665
2013-14	रायकेरा	वन विकास निगम, कक्ष क्र. 768	1155640
2013-14	महासमुद	असिंचित बांस रोपण कक्ष क्र. 56	449100
—	—	लघु/वनो.औषधी रोपण कक्ष क्र. 73	851850
—	बागबाहरा	कूप क्रमांक II/जामगांव कक्ष क्रमांक.131	797208
—	—	कूप क्रमांक II/तुसदा तुसदा कक्ष क्रमांक. 85	731776
—	—	औषधि रोपण कक्ष क्रमांक 186	851850
—	पिथौरा	कूप क्रमांक II/पिथौरा, कक्ष क्रमांक 287	771580
—	—	कूप क्रमांक II/सांकरा, कक्ष क्रमांक 286	308440
—	—	कूप क्रमांक II/आरंगी, कक्ष क्रमांक 480, 481	308325
—	—	कूप क्रमांक II/लक्ष्मीपुर कक्ष क्रमांक 238	385890
—	बसना	कूप क्रमांक II/साजापाली, कक्ष क्रमांक 333	1536660
—	सरायपाली	कूप क्रमांक II/बेलडीह, कक्ष क्रमांक 344	330922
—	—	कूप क्रमांक II/कुर्मीपाली, कक्ष क्रमांक 358	331000
—	—	कूप क्रमांक II/लिमगांव, कक्ष क्रमांक 364	791250
—	—	कूप क्रमांक II/तोषगांव, कक्ष क्रमांक 49	375466
2013-14	महासमुद	महानदी तट रोपण, मुढेना	958177
—	—	महानदी तट रोपण नादगांव 1	218024
—	—	महानदी तट रोपण नादगांव 2	184287

वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	रोपण स्थल का नाम	रकबा (कि०मी०)
			4
		पिपडार नदी तट रोपण काया	241457
		पिपडार नदी तट रोपण वनसिधनी	267084
		विशदित भावला रोपण कक्ष क्र. 69	1238256
		विशदित खम्हार रोपण कक्ष क्र. 69	2316059
		विशदित विशिष्ट प्र.रोपण कक्ष क्र. 22	3695555
		विशदित विशिष्ट प्र.रोपण कक्ष क्र. 59	2299912
		आषाढ रोपण (कुल्लू) कक्ष क्र.25	1175763
	बागबाहरा	विशिष्ट प्रजाति रोपण कक्ष क्रमांक 462	1163696
		विशिष्ट प्रजाति रोपण कक्ष क्रमांक 202	521634
		विशिष्ट प्रजाति रोपण कक्ष क्रमांक 186	1907899
		विशिष्ट प्रजाति रोपण कक्ष क्रमांक 191	1992166
		सिधित सागौन रोपण कक्ष क्रमांक 190	2139592
		बगनई नदी प.ह.न. 20 खसरा नं. 19	688766
	पिथौरा	जोंकनदी राजस्व भूमि ख0नं0 811, 812	768972
		ग्राम कसहीबाहरा प0ह0नं0 14 ख0 नं0 598, 604	1326070
	बसना	ग्राम छिरालेवा ग्राम पंचायत कोटेनदादर	2204190
	सरायपाली	सुरगीनाला सल्डीह कक्ष क्रमांक 501 पार्ट 1	3323329
		सुरगीनाला सल्डीह कक्ष क्रमांक 501 पार्ट 2	
2013-14		कक्ष क्रमांक 433 (कुल्लू प्रजाति)	1735271
		कक्ष क्रमांक 397 (कुल्लू प्रजाति)	1280234
2013-14	बागबाहरा	बिछलादादर कक्ष क्रमांक 116	271915
		बी.के.बाहरा, कक्ष क्रमांक 173	776900
		बी.के.बाहरा, कक्ष क्रमांक 172	388450
		जोरातराई, कक्ष क्रमांक 170	357100
		जोरातराई, कक्ष क्रमांक 171	499940
		जामगांव, कक्ष क्रमांक 136	357100
	महासमुन्द	चोरभट्टी कक्ष क्रमांक 67	357100
		सोरिद कक्ष क्रमांक 58	357100
		गोरखेडा कक्ष क्रमांक 438	357100
		धनसुली, कक्ष क्रमांक 81	357100
2013-14	सरायपाली	पथ वृक्षारोपण कार्य सड़क के दोनों ओर फुलझर राईस मिल से सराईपतेरा मार्ग दूरी 2 कि०मी०	642146
	पिथौरा	सागौन वृक्षारोपण कार्य कक्ष क्र. 291 कूप IV ढाहाखार (पुनर्स्थापना कार्यवृत्त)	2968325
		सागौन वृक्षारोपण कार्य कक्ष क्र. 292 भाग-1 कूप IV बिजेमाल (सुधार पातन)	2981039
		सागौन वृक्षारोपण कार्य कक्ष क्र. 292 भाग-2 कूप IV बिजेमाल (सुधार पातन)	3190129
योग वर्ष 2013-2014 :-			86525980
2014-15	महासमुन्द	दरीपाली कक्ष क्र. 41	2680510

वर्ष	परिष्कार का नाम	रोपण स्थल का नाम	रोपण पर व्यय राशि
			4
2014-15	सरायपाली	टुहपाली कक्ष क्र. 497	2736220
2014-15	सरायपाली	टुहपाली कक्ष क्र. 498	3282190
	रायकरा	वन विकास निगम, कक्ष क्र. 809	824290
	रायकरा	वन विकास निगम, कक्ष क्र. 768	817491
	आरग	वन विकास निगम, कक्ष क्र. 854	1116605
	आरग	वन विकास निगम, कक्ष क्र. 814	118360
2014-15	महासमुन्द	C/II महासमुन्द RWC (बांस रोपण) 65	473525
---	---	C/II कौंदकेरा RWC (वृक्षारोपण सहित) 59	569130
---	---	C/II डूमरपाली RWC (वृक्षारोपण सहित) 53	616725
---	---	C/III भावा PMC असिंचित सागौन रोपण 1	1783760
---	---	C/III नांदगांव PMC असिंचित सागौन रोपण 69	653525
---	---	C/III रायतुम PMC असिंचित बांस रोपण 6	238950
---	---	C/III अछोला PMC असिंचित बांस रोपण 24	599325
---	---	लघु वनोपज / औषधी रोपण 20	1039170
---	बागबाहरा	C/II पाली पुनर्स्थापना कार्यवृत्त (सहित) 199	638200
2014-15	---	C/II तमोरा पुनर्स्थापना कार्यवृत्त (सहित) 140	285395
---	---	C/II आमाकोनी पुनर्स्थापना कार्यवृत्त (सहित) 145	529060
---	---	धरमुपर (अतिक्रमण क्षेत्र) कक्ष क्र. 88	1998350
---	पिथौरा	C/II बगारपाली पुनर्स्थापना कार्य वृत्त (सहित) 211	814694
---	---	C/II रामपुर पुनर्स्थापना कार्य वृत्त (सहित) 263	666404
---	---	C/II सावित्रीपुर पुनर्स्थापना कार्य वृत्त (सहित) 262	807280
---	---	C/II ढाबाखार पुनर्स्थापना कार्य वृत्त (सहित) 288	820100
---	---	C/II अरण्ड पुनर्स्थापना कार्य वृत्त (सहित) 288	508350
---	बसना	C/ II जेवरा सहित पुनर्स्थापना कार्यवृत्त 326	547476
---	---	C/ II नवागांव सहित पुनर्स्थापना कार्यवृत्त 297	551115
---	---	C/ II खुंटीपाली सहित वृक्षारोपण कार्यवृत्त 330	369120
---	सरायपाली	C/III कुर्मीपाली अ0 मिश्रित वृक्षारोपण कार्यवृत्त 358	1971056
2014-15	---	C/III लांती पुनर्स्थापना कार्यवृत्त (सहित) 361	725876
---	---	C/III सरायपाली पुनर्स्थापना कार्यवृत्त (सहित) 421	480496
---	---	C/III बहेरापाली पुनर्स्थापना कार्यवृत्त (सहित) 360	648645
2014-15	महासमुन्द	सिंचित विशिष्ट प्रजाति रोपण 69	2684926
---	---	सिंचित बांस एवं नीलगिरी वृक्षारोपण 639	2035515
---	---	असिंचित विशिष्ट प्रजाति रोपण 73	1343304
---	---	सिंचित विशिष्ट प्रजाति रोपण 74	881461
---	---	असिंचित विशिष्ट प्रजाति रोपण 445	1556997
---	---	असिंचित विशिष्ट प्रजाति रोपण 06	904345
---	---	राजस्व क्षेत्र कोसरंगी	834642
---	बागबाहरा	सिंचित रोपण (बीजा, शीशम) 190	990574

वर्ष	परिक्षेत्र का नाम	रोपण स्थल का नाम	रोपण पर व्यय राशि
1	2	3	4
---	---	असिंचित विशिष्ट प्रजाति रोपण 186	264421
---	पिथौरा	ग्राम वन वृक्षारोपण धनौरा प.ह.नं. 19 ख.नं. 01	626154
---	सरायपाली	असिंचित विशिष्ट प्रजाति रोपण 500	1231114
---	---	असिंचित विशिष्ट प्रजाति रोपण 406	1065274
---	---	ग्राम वन रोपण रा.ख.न. 381 खपरीडीह	767612
2014-15	महासमुन्द	प्राकृतिक पुनरुत्पादन कार्य, दर्शपाली 41	477750
---	---	प्राकृतिक पुनरुत्पादन कार्य, खमतराई 2	191100
2014-15	बागबाहरा	एन0एम0पी0बी0 100, 101, 102	11788000
2014-15	महासमुन्द	असिंचित बांस वृक्षारोपण शा0 राजस्व भूमि केशवा ख.न. 95, 96, 97, 101, 118	251239
---	पिथौरा	अर्जुन वृक्षारोपण भरुवामुड़ा रकबा में पौधा संख्या 206	1185864
---	बसना	ग्रामीण स्मृति वन रोपण कार्य सागरपाली	246178
---	सरायपाली	मि.रोपण गिरसा 358 पार्ट 1	1632331
---	---	मि.रोपण गिरसा 358 पार्ट 2	1849823
---	---	मि.रोपण गिरसा 358 पार्ट 3	1825462
---	---	मि.रोपण लांती 360 पार्ट 1	1896570
---	---	मि.रोपण लांती 360 पार्ट 2	1383721
---	---	मि.रोपण बानीगिरीला 495 पार्ट 1	1074133
---	सरायपाली	मि.रोपण बानीगिरीला 495 पार्ट 2	1072197
---	---	मि.रोपण तोषगांव 526 पार्ट 1	550520
2014-15	सरायपाली	मि.रोपण तोषगांव 526 पार्ट 2	527247
---	---	नारगी क्षेत्र किसड़ी	703689
---	महासमुन्द	सड़क किनारे वृक्षा. लभराखुर्द से धतेशपाली मार्ग तक दूरी 1.00 कि.मी.	410202
---	---	सड़क किनारे वृक्षा. उमरदा से सिंधी मार्ग तक दूरी 1.00 कि.मी. भाग- 1	383124
---	---	सड़क किनारे वृक्षा. उमरदा से सिंधी मार्ग तक दूरी 1.00 कि.मी. - 2	439138
---	---	सड़क किनारे वृक्षा. महासमुन्द से गौरखेड़ा तक दूरी 1.00 कि.मी.	443465
योग वर्ष 2014-2015 :-			73469795
2015-16	महासमुन्द	सिंचित विशिष्ट प्रजाति कक्ष क्र. 73	881461
---	---	सिंचित विशिष्ट प्रजाति कक्ष क्र. 77	914848
2015-16	---	टिशू कल्चर बांस पौधों का प्रायोगिक कक्ष क्र0 69	715667
---	सरायपाली	सिंचित विशिष्ट प्रजाति कक्ष क्र.494	523778
---	---	सिंचित विशिष्ट प्रजाति कक्ष क्र. 496	553182
योग वर्ष 2015-2016 :-			3588936
महायोग -			163584711

परिशिष्ट "बावन"

[अतारकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 1315) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में एवं वर्ष 2015-16 में स्वीकृत हेडपंप खनन की स्थिति में हेडपंप खनन की स्वीकृति, खनित नलकूप एवं शेष नलकूप की पंचायतवार जानकारी

स.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	विकासखंड	योजना का नाम एवं स्वीकृत हेडपंप की संख्या (2014-15)										स्वीकृत हेडपंप की संख्या (2015-16)			कुल स्वीकृत नलकूप / हेडपंप	हेडपंप के लिए कुल खनित नलकूप	नलकूप खनन हेतु शेष	टीप
			एनआरडीडब्ल्यूपी	बीआरजीएफ	आईएपी	राज्य मद बसाहट	राज्य मद शालाओं में नलकूप	अन्य मद	राज्य मद बसाहट	राज्य मद शाला	राज्य मद नगरीय	राज्य मद बसाहट	राज्य मद शाला	राज्य मद नगरीय					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	पंडरापानी	छुरिया	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	0					
2	घपसाल	छुरिया	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	0					
3	घोरतलाब	छुरिया	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	0					
4	खुशीटिकुल	छुरिया	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	0					
5	झाडीखेरी	छुरिया	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0					
6	बम्हनीचारभांठा	छुरिया	2	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	1					
7	बरबनपुर	छुरिया	4	-	-	2	-	-	-	-	-	6	6	0					
8	बाईरडीह	छुरिया	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	1					
9	बागद्वारा	छुरिया	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	0	1					
10	बडगांव	छुरिया	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	0					
11	बैरागीभेडी	छुरिया	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	0					
12	बेलरगौदी	छुरिया	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0					
13	कालिहालूती	छुरिया	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	0					
14	कशाल	छुरिया	3	-	-	2	-	-	-	-	-	5	5	0					
15	कलडवरी	छुरिया	2	1	-	1	-	-	-	-	-	4	4	0					
16	महराजपुर	छुरिया	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	0					
17	गारुलकसा	छुरिया	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	0					
18	मातेखेडा	छुरिया	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	1					
19	झितसटोला	छुरिया	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0					

परिशिष्ट "बावन"

[अताराकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 1315) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में एवं वर्ष 2015-16 में 30.06.2015 की स्थिति में हैडपंप खनन की स्वीकृति, खनित नलकूप एवं शेष नलकूप की पंचायतवार जानकारी

सं.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	विकासखंड	योजना का नाम एवं स्वीकृत हैडपंप की संख्या (2014-15)							स्वीकृत हैडपंप की संख्या (2015-16)				कुल स्वीकृत नलकूप / हैडपंप	हैडपंप के लिए कुल खनित नलकूप	नलकूप खनन हेतु शेष	टीप
			एनआरडीडब्ल्यूपी	बीआरजीएफ	आईएपी	राज्य मद बसाहट	राज्य मद शालाओं में नलकूप	अन्य मद	राज्य मद बसाहट	राज्य मद शाला	राज्य मद नगरीय	राज्य मद बसाहट	राज्य मद शाला				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	पडरापानी	छुरिया	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	0			
2	घपसाल	छुरिया	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	0			
3	घोरतलाब	छुरिया	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	0			
4	खुशीटिकुल	छुरिया	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	0			
5	झाडीखेरी	छुरिया	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0			
6	बम्हनीचारभांठा	छुरिया	2	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	1			
7	बरबसपूर	छुरिया	4	-	-	2	-	-	-	-	-	6	6	0			
8	बाईरडीह	छुरिया	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	1			
9	बागदास	छुरिया	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	0	1			
10	बडगांव	छुरिया	3	-	7	-	-	-	-	-	-	3	3	0			
11	बैरागीभेडी	छुरिया	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	0			
12	बेलरगोदी	छुरिया	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0			
13	कालिहालूती	छुरिया	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	0			
14	कंशाल	छुरिया	3	-	-	2	-	-	-	-	-	5	5	0			
15	कलड्यरी	छुरिया	2	1	-	1	-	-	-	-	-	4	4	0			
16	महराजपूर	छुरिया	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	0			
17	गारुलकसा	छुरिया	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	0			
18	मातेखेडा	छुरिया	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	1			
19	झिलराटोला	छुरिया	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0			

स.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	विकासखंड	योजना का नाम एंड स्वीकृत हैडपंप की संख्या (2014-15)										स्वीकृत हैडपंप की संख्या (2015-16)			कुल स्वीकृत नलकूप / हैडपंप	हैडपंप के लिए कुल खनिज नलकूप	नलकूप खनन हेतु शेष
			एनआरडीडरूपी	बीआरजीएफ	आईएपी	राज्य मद बसाहट में	राज्य मद शालाओं में नलकूप	अन्य मद	राज्य मद बसाहट	राज्य मद शाला	राज्य मद नगरीय	राज्य मद	राज्य मद	राज्य मद				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
20	बिटाल	छुरिया	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0				
21	शिकारीमहका	छुरिया	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	0				
22	धिरचारीखुर्द	छुरिया	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	0				
23	टिपानगढ़	छुरिया	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	0				
24	हैदलकोडो	छुरिया	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	0				
25	मंडारपुर	छुरिया	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0				
26	भकुरा	छुरिया	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0				
27	भरीटोला	छुरिया	-	1	-	2	-	-	1	-	-	4	3	1				
28	भरीटोला ब	छुरिया	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1				
29	भोलापुर	छुरिया	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	0				
30	पठानबोडकी	छुरिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	0				
31	पाटेकोहरा	छुरिया	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	0				
32	पूरामटोला	छुरिया	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	0				
33	रामपुर	छुरिया	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0				
34	रतनमांड	छुरिया	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	0				
35	सीताकसा	छुरिया	-	-	1	3	-	-	-	-	-	4	3	1				
36	सागर	छुरिया	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0				
37	साल्हे	छुरिया	-	-	1	2	-	-	1	1	-	5	1	1				
38	उमरवाही	छुरिया	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	0				
39	दामाबजारी	छुरिया	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	0				
40	जोधरा	छुरिया	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	0				
41	जोब	छुरिया	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	1				
42	जोशीलमती	छुरिया	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1				
43	नादिया	छुरिया	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0				

सं.क्र	ग्राम पंचायत का नाम	विकासखंड	योजना का नाम एवं स्वीकृत हैंडपंप की संख्या (2014-15)										स्वीकृत हैंडपंप की संख्या (2015-16)			कुल स्वीकृत नलकूप / हैंडपंप	हैंडपंप के लिए कुल खनित नलकूप	नलकूप खनन हेतु शेष	टीप
			एनआरडीडब्ल्यूपी	बीआरजीएफ	आईएपी	राज्य मद बसाहट	राज्य मद शालाओं में नलकूप	राज्य मद अन्य मद	राज्य मद बसाहट	राज्य मद शाला	राज्य मद नगरीय	राज्य मद	राज्य मद	राज्य मद					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
44	नादियाखुर्द	छुरिया	2	-	-	2	-	-	-	1	-	5	4	1					
45	अरजकुण्ड	छुरिया	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	0					
46	आयबाधा	छुरिया	2	-	-	1	-	-	1	-	-	4	4	0					
47	आमगांव	छुरिया	5	-	-	2	-	-	-	-	-	7	7	0					
48	आमगांव कु	छुरिया	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1					
49	अलीवारा	छुरिया	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	0					
50	गोपालपुर	छुरिया	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	0					
51	लक्ष्मणभरदा	छुरिया	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	0					
52	लाममेटा	छुरिया	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	0					
53	लालुटोला	छुरिया	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	0					
54	मगस्थोकरा	छुरिया	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0	1					
55	पदगुडा	छुरिया	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0	1					
56	बननवागांव	छुरिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1					
57	बैदाडी	छुरिया	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	0					
58	जयसिंगटोला	छुरिया	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0	1					
59	फाफामार	छुरिया	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0	1					
60	रंगीटोला	छुरिया	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0	1					
61	सालहेटोला	छुरिया	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0	1					
62	मरकाकरा	छुरिया	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0	1					
63	करमरी	छुरिया	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0	1					
64	तेलीनबाधा	छुरिया	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0	1					
65	चिखली	चौकी	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-					
66	बहोरभेडी	चौकी	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-					
67	चिल्हाटी	चौकी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-					

स.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	विकासखंड	योजना का नाम एवं स्वीकृत हैंडपंप की संख्या (2014-15)										स्वीकृत हैंडपंप की संख्या (2015-16)				कुल स्वीकृत नलकूप / हैंडपंप	हैंडपंप के लिए कुल खनित नलकूप	नलकूप खनन हेतु शेष	टीप
			एनआरडीडब्ल्यूपी	बीआरजीएफ	आईएपी	राज्य मद बसाहट	राज्य शालाओं में नलकूप	अन्य मद	राज्य मद बसाहट	राज्य मद शाला	राज्य मद नगरीय	राज्य मद बसाहट	राज्य मद शाला	राज्य मद नगरीय						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
68	जाडुटोला	चौकी	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1						
69	खुशीपार	चौकी	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-						
70	रेनुटोला	चौकी	2	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3	-						
71	तिरपमेटा	चौकी	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-						
72	जोरातराई	चौकी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-						
73	कंकरोटोला	चौकी	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-						
74	कुसुमकसा	चौकी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-						
75	सागली	चौकी	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-						
76	खडखडी	चौकी	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-						
77	हांडीटोला	चौकी	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-						
78	हालमकोडां	चौकी	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2						
79	चौकी	चौकी	-	-	-	1	-	-	-	-	3	4	4	-						
80	भइसना	चौकी	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-						
81	ढाडुटोला	चौकी	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-						
82	राउटोला	चौकी	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-						
	कुल :-		69	4	6	50	1	1	19	3	3	156	128	28						

परिशिष्ट "तिरपन"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 1344) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

सी.एस.आर. मद में

क्र.	उद्योग का नाम	वर्षवार व्यय राशि (रु लाख में)		
		2013-14	2014-15	2015-16
1.	मे. मध्य भारत इण्डिया प्रा० लि० ग्राम-बिरगहनी	19.75	20.00	3.00
2.	मे. आरसमेटा केप्टीव पावर लि० ग्राम-अरसमेटा	1.08	1.08	1.08
3.	मे. लाफार्ज इण्डिया प्रा० लि० ग्राम-गोपालनगर	72.60	93.82	158.80
4.	मे. प्रकाश इण्डस्ट्रीज प्रा० लि ग्राम-हथनेवंरा	135.35	91.75	26.91
5.	मे. के०एस०के० महानदी पावर कं० लि०, ग्राम-नरियरा	307.24	205.48	38.11
6.	मे. डी.बी.पावर प्रा० लि० ग्राम- बाड़ादरहा	557.99	526.84	126.86
7.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कं० लि० मड़वा तेन्दूभाठा	85.71	84.95	1.37

प्रपत्र "ब"

क्र.	उद्योग का नाम	लाभान्वित होने वाले ग्राम
1	2	3
1	मेसर्स मध्य भारत इंडिया प्रा.लिमि., चांपा	ग्राम- बिरगहनी, पिसौद, देवरहा, पीथमपुर, गाड़ापाली, भादा एवं केवा
2	मेसर्स आरसमेटा केप्टिव पावर लिमि. , जांजगीर-चांपा	ग्राम- अरसमेटा, परसदा एवं अमोरा
3	मेसर्स लाफार्ज इंडिया प्रा.लिमि.,	ग्राम- सोनसरी, परसदा, अरसमेटा, अमोरा, मुरलीडीह, किरारी/चोरभट्टी, जांजगीर, अकलतरा, मुलमुला, रिस्ता, अर्जुनी, राहौद, गोपालनगर
4	मेसर्स प्रकाश इण्ड. लिमि.,	ग्राम- जांजगीर-चांपा, कोटाडबरी, हथनेवरा, पीथमपुर, सौंठी, पिपरदा, कोसमन्दा, बिरगहनी, अमझर, बाराद्वार एवं सक्ती
5	मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमि.	ग्राम- नरियरा, तरौद, बनाहिल, रोगदा, अमोरा, मुरलीडीह, लटिया, पकरिया, अकलतरा, डोंगाकोहरौद, बसंतपुर व अन्य ग्राम
6	मेसर्स डी.बी. पावर लिमि.,	ग्राम- बाड़ादरहा एवं टुण्डी
7	मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कं. लिमि. मड़वा, तेन्दुभाठा	ग्राम- सबरिया डेरा मदनपुर, तेन्दुभाठा, मड़वा, सरखों, जर्वे दर्राभाठा, लछनपुर, खैरा, बनारी, पाली, सिवनी, बसंतपुर, जांजगीर, कुदरी, कन्हाईबंद, औराईकला,

प्रपत्र "स"

क्र.	उद्योग का नाम	सी.एस.आर. के तहत किये गये कार्य	लागत राशि (लाख में)
1	2	3	4
1	मेसर्स मध्य भारत पेपर्स लिमिटेड चापा	वृक्षारोपण	10.00
		धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्य	5.75
		खेलकूद	2.50
		शिविर कार्य	2.00
		पेयजल व्यवस्था	11.00
		जनहित कार्य	3.00
		लोक महोत्सव	4.00
		सड़क मरम्मत एवं पानी छिड़काव	4.50
		योग :-	42.75
2	मेसर्स आरसमेटा केप्टिव पावर लिमि.,	शिक्षा	3.24
		योग :-	3.24
3	मेसर्स लाफार्ज इंडिया लिमि.,	स्वास्थ्य	23.20
		रोजगार	27.70
		शिक्षा	20.80
		अधोसंरचना विकास	131.07
		वृक्षारोपण	100.00
		अन्य कार्य	22.45
		योग :-	325.22
4	मेसर्स प्रकाश इण्ड. लिमि.,	अधोसंरचना विकास	44.76
		शिक्षा	28.17
		स्वास्थ्य	11.40
		कौशल विकास	0.11
		परिवहन	13.08
		सामाजिक कार्य	84.24
		अन्य कार्य	72.25
योग :-	254.01		
5	मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमि.,	शिक्षा एवं क्षमता निर्माण	54.53
		स्वास्थ्य	64.31
		स्थायित्व विकास	9.34
		अधोसंरचना विकास विकास	391.25
		सांस्कृतिक एवं सामुदायिक सहयोग	24.09
		अन्य	7.31
योग :-	550.83		
6	मेसर्स डी.बी. पावर लिमि.,	जल प्रदाय	19.88
		अधोसंरचना विकास	259.57
		शिक्षा	30.70
		सामाजिक कार्य	786.84
		स्वास्थ्य	50.81
		वृक्षारोपण	0.66
		अन्य कार्य	63.23
योग :-	1211.69		
7	मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमि. मड़वा, तेन्दूभाटा	पेयजल	45.29
		अधोसंरचना विकास	126.74
		योग :-	172.03
		महायोग :-	2559.77

परिशिष्ट "चौवन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 1507) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में दिनांक 01.6.2015 तक विधानसभा क्षेत्र तखतपुर अंतर्गत प्रदूषित जल से प्रभावित चिन्हांकित ग्राम

क्रमांक	प्रदूषित जल से प्रभावित चिन्हांकित ग्राम का नाम
1	अरईबंद
2	बहतराई
3	राम्हेपुर
4	हरदी
5	जरौधा
6	चोरहासिघनपुरी
7	खरगहना
8	कोडापुरी
9	केकराड
10	कुरेली
11	ठाकुरकापा
12	लाखासार
13	पाली
14	पोडी
15	सावाडबरा
16	राजपुर
17	सैदा
18	साल्हेकापा
19	खटोलिया
20	उसलापुर
21	सफरीभाठा
22	पुरा
23	सिंघनपुरी
24	विजयपुर
25	कंचनपुर
26	भीमपुरी

वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 (दिनांक 01.06.2015 तक) में प्रदूषित जल से प्रभावित (लौह आधिक्य) चिन्हांकित ग्रामों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

प्रपत्र "ब"

क्र.	विकास खंड	प्रभावित ग्राम का नाम	ग्राम की जनसंख्या	ग्राम में स्थापित कुल हैण्डपंप	लौह प्रभावित हैण्डपंपों की संख्या	सेलेनिटी प्रभावित हैण्डपंपों की संख्या	लौह प्रभावित हैण्डपंपों में स्थापित आईआरपी की संख्या	शुद्ध पेयजल प्रदाय करने वाले हैण्डपंपों की संख्या (5-6-7+8)	स्थापित नलजल योजना	स्थापित स्थल स्रोत योजना	स्थापित सोलर पंप/सिंगल फेस पावर पंप	शुद्ध पेयजल प्रदाय (LPCD)	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	तखतपुर	अरईबंद	1182	8	0	1	0	7	-	-	0/1	40	वर्तमान में प्रदूषित जल से प्रभावित समस्त ग्रामों में शुद्ध हैण्डपंपों, प्रभावित हैण्डपंपों में आईआरपी स्थापित कर, नलजल योजना, स्थल स्रोत योजना, सोलर पंप, सिंगल फेस पावर पंप द्वारा पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
2	तखतपुर	बहतराई	2677	13	0	1	0	12	हां	-	0/2	45	
3	तखतपुर	राम्हेपुर	331	6	0	1	0	5	-	-	-	45	
4	तखतपुर	हरदी	1635	10	1	0	1	10	हां	-	0/1	45	
5	तखतपुर	जरौधा	3269	16	1	0	1	16	हां	-	0/5	43	
6	तखतपुर	चौरहासिधनपुरी	876	12	1	0	1	12	-	-	-	42	
7	तखतपुर	खरगहना	2150	13	1	0	1	13	-	-	-	43	
8	तखतपुर	कोडापुरी	2486	17	0	1	0	16	हां	-	-	44	
9	तखतपुर	केकराड	987	13	1	0	1	13	-	-	0/3	42	
10	तखतपुर	कुरेली	1417	14	1	0	1	14	-	हां	0/11	40	
11	तखतपुर	ठाकुरकापा	456	5	2	0	1	4	-	-	0/2	41	
12	तखतपुर	लाखासार	3132	34	0	1	0	33	हां	-	0/0	45	
13	तखतपुर	पाली	828	24	1	0	1	24	-	-	-	42	
14	तखतपुर	पोडी	1209	13	2	0	1	12	-	-	-	41	
15	तखतपुर	सावाडबरा	531	8	2	0	1	7	-	-	0/1	46	

क्र.सं.	खण्ड	प्रभावित ग्राम का नाम	ग्राम की जनसंख्या	ग्राम में स्थापित कुल हैण्डपंप	लौह प्रभावित हैण्डपंपों की संख्या	सलेनिटी प्रभावित हैण्डपंपों की संख्या	लौह प्रभावित हैण्डपंपों में स्थापित आईआरपी की संख्या	शुद्ध पेयजल प्रदाय करने वाले हैण्डपंपों की संख्या (5-6-7+8)	स्थापित नलजल योजना	स्थापित स्थल स्रोत योजना	स्थापित सौलर पंप/सिंगल फेस पावर पंप	शुद्ध पेयजल प्रदाय (LPCD)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	तखतपुर	राजपुर	1656	10	1	0	1	10	-	-	0/3	42	वर्तमान में प्रदूषित जल से प्रभावित सगस्त ग्रामों में शुद्ध हैण्डपंपों, प्रभावित हैण्डपंपों में आईआरपी स्थापित कर, नलजल योजना, स्थल स्रोत योजना, सौलर पंप, सिंगल फेस पावर पंप द्वारा पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
17	तखतपुर	सैदा	3713	13	1	1	1	12	हां	-	0/1	44	
18	तखतपुर	साहूकापा	1351	12	1	0	1	12	-	-	-	42	
19	तखतपुर	खटोलिया	579	5	1	0	1	5	-	-	-	40	
20	तखतपुर	उसलापुर	5058	18	1	0	1	18	हां	-	-	42	
21	तखतपुर	सफरीभाठा	635	8	1	0	1	8	-	-	-	43	
22	तखतपुर	पुरा	1182	16	1	0	0	15	-	-	1/1	42	
23	तखतपुर	सिंघनपुरी	1209	10	1	0	0	9	-	-	0/1	42	
24	तखतपुर	विजयपुर	1508	18	1	0	0	17	-	-	-	40	
25	तखतपुर	कंचनपुर	1182	12	1	0	1	12	-	-	0/1	41	
26	तखतपुर	भीमपुरी	1708	14	0	1	0	13	-	-	1/0	40	
योग :-									7	1	2/33		

परिशिष्ट "पंचपन"

[अव्यक्त प्रश्न संख्या 38 (क्र. 1520) की जानकारी]

लाफार्ज सीमेंट संयंत्र द्वारा सी.एस.आर. मद में वर्ष 2011 से 2015 तक राशि व्यय की जानकारी

क्र.सं.	ग्राम	स्वास्थ्य	रोजगार	शिक्षा	अधोसंरचना	अन्य कार्य		(राशि लाख रुपये में)
						सामुदायिक स्वास्थ्य	शिक्षा पर व्यय	
1	सोनरारी	8.28	9.43	5.00	30.20	1.00	53.91	
2	परसदा	8.28	9.43	5.00	26.68	1.00	50.39	
3	आरसमेटा	8.28	9.43	5.00	30.20	1.00	53.91	
4	अमोरा	8.28	9.43	5.30	32.00	1.00	56.01	
5	मुरलीडीह	0.00	0.00	0.00	24.55	0.30	24.85	
6	किरारी / चोरभट्टी	1.08	1.00	10.50	17.45	0.45	30.48	
7	जांजगीर	0.00	0.00	0.00	26.25	24.00	50.25	
8	अकलतरा	0.00	0.00	0.00	16.00	0.20	16.20	
9	मुलमुला, रिस्दा, अर्जुनी, र्हौद	0.00	0.00	0.00	5.15	0.00	5.15	
10	गोपालनगर (आरसमेटा)	137.89	0.00	120.37	0.00	0.00	258.26	

परिशिष्ट "छप्पन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 1521) की जानकारी]

(राशि रु. लाख में)

क्र.	कार्य विवरण	स्वीकृत राशि	कार्य की स्थिति
1	दैनिक आम बाजार वार्ड क्रमांक 14 में सड़क, नाली प्रकाश एवं पेयजल व्यवस्था हेतु	40.35	अप्रारंभ
2	राधेश्याम यादव के घर से कन्या हाई स्कूल के सामने पुलिया तक आर.सी.सी नाली निर्माण कार्य	7.80	अप्रारंभ
3	वार्ड क्रमांक 12 में नीलकमल मिरी घर से जगदेव घर तक सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य	24.92	अप्रारंभ
4	वार्ड क्रमांक 12 में नीलकमल मिरी घर से जगदेव घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य	13.07	अप्रारंभ
5	वार्ड क्रमांक 13 रेस्ट हाउस से पेट्रोल पंप के पास तक बिलासपुर-कोरबा मेन रोड़ के दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य	13.86	अप्रारंभ
6	13 वां वित्त	12.00	दिनांक 08.07.2015 को निविदा प्रकाशित की गई
7	सैप्टिक टैंक मशीन कय हेतु	6.30	
8	पार्षद निधि	30.00	
	योग	148.30	

परिशिष्ट "सनतावन"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 1532) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

वर्ष 2013-14

क्र.	औद्योगिक इकाई का नाम व पता	उद्योग में उत्पादन प्रारंभ तिथि	वितरित ब्याज अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मेसर्स हरसहाय बालाराम, गतुला	04/01/2010	255852.00
2	.. अमितेश इन्टरप्राइजेस, कलडबरी	01/09/2009	266808.00
3	.. जे0के0एस0 ब्रिक्स, ककरेल	28/12/2009	106191.00
4	.. आदर्श फ्लाई एश ब्रिक्स, कुमरा छुरिया	10/08/2011	190497.00
5	.. वेदान्त पॉली एग्रो, औ0 सं0 राजनांदगांव	06/04/2012	1292120.00
6	.. एस0के0 ब्रिक्स, जोरातराई	30/06/2010	136359.00
7	.. श्री गीता ट्रेडर्स, तुमड़ीबोड	23/06/2008	121858.00
8	.. गोविंदम फ्लाई एश ब्रिक्स, मोतीपुर राज.	14/03/2010	268910.00
9	.. बेचर फुड प्रोडक्ट, मचानपार	01/05/2010	29053.00
10	.. टाटा इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन, औ0सं0 राजनांदगांव	04/09/2008	74754.00
11	.. न्यू गुप्ता डेयरी प्रोडक्ट, हमालपारा, राज0	23/10/2009	63043.00
12	.. एलीगेन्स पाईप इण्डस्ट्रीज, जोरातराई	01/06/2010	1058557.00
13	.. जगन्नाथ पोहा उद्योग, गतुला	07/06/2009	293915.00
14	.. महेश उद्योग, डोंगरगांव	15/11/2011	57692.00
15	.. गोपाल एग्रो इण्डस्ट्रीज, रीवागहन	25-8-25008	123945.00
16	.. जनता इण्डस्ट्रीज, पैरी	07/04/2008	22954.00
17	मेसर्स कल्पना ट्रेडिंग कंपनी, अंजोरा	02/02/2008	70052.00
18	.. जगन्नाथ-जी माईनकेम इंडस्ट्रीज, बिजेतला	14/01/2007	25833.00
19	.. पारस ड्रिप इरीगेशन, औ. स. राजनांदगांव	21/01/2011	425217.00
20	.. श्री सालासर फुड्स, घोरदा	16/02/2010	351851.00
21	.. जे0 आर0 राईस इण्डस्ट्रीज, गतुला	14/01/2009	1241449.00
22	.. केशरी रेडीमेड उद्योग, सदर बाजार, राज0	03/09/2006	46499.00
23	.. जवरीलाल अंकित कुमार जैन, बसंतपुर	01/01/2008	7396.00
24	.. साईकृपा फ्लाई एश ब्रिक्स, भरगांव	17/09/2010	13296.00
25	.. आकाश इण्डस्ट्रीज, पटेल टिम्बर मार्केट, राज0	17/02/2010	62313.00

क्र.	औद्योगिक इकाई का नाम व पता	उद्योग में उत्पादन प्रारंभ तिथि	वितरित धन अनुदान की राशि
1	2	3	4
26	.. श्री बालाजी मुरमुरा उद्योग, चौथना	08/08/2008	10380.00
27	.. एम0जी0 रिकलेम्स, सांकरा	01/12/2009	473941.00
28	.. श्री मारुति इण्डस्ट्रीज, परमालकसा	05/06/2010	96058.00
29	.. जे0के0 राईस मिल, खैरझिटी	16/12/2008	242604.00
30	.. माँ शारदा पाईप इण्डस्ट्रीज, नांदिया	01/05/2008	47655.00
31	.. रॉयल फ्लाई एश ब्रिक्स, ढोडिया	20/06/2011	49523.00
32	.. सांवरिया रिनिवेबल एनर्जी साल्यूशन प्रा0लि0, सोमनी	15/01/2012	411380.00
33	.. शारदा ब्रिक्स, कलडबरी	04/09/2008	12670.00
34	.. गुरुकृपा गृह उद्योग, कोटरासरार	01/05/2008	9050.00
35	.. कांकरिया पोहा मुरमुरा उद्योग, दीवानभेड़ी	14/02/2010	15902.00
36	.. रस्तोगी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, टेडेसरा	12/08/2006	706220.00
37	.. शिव फ्लाई एश ब्रिक्स, खुज्जी डोंगरगांव	01/02/2012	94000.00
38	.. सोनू ब्रिक्स, ग्राम-सांकरा,	25/11/2011	189180.00
39	.. मदन फुड प्रोडक्ट, पनेका	01/09/2008	16907.00
40	.. आकाश इण्डस्ट्रीज, प्लाट क. 31-ए, औ.सं. राज0	12/11/2011	594645.00
41	मेसर्स सूर्यकिरण इण्डस्ट्रीज, औ.क्षेत्र, सोमनी	03/09/2012	119023.00
42	.. एवरग्रीन इण्डस्ट्रीज, महरूमखुर्द	01/06/2011	190805.00
43	.. सिम्पलेक्स मेटल्स, टेडेसरा	01/01/2012	3573438.00
44	.. जय अम्बे ब्रिक्स, खैरागढ़	10/05/2011	34625.00
45	.. रियल स्टील प्रोजेक्ट प्रा0लि0, जोरातराई	14/09/2009	1288480.00
46	.. शिवनाथ उद्योग, टेडेसरा	29/01/2013	464318.00
47	.. पॉलीबाण्ड रॉक फाईबर प्रा0लि0, बाकल	13/04/2013	2311548.00
48	.. पवन गृह उद्योग, गतुला	04/04/2012	7826.00
49	.. जी0एम0 स्टील वॉयर, बापूटोला, छुरिया	09/02/2013	315527.00
50	.. जय भोले फ्लोर मिल, भेड़ीकला	04/06/2012	37312.00
51	.. श्री लेमिनेट्स, ग्राम- ककरेल	05/08/2012	455624.00
		कुलयोग	18375055.00

वर्ष 2014-15

क्र.	औद्योगिक इकाई का नाम व पता	उद्योग में उत्पादन प्रारंभ तिथि	वितरित ब्याज अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मेसर्स शिखरचंद वैद, ग्राम- पैरी	27/08/2012	879833.00
2	.. तुलसी दाल मिल, ग्राम-बरगा	02/04/2013	660062.00
3	.. हरसहाय बालाराम, गदुला	04/01/2010	90633.00
4	.. न्यू गुप्ता डेयरी प्रोडक्ट, राजनांदगांव	23/10/2009	74534.00
5	.. एवरग्रीन इण्डस्ट्रीज, महरूमखुर्द	01/06/2011	657933.00
6	.. शांति आईल मिल, ग्राम बीजाभाठा	30/06/2013	161485.00
7	.. पॉलीबाण्ड रॉक फाईबर प्रा०लि०, बाकल	13/04/2013	2192294.00
8	.. सांवरिया रिनिवेबल एनर्जी साल्यूशन प्रा०लि०, सांकरा	15/01/2012	102563.00
9	.. हाईटेक रॉक फाईबर प्रा०लि०, सांकरा	30/11/2012	4500000.00
10	.. पारस ड्रिप इरीगेशन, औ०सं० राजनांदगांव	21/01/2011	194319.00
11	.. एस०के० ब्रिक्स, जोरातराई	30/06/2010	47459.00
12	.. पवन गृह उद्योग, ग्राम-बोरी	04/04/2012	42782.00
13	.. जगन्नाथ पोहा उद्योग, गदुला	07/06/2009	17160.00
14	.. जय भवाल चना मुरमुरा उद्योग, पनेका	25/02/2013	530303.00
15	.. बेचर फूड प्रोडक्ट, मचानपार	01/05/2010	2091.00
16	.. वेदांत पॉली एग्रो, औ० सं० राजनांदगांव	06/04/2012	1671185.00
17	.. जी०एम० स्टील वॉयर, बापूटोला छुरिया	09/02/2013	430465.00
18	.. जय भोले फ्लोर मिल, भेड़ीकला	04/06/2012	121330.00
19	.. श्री मारुति इण्डस्ट्रीज, परमालकसा	05/06/2010	163435.00
20	.. वर्चुअल क्लोन, भेड़ीकला	15/09/2013	140311.00
21	.. श्री लेमिनेट्स, ग्राम-ककरेल	05/08/2012	1148250.00
22	.. शिवनाथ उद्योग, टेडेसरा	29/01/2013	390498.00
23	.. एलीगेन्स पाईप इण्डस्ट्रीज, जोरातराई	01/06/2010	674965.00
24	.. शिवम फेब्रीकेशन, रीवागहन	02/06/2013	169725.00
25	.. आदर्श फ्लाई एश ब्रिक्स, कुमरा छुरिया	10/08/2011	101833.00

क्र.	औद्योगिक इकाई का नाम व पता	उद्योग में उत्पादन प्रारंभ तिथि	वितरित अनुदान की राशि
1	2	3	4
26	.. शारदा ब्रिक्स, कलडबरी	04/09/2008	15010.00
27	.. नालसन्स इंजीनियर्स (ई) प्रा०लि०, टेडेसरा	15/07/2007	418030.00
28	.. अभिनेश इन्टरप्राइजेस, कलडबरी	01/09/2009	48248.00
29	.. सुरभि डेयरी प्रोडक्ट, पनेका	02/09/2012	197608.00
30	.. गोविंदम फ्लाई एश ब्रिक्स, राजनांदगांव	14/03/2010	132147.00
31	.. आकाश इण्डस्ट्रीज, 31/ए औ०सं० राज०	12/11/2011	107843.00
32	.. रॉयल फ्लाई एश ब्रिक्स, ढोड़िया	20/06/2011	4367.00
33	.. सूर्यकिरण इण्डस्ट्रीज, औ० क्षेत्र सोमनी	03/09/2012	91748.00
34	.. आकाश इण्डस्ट्रीज, पटेल टिम्बर मार्केट राज.	17/02/2010	24147.00
35	.. सिम्पलेक्स मेटल्स, टेडेसरा	01/01/2012	609041.00
36	.. जैन इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन, प्लाट क्र. 29 औ०सं० राज०	04/03/2011	82026.00
37	.. जैन इण्डस्ट्रीज, प्लाट क्र. 28 औद्यो. संस्थान, राजनांदगांव	01/05/2011	205926.00
38	.. जैन एग्रो इण्डस्ट्रीज, पनेका	07/04/2013	314528.00
39	.. मॉ सतरूपा पोहा उद्योग, फरहद	03/07/2012	850478.00
40	.. श्री लेम काफ्ट प्रा०लि०, सांकरा	20/02/2014	2122558.00
41	.. राधेकृष्ण बेकर्स, जोरातराई	23/11/2013	495229.00
42	.. जय अम्बे ब्रिक्स, बल्देवपुर, खैरागढ़	10/05/2011	96425.00
43	.. विधि इण्डस्ट्रीज, ठाकुरटोला	21/05/2010	189159.00
44	.. सोनू ब्रिक्स, ग्राम- सांकरा	25/11/2011	7583.00
45	.. हिन्दुस्तान रिफायनरी प्रा०लि०, मक्काटोला	02/06/2014	497054.00
46	.. शिवशक्ति एग्रो, ग्राम बोरी	10/05/2014	59964.00
47	.. सनटेक जियो टेक्सटाईल प्रा०लि०, नाथूनवागांव	08/04/2014	2866457.00
48	.. जयराम पॉली प्रिंटेर्स, ग्राम-सिंघोला	15/09/2013	688977.00
49	.. साईबाबा एग्रो, कांकेतरा	25/10/2014	678585.00
50	.. शिव फ्लाई एश ब्रिक्स, खुज्जी	01/02/2012	18150.00
51	.. ग्रीन गोल्ड इरीगेशन प्रा०लि०, डोंगरगढ़	08/11/2013	369585.00
52	.. अरोरा वेयर हाउसिंग, चौथना डोंगरगढ़	25/07/2014	78679.00
		कुलयोग-	26435000.00

वर्ष 2015-16 (20 जून 2015 तक)

क्र.	औद्योगिक इकाई का नाम व पता	उद्योग में उत्पादन प्रारंभ तिथि	वितरित ब्याज अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मेसर्स अरोरा वेयर हाउसिंग, ग्राम-चौथना डोंगरगढ़	25/07/2014	49365.00
2	.. पारस ड्रिप इरिगेशन, औ.सं. राजनांदगाव	21/01/2011	15358.00
3	.. शिव फ्लाई एश ब्रिक्स, ग्राम-खुज्जी, तह. डोंगरगाव.	01/02/2012	4534.00
4	.. आकाश इण्डस्ट्रीज, औ.सं. राजनांदगाव	12/11/2011	50251.00
5	.. शिखरचंद वैद, ग्राम-पैरी	27/08/2012	42593.00
6	.. सुरभि डेयरी प्रोडक्ट, ग्राम-पनेका	02/09/2012	14215.00
7	.. वर्चुअल क्लोन, ग्राम-भेड़ीकला	15/09/2013	19326.00
8	.. वेदांत पाली एग्री, औ.सं. राजनांदगाव	06/04/2012	158551.00
9	.. ग्रीन गोल्ड इरीगेशन प्रा०लि०, डोंगरगढ़	08/11/2013	37494.00
10	.. राधेकृष्ण बेकर्स, ग्राम-जोरातराई, पो० बोरी	23/11/2013	45710.00
11	.. श्री लेम क्राफ्ट प्रा.लि. ग्राम-सांकरा	20/02/2014	391268.00
12	.. पॉलीबॉर्ड राक फाईवर, प्रा.लि. ग्राम-बाकल	13/04/2013	367157.00
13	.. विधि इण्डस्ट्रीज, ग्राम-ठाकुरटोला	21/05/2010	5021.00
14	.. तिरुपति इण्डस्ट्रीज, ग्राम-काकेतरा	06/09/2013	38302.00
15	.. शिवशक्ति एग्री, ग्राम-बोरी	10/05/2014	55466.00
16	.. माँ सतरूपा पोहा उद्योग, ग्राम-फरहद	03/07/2012	24558.00
17	.. जय भवाल चना मुरमुरा उद्योग, ग्राम-पनेका	25/02/2013	25154.00
18	.. सनटेक जियो टेक्सटाईल प्रा.लि., नाथूनवागांव	08/04/2014	497047.00
19	.. हिन्दुस्तान रिफायनरी प्रा०लि०, ग्राम-मक्काटोला	02/06/2014	42809.00
20	.. माँ वैष्णव क्रिम्स, ग्राम-धर्मापुर	31/10/2014	43148.00
21	.. तुलसी दाल मिल, ग्राम-बरगा	02/04/2013	67852.00
22	.. शांति आईल इण्डस्ट्रीज, ग्राम-बीजाभाठा	30/06/2013	15592.00

क्र.	औद्योगिक इकाई का नाम व पता	उद्योग में उत्पादन प्रारंभ तिथि	वितरित ब्याज अनुदान की राशि
1	2	3	4
23	.. शिव्र फेबीकेशन, ग्राम-रीवागहन	02/06/2013	19611.00
24	.. जैन इण्डस्ट्रीज, औ.सं. राजनांदगांव	01/05/2011	7896.00
25	.. जैन इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन, औ.सं. राजनांदगांव	04/03/2011	2734.00
26	.. आकाश इण्डस्ट्रीज, पटेल टिम्बर मार्केट राजनांदगांव	17/02/2010	2137.00
27	.. डी.एस. इण्डस्ट्रीज, औ.सं. राजनांदगांव	26/12/2013	97334.00
28	.. साई बाबा एग्रो, ग्राम-काकेतरा	25/10/2014	82782.00
29	.. एवरग्रीन इण्डस्ट्रीज, ग्राम-महरूमखुर्द	01/06/2011	27087.00
		कुलयोग-	2250352.00

परिशिष्ट "अनठावन"

[अतारकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 1536) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

वैशालीनगर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्थापित थानों में स्वीकृत, पदस्थ एवं रिक्त बल की जानकारी

क्र०	थाने का नाम	स्वीकृत बल						पदस्थ बल						रिक्त बल					
		निरी.	उनि.	सउनि.	प्रआर.	आर.	योग	निरी.	उनि.	सउनि.	प्रआर.	आर.	योग	निरी.	उनि.	सउनि.	प्रआर.	आर.	योग
1	थाना जामुल	1	2	4	8	50	65	1	3	3	8	35	50	रिक्त नहीं	रिक्त	1	रिक्त नहीं	15	16
2	थाना सुपेला	1	2	4	8	50	65	1	8	7	21	86	123	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त	रिक्त
3	थाना छावनी	1	6	7	20	69	103	1	6	6	13	49	75	रिक्त	रिक्त	1	7	20	28
उक्त थानों के बल का योग :-		3	10	15	36	169	233	3	17	16	42	170	248	रिक्त नहीं	रिक्त	2	7	35	44

नोट :- 1. थाना जामुल में 01-उ.नि., थाना सुपेला में 06-उ.नि., 03-स.उ.नि., 13-प्र0आर0, 36-आर0 संख्याधिक बल पदस्थ है।

2. उक्त तीनों थानों का कुल स्वीकृत बल 233 है। जिसके विरुद्ध कुल बल 248 पदस्थ है। उ.नि.-07, स.उ.नि.-01, प्र0आर0-06, आर0-01 कुल-15 पुलिस कर्मी अधिक पदस्थ है।

3. वैशालीनगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सुपेला थाना के नियंत्रण में स्थापित पुलिस सहायता केन्द्र स्मृतिनगर में अपर्याधिक घटनाओं के नियंत्रण हेतु 01 उप निरीक्षक, 06 प्र0आर एवं 18 आरक्षक जिले में उपलब्ध बल से कार्य हेतु संलग्न किये गये हैं।

परिशिष्ट "उनसठ"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 1539) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार-

क्रमांक	थाना	अवैध शराब बिक्री के प्रकरणों की संख्या	अवैध शराब परिवहन के प्रकरणों की संख्या
1	कोतवाली	30	1
2	गोलवाजार	5	1
3	मौदहापारा	4	1
4	गंज	10	2
5	सिविल लाईन	24	2
6	तेलीवांधा	11	1
7	देवेन्द्र नगर	3	0
8	पंडरी	14	4
9	विधान सभा	22	5
10	टिकरापारा	43	2
11	सेजबहार	7	1
12	आजादचौक	18	2
13	सरस्वती नगर	9	0
14	आमानाका	9	6
15	डी.डी. नगर	4	3
16	कबीर नगर	0	0
17	पुरानी बस्ती	19	4
18	राजेन्द्र नगर	7	3
19	उरला	22	2
20	खमतराई	35	3
21	गुड़ियारी	18	2
22	धरसीवा	46	15
23	माना	4	5
24	मन्दिरहसौद	46	7
25	अभनपुर	46	2
26	आरंग	57	8
27	राखी	29	0
28	नयापारा	35	5
29	खरोरा	70	14
30	नेवरा	40	16
	योग	687	117

प्रपत्र "ब"

जिले से प्राप्त जानकारी अनुसार-							
क्रं	धाना	अवैध शराब बिक्री के प्रकरणों की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	अवैध शराब परिवहन के प्रकरणों की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	अवैध शराब बिक्री के जप्त शराब की मात्रा (लीटर)	अवैध शराब परिवहन के जप्ती शराब की मात्रा (लीटर)
1	कोतवाली	30	30	1	1	193.84	8.64
2	गोलबाजार	5	5	1	2	37.98	315
3	मौदहापारा	4	5	1	1	21.96	5.04
4	गंज	10	11	2	2	100.0	16.507
5	महिला धाना	0	0	0	0	0	0
6	सिविल लाईन	24	24	2	2	135.13	28.08
7	तेलीबांधा	11	9	1	0	67.00	352.05
8	देवेन्द्र नगर	3	3	0	0	19.00	0
9	पंडरी	14	14	4	4	71.72	35.46
10	विधान सभा	22	25	5	6	103.4	1294.08
11	टिकरापारा	43	43	2	1	285.97	60.48
12	सेजबहार	7	8	1	1	22.51	95.0
13	आजादचौक	18	19	2	2	97.71	151.50
14	सरस्वती नगर	9	9	0	0	52.68	0
15	आमानाका	9	9	6	7	51.12	205.92
16	डी.डी. नगर	4	4	3	3	32.76	14.4
17	कबीर नगर	0	0	0	0	0	0.000
18	पुरानी बस्ती	19	18	4	3	3658.57	84.96
19	राजेन्द्र नगर	7	7	3	3	42.96	335.73
20	उरला	22	24	2	2	136.08	44.28
21	खमतसाई	35	35	3	8	294.42	136.26
22	गुड़ियारी	18	18	2	3	219.64	28.08
23	धरसीवा	46	47	15	22	157.5	697.474
24	माना	4	4	5	8	19.44	21.46
25	मन्दिरहसीद	46	46	7	7	317.69	1924.3
26	अमनपुर	46	52	2	3	344.29	21.52
27	आरंग	57	60	8	13	901.32	417.96
28	राखी	29	29	0	0	100.87	0
29	नयापारा	35	39	5	11	207.0	44.02
30	खरोरा	70	72	14	19	835.56	1604.16
31	नेवरा	40	43	16	19	130.18	36.90
योग		687	712	117	153	8658.3	7979.261

परिशिष्ट "साठ"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 1540) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

—जन्म पाम्ट के अन्तगत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (विना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 मि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़ दिनांक: 09/2010-2012"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 25 सितम्बर 2010—आश्विन 3, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2010

अधिसूचना

क्रमांक 5062/1405/18/2010.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका नियम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 317-अ सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 355 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—

(1) ये नियम "छत्तीसगढ़ नगरपालिका नियम (सेल्यूलर मोबाईल फोन के लिये अस्थाई टावर या संरचना का निर्माण) नियम 2010" कहलाएंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ :— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(1) "अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगरपालिका नियम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961)

(2) "आवेदक" से अभिप्रेत है, कोई भी आवेदक जो किसी संस्था या कम्पनी का अधिकृत प्रतिनिधि यथा अध्यक्ष, सचिव, जनरल मैनेजर या किसी अन्य पदनाम का हो, जो किसी नगरपालिका क्षेत्र में दूरसंचार के प्रयोजन हेतु टावर/स्टिले स्टेसन स्थापित करने हेतु इच्छा रखता हो।

"नगरपालिका" से अभिप्रेत है, जिसका नगरपालिका निगम का आयुक्त

नगरपालिका अधिकारी" से अभिप्रेत है, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत का मुख्य नगरपालिका अधिकारी,

"सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, नगर निगम के मामले में आयुक्त एवं नगरपालिका परिषद् तथा नगर पंचायत के मामले में मुख्य नगरपालिका अधिकारी,

- (6) "प्रारूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों के संलग्न प्रारूप (प्रारूपों)
- (7) "शासन" से अभिप्रेत है, राज्य शासन,
- (8) "नगरपालिका क्षेत्र" से अभिप्रेत है, ऐसा प्रादेशिक क्षेत्र जो किसी नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की सीमा के भीतर आता हो,
- (9) "नगरपालिका" से अभिप्रेत है, तत्समय विद्यमान नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत,
- (10) "अधिभोगी" से अभिप्रेत है, किसी भी भूमि या भवन का स्वामी,
- (11) "अनुज्ञा" से अभिप्रेत है, इन नियमों से सुसंगत एवं उसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली/प्रदान की गई, कोई भी अनुज्ञा या अनुमति,
- (12) "सार्वजनिक स्थान" से अभिप्रेत है, कोई भी ऐसा स्थान जो निजी सम्पत्ति न हो और जो जनता के उपयोग के लिए खुला हो, चाहे ऐसा स्थान नगरपालिका में चिह्नित हो या न हो,
- (13) "टॉवर" से अभिप्रेत है, सेल्यूलर फोन दूरसंचार प्रणाली हेतु स्थापित कोई अस्थायी टॉवर/संरचना,

3. **विस्तार तथा लागू होना :-** ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य में सम्पूर्ण नगरपालिका निगमों, नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में प्रवृत्त होंगे।

4. **टॉवर स्थापित करने अथवा उसके नवीनीकरण हेतु आवेदक, प्रारूप-एक में आवेदन नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे :-**

- (1) भवन स्वामी की सहमति तथा उसके साथ करारनामा,
- (2) इन नियमों द्वारा यथा विहित अनुज्ञा शुल्क/नवीनीकरण शुल्क जमा करने के प्रमाण स्वरूप रसीद,
- (3) रिक्त भूमि में टॉवर स्थापित किया जाना प्रस्तावित होने की दशा में भूमि स्वामी की सहमति तथा उसके साथ करारनामा,
- (4) टॉवर की स्थापना हेतु भवन तथा टॉवर की सम्बद्ध इन्डिंग तथा संरचनात्मक सुरक्षा (स्ट्रक्चरल सेफ्टी) व स्थिरता से सम्बंधित प्रमाण पत्र किसी क्वालिफाईड स्ट्रक्चरल इंजीनियर से तैयार करना, जो निम्नलिखित किसी संस्था का हो :-
1. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर,

2. किसी भी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से प्रमाण पत्र,

अन्य कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जायेगा।

- (5) हाईटेशन विद्युत लाईन के समीप टॉवर होने की स्थिति में यथाथ दूरी का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए,
- (6) शक्तिपूर्ति बंधपत्र में यह स्पष्ट चर्चित होना चाहिए कि आवेदक, किसी भी हानि या कारत शक्ति या किसी सिविल या आपराधिक कार्यवाहियों के परिणाम के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।

- (7) जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, वहाँ सर्विस प्रदायकता एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक ट्रांजिजेंट कंट्रोलर से अनायास प्रमाण पत्र प्राप्त तथा प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार प्राचीन/एतिहासिक इमारतों के फास टॉवर स्थापित करने की दशा में पुरातत्व विभाग से अनायास प्राप्त कर संलग्न करना होगा।
- (8) संवेदनशील भवनों तथा मंत्रालय, विधान सभा, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर टॉवर संस्थापित किया जाना प्रस्तावित होने की स्थिति में संबंधित विभाग, गृह विभाग से अनायास प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करेंगे तथा उसे संलग्न करना होगा।
5. (i) प्रत्येक टॉवर/रिले स्टेशन के ऊपर लालबत्ती सिग्नल स्थापित किया जाना चाहिए और प्रत्येक टॉवर/रिले स्टेशन के लिए तड़ित चालक तंत्र (लाईटनिंग कण्डक्टर) स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ii) अग्नि दुर्घटना से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।
- (iii) टॉवर के पास लगे जनरेटर सेट द्वारा उत्पन्न वायु तथा ध्वनि प्रदूषण छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल के मानक के अनुसार निश्चित होना चाहिए।

6. अनुज्ञा शुल्क/नवीनीकरण शुल्क तथा जहाँ हो, वहाँ समझौता शुल्क निम्नानुसार होगा :-

नगर पालिका	अनुज्ञा शुल्क (एक बार)	वार्षिक नवीनीकरण शुल्क	समझौता शुल्क
नगरपालिका निगम	₹. 75,000/-	₹. 15,000/-	अनुमति शुल्क का 15 से 50 गुणा।
नगरपालिका परिषद्	₹. 50,000/-	₹. 10,000/-	
नगर पंचायत	₹. 25,000/-	₹. 5,000/-	

7. पश्चात्कालीन वर्षों के लिए नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद् अथवा नगर पंचायत के द्वारा यथा स्थिति प्रभारित किये जाने वाली अनुज्ञा शुल्क, वार्षिक नवीनीकरण शुल्क तथा समझौता शुल्क में राज्य शासन समय-समय पर वृद्धि कर सकेगा।
8. टॉवर (टॉवरो) की स्थापना संबंधी शिकायत प्राप्त होने की दशा में उसे जांच पड़ताल (अनुसंधान) हेतु महानिदेशक, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और महासचिव, एसोसिएशन ऑफ बेसिक टेलीकॉम सर्विसेस को निर्दिष्ट किया जावेगा एवं उनसे प्राप्त अनुसंधानों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
9. इन नियमों के अंतर्गत स्वीकृत की गई किसी भी अनुज्ञा के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 तथा इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट, 1933 के अंतर्गत जारी किसी आदेश को प्रभावित करेगी।
10. स्थानीय नगरीय निकाय को समस्त ऐसे टॉवरों/संरचनाओं पर कार्यवाही करने एवं उसे हटाने का अधिकार होगा, जिसे जनहित एवं सुरक्षा या नियमों के विरुद्ध समझा जाये।
11. प्रस्तावित टॉवर के आस-पास यदि कोई उच्च दाब, विद्युत लाईन या निम्नदाब विद्युत लाईन या विद्युत के वितरण के लिए प्रयुक्त कोई अन्य विद्युत लाईन होने की दशा में उक्त विद्युत लाईनों तथा प्रस्तावित टॉवरों के बीच में सुरक्षित दूरी को बनाये रखने का दायित्व आवेदक का होगा जैसा कि भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित किया जाये।
12. भवनों पर टॉवर स्थापित करने हेतु समस्त अन्य शर्तों के पालन होने के पश्चात् नगर पालिका से अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी। बिना अनुज्ञा प्राप्त भवनों पर यदि टॉवर लगाया जाता है तो ऐसी दशा में ऐसे टॉवर (टॉवरों) को विधि सम्मत प्रक्रिया के अधीन हटये जाने के दौरान हुए किसी नुकसान के लिये नगर पालिका जिम्मेदार नहीं होगा तथा इस संबंध में सेल्यूलर ऑपरेटर, नगर पालिका को क्षतिपूर्ति करेगा।
13. सैशणिक संस्थानों तथा अस्पतालों/डिस्पेंसरी द्वारा प्रयुक्त भवनों में टॉवर की स्थापना के लिए अनुज्ञा स्वीकृत नहीं की जायेगी।

14. मोबाईल/टॉवर/रिले टॉवर लगाने हेतु आरक्षित 10 प्रतिशत भूमि तथा भागों के लिये चिन्हित भूमि के अंतर्गत पार्क/खुले स्थानों के लिए आरक्षित भूमि को छोड़कर किसी भी खुली भूमि के संबंध में अनुज्ञा स्वीकृत की जा सकती है। किसी योजना के अंतर्गत 10 प्रतिशत आरक्षित भूमि पार्क/खुले स्थान के संबंध में अनुज्ञा स्वीकृत नहीं की जायेगी।
15. अनुज्ञा का प्रमाणपत्र, इन नियमों के संलग्न प्रारूप-दो में जारी किया जायेगा तथा नगरपालिका को यह अधिकार होगा कि कोई स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्य शर्त आरोपित करें। आवेदक, नगर पालिका द्वारा समय-समय पर जारी समस्त निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।
16. अनुज्ञा की स्वीकृति आवेदन के अमान्य किये जाने की दशा में नियम 6 के अधीन जमा किये गये अनुज्ञा शुल्क की राशि, उगमें से 20 प्रतिशत राशि की कटौती करने के पश्चात् आवेदक को वापस की जाएगी।
17. इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व जारी कोई भी आदेश या निर्देश, इन नियमों के अंतर्गत जारी आदेश या निर्देश समझे जायेंगे, जहां तक इन नियमों से असंगत न हो।
परन्तु, ऐसे नियमों के अधीन जारी किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के अंतर्गत जारी किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।
18. टॉवर का अधिकतम उपयोग और क्षेत्र में टॉवरों की संख्या कम करने की दृष्टि से, एकल टॉवर पर उसी या अन्य कम्पनी के द्वारा एक से अधिक एरियल (एन्टेना) संस्थापित किया जा सकेगा। ऐसी दशा में प्रत्येक इच्छुक कम्पनी को विद्यमान टॉवर में अपने एरियल (एन्टेना) संस्थापित करने हेतु नियम 6 के अंतर्गत विहित अनुज्ञा शुल्क का 60 प्रतिशत जमा करने के पश्चात् नगर पालिका से अग्रिम अनुमति अभिप्रास करना अपेक्षित होगा, नवीनीकरण शुल्क की गणना भी तदनुसार होगी।
19. केबल लाईन बिछाने हेतु सड़क खोदने की अनुमति देने तथा टॉवर स्थापित करने हेतु अनुज्ञा स्वीकृत के लिए सक्षम प्राधिकारी सशक्त होंगे।
20. यदि नगर पालिका आवेदन की प्रस्तुति के दो माह के भीतर अपने निर्णय से आवेदक को संसूचित करने में असफल रहती है तो यह मान लिया जायेगा कि अनुज्ञा दे दी गई है।

दृनीसगढ़ के सचिव के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कंठरिया, उप-सचिव।

प्रमाण एक
(टेम्पलेट नियम 4)

सेल्यूलर फोन के लिये टावर स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

1. आयुक्त
नगर पालिका निगम,
.....
 2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत
.....
1. मैं/हम मेसर्स की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि हैं और निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत करते हैं:
1. नियम के अंतर्गत निकाय क्षेत्र में सेल्यूलर फोन टावर स्थापना की अनुमति हेतु.
 2. विद्यमान अनुमति क्र. दिनांक जो दिनांक को समाप्त हो रही हो के नवीनीकरण हेतु.
 3. विद्यमान टावर में अतिरिक्त एन्टीना लगाये जाने की अनुमति हेतु.
2. आवेदन के समर्थन में निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत है:
-
- 1 आवेदक का पूरा नाम पता एवं संपर्क सूत्र
 - 2 संरचना
 - 3 व्यवसाय का विवरण
 - 4 आयकर पैन नम्बर
 - 5 आवेदक के स्थानीय प्रतिनिधि का पता एवं फोन नम्बर
 - 6 भारत सरकार द्वारा जारी संचार सेवा प्रदाता का पंजीयन संबंधी विवरण
 - 7 टॉवर स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित स्थल का विवरण
 - 8 यदि प्रस्तावित स्थल संवेदनशील है तो उसका विवरण
 - 9 टॉवर स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित स्थल/भवन का विवरण
 - 10 प्रस्तावित स्थल/भवन के भूमि स्वामी/भवन स्वामी का नाम एवं पता
 - 11 प्रस्तावित टॉवर का भौतिक मानदंड

- 12 यदि विद्यमान टॉवर में अतिरिक्त एन्टीना प्रस्तावित हो तो—
(अ) विद्यमान टॉवर का विवरण एवं अनुज्ञा संबंधी विवरण
- 13 प्रस्तावित स्थल एवं आस पास गुजरने वाली एच.टी./एल.टी. ओव्हर हेड लाईन एवं सर्चिम लाईन का विवरण.
- 14 टॉवर के साथ स्थापित किए जाने वाले जनरेटर व अन्य सहायक उपकरणों का विवरण.
- 15 आवेदन के साथ संलग्नकों का विवरण
- 16 जमा कराए गए अनुज्ञा/नवीनीकरण शुल्क का विवरण
- 17 अन्य कोई जानकारी जो आवेदक उपलब्ध कराना चाहें

मेरे/हमारे द्वारा नियमों को पढ़कर समझ लिया गया है एवं उनका पालन करने के लिए बाध्य है. उपरोक्त हमारे द्वारा प्रदाय की गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार सही एवं सत्य है.

भवदीय

आवेदक/प्रतिनिधि का नाम
पदनाम एवं सील सहित हस्ताक्षर

प्रारूप-दो
(देखिये नियम 17)

अनुज्ञा प्रमाण-पत्र

दिनांक

अनुज्ञा क्रमांक

नियम के अंतर्गत श्री/मेसर्स को सेल्यूलर फोन
टॉवर के स्थापित किए जाने हेतु निम्नलिखित स्थान और नियम शर्तों के अंतर्गत अनुज्ञा प्रदान की जाती है :-

1. टॉवर की स्थिति

अनुज्ञा की नियम एवं शर्तें

1.

2.

3.

4.

5.

6.

क्षतिपूर्ति बंधपत्र

मैं आत्मज
 निवासी में
 की ओर से यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र निम्नादित करता हूँ। यह है मेरे द्वारा श्री के भूखंड/भवन
 जो कि में खसरा क्रमांक में पर
 स्थित है, पर सेल्यूलर टावर स्थापित करने हेतु भूखंड/भवन स्वामी की सहमति के साथ आयुक्त नगर पालिका निगम
 मुख्य नगर पालिका अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

यह कि सेल्यूलर टावर स्थापना की अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु मैं यह क्षतिपूर्ति करने का वचन देता हूँ कि नगर पालिका निगम, नगर
 पालिका/नगर पंचायत को किसी न्यायालयों/संबैधानिक संस्थाओं में परिवाद की स्थिति से मुक्त रहेगा एवं अग्नि दुर्घटनाओं या कर्मचारियों की
 लापरवाही और प्राकृतिक/अन्य कारणों से उत्पन्न आपदा/दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति, हानि टूट-फूट से हुए नुकसान की पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी।

मैं यह भी अभिलिखित करता हूँ कि क्षतिपूर्ति बंधपत्र की उपरोक्त नियम/शर्तों का पालन करने हेतु कंपनी बाध्य रहेगी।

हस्ताक्षर/सौल
 आवेदक/अधिकृत प्रतिनिधि
 फर्म/कंपनी

(पचास रुपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित)

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. भवन स्वामी को सहमति तथा करगनामा
2. नियम में बाणन निर्धारित की गई अनुज्ञा शुल्क, नवीनीकरण शुल्क जमा करने के प्रमाण स्वरूप में
3. भवन भूमि में स्थापित किये जाने की स्थिति में भू-स्वामी को सहमति तथा एग्रीमेंट की प्रतिलिपि
4. टॉवर स्थापना हेतु भवन तथा टॉवर की आवश्यक ड्राइंग तथा स्ट्रक्चरल सेफ्टी व स्थिरता का प्रमाण पत्र किसी क्वालीफाइड स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो निम्नलिखित किसी संस्थ. का हो :-
 1. : राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर
 2. किसी भी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अन्य किसी भी अंगण पत्र मान्य नहीं किया जायगा.
5. टॉवर के हाइड्रेशन लाइन के समीप होने की स्थिति में टॉवर को टा का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए
6. किसी प्रकार की क्षति अथवा दुर्घटना के संबंध में क्षतिपूर्ति बंधपत्र (Indemnity) संलग्न किया जाना चाहिए जिसमें टॉवर से होने वाले किसी भी प्रकार की क्षति, हानि, मिथिल अथवा अपराधिक प्रकरण के लिये आवेदक पूर्ण जिम्मेदार हो.
7. जहां आवश्यक हो वहां सर्विस प्रदायकता एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एयर ट्राफिक कंट्रोलर से अनापत्ति प्राप्त करेगा. इसी प्रकार प्राचीन काल/एतिहासिक इमारतों के पास टॉवर स्थापित करने के पूर्व पुरातत्व विभाग अथवा संबंधित विभाग से अनापत्ति लिया जाकर आवेदन के साथ संलग्न करना होगा.
8. इसी प्रकार सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील भवनों यथा मंत्रालय, विधान सभा, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, उच्च न्यायालय के 100 मीटर की परिधि में मोबाईल टॉवर लगाया जाना प्रस्तावित हो तो संबंधित विभाग, गृह विभाग से अनापत्ति लिया जाकर आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए.

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2010

क्रमांक 5062/1405/18/2010. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसारण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक 5062/1405/18/2010 दिनांक 24-09-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

प्रपत्र "ब"

मु. फौ. फारूकी
 सचिव
 M.F. FAROOQUI
 Secretary



भारत सरकार
 Government of India
 संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
 Ministry of Communications &
 Information Technology
 दूर संचार विभाग
 Department of Telecommunications
 D.O. No. 17-2/2013-S-1
 August 8, 2013

This is in reference to the earlier DO no. 32-10/2012-EW dated 26th March, 2013 regarding broad guidelines for issue of clearance by State Governments / Local Bodies to the Telecom Service Providers for installation of mobile towers wherein State Government was requested to participate in stakeholders meeting held on 15th April, 2013. Based on the interaction and feedback from various stakeholders including State Governments and Civil Society, DOT has further reviewed the earlier guidelines and issued the new inclusive guidelines now, in order to ensure that the momentum of telecom growth continues unabated while public concerns about safety and human health are addressed in the best possible way. I believe these guidelines will help you evolve a unified approach on the subject.

2. It may please be noted that all technical issues related to electro-magnetic radiation, wireless frequency allocations and access service licenses /Infrastructure provider's registration etc. in respect of telecommunication services are dealt by DOT. DOT has its field units called "TERM Cells" in each State. The State Government may coordinate /consult with TERM Cell, wherever necessary.

3. I would, therefore, request that the State Government/ Local Bodies may take suitable action in respect of Part (A) and Part (B) of the enclosed guidelines which are also available on DOT's website <http://dot.gov.in>. I am sure that, these new guidelines will improve clarity in the matter and go a long way in streamlining the whole process of issue of clearance for installation of mobile towers leading to faster permissions to Telecom Service Providers.

With regards,

Yours sincerely,

(M.F. Farooqui)

Encl: As above

To

All Chief Secretaries of all States and Union Territories

अनुभाग अधिकारी

परिशिष्ट "इकसठ"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 1544) की जानकारी]

नगर पंचायत घरघोडा

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	वर्ष	मद	कार्य विवरण	स्वीकृत राशि
1	2013-14	नगर सुराज अंतर्गत अधोसंरचना मद से 24	वार्ड कं. 13 महेन्द्र चौधरी के घर से अरुण पटेल घर तक नाली निर्माण कार्य	1.15
2		विभिन्न विकास कार्य	वार्ड कं. 13 महेन्द्र चौधरी के घर से मेन रोड तक नाली निर्माण कार्य	0.80
3			वार्ड कं. 13 वेरियस पेलेस के पास रोड कांसिंग निर्माण कार्य	1.15
4			वार्ड कं. 13 प्रसाद ठाकुर घर से विजय विष्णु घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	0.75
5			वार्ड कं. 06 मेन रोड से हाई स्कूल बिल्डींग तक सी.सी.रोड निर्माण	4.07
6			वार्ड कं. 13 किशोर गोपाल घर से सोम देव घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	4.74
7			वार्ड कं. 13 मुनुद पठान घर से मेन रोड तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	3.13
8			वार्ड कं. 09 झापपारा मंदिर के पास रोड कांसिंग निर्माण कार्य	0.57
9			वार्ड कं. 15 आगन बाडी भवन निर्माण कार्य	4.34
10			वार्ड कं. 02 आगन बाडी भवन निर्माण कार्य	4.04
11			वार्ड कं. 13 बालक प्राथमिक शाला में आर.सी.सी. नाली निर्माण	0.72
12			वार्ड कं. 11 पवन शर्मा के घर के पास एच.पी.कवर्ड निर्माण कार्य	0.52

13		मुस्लिम समाज कब्रिस्तान में सी.सी.रोड निर्माण	3.08
14		वार्ड कं. 03 में विचित्र राव के घर से झंगलू उराव के घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	1.51
15		महंत समाज शमशान घाट में बाउडीवाल निर्माण कार्य	5.00
16		महंत समाज शमशान घाट में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	2.70
17		कवर समाज शमशान घाट में बाउडीवाल निर्माण	5.00
18		झंगलू उराव घर से श्याम लाल घर तक सी.सी.रोड निर्माण	1.51
19		वार्ड कं. 01 प्रथमिक शाला में किचन सेड निर्माण कार्य	0.80
20		शनि मंदिर के पास मेंसेनरी वाटर टैंक निर्माण	0.49
21		वार्ड कं. 08 बोर के पास मेंसेनरी वाटर टैंक निर्माण	0.49
21		वार्ड कं. 10 मंच निर्माण	0.90
22		वार्ड कं. 13 राजेन्द्र गुप्ता के घर से अंजनी गुप्ता के घर के पास सी.सी.रोड निर्माण कार्य	1.13
23		वार्ड कं. 15 जुगनू चौक में मंच निर्माण कार्य	0.90
24		वार्ड कं. 02 सी.सी.नाली निर्माण कार्य	0.51
योग			50.00

क्र.	वर्ष	मद	कार्य विवरण	स्वीकृत राशि
1	2014-15	नगर सुराज अभियान अंतर्गत	दततरी पटनायाक घर से तमनार रोड तक सी.सी.रोड निर्माण	1.42
2		अधोसंरचना मद से 23 विभिन्न विकास कार्य	वार्ड कं. 07 धनोराम से तमनार रोड तक नाली निर्माण कार्य	1.10
3			वार्ड कं. 07 मुख्य मार्ग से मंहत समाज कब्रिस्तान तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	2.09
4			वार्ड कं. 08 श्याम लाल सार्थी घर से कुमेराम घर तक आर.सी.सी. नाली	4.18
5			वार्ड कं. 08 हाउराम घर से दयानिधी शर्मा के घर तक आर. सी.सी.नाली	5.58
6			वार्ड कं. 08 सिचाई कालोनी से हाउराम घर तक सी.सी.रोड	2.38
7			वार्ड कं. 08 दुर्गा मंदिर से साहू मोहल्ला तक सी.सी.रोड	5.94
8			वार्ड कं. 08 धुराउ यादव घर से संजय होता घर तक सी.सी.रोड	5.94
9			वार्ड कं. 08 अंबेडकर चौक से रायगढ़ मेन रोड तक आर.सी.सी. नाली	2.79
10			वार्ड कं. 08 राजु भाठिया घर से भुवन साहू तक आर.सी.सी.नाली	4.18
11			वार्ड कं. 08 भोला गुप्ता घर से धर्मेन्द्र भाठिया घर तक आर.सी. सी.नाली	4.18
12			वार्ड कं. 09 बस स्टैण्ड से बगमुडा तालाब तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	3.98
13			वार्ड कं. 10 पवन शर्मा घर से जयनारायण घर तक नाली रोड निर्माण कार्य	1.23
14			वार्ड कं. 10 शिव शर्मा दुकान से जोहर हालर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	6.50
15			वार्ड कं. 10 दुखु दुकान से सरस्वती शिशु मंदिर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य (चौडीकरण)	1.52

16		वार्ड कं. 10 महेशदास घर से तालाब तक आर.सी.सी.रोड निर्माण कार्य	6.08
17		वार्ड कं. 11 हनुमान चौक से बैगीन मंदिर रोड तक सी.सी.रोड	21.03
18		वार्ड कं. 11 तमनरीहा पारा से सडक तक सी.सी.रोड	4.75
19		वार्ड कं. 11 तमनरीह पारा से सडक तक आर.सी.सी. नाली	5.58
20		वार्ड कं. 11 हनुमान चौक से निरु घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	5.38
21		वार्ड कं. 11 शिव शर्मा घर से मंदिर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	1.57
22		वार्ड कं. 14 शनीराम घर से लक्ष्मी साहू घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	1.14
23		वार्ड कं. 14 चमार घर से सागर सेठ घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य	1.84
योग			100.00

परिशिष्ट "बासठ"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 1552) के भाग (ग) की जानकारी]

एन्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग सेल को विवेचना हेतु सौंपे गये प्रकरण

क्र.0	जाना अप. क्र. द्वारा	अपरत्य कायमी	लिंग	नाम पता एवं थाना	बच्चे जो मिल गये हैं।	बच्चे जिनकी तलाश की जा रही है।
1.	कोतवाली 239/12 363, 366 भादवि	23-06-12	बालिका	स्वाती कौर पिता स्व.राजेन्द्र सिंह उम्र 13 वर्ष निवासी सनसिटी अटल आवास जगदलपुर	01/ 24-11-14	
2.	करपावण्ड 49/13 363 भादवि	26-06-13	बालक	नवल किशोर पिता बिस्सु जाति भतरा उम्र 9 वर्ष निवासी डिमरापाल		01 अदम दस्तयाब
3.	बोधघाट 171/13 363 भादवि	25-06-13	बालक	भानु पिता दीनानाथ जाति माहरा उम्र 16 वर्ष निवासी फ्रेजपुर		01 अदम दस्तयाब
4.	बोधघाट 175/13 363 भादवि	28-06-13	बालक	कोराम विनोद पिता कोराम गनपत उम्र 16 वर्ष निवासी अघहनपुर		01 अदम दस्तयाब
5.	नगरनार 154/13 363 भादवि	28-06-13	बालिका	कु0बंसती पिता गोर्दधन उम्र 17 वर्ष निवासी सिलियागुडा पारा	01/ 2-12-14	
6.	बोधघाट 176/13 363 भादवि	28-06-13	बालक	नेल्सन राज पिता नामसराज उम्र 17 वर्ष		01 अदम दस्तयाब
7.	बोधघाट 177/13 363 भादवि	28-06-13	बालिका	कु0 सुकली पिता पाकलु उम्र 16 वर्ष निवासी एर्राकोट सरगीपाल	01/ 3-12-14	
8.	नगरनार 157/13, 363 भादवि	29-06-13	बालिका	कु.ललिता पिता दया राम जाति पनक उम्र 17 वर्ष निवासी पाहुरबेल थाना नगरनार		01 अदम दस्तयाब
9.	कोतवाली 239/13 363, भादवि	12-7-13	बालिका	कु.बेनबती पिता सुखदेव उम्र 15 वर्ष निवासी डोंगाघाट	01/ 18-11-14	

10	नगरनार 156/13 363 भादवि	29-06-13	बालिका	कु.जयंती पिता तीरथ उम्र 13 वर्ष जाति भतरा निवासी नलपावण्ड	01/ 26-12-14	
11.	भानपुरी 117/13 363 भादवि	02-09-13	बालिका	इलावती पिता बुधराम उम्र 15 वर्ष निवासी गोंदिया पाल	01/ 03-01-15	
12	फ्रेजरपुर 155/13 363 भादवि	30-09-13	बालिका	कु.प्रिया पिता विभिषण उम्र 16 वर्ष निवासी बाजार पारा नानगुर	01/ 28-11-14	
13	बोधघाट 126/14 363 भादवि	18-04-14	बालिका	कु.पदमावती पिता जगबन्धु उम्र 15 वर्ष निवासी परपा नाका	01/ 02-12-14	
14	बड़ांजी 24/14 363 भादवि	20-5-14	बालिका	कु.मालती कश्यप पिता शंकर कश्यप उम्र 16 वर्ष निवासी सिंधनपुर	01/ 03-12-14	
15	दरभा 33/14 363,366 भादवि	5-4-14	बालिका	कु.मिनाक्षी सिंह पिता अनिल सिंह उम्र 17 वर्ष निवासी नेगानार	01/ 30-11-14	
16	बोधघाट 379/14 363 भादवि	12-12-14	बालिका	कु.निरु पिता तेजनारायण जाति गोंड उम्र 17 वर्ष 22 दिन निवासी शांतीनगर थाना बोधघाट		01 अदम दस्तयाब
17	बोधघाट 13/15 , 363 भादवि	22-1-15	बालक	भवानी पटेल पिता स्व.सुभाष पटेल उम्र 15 वर्ष निवासी नकटी सेमरा आड़ाववाल थाना बोधघाट		01 अदम दस्तयाब
योग:-					10	07

परिशिष्ट "तिरसठ"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 1558) के भाग (ख) की जानकारी]

(र३) प्रकरण में आरोपियों के गिरफ्तारी के लिये निम्नलिखित प्रयास किये गये हैं :-

01. घटना स्थल का पुलिस महानिरीक्षक रायपुर, पुलिस अधीक्षक रायपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायपुर, नगर पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा काईम ब्रांच की टीम सांहेत फोटोग्राफर, फिंगर प्रिन्ट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाट द्वारा निरीक्षण किया गया।
02. मेडिकोलीगल एक्सपर्ट डॉक्टर सतपथी, तथा फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया, तकनीकी टीम द्वारा टॉवर डम्प का परीक्षण किया गया।
03. अज्ञात आरोपियों की पतासाजी हेतु प्रार्थिया से आरोपियों के हुलिया की जानकारी प्राप्त कर स्कैच तैयार कराने का प्रयास किया गया, परन्तु प्रार्थिया द्वारा आरोपियों का सही हुलिया नहीं बता पाने के कारण स्कैच तैयार नहीं हो सका।
04. अज्ञात आरोपियों की पतासाजी हेतु घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच करायी गई।
05. घटना स्थल में कैंप लगाकर अस्पताल के आसपास निवासरत् व्यक्तियों से, हॉस्पिटल के अन्य कमरों में मौजूद गवाहों से, पास के निर्माणाधीन स्कूल में कार्यरत मजदूरों से, मंडी में रात के समय खड़ी वाहनों के चालकों से, हॉस्पिटल में ईलाज हेतु पूर्व में आये हुये मरीजों के ईलाज की ओपीडी पर्ची से मिलानकर तस्दीक की गई, पंडरी क्षेत्र के कचरा उठाने वाले ई-टेक कंपनी के कर्मचारियों, कंपनी में कार्यरत ड्राइवर, हेल्पर, तथा सुपरधाईजर, बगीचों में पानी डालने वाले मालियों, आसपास के चौकीदारों से, घटना स्थल के आसपास से निकलने वाले मार्ग के व्यक्तियों, क्षेत्र के निगरानी तथा गुण्डा बदमाशों से, कुल-200 से ज्यादा व्यक्तियों से पूछताछ कर पतासाजी करायी गई।
06. आरोपियों की पतासाजी हेतु पीड़िता से संदेही बदमाशों की पहचान निरंतर करायी जा रही है।
07. प्रकरण की विवेचना तथा आरोपियों की तलाश हेतु दिनांक 24.06.2015 को पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा श्री अजात शत्रु बहादुर सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक काईम, श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिविशा, श्री नीरज चंद्राकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, श्री राकेश भट्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टीगेशन की 10 टीमों का पृथक-पृथक गठन किया गया है।
08. घटना के समय आरोपियों द्वारा पहने गये ग्लोब्स तथा गमबूट की इंटरनेट में सर्च कराकर आरोपियों की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है।
09. तकनीकी टीम द्वारा आरोपियों की तलाश हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है।
10. डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हेतु हैदराबाद प्रयोगशाला में सैंपल जमा कराया गया है।
11. आरोपियों की पतासाजी हेतु पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा 5,000/-रूपये के ईनाम से, पुलिस महानिरीक्षक रायपुर द्वारा 30,000/-रूपये तथा पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा 50,000/-रूपये के ईनाम की उद्घोषणा की गई है। आरोपियों के पतासाजी हेतु हर संभव एग्रेस किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट "चौंसठ"

[अंतोरांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 1560) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

अवैध शराब बिक्री के कायम प्रकरणों की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16 (30 जून, 2015 तक)
1	2	3	4	5
01	रायपुर	22	56	15
02	बलौदाबाजार	0	4	5
03	गरियाबंद	22	9	1
04	दुर्ग	1	23	6
05	बालोद	1	6	2
06	बेमेतर	1	9	4
07	महासमुंद	0	6	1
08	धमतरी	11	6	0
09	कबीरधाम	0	1	0
10	राजनांदगांव	6	9	0
11	मिलासपुर	2	2	4
12	मुंगेली	1	2	1
13	रायगढ़	4	5	0
14	जाजगीर चांपा	0	2	0
15	कोरबा	0	23	7
16	सरगुजा	0	1	4
17	बलरामपुर	0	0	5
18	सूरजपुर	3	3	2
19	कोरिया	0	3	0
20	जशपुर	0	0	2
21	उ.ब.कांकेर	1	1	0
22	बस्तर	0	0	0
23	नारायणपुर	0	0	0
24	कोण्डागांव	0	0	0
25	द.ब.दन्तेवाड़ा	0	0	1
26	बीजापुर	0	0	0
27	सुकमा	0	0	0

प्रपत्र "ब"

क्र.	जिला	स्थानीय नागरिकों के नाम	आरोपी के खिलाफ की गई कार्यवाही
1	रायगढ़	श्री विष्णु यादव पिता बोधराम यादव, उम्र 31 वर्ष, सा. पंजरीप्लांट, थाना चक्रधरनगर, रायगढ़	पुलिस विभाग द्वारा चार आरोपियों के खिलाफ धारा 309, 34 ताहि. के तहत अपराध क्रमांक 229/13, कायमी दिनांक 45/15.05.2013 दर्ज किये जाकर दिनांक 16.05.2013 को गिरफ्तार किया गया। न्यायालय में दिनांक 30.06.2013 को पेश किया गया है, जो विचाराधीन है।
2	महासमुंद	श्री पवन साहू पिता श्री लखन साहू, उम्र 40 वर्ष साकिन पिटियाझर, महासमुंद, थाना महासमुंद	07 आरोपियों के विरुद्ध दिनांक 16.02.2014 को अप. क्र. 114/14 धारा 147, 148, 149, 394, 323, 506 बी भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त सभी आरोपियों के विरुद्ध दिनांक 20.12.2015 को अभियोग पत्र क्रमांक 635/14 तैयार कर विचारण हेतु दिनांक 26.02.2015 को महासमुंद न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 30/30 धारा 151/107, 116(3) जा.फौ. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।

परिशिष्ट "पैसठ"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 50 (क्र. 1576) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

अनु. क.	विकास खण्ड	अवधि	हितग्राही संख्या	प्रजाति	रोपण हेतु प्रदायित पौधों की संख्या
1	नवागढ़	वर्ष 2013 से जून 2015	121	नीलगीरी	65325
2	बेमेतरा	वर्ष 2013 से जून 2015	01	नीलगीरी	700
3	बेरला	वर्ष 2013 से जून 2015	20	नीलगीरी	43500
4	साजा	वर्ष 2013 से जून 2015	02	नीलगीरी	3500
योग			144	—	1,13,025

प्रपत्र "ब"

अनु. क.	विकास खण्ड	जीवित पौधों की संख्या	हितग्राही संख्या	हितग्राहियों को जीवित पौधों के रखरखाव हेतु /कीटनाशक/खाद /अनुदान की वितरित राशि(रूपये में)	हितग्राहियों को रोपण से संबंधित अन्य कार्यों के एवज में भुगतान की गई राशि(रूपये में)
1	नवागढ़	25955	121	11446	2,93,962.50
2	बेमेतरा	630	01	-	3150.00
3	बेरला	23500	20	27000	1,96,000.00
4	साजा	3500	2	-	15,750.00
योग		53585	144	38446	5,08,862.50